खण्ड-296, अंक-10
गुरूवार, 31 चैत्र, शक संवत् 1894
(20 अप्रैल, 1972 ई0)

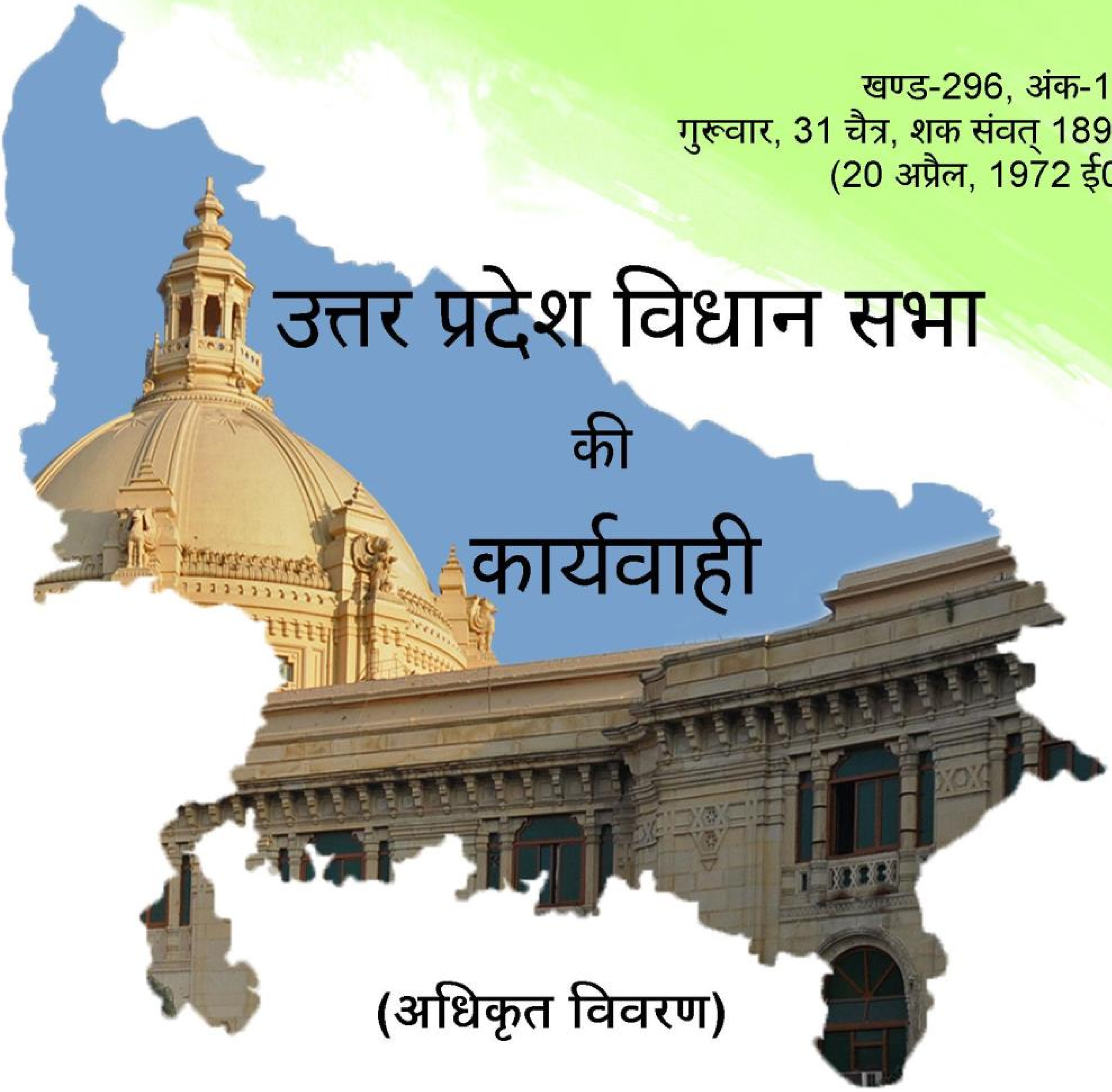

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 296 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	923–927
विलम्ब से उपस्थित होने के लिये उद्योग राज्य मंत्री द्वारा खेद प्रकाश ..	927–929
प्रश्नोत्तर	930–970
15 जुलाई, 1971 के श्री पन्ना लाल गुप्त के अतारांकित प्रश्न 9 के उत्तर का शोधन	970
फतेहगंज पूर्वी, जिला बरेली से दातागंज, जिला बदायूं तक सड़कों को पक्की करने के सम्बन्ध में याचिका (प्रस्तुत की गई)	971
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	971
ग्राम मचकचा, जिला जालौन में पांच गड़रियों को डाकुओं द्वारा अपहृत किये जाने के संबंध में वक्तव्य	971–973
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कम अन्तरिम राहत के फलस्वरूप हड़ताल के आगाहन के सम्बन्ध में वक्तव्य	973–976
ग्राम नगला बन्धिक, जिला मथुरा में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के संबंध में में वक्तव्य	976–978
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	978–981
1972–73 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 37—परिवहन तथा अनुदान संख्या 50—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	981–1025
निगम 5 के अन्तर्गत सूचनाएं	1025–1026
1972–73 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 3—राज्य आबकारी (स्वीकृत)	1027–1049
नत्थियां	1050–1063

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार 20 अप्रैल, 1972

विधान सभा की बठक, सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, उपाध्यक्ष श्री वासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—365

अजब सिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वरदयाल त्यागी, श्री
उदयनाथ, श्री
उदय प्रतापसिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याणसिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशनलाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त , श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णमगन सिंह श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशवचन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, तिवारी
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री

गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचलसिंह गिल, सरदार श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्र भानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह जूदेव, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री
जे ०एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण' श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दर्लासगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारेलाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री
(जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमु उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाई लाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारीदेवी गुप्ता, श्रीमती
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसीराम, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री

बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवतदयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भ गेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
ोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल , श्री
मोहनलाल कपूर श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राज बहादुरचन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजित राम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी, बाजपेयी डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरण सिंह, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
राम निहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रमापति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी

रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामवचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी सराय)
रामवचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़ फूलपुर)
राम बिलास पांडेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल' श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दुबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
रामसेवक, श्री
रामहर्ष मिश्र, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भरसिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिवराजसिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरूलाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेषनारायण शुक्ल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री

सजीवन लाल, श्री
सतोशचन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीबुर्रहमान, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट :—पंचायत राज मंत्री श्री बलदेव सिंह आर्य एवं सूचना राज्य मंत्री, श्री पुरुषोत्तमदास टन्डन भी उपस्थित थे ।

विलम्ब से उपस्थित होने के लिये उद्योग राज्य मन्त्री द्वारा खेद प्रकाश

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा मुख्य मंत्री का नाम पुकारने पर किसी मंत्री के न खड़े होने पर)

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—
मान्यवर, आपने मुख्य मंत्री जी को बुलाया लेकिन कोई है ही नहीं उत्तर देने के लिये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)
मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । सदन के अन्दर इस मन्त्रिमंडल की बिलकुल रुचि नहीं है ।

गृह उप मंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)—
मान्यवर, उद्योग मंत्री जी आ रहे हैं बिल्कुल ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—
मान्यवर मंत्री जी के विरुद्ध व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—
मान्यवर, यह गम्भीर व्यवस्था का विषय है । पिछली बार जब दो मिनट स्पीकर लेट हो गये थे तो यहां पर व्यवस्था की बात आई थी । स्पीकर को रिगरेट करना पड़ा था । यह सदन का सबसे बड़ा अपमान है कि मन्त्री लोग . . . . इन सारी बातों की सुविधायें दी जाती है । कार है, टेलीफोन ह सारी बातों की सुविधायें इनको दी जाती हैं । मन्त्री

[श्री बंशीधर पांडेय—]

को एक-एक घंटे पहले दफ्तर में पहुंच जाना चाहिये। यह तो सदन का अपमान है। यह ब्रीच आफ प्रिवेलेज है। इस हाउस का अपमान किया गया है। इस संबंध में मान्यवर, आप अपना निर्णय दें कि क्या कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर मैं यह व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाह रहा था कि मन्त्रिमंडल में ऐसे मंत्री सम्मिलित नहीं किये जाने चाहिये जो कि शारीरिक रूप से सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिये सक्षम नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्रि-मण्डल के गठन में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की आवाज नहीं होती है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न श्रीमन् यह है कि इस सदन की कार्यवाही आपने चालू की। आपने मुख्य मंत्री जी को बुलाया प्रश्न का उत्तर देने के लिये। न उधर से कोई मंत्रिपरिषद का सदस्य खड़ा हुआ और न प्रश्न का उत्तर आया और जिसके फलस्वरूप तीन मिनट का समय इस सदन का समय नष्ट हो गया। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या इस प्रकार का अनुत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करके पूरी मन्त्रि-परिषद ने इस सदन का अवमान नहीं किया है?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप एक एक करके बोलें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर यह केवल व्यवस्था का प्रश्न नहीं है बल्कि यह सदन के अवमान का प्रश्न है। आपकी तरफ से मंत्री जी को पुकारा गया लेकिन मन्त्रिमण्डल का कोई सदस्य खड़ा नहीं हुआ। यह व्यवहार सदन का अवमान है तो मैं माननीय विभव जी के विरुद्ध सदन को सूचना देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसे मामलों में यह उचित है कि आपके दल के नेता कह चुके हैं तो उसको दोहरायें नहीं। वह बात माननीय पाण्डेय जी ने कह दी है। माननीय नित्यानन्द स्वामी ने पुनर्गठन की बात कही।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, आपने अभी कहा कि यदि दल के नेता ने अपने विचार व्यक्त कर दिये तो दूसरे सदस्यों को नहीं उस पर बोलना चाहिये। लेकिन मान्यवर यह तो ठीक नहीं होगा। हर सदस्य की नालेज अलग-अलग होती है। उससे तो आपको व्यवस्था में सहायता मिलेगी।

उद्योग राज्य मंत्री (श्री देवकी नन्दन विभव)—

श्रीमन्, वैसे तो मुझे खेद है.....

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

पहले क्षमा मांगें।

विलम्ब से उपस्थित होने के लिये उद्योग राज्य मन्त्री द्वारा खेद प्रकाश

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, इसमें सदन की गरिमा का सवाल है। माननीय मंत्री जी को समय से यहां उपस्थित होना चाहिये था। यह सदन का प्रत्यक्ष अपमान है। अगर इस तरह से मंत्री लोग अनुपस्थित रहेंगे तो सदन की गरिमा कैसे बचाई जा सकती है, इस पर आप कृपया व्यवस्था दें।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मंत्रि मंडल के सदस्य तो शासन के नशे में इतना चूर रहते हैं कि उनको यहां आने न आने की परवाह ही नहीं रहती। इनका नशा तो कम से कम चूर होना चाहिये।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

इस सदन के बैठने के पूर्व ४ मिनट तक घंटी बजती है और घंटी मिनिस्टरों के कमरों तक में लगी रहती है। यहां आपके पुकारने के बाद ३ मिनट तक कोई मंत्री जबाव देने के लिये खड़ा नहीं हुआ। यह सारी घटना सदन के समक्ष हुई है और सदन के समक्ष उसका अवमान हुआ है। यह अवमान का प्रश्न है, अतः आप इसे विशेषाधिकार समिति को भेज दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने जब नाम पुकारा तो यह सही है कि कोई मंत्री खड़ा नहीं हुआ। मंत्री जी उपस्थित भी नहीं थे। जो उप मंत्री थे उन्होंने भी उत्तर देने की नीयत से खड़े होना पसन्द नहीं किया। तो मैं यह कह सकता हूं कि यह उचित नहीं ह। एक मिनट बिलम्ब का जो सवाल है यह अनुचित है। यही मैं कह सकता हूं। उनको समय से आना चाहिये था।

श्री मोहन लाल कपूर—

मंत्रिगण आये दिन न समय से आते हैं न ठीक तरह से सही उत्तर ही देते हैं।

श्री बंशीधर पांडेय—

स्पीकर साहब तक को क्षमा याचना करनी पड़ी।

श्री देवकी नन्दन विभव—

श्रीमन्, मुझे खेद है उसके मैं कारण····

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

खेद प्रकाशन अनक्वालिफाइड होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कारण न बतायें।

श्री देवकीनन्दन विभव—

श्रीमन्, मैं डेढ़ मिनट लेट हो गया, मैं उसके लिये खेद प्रकट करता हूं।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 20 अप्रैल, 1972

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बुनकरों में सूत का वितरण

**1—श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के बुनकरों के लिये 10,000 सूत की गांठें देने का अप्रैल सन 1972 में निश्चय किया है ? यदि हां, तो गांठों के वितरण की सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

उद्योग राज्य मंत्री (श्री देवकी नन्दन विभव)—

केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में वितरण के लिये अप्रैल 1972 में स्टेपुल यार्न कि 5,000 गांठें आवंटित की गई हैं। उक्त कोटे के प्राप्त होने पर वर्तमान प्रबन्धानुसार, उनका वितरण उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम के माध्यम से किया जायगा।

श्री मोहन लाल कपूर—

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह आवंटन जो आपको करना है, वह आप जिला स्तर पर और बुनकरों को कैसे करेंगे ? इसका आधार क्या होगा?

श्री देवकी नन्दन विभव—

इसका आधार, श्रीमन्, यह है कि जो हैन्डलूम हैं उनको एक गांठ दी जायेगी और जो पावरलूम हैं उनको 3 गांठ दी जायेगी। उनके सर्वेक्षण से यह आधार तैयार किया गया है। उसके आधार पर उसको बांटा जा रहा है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

केंद्र सरकार से आपने कितनी गांठें पर--मन्थ देने की रिक्वेस्ट की थी और कितनी मिली हैं?

श्री देवकी नन्दन विभव—

11 हजार गांठों के लिये कहा था और 7 हजार का वह लगाते रहे। वैसे हमारी आवश्यकता तो थी 11 हजार से भी ज्यादा ही। उसका मैंने पूरा विवरण भी दे दिया था। किन्तु उन्होंने 10 हजार ही माना और उसका 50प्रतिशत उन्होंने देने का निश्चय किया।

श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने हैन्डलूम्स हैं और कितने पावर लूम्स हैं।

श्री देवकी नन्दन विभव—

श्रीमन्, सही सही सर्वेक्षण 1956 में हुआ था। लेकिन हमने उसका अब फिर सारा अनुमान लगाया है और हमारा ख्याल यह है कि इस वक्त 509400 हन्ड लूम है, जिसमें काटन के करीब 4 लाख हैं, सिल्क के 30 हजार हैं, स्टेपेल फाइबर के 16,600 हैं और वूलेन और मिस्लेनियस के 63 हजार हैं। इसके अलावा पावर लूम के बारे में हमारा अनुमान यह है कि यह 20 हजार हैं, उसमें 15 हजार काटन वाले हैं और 5 हजार टेपेल यार्न के हैं।

श्री विश्वनाथ कपूर—(जिला फैजाबाद)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि टांडा, जिला फैजाबाद में 17 नवम्बर काउन्ट का जो स्टेपेल के यार्न भेजा गया, उसका वहां कोई उपयोग नहीं है ? और इसके कारण वहां के बुनकरों में बड़ा असन्तोष है ? इसका कारण क्या है ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

यह सही है कि मिल वालों को जो एलाटमेंट हुआ था, कुछ गांठें दे दीं, जिनकी आवश्यकता वहां नहीं थी। इसकी जैसे हमें सूचना मिली हमने केंद्रीय सरकार और मैन-मेड फाइबर स्पिनर्स को भी लिखा और उनको सूचना दे दी कि इसको बदलिये, यह यहां के मतलब का नहीं है। दिल्ली में भी इस बात की काफी चर्चा हुयी है और अब मैन-मेड फाइबर स्पिनर्स एसोशिएशन ने हमें यह आश्वासन दिया है कि वहां के लिये वही दी जायेगी, जिसकी आवश्यकता होगी।

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के मऊनाथ भंजन में बहुत ज्यादा तादाद में हैन्डलूम और पावर लूम हैं, फिर भी अब तक वहां स्टेपुल यार्न का एक धागा भी नहीं पहुंचा है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि अब तक वहां के लोगों को स्टेपुल यार्न नहीं दिया गया है ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

श्रीमन्, यह बात सही है कि मऊनाथ भंजन में जो अभी जांच करायी है, उससे मालूम हुआ है कि कुछ स्टेपिल यार्न की भी आवश्यकता है। लेकिन अधिकांश फाइन यार्न इस्तेमाल किया जाता है। मैंने कुछ गांठें मऊ स्टेपिल यार्न को भी भेजी हैं और उसका वितरण तो हो गया होगा या अब होने वाला है।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि हैन्डलूम और पावर लूम बुनकरों का जो अनुपात निश्चित किया गया है 1 और 3 का वह किस आधार पर किया गया है?

श्री देवकी नन्दन विभव—

यह इस आधार पर किया गया है, अगर हैन्डलूम पर काम किया जाय तो आठ घंटे में कितनी आवश्यकता होती है और पावरलूम पर काम किया जाय तो वहां कितनी आवश्यकता होगी। उस आवश्यकता के अनुपात में ही इनको निश्चित किया गया है। अब यह सही बात है कि पावर लूम कुछ ज्यादा देर तक काम कर सकता है। उनकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी है। हैन्डलूम पर काम करने वाले आठ घंटे या ज्यादा से ज्यादा ८—१० घंटे से ज्यादा काम नहीं होता है। इन सब परिस्थितियों को देखकर फिलहाल इस अनुपात में यार्न्स का आवंटन किया है।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

ऐसा मालूम हुआ है कि कुछ जिलों में जिस सूत की आवश्यकता नहीं थी भेजा गया है, क्या मंत्री जी ने इसकी जांच करायी है कि यह मिल वालों ने बदमाशी से भेजा है या और कोई कारण है ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

श्रीमन्, एक ऐसा इंस्टेंस है, कोई ज्यादा जिलों में इस तरह की कोई शिकायत नहीं पायी गयी। एक ही बार, जो सेकंड आवंटन में यार्न पाया गया उसमें कुछ ऐसा सूत पाया गया जिसकी आवश्यकता कम होती है, होती है लेकिन कम होती है इसके ऊपर फौरन कार्यवाही कर दी गयी।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि बाराबंकी के १२ हजार बुनकरों को महीने की जरूरत 3 हजार गांठ है, आपने इनको कुल 2 सौ गांठ दी है, अगर यह सही है तो उनकी जरूरत भर का स्टेपिल सूत सप्लाई करने की क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

हमें तो पांच हजार गांठों का आबंटन करने की सूचना प्राप्त हुयी है भारत सरकार से उसको जैसी आवश्यकता है, जिले को, उसका हिसाब लगा रहे हैं, उसी तरीके से सही तौर पर आबंटन की व्यवस्था की जा रही है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी ने १० हजार गांठों के वितरण का आधार बना कर कोई ऐसा प्रयास करने की कृपा करेंगे जिससे जो देहाती एरियाओं फरजी कोआपरेटिव हैन्डलूम सोसाइटी बनी हुयी है उनकी वजह से जो सही जरूरतमन्द बुनकरों को नहीं मिल पाती, और कुछ लोग लेकर नाजायज फायदा उठाते हैं, उनको कुछ खत्म किया जायगा ?

श्री देवकी (नन्दन विभव—

श्रीमन्, मैंने इस बात की व्यवस्था की है कि हर एक को सर्वेकर के कार्ड इश्यू कर दिये जायं तो उससे यह जो शिकायतें थोड़ी बहुत इस वक्त हैं, भी दूर हो जायंगी।

श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब माननीय मंत्री जी उत्तर देते हैं तो जो उस समय खड़े होते हैं, जो नियमों का पालन करते हैं बैठे रहते हैं, उस समय खड़े होते हैं जब वह बैठ जाते हैं, लेकिन आप उनको मौका देते हैं जो उस समय खड़े रहते हैं जब मंत्री जी बोलते हैं या उत्तर देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

एक तरफ मैं इधर समय देता हूं और एक तरफ उधर देता हूं इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिलाबदायूं)—

कार्यवाही में देख लीजिये 15 दिन से एक भी सवाल करने का मौका मुझे नहीं दिया गया।

श्री चन्द्रभान शर्मा—(जिला मुजफ्फर नगर)

अपोजीशन को अधिक मौका दिया जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या यह सही है कि इससे पहले जो थोक व्यापारी स्टेपिल यार्न दिया करते थे उनका कमीशन आधा परसेंट था और कारपोरेशन उनसे साढे तीन परसेंट कमीशन ले रहा है ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

यह बात सही है कि कारपोरेशन साढ़े 3 परसेंट कमीशन ले रहा है लेकिन सारा काम नो प्राफिट बेसिस पर हो रहा है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आधा परसट बनिया लेता था और सरकार साढे तीन परसेंट ले रही है और कहती यह है कि सरकार कोई फायदा नहीं ले रही है, यह कैसे हो सकता है।

श्री देवकी नन्दन विभव—

बनिया आधा परसट जरूर लेता था लेकिन ब्लैक मार्केट में अलग से वह फायदा लेता था। उसका अन्दाज माननीय सदस्य को नही है। कारपोरशन कोई ब्लैक मारकट प्राइस पर हीं मांग रहा है।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी आगरा में ब्लैक मार्केट से सूत खरीदवा कर व्यापार करवा रहे हैं ? (हंसी)

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—

बस्ती जिले की आवश्यकता को देखते हुए कितनी गांठे उस जिले को आवंटित की गयी हैं ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

एक फारमूला बना दिया गया है और उसी आधार पर सब जिलों को सूत सरकार पहुंचाना चाहती है ।

श्री भाभी यादव (जिला आजमगढ़)—

व्यवस्था का प्रश्न है । आप हमको मौका नहीं देते हैं जब कि मेरे क्षेत्र में जितने बुनकर हैं उतने पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन आपने बुनकरों के बारे में सवाल तो कभी नहीं किया ।

श्री भाभी यादव—

बुनकरों के बारे में सुझाव भी मैंने दिया, सवाल भी दिये हैं । हम लोग क्या विधान सभा के सदस्य नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने किसी गैर सदस्य को समय नहीं दिया है ।

श्री भाभी यादव—

कहने के बावजूद भी आपने मुझे समय नहीं दिया है ।

श्री जयराम वर्मा—

5 हजार गांठें जो एलाट हुयी हैं उनमें से कितनी गाठें स्टेपिल यार्न की हैं और प्रदेश की कितने स्टेपिल यार्न की गांठों की जरूरत है ।

श्री देवकी नन्दन विभव—

ये 5 हजार गांठें स्टेपिल यार्न की ही हैं । हमने भारत सरकार से कमसे कम संख्या 11 हजार गांठों की मांगी थी और जरूरत हमारे ख्याल से 17 हजार गांठों की है । यह सब हमने भारत सरकार को अच्छी तरह से समझा दिया है ।

श्री चन्द्र भान शर्मा—

मेरा प्रश्न यह है कि गांठें कुल 5 हजार है । पावर लूम जो हैं वे कुल 20 हजार हैं और एक पावर लूम को यदि आप 3 गांठे भी देंगे तो इस प्रकार आपको 60 हजार गांठों की आवश्यकता पड़ेगी । इस प्रकार 5 लाख 16 हजार हैन्डलूम्स हैं और इनको आप 1:3 के हिसाब से देंगे । तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह बंटवारा आप किस हिसाब से करेंगे और बंटवारा करने में आप गांठे उन्हें देंगे या बन्डल देंगे ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, यह सारे प्रश्न इसलिये उठते हैं कि हमारे यहां स्टेपुल और काटन यार्न की कमी हो रही है क्योंकि बुनकरों की संख्या बहुत बढ़ रही है । हैन्डलूम्स की बहुत बड़ी तादाद है और पावर लूम्स की थोड़ी बहुत है जो कि बहुत दिनों से चल रही है । वैसे हम व्यक्तिगत रूप से और नीतिके विचार से भी यह समझते हैं कि पावर लूम का विस्तार होना हमारे प्रदेश में बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि इससे बुनकरों को बड़ी कठिनाई हो जाती है और प्रतिस्पर्द्धा में टिक नहीं सकते

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

है । बहरहाल स्टेपुल यार्न हमारे प्रदेश में नहीं बनता है और काटन यार्न की जो कुछ मिलें बनारस, कानपुर आदि में हैं भी तो उनके पास रुई नहीं है । काटन यार्न जो है वह भारत सरकार के एलाटमेंट से आता है। इस बार उसमें कमी हो गई । हमने चेष्टा की और भारत सरकार को 10 हजार गांठों के लिये कहा था जब कि हमें आवश्यकता 16/17 हजार गांठों की थी । उसमें से कुल 5 हजार ही हमें मिल पाई। पहले तो शायद साढ़े तीन हजार ही आई थी किन्तु कोशिश करने के बाद ही हमें 5 हजार मिल सकीं । अब इसमें से सभी को बांटना है, गोरखपुर, बस्ती बाराबंकी, टांडा, फैजाबाद और बुन्देलखंड इत्यादि जगहों में इसे बांटना है । मैं समझता हूं कि इनकी तादाद लगभग 20 लाख के है और मुमकिन है उससे ज्यादा ही हो। इलाहाबाद में मऊ आदि में आवश्यकता है बहरहाल हमारे प्रदेश में स्टेपुल यार्न नहीं बनता

श्री विश्वनाथ कपूर—

नैनी में स्वदेशी मिल बनाती है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

बहुत थोड़ा बनाती है ।]

श्री भाभी यादव—

मुबारकपुर में भी बनता है जिससे बनारसी साड़ियां बनती हैं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आपने मुझे याद दिला दिया, इसके लिये धन्यवाद मुबारकपुर में भी बनता है । बनारस मैंने छोड़ दिया था वहां पर भी बहुत बुनकर हैं जो कि स्टेपुल यार्न, काटन यार्न ऐंड सिल्क यार्न का काम करते हैं किन्तु कमी इस बात की है कि यहां पर एक ही यार्न की मिल है और उसके पास भी फाइबर की कमी हो रही है। इसके लिये एक लांग रेंज व्यू भारत सरकार को हमको लेना होगा और ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि जितना यार्न की हमको जरूरत होगी और जितना हम अपने यहां बना सकते हैं तथा जितने एलाटमेंट हमको होना चाहिये वह हो । चाहे वह रुई का हो या स्टेपुल का हो । कब तक हम इस संकट की परिस्थिति में रहेंगे । अब जितना बंटवारा हो रहा है उसी को थोड़ा-थोड़ा सभी जगह भेजा जा रहा है। वह तो दाल में नमक के बराबर है । इससे काम नहीं चलता। यह परिस्थिति है ।

(श्री मोहनलाल कपूर का नाम पुकारे जाने पर)

श्री भाभी यादव—

आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका नहीं दिया इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री भाभी यादव सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री मोहनलाल कपूर—

मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने जिला स्तर पर यह यार्न बांटने का क्या आधार रखा है और क्या आपने कोई ऐसी व्यवस्था की है जिससे यह यार्न सीधे बुनकरों को मिल जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह बताया गया कि इसका बंटवारा टेक्सटाइल कारपोरेशन के थ्रू होता है और हर हैन्डलूम वाले के यहां माल पहुंचे, इसके लिये कार्य के डिस्ट्रब्यूशन की व्यवस्था की जा रही है जैसा कि रिपोर्ट से मालूम होता है जितनी जिसकी जरूरत हो उसके मुताबिक उसको दिया जाय और बीच के इंटरमीडियरी को हटा दिया जाय, इसकी कोशिश कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री रामगोपाल संड, प्र० सं० 2 (व्यवधान)

इस पर आधा घंटा हो गया, अब इससे ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

आधा घंटा एक प्रश्न पर लगा देने से बाकी सब प्रश्न रह जाते हैं। ऐसे प्रश्नों पर नियम 51, 52 में कार्यवाही की जानी चाहिये, बाकी सब प्रश्न रह जाते हैं।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)

एक मिनट मंत्री जी को उत्तर देने से रुकवा दें। अभी मंत्री जी ने कहा है कि 5 हजार गांठें आयी हैं.....सुन लें। उन्होंने कह दिया कि हम उनको थोड़ा-थोड़ा बांट रहे हैं, जैसे कि कुत्ते को रोटी बांट रहे हैं। यह कहते हैं कि हम समाजवादी हैं। 17 हजार गांठों की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें, वह हो चुका है।

हाई स्कूल तथा इन्टर परीक्षाओं से सम्बन्धित उत्तर पुस्तकें

**2—श्री रामगोपाल संड—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद, वाराणसी तथा फर्रुखाबाद आदि जिलों के रेलवे स्टेशनों पर गत 15 दिनों से कई हजार बंडल उत्तर पुस्तकों के जो हाई स्कूल तथा इंटर परीक्षाओं से संबंधित हैं, पड़े हुये हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या इसके परिणामस्वरूप लाखों परीक्षार्थी छात्रों का भविष्य संकट में पड़ गया है?

श्रम उपमंत्री (श्री सोहनलाल धुसिया)—

इस वर्ष उत्तर पुस्तकें जिलों के केवल प्रमुख स्टेशनों पर भेजने की व्यवस्था करने के फलस्वरूप कतिपय बड़े स्टेशनों पर उत्तर पुस्तकें जमा हो गई थीं। इस आशय की सूचना मिलते ही परिषद द्वारा उत्तर पुस्तकों को छुड़ाने तथा संबंधित परीक्षकों को वितरित करने की उपयुक्त व्यवस्था कर दी गई है।

श्री रामगोपाल संड—

मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद स्टेशन और उसके साथ बनारस और फर्रुखाबाद जिलों के स्टेशनों पर जब प्रश्न दिया गया था तो कितने हजार बंडल उत्तर पुस्तकों के थे और कितने उनमें से वितरित कर दिये गये?

वित्त राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

यह तो निश्चित सूचना नहीं है कि कितने हजार बंडल थे लेकिन अब एक नयी पद्धति अपनायी गयी है कि पहले तो पूरे प्रदेश के परीक्षकों के पास बंडल भेजे जाते थे और अन्त में जो नहीं पहुंच पाते थे वह पीछे रह जाते थे और उनको कलेक्ट करने में बड़ी परेशानी होती थी, अब यह नयी पद्धति अपनायी गयी है कि हर एक जिले के प्रमुख स्टेशन पर या अन्य किसी प्रमुख स्टेशन पर सब उत्तर पुस्तकें भेजी जाती हैं और वहीं से परीक्षकगण उनको इकट्ठा करते हैं। जिस दिन जिला निरीक्षक को सूचना मिली उनके बारे में, वे छुड़ा ली गयी हैं और उनका डिस्ट्रिब्यूशन कर रहे हैं और कर दी गयी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

यह पिछली बार भी प्रश्न उठा था कि ३३ हजार विद्यार्थियों की कापी खो गयी थीं, तो आज जो व्यवस्था है कि कुछ प्रमुख स्टेशनों पर भेज देंगे और वहां से वितरित करेंगे, क्या यह संभव नहीं है कि ऐसी व्यवस्था बनायी जिससे वहां पर जब बंडल पहुंचे तो उसी दिन छुड़ाया जा सके, वहां पड़ा न रह सके?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

उनकी गोपनीयता भी एक प्रमुख प्रश्न सामने रहता है। इसलिए परीक्षा सेंटर से किसी प्रमुख स्टेशन पर उत्तर पुस्तकों के बंडल जाते हैं, आर० आर० जाता है, वहां से परीक्षक के पास पहुंचता है और मार्क होकर तब पुस्तकों का बंडल छुड़ाया जा सकता है। इसमें विलम्ब तो लगेगा ही।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

मैं जानना चाहता हूं कि गत वर्ष कई सेंटर्स पर कापियां नहीं पहुंच पायीं और कहा गया था कि अनुमान से अंक दे दिये गये और परीक्षाफल घोषित किया गया, तो क्या मंत्री जी ऐसी योजना बनायेंगे जिससे कापियों के गायब होने और बंडलों के इकट्ठा होने की व्यवस्था में परिवर्तन हो सके और परीक्षकों के पास कापियां समय से पहुंच जायं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इसी का प्रीकाशन लेने के लिये ही यह व्यवस्था की गयी है कि जिले के एक स्टेशन पर सब बंडल पहुंच रहे हैं और वहां से परीक्षक ले रहे हैं। जो रह जायेंगे उनको जिला विद्यालय निरीक्षक कलेक्ट करके संबंधित परीक्षकों के पास भिजवाने में सफल हो सकेंगे।

श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि रेलवे के अधिकारियों की लापरवाही के कारण हजारों विद्यार्थियों की जो कापियां रह गयीं तो क्या केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कार्यवाही करने को लिखेंगे ताकि आइंदा इसकी पुनरावृत्ति न हो ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, जब आर० आर० लेकर कोई परीक्षक स्टेशन पर पहुंचता है तो उसको उत्तर पुस्तिकायें मिल जाती हैं। अगर कोई गल्ती हो जाती है तो उसकी सूचना मिलने पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि परीक्षकों को बहुत विलम्ब से सूचना मिलती है इसलिये समय पर कापियां नहीं मिल पाती हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, इसका कारण यही है कि जब आर०आर० उनके पास पहुंचती है तो वे कापियां लेने जाते हैं। माननीय सदस्यों को मालूम है कि दस लाख परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे हैं। इसलिये परिषद् का कार्य सुविधा से चलाने के लिये उसका विकेन्द्रीकरण करके प्रयास किया जा रहा है। उत्तर पुस्तिकायें विलम्ब से न पहुंचे इसके लिये परिषद् जागरूक है।

श्री रामगोपाल संड—

जैसा कि माननीय मंत्री जी को मालूम है कि एक स्थान पर कापियां मंगाई जाती हैं तो इलाहाबाद में लगभग 100 केन्द्र हैं तो परीक्षक जो कापियां लेने आयेंगे उनको कई कई बार आना पड़ेगा, उनके आने जाने का व्यय देने की परिषद् व्यवस्था करेगा ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, परीक्षकों की सुविधा का तो बराबर ध्यान रखा जाता है। परीक्षकों का रेम्यूनरेशन बढ़ाया गया है और परिषद् ने बड़ा भारी भार अपने ऊपर लिया है। यह तो वह बहुत असाधारण चीज कह रहे हैं। लेकिन यह ध्यान रखा जाता है कि आर० आर० परीक्षकों के पास जल्दी पहुंच जाय और परीक्षक एक बार में ही उत्तर पुस्तिकायें ले जायं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

नगर प्रमुख के नेतृत्व में लखनऊ नगर महापालिका के सदस्यों का मौन प्रदर्शन

*1—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका के सदस्यों ने नगर प्रमुख के नेतृत्व में 19 फरवरी, 1972 को उनके निवास-स्थान पर मौन प्रदर्शन किया ? यदि हां, तो प्रदर्शनकारियों की मांगे क्या-क्या थीं एवं उनके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

गृह उप मंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)—

दिनांक 19-2-72 की शाम को लखनऊ नगरमहापालिका के नगर प्रमुख तथा कुछ सदस्य मेरे निवास स्थान पर गये और मेरी अनुपस्थिति में उन्होंने एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में पुलिस के विरुद्ध कुछ सामान्य शिकायतें तथा कुछ विशिष्ट मामलों में समुचित कार्यवाही न किये जाने की शिकायतें थीं। ज्ञापन में उल्लिखित शिकायतों के बारे में जांच कराने पर विदित हुआ कि उसमें उल्लिखित सभी विशिष्ट मामलों में आवश्यक एवं समुचित कार्यवाही हुई है। सामान्य शिकायतें सही नहीं पाई गई।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ज्ञापन में पुलिस के विरुद्ध क्या-क्या मुख्य शिकायतें थीं और उनकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

मान्यवर, 21 शिकायतें थीं। कुछ पुलिस के विरुद्ध थीं और कुछ में कार्यवाही न होने की शिकायतें थीं और किसी में बच्चा लापता हो गया था उसके न मिलने की शिकायत थीं। यदि आज्ञा हो तो ब्योरा पढ़ दूं। इसके दूसरे खंड का जवाब यह है कि जांच विभिन्न स्तरों पर कराई गई। किसी में जिलाधीश ने की, किसी में अधीक्षक ने की और किसी में सी० आई० डी० ने की और जांच के बाद आवश्यक और उचित कार्यवाही की गई।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जो पुलिस के विरुद्ध शिकायतें उनमें से गम्भीर शिकायतें क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

मान्यवर, मैं अब पूरी पढ़े देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

पुलिस वाली बता दीजिये।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

मान्यवर, पुलिस विभाग से सभी संबंधित हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

पुलिस के विरुद्ध जो शिकायतें है उनको पढ़ दीजिये।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

एक तो वैद्य बिहारी लाल की गोली मार कर हत्या कर दी गई और कुछ लोग पकड़े गये लेकिन पुलिस की लापरवाही से दण्ड साबित न हो सका। दूसरे बाबू श्रीराम सभासद के पुत्र का लगभग 6 महीने से गायब होना और पुलिस में रिपोर्ट के बावजूद उसका पता न लगना और धमकी भरे पत्रों का बाबू श्रीराम के पास आना। यह ऐसी घटना है जिसकी ओर बार-बार पुलिस

अधिकारियों का ध्यान दिलाया गया और मैंने स्वयं पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखा लेकिन उसका प्रति उत्तर नहीं मिला जिसके कारण जनता में घोर असन्तोष है। नजरबाग कांड में कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी, श्री आबदी को अमीनाबाद थाने में बुरी तरह से मारा गया, गंभीर क्षति पहुंची। इस संबंध में शहर कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया था।

आई० टी० कालेज, हसनगंज थाना में पुलिस ने आतंक मचा रखा है और भद्दी भावना से प्रेरित होकर।

इस प्रकार से कुछ ला एन्ड आर्डर से संबंधित है, कुछ शांति व्यवस्था से संबंधित है और कुछ अराजकता से संबंधित है।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

जिन सभासद की हत्या की बात है, उसकी रिपोर्ट किस दिन की गयी और मुल्जिमान किस दिन गिरफ्तार किये गये ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

इतने विस्तृत विवरण के लिये सूचना की आवश्यकता होगी। एक प्रकार से इसमें लखनऊ के सारे अपराधों का ही विवरण आ गया है। 21 अपराधों की शिकायतें थीं, उनके बारे में इतना विस्तृत विवरण इस समय कैसे दिया जा सकता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जिन कांग्रेसी नेता को हवालात में मार पड़ी ये नयी कांग्रेस के थे या संगठन कांग्रेस के थे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इससे क्या फर्क पड़ता है ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अगर संगठन कांग्रेस के पिटे होंगे तो कार्यवाही खत्म हो गयी होगी और अगर नयी कांग्रेस के पिटे होंगे तो उसका सस्पेंशन हो गया होगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्रीमन्, इस प्रकार का आक्षेप लगाना अनुचित है।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि नगर प्रमुख और नगरमहापालिका के सभासदों ने पुलिस पर यह आरोप लगाया कि लोगों की हत्यायें हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, नगर की शांति व्यवस्था भंग हो रही है। क्या सरकार ने इस बात की जांच लखनऊ के किसी वरिष्ठ अधिकारी से करायी ? यदि हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट आयी ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

अलग-अलग केस की अलग-अलग रिपोर्टें आयी हैं और अलग-अलग अधिकारियों ने उनकी जांच की है। सभासद जिसका मर्डर हुआ है उस केस की भी जांच हुई। उसके बाद केस भी अदालत में दायर हुआ लेकिन मुल्जिमान अदालत से छूट गये।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, यह बहुत अहम मसला है, इसके ऊपर चर्चा करा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिख कर दे दीजिये। देख लिया जायगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि सब शिकायतों की जांच करायी गयी और उनमें कुछ शिकायतें ठीक पायी गयीं और कुछ निराधार पायी गयीं। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इनमें कितनी शिकायतें सही और कितनी आंशिक रूप से सही थीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जो रिपोर्ट्स सत्य पायी गयीं उन पर कार्यवाही हुई जो निराधार पायी गयी, उन पर कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन नगर प्रमुख और सभासदों ने शिकायतें कीं थीं, क्या उनको उन शिकायतों को साबित करने का मौका दिया गया या नहीं ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

मान्यवर, न केवल उनको साबित करने का ही मौका दिया गया बल्कि आई० जी० और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने एक-एक बार नहीं 4-4 बार उनके साथ मीटिंग की कि कहां अपराध की स्थिति बढ़ रही है, उनको किस प्रकार से रोकथाम की जाय, किस प्रकार से शांति व्यवस्था बढ़े। अपराध के घटने-बढ़ने आदि की विस्तृत विवरण भी उनके सामने प्रस्तुत किया। 3-3 महीने में क्या स्थिति रही उसका भी विवरण मेरे पास है। यदि आप कहें तो उसको यहीं दे दूं अथवा माननीय जायसवाल जी को जाकर बता दूं।

प्रदेशीय शिक्षा दल को समाप्त करने एवं उसका पुनर्गठन करने हेतु समिति का गठन

*2--श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया), श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री चन्द्रभान शर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1971-72 में शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में प्रदेशीय शिक्षा दल को समाप्त करने तथा इसका पुनर्गठन करने हेतु एक समिति का गठन किया गया था जिसने अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है। यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखेगी और समिति द्वारा की गई संस्तुतियों पर अपनी सहमति और असहमति का लेखा भी प्रस्तुत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सोहन लाल धुसिया--

जी हां। जब तक शासन निर्णय न ले ले उस समय तक समिति के प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखना जनहित में न होगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या माननीय मंत्री जी उन कारणों का उल्लेख करेंगे कि जिन कारणों के कारण शिक्षादल को समाप्त करने के लिये उनको समिति बैठानी पड़ी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, एन० सी० सी० की बढ़ती हुई संख्या और उसके प्रति आकर्षण ही हमारी इस स्कीम की गिरावट का कारण है। इसमें हम कितना भी प्रयास करें एन० सी० सी० की तरह दक्षता नहीं ला सकते। लड़कों का आकर्षण इस ओर नहीं है, इसलिये इसको समाप्त करने के बारे में सोचा जा रहा है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि समिति की रिपोर्ट सरकार को कब प्राप्त हो गई और क्या सरकार उस पर विचार करने के बाद उसको सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण—

19-11-71 को समिति की रिपोर्ट आई है और अभी उस पर विचार हो रहा है, यदि सरकार ने आवश्यक समझा तो उसको सदन के पटल पर भी रख देंगे ।

*3—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[विवाद हो जाने के आधार पर निरस्त]

थाना नवाबगंज, जिला फर्रुखाबाद के सब इन्सपेक्टर का निलम्बन

*4—श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद), श्री शिव बक्श सिंह राठौर (जिला मैनपुरी) तथा श्री केशव चन्द्र सिंह (जिला शाहजहांपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1970 में जिला फर्रुखाबाद के अन्तर्गत थाना नवाबगंज में नियुक्त किसी सब इन्सपेक्टर को मुअत्तल किया गया था ? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध न होने पर दिनांक 29 दिसम्बर, 1970 को फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई थी किन्तु अभी तक उन्हें बहाल नहीं किया गया ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

जी हां । निलम्बित किये गये सब-इन्सपेक्टर श्री प्रेम पाल सिंह के विरुद्ध थाना नवाबगंज में अपराध संख्या 224/70 धारा 161/323/343 भा0दं0वि0 तथा 5(2) पी0सी0 ऐक्ट दर्ज किया गया था । विवेचना के उपरान्त, न्यायालय में अभियोजन करने हेतु आवश्यक साक्ष्य के अभाव में, दिनांक 29दिसम्बर, 1970 की फाइनल रिपोर्ट दी गई थी, जो नियमानुसार जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा 27 मार्च, 1972 को स्वीकृत हुई । इसी बीच में एक अन्य भ्रष्टाचार के मामले में भी उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही शुरू हो चुकी है परन्तु 28 मार्च, 1972 तक श्री प्रेम पाल सिंह उस कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुए थे । ऐसी स्थिति में श्री प्रेम पाल सिंह को बहाल किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री महराम सिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 29-12-70 को फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई और वह रिपोर्ट 27-3-72 को स्वीकार हुई तो बीच में इतना लम्बा अर्सा लगने और इस विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इतना अवश्य है कि इसमें विलम्ब हुआ और उसका कारण यह था कि जिलाधीश कहते थे कि जिला जज के यहां से वह तय होगा और जिला जज ने कहा कि जिलाधीश के यहां से होगा लेकिन आशा है कि उसमें अब जल्दी से कार्यवाही होगी ।

इलाहाबाद नगर के श्री विजय प्रताप यादव की सुरक्षा

*5—श्री रामगोपाल संड—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 18 मार्च, 1972 को इलाहाबाद नगर के नागरिक विजय प्रताप सिंह यादव के घर में 308 चौखण्डी मुहल्ले (इलाहाबाद नगर) में कुछ लोग घुस गये थे एवं उनके घर के लोगों को मारा-पीटा तथा सामान लूट ले गये ? सरकार इस विषय पर विजय प्रताप यादव की सुरक्षा के लिये क्या कर रही है ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 18-3-72 को श्री विजय प्रताप सिंह, यादव, 308-चौखण्डी कीटगंज, इलाहाबाद, का एक तार जिला मैजिस्ट्रेट, इलाहाबाद, के नाम इस आशय का प्राप्त हुआ कि अमुक व्यक्तियों ने उनके घर में घुसकर गाली दी और बम फेंकने, आग लगाने, जमीन पर कब्जा करने तथा डकैती डालने की धमकियां दीं । तार में घर के लोगों को पीटने तथा सामान लूटने की शिकायत नहीं की गई थी ।

इस तार के आधार पर पुलिस ने जांच की, परन्तु जांच से आरोपों की पुष्टि नहीं हुई ।

श्री रामगोपाल संड—

उत्तर में मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया कि श्री यादव जी के घर पर कुछ असामाजिक तत्वों न आक्रमण किया और जमीन पर कब्जा करना चाहा और वहां पर झगड़ा हुआ। तो क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि इसके कारण इस बस्ती में बड़ा तनाव है और तीन दैनिक समाचार पत्रों में यह विवाद कई दिन तक चलता रहा, तो क्या वह इस मामले की इन्क्वायरी पुनः करायेंगे कि यादव जी, उनकी मां और पत्नी को पीटा गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मैंने यह नहीं कहा कि आरोप सही पाया गया। जो आप ने बताया है उसकी सूचना हमें नहीं है, अगर आपने कहा है तो हम जांच करा लेंगे। जो जांच दरोगा द्वारा कराई गई उसमें आरोप सही नहीं पाये गये।

श्री रामगोपाल संड—

नार्दर्न इंडिया पत्रिका, भारत और कई समाचार पत्रों में कई दिन तक चर्चा चली कि रामधारी यादव, उनकी पत्नी और मां को पीटा गया, वह एक सभासद का लड़का है और सोशलिस्ट दल के हैं, यह बड़ी गम्भीर घटना हुई और यह जांच उसी सब-इंसपेक्टर से ही करायी गई जिसके खिलाफ शिकायत थी। यह अनुचित है। तो क्या विशिष्ट पुलिस अधीक्षक से जांच कराने का आदेश मंत्री जी देंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जांच करा देंगे, वैसे ऐसा आरोप जैसा बतलाया गया है, कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुयी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन् यह जो अशफाक अहमद साहब का सवाल है.....

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम आगे चलते हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

श्रीमन्, छठे सवाल में मेरी दिलचस्पी है। आप नियम को सस्पेंड कर दें ताकि यह सवाल आ सके।

श्री उपाध्यक्ष—

बाद में सुना जायगा।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

बाद को समय रहेगा नहीं। आप नियम को ससपेंड कर दें ताकि यह चीज सामने आ जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

नियमों के विरुद्ध में कुछ नहीं कर सकता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, एक संसद सदस्य और एक विधायक को थाने में रखा गया है। यह कैसे सदन को सूचना होगी कि इन-इन कारणों से किया गया इस प्रश्न को एलाऊ न करके सदन को उस सूचना से वंचित रखा जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिख कर दीजिये, तभी विचार किया जायगा।

संसद सदस्य, श्री सतीश चन्द्र एवं विधायक, श्री अशफाक अहमद को बरेली कोतवाली मे हिरासत में रक्खा जाना

*6—श्री अशफाक अहमद (जिला बरेली) अनुपस्थित—

क्या यह सच है कि दिनांक 24 अप्रैल, 1971 को बरेली शहर में सतीशचन्द्र संसद सदस्य और विधायक अशफाक अहमद को कोतवाली बरेली में बुलाया गया और 4–5 घंटे हिरासत में रखा यदि हां तो किस अपराध में ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 24–4–71 को बरेली शहर में ऐसी कोई घटना नहीं हुयी बल्कि दिनांक 20–4–71 को विधायक श्री अशफाक अहमद को धारा 144 जा० फौ० के उल्लंघन में हिरासत में लिया गया और उसी समय जाती मुचलके पर रिहा किया गया। श्री सतीश चन्द्र, संसद सदस्य उस समय स्वयं कोतवाली आये थे। उन्हें न बुलाया गया और न हिरासत में लिया गया।

राजकीय राजमार्ग, मुरादाबाद पर डकैतों द्वारा ट्रकों का रोका जाना एवं श्री भूपेन्द्र सिंह का कत्ल

*7—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को पता है जिला मुरादाबाद में राजकीय राज मार्ग 24 पर 18 अथवा 19 मार्च, 1972 को डकैतों ने कई ट्रकें रोकीं और पुलिस की जीप पर आ रहे दारोगा श्री भूपेंद्र सिंह को जान से मार दिया ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

प्राप्त सूचना के अनुसार जिला मुरादाबाद में राजकीय मार्ग 24 पर 18/19 मार्च की रात्रि को डाकुओं द्वारा ट्रकों को रोककर लूटने और पुलिस पिक-अप में उधर आ रहे सब इन्सपेक्टर श्री भूपेंद्र सिंह को गोली से मार डालने की एक रिपोर्ट उसी जिले में थाना डिडोली में प्रातः 19–3–72 को लिखाई गई।

श्री सुरन्द्र विक्रम—

श्रीमन्, दारोगा श्री भूपेंद्र सिंह, हमारे खाद्य मंत्री श्री बेनी सिंह को मुरादाबाद छोड़ कर वापस जा रहे थे कि डकैतों ने गोली मार दी। तो क्या सरकार ने उनको कोई सहायता दी और पेंशन आदि की व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

यह बड़ी दुखद घटना हुयी। सरकार ने उनकी विधवा पत्नी को 2 हजार रुपया दे दिया है और नियमों के अनुसार पेंशन आदि की व्यवस्था होन जा रही है।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस कत्ल के सिलसिले में कितने मुल्जिम गिरफ्तार हुये हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इस संबंध में 18 अभियुक्त प्रकाश में आये हैं, 8 गिरफ्तार हो चुके हैं, शेष की खोज जारी है।

वाराणसी जिले के बी० टी० सी० शिक्षा प्राप्त अध्यापकों की बेकारी

*8—श्री निहाला सिंह (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले में कितने बी० टी० सी० के प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक अब तक बेकार हैं और कितने किस-किस सन् से ट्रेनिंग प्राप्त किये हैं? क्या सरकार इनकी बेकारी शीघ्र दूर करने की योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक?

श्री सोहन लाल धुसिया—

वाराणसी जनपद से बी ०टी० सी० शिक्षण प्राप्त 985 सहायक अध्यापक अब तक बेकार हैं । उनमें से अधिकांश 1967 से 1971 तक ट्रेनिंग प्राप्त किये हुये हैं ।

इनकी बेकारी की समस्या को बढ़ने से रोकने के लिये शासन ने 1969 में 60 बी० टी० सी० इकाइयां बन्द कर दी थी एवं 13 इकाइयों को और बन्द करने का प्रश्न विचाराधीन है।

वर्ष 1971-72 में योजना के अन्तर्गत 8900 अध्यापकों के पद सृजित किये गये हैं । एवं शिक्षित बेरोजगारों को काम दिलाने तथा प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार हेतु केंद्रीय शासन की योजना क अन्तर्गत 6100 अध्यापकों के पद स्वीकार किये गये हैं ।

श्री निहाला सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से साबित हो गया है कि 985 प्रशिक्षित अध्यापक बेकार हैं । अभी तक सरकारी आदेशानुसार मेरिट के आधार पर नियुक्ति होती है । इसमें ऐसा होता है कि एक साल के प्रशिक्षित अध्यापक दूसरे साल के लिये जो रह जाते हैं तो दूसरे साल अधिक नम्बर वाले को जगह मिल जाती है और पिछले साल के छूट जाते हैं । सन् 1967 के 1971 तक के 985 प्रशिक्षित अध्यापक हैं जिनको कभी मौका नहीं मिलेगा कि उनकी नियुक्ति हो जायगी तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि क्या सरकार इस पर पुनः विचार करेगी कि इनकी नियुक्ति सनवार की जाय । एक सत्र में जितने प्रशिक्षित अध्यापक हों उनको जगह दिलाने के बाद ही दूसरे सन के लिये जायं।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, प्रश्न यह उठता है कि आम तौर पर बी० टी० सी० अध्यापक....

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मान्यवर शिक्षा मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री क्या दर्शनी हुंडी हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

श्रीमन्, सामूहिक उत्तरदायित्व है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

सब सामूहिक रूप से इस प्रकार के जो जवाब आते हैं नीति विषय बातों पर वे अथारिटेटिवली कोई बात कह नहीं सकेंगे ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जब उत्तर देने के लिये कोई शासन का सदस्य खड़ा होता है तो वह किसी अधिकार के साथ खड़ा होता है। वह निश्चित घोषणा देगा और शासन उसके अनुपालन का भी प्रयास करेगा । ऐसी कोई बात नहीं है । इसमें प्रश्न यह है कि बी० टी० सी० अध्यापक अपने जनपद में रहना चाहते हैं । दूसरे जनपदों में भी अध्यापकों की आवश्यकतायें निकलती हैं और वे वहां जाते नहीं हैं जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि अधिक योग्यता वाले व्यक्ति को स्थान न देकर क्या कम वाले को स्थान देना है इस पर गम्भीरता से विचार करना होगा ।

इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुये 1971 में बेरोजगारी तथा प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार हेतु भारत सरकार ने एक योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 6100 अध्यापकों की नियुक्ति होने जा रही है जिनके आदेश 15 फरवरी, 1972 को निर्गत हो गये हैं । इन सब की खपत हो जायेगी ।

श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

जो ये प्रशिक्षित अध्यापक इतने वर्षों से बेकार होते चले जा रहे हैं और बेकारी की संख्या बढ़ती जा रही है तो क्या इसको ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करने की सरकार कृपा करेगी कि एक वर्ष के पहले के प्रशिक्षित अध्यापकों को पहले काम पर लगा दिया जाय तब दूसरे वर्ष के प्रशिक्षित अध्यापकों को काम पर लगायें ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, इस पर विचार हो रहा है । जैसा माननीय सदस्य ने बताया उस पर विचार हो रहा है ।

श्री निहाल सिंह—

1971–72 में 9800 अध्यापकों, और 6100 केन्द्र से जो नियुक्त होंगे, ये नियुक्त हो जाने के बाद 985 बाकी हैं ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इन नई नियुक्तियों के लिए 15 फरवरी, 1972 को अभी-अभी आदेश निर्गत हुये हैं और जो बेकार हैं उन्हीं को प्राथमिकता दी जावेगी ।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी—

मान्यवर, यह प्रशिक्षित होना अध्यापकों का प्रोफेशन सब्जेक्ट है उसमें जो लोग प्रशिक्षण पाते हैं उनको काम दिलाना क्या शासन का दायित्व नहीं हो जाता है ? भविष्य में जो ट्रेनिंग पायेंगे उनको नामीनेट न किया जाय जिससे पहले प्रशिक्षण पाये अध्यापक बेकार न रहने पायें ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, दीक्षा विद्यालय इसी आधार पर कुछ कम किये गये हैं और यह भी प्रश्न है कि एकबारगी कम नहीं किये जा सकते क्योंकि बहुत से जनपद ऐसे हैं जहां प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी है । बनारस में दीक्षा विद्यालयों की संख्या अधिक है जहां प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या भी अधिक है । जो दूसरे जनपद में जाना नहीं चाहते । भविष्य में इसका भी ध्यान रखा जायेगा ।

संस्कृत के अध्यापकों की विधान सभा के सामने भूख हड़ताल

*9—श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के संस्कृत के अध्यापक विधान सभा के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हैं ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ? क्या उन अध्यापकों का कोई शिष्ट मंडल दिनांक 20 मार्च, 1972 को शिक्षा मन्त्री से मिला था ? यदि हां, तो उनकी न्यायोचित मांगों को पूरा करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री सोहन लाल धुसिया—

ऐसी कोई सूचना शासन को नहीं है । प्रश्न नहीं उठता । संस्कृत विद्यालयों के अध्यापकों का एक शिष्ट मंडल शिक्षा मंत्री जी से 21–3–73 को मिला था । शासन ने सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों के अध्यापकों का मामला भी वेतन आयोग को प्रस्तुत कर दिया है ।

श्री रामगोपाल संड---

मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहूंगा कि क्या संस्कृत अध्यापकों का शिष्ट मंडल जो 20 तारीख को भूख हड़ताल पर था और 21 तारीख को मंत्री जी से मिला तो उसने कौन सी मांगें मंत्री जी के सामने रखीं। क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, उनकी प्रमुख मांगें हैं, सामान्य शिक्षा संस्थाओं की भांति इन विद्यालयों में भी वेतन क्रम निर्धारित किये जाय। 'ग' वर्गीय संस्कृत विद्यालयों के लिये नवीन वेतन-क्रम स्वीकृत किये जायं,इन विद्यालयों के अध्यापकों को महंगाई भत्ता स्वीकार किया जाय; लाभत्रयी योजना इन विद्यालयों के लिये लागू की जाय; राज सेवाओं में इन विद्यालयों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिये 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जायं प्रत्येक जिले में कम से कम एक राजकीय विद्यालय की स्थापना की जाय तथा पृथक संस्कृत शिक्षा निदेशालय की स्थापना की जाय।

श्री रामगोपाल संड---

क्या माननीय मंत्री जी कृपाकर यह बतायेंगे कि उन्होंने वेतन आयोग के समक्ष यह कब भेजा गया और क्या उन्होंने अपनी संस्तुति की है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, यह तो वेतन आयोग के समक्ष विचाराधीन है, अपनी संस्तुति का कोई प्रश्न नहीं उठता। शेष जो समस्यायें हैं उन पर शासन विचार कर रहा है।

*10---श्री चन्द्र प्रतापनारायण सिंह---

[5वें गुरुवार के लिये स्थगित]

बालजती पोलिंग स्टेशन, बरेली में अग्नि काण्ड

*11---श्री अशफाक अहमद---

क्या यह सच है कि पार्लियामेन्ट के चुनाव के दरमियान दिनांक 5 मार्च, 1971 को बालजती पोलिंग स्टेशन बरेली पर आग लगी ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

दिनांक 5-3-71 को बालजती पोलिंग स्टेशन पर तो नहीं किन्तु उसके बाहर मतदान का समय समाप्त होने के बाद एक पार्टी कैम्प के पास दो पार्टियां के कार्यकर्ताओं में झगड़ा हुआ और इसी बीच उक्त कैम्प के एक कोने में आग लगा दी गयी जिसे स्वयं कैम्प वालों ने बुझा दिया।

इस घटना के संबंध में 5 अभियुक्तों का चालान धारा 147/148 149/323 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत किया जा चुका है और मामला न्यायालय के विचाराधीन है। जांच में किसी के विरुद्ध आग लगाये जाने के बावत समुचित प्रमाण न मिल सका। अतः इस आरोप पर किसी का चालान न किया जा सका।

फर्रुखाबाद स्टेशन पर लखनऊ आगरा एक्सप्रेस ट्रेन में पड़ी डकैती

श्री सुरेंद्र विक्रम सिंह, श्री अब्दुल सलाम शाह (जिला फर्रुखाबाद)---

*12---क्या सरकार को पता है कि 18 अथवा 19 मार्च को लखनऊ आगरा एक्सप्रेस के शयनयान में जिला फर्रुखाबाद में ट्रेन में भीषण डकैती हुई जिसमें 80 हजार, एक नव विवाहिता दम्पति से लूटे गये और गाड़ी में पुलिस गार्ड कोई मदद न कर सका ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 19 मार्च, 1972 को प्रातः लगभग 4 बजे जी० आर० पी० फर्रुखाबाद में एक रिपोर्ट इस आशय की लिखायी गयी कि 13 अप लखनऊ आगरा फोर्ट एक्सप्रेस के एक टू टायर डिब्बे के शयनयान में कन्नौज के पास जलालपुर पनवारी और जसोदा स्टेशन के बीच डाका डाला गया। एक नव दम्पत्ति से रुपया 55,209.22 का सामान लूटा गया। ट्रेन इस्कोर्ट की पुलिस की टोली दूसरे डिब्बे में थी। जैसे ही बदमाशों

नोट :---नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्रश्न संख्या 9के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

ने चैन खींचकर गाड़ी रोकी 2 सिपाहियों ने उनका पीछा किया परन्तु वे भाग निकले। इस के बाद गाड़ी पीछे उस स्थान पर लायी गयी जहां लूटा गया सामान फेंका गया था। वहां से रु० 39,006.22 का लूटा सामान बरामद किया गया। ऐसी परिस्थिति में पुलिस इस्कोर्ट की टोली जो मदद दे सकती थी उसने किया।

*13—श्री शम्भू नाथ चौधरी तथा श्री महावीर सिंह चौहान—

[वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त]

राज्य कर्मचारियों द्वारा विभिन्न नगरों के कार्यालयों पर द्वार सभायें

*14—श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य कर्मचारी जनवरी, 1972 के अन्तिम सप्ताह से फरवरी, 1972 के अन्तिम सप्ताह तक लगातार अपनी मांगों के समर्थन में इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ आदि नगरों, कार्यालयों पर द्वार सभाय कर रहे हैं? यदि हां, तो इन कर्मचारियों की मांगें क्या हैं? सरकार को उनकी मांगों को पूरा करने में कौन-कौन सी कठिनाइयां हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*15—श्री राम प्यारे—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के उत्तर माध्यमिक विद्यालयों के विज्ञान अध्यापकों के वेतन का फिक्सेशन

*1—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित उत्तर माध्यमिक विद्यालयों के विज्ञान अध्यापकों के वेतन का फिक्सेशन अभी तक हुआ अथवा नहीं? यदि अभी तक नहीं हो सका एसा करने में क्या कठिनाइयां हो रही हैं?

शिक्षा मन्त्री (डाक्टर रामजीलाल सहायक)—

अधिकांश अध्यापकों का वेतन निर्धारण हो चुका है। केवल उन अध्यापकों का वेतन निर्धारित करना अवशिष्ट है जिनके या तो सेवा सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध नहीं हो रहे हैं या जिन्हें प्रबन्धाधिकरण ने बिना शासन की आज्ञा प्राप्त किये हुये ऊंचा वेतन-क्रम प्रदान कर दिया है, या जो अप्रशिक्षित बी० एस०-सी० डिमांस्ट्रेटर्स का कार्य कर रहे हैं और जिन के विषय में अभी शासन विचार कर रहा है।

कठिनाइयां निम्नवत हैं:—

1—कार्य बहुत बड़ा है और इसमें अधिक समय लगना स्वाभाविक है।

2—बहुत से सहायता प्राप्त विद्यालयों के अभिलेख अपूर्ण हैं जिन्हें संकलित एवं पूर्ण कराने की चेष्टा की जा रही है उसके पश्चात् ही वेतन निर्धारण का कार्य संभव होगा।

3—ऊंचे वेतन को मामलों की छान बीन करने और उन पर निर्णय करने में अधिक समय लग रहा है।

4—कतिपय मामलों में वेतन आयोग के निर्णयों की भी प्रतीक्षा है।

अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा स्थानान्तरित अध्यापकों का यात्रा भत्ता

*2—श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा प्रसारित पत्र संख्या नियुक्ति 81/23-4 (16)/69-70, दिनांक 24 जून, 1969 द्वारा जिन अध्यापकों का स्थानान्तरण किया गया था तथा उन्होंने उसी समय सम्बन्धित यात्रा भत्ते का बिल भी भुगतान के लिये दिये थे ? यदि हां, तो उनमें से किन-किन अध्यापकों के यात्रा का भुगतान अभी तक नहीं हो सका है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

[20 अप्रैल, 1972 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

अल्मोड़ा जिले में न्यायपालिका के सदस्य

*1—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा में कितने ऐसे न्यायपालिका के सदस्य हैं जो तीन वर्ष से अधिक समय से इसी जिले में तैनात हैं उन का तबादला क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कोई नहीं।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*2—श्री नित्यानन्द स्वामी

[पहले सोमवार में प्र० सं० 1 के अन्तर्गत उत्तरित]

पर्वतीय क्षेत्र में बाज वृक्ष से मशरूम उत्पादन एवं रेशम पैदा करने के प्रयोग सम्बन्धी योजना

*3—श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि उत्तराखण्ड सेवा निधि नैनीताल द्वारा जापानी विशेषज्ञों की सहायता से पर्वतीय क्षेत्र में व्यापक रूप से पैदा होने वाले बाज वृक्ष से मशरूम (गुच्छी) उत्पादन तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानीखेत बाज की पत्तियों के उपयोग से रेशम पैदा किये जाने के प्रयोग सफल हो चुके ह ? यदि हां, तो क्या सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा उक्त उद्योगों के विकास के लिए कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उत्तराखंड सेवानिधि नैनीताल सरकारी संस्था नहीं है। मशरूम (गुच्छी) खाद्य पदार्थ है जिसका कोई सम्बन्ध रेशम उद्योग से नहीं है।

शासन को यह सूचना दी गयी है कि सेवा निधि नैनीताल ने बाज वृक्ष से मशरूम (गुच्छी) के उत्पादन के प्रयोग किये हैं।

उद्योग निदेशालय द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में बाज की पत्तियों को रेशम के कीड़ों को खिलाकर रेशम उत्पादन के काम का अभी केवल प्रयोग किया जा रहा है। परिणाम की प्रतीक्षा है।

उद्योग निदेशालय ने इस उद्योग के विकास के लिए एक योजना बनायी है। वर्ष 1971-72 में जिला चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल और अल्मोड़ा में बाज के वृक्ष की पत्तियां खिलाकर टसर रेशम के उत्पादन की प्रयोगात्मक योजना है। यह केन्द्रीय टसर केन्द्र रांची द्वारा किये सवक्षण के आधार पर है। प्रयोग इस बात का किया जा रहा है कि टसर रेशम के कीड़ों की संख्या बढ़ायी जाय जिससे कि वह पर्याप्त मात्रा में ग्रामीणों को उपलब्ध हो सकें।

आगरा विश्वविद्यालय के उप-कुलपति के विरूद्ध शिकायतों के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट

*4—श्री डूंगर सिंह बिष्ट, श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा), श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया) तथा श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा विश्वविद्यालय के उप-कुलपति के विरुद्ध दुराचार व वित्तीय अनियमिततायें करने तथा आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम तथा उनके अन्तगत बनाये गये परिनियमों व अध्यादेशों का उल्लंघन करने की श्री लक्ष्मणदास भार्गव एक सदस्यीय जांच आयोग ने अपनी जांच पूर्ण कर अपनी आख्या सरकार को दे दी है? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आगरा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में नियुक्त जांच आयोग जिसका उल्लेख प्रश्न में किया गया है उसकी जांच सरकार को प्राप्त हो गयी है।

जब तक उसका परीक्षण पूरा न हो जाये, सदन के पटल पर रखना ठीक न होगा।

*5—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[7वें मंगलवार में प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*6—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

डी० ए० बी० कालेज, इलाहाबाद के प्रधानाचार्य की बी० ए० की डिग्री

*7—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता का दिनांक 2-7-71 का एक ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुआ है जिसमें डी० ए० वी० कालेज, इलाहाबाद के वतमान प्रधानाचार्य को बी० ए० की परीक्षा की डिग्री की प्रमाणिकता की संदिग्धता का उल्लेख है? यदि हां, तो अब तक उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां, विभागीय जांच करायी गयी। अभी पंजाब विश्वविद्यालय से कुछ और जांच चल रही है।

सूचना विभाग द्वारा अंग्रेजी समाचार-पत्रों में हिन्दी विज्ञापन का छपवाया जाना

*8—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सूचना विभाग द्वारा अंग्रेजी समाचार-पत्रों में हिन्दी विज्ञापन छपवाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों तथा क्या भविष्य में हिन्दी विज्ञापन केवल हिन्दी समाचार-पत्रों में देने की व्यवस्था की जायगी?

सूचना राज्य-मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम दास टंडन)---

जी हां, प्रदेश की राजभाषा हिन्दी होने के कारण अन्य भाषाओं के समाचार पत्रों में भी विज्ञापन अधिकतर हिन्दी में प्रकाशित कराये जाते हैं। सभी हिन्दी विज्ञापन केवल हिन्दी समाचार पत्रों में देना प्रचार की दृष्टि से सम्भव नहीं है।

बाबा हैड़ाड़ान के दर्शनार्थियों की भीड़ नियंत्रित करने के लिये पुलिस व्यवस्था

*9---श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)---

विधान सभा की बैठक दिनांक 6 जनवरी, 1972 को नत्थी (ग) में प्रश्न संख्या 65 के उत्तर के क्रम पर क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतावेंगे कि दिनांक 24 सितम्बर, 1971 का उल्लिखित प्रार्थना-पत्र में शासन का ध्यान किन-किन तथ्यों की ओर आकर्षित कराया गया और क्या यह सही है कि कथित बाबा हैड़ाड़ान के उस क्षेत्र में आते ही शान्ति रक्षा के लिये जिला प्रशासन को पुलिस तथा पी० ए० सी० लगानी पड़ी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

दिनांक 24-9-71 के प्रार्थना-पत्र में दिये गये तथ्यों का सारांश संलग्न है। कथित बाबा हैड़ाड़ान के उस क्षेत्र में आने पर दर्शनार्थियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही जिस के कारण शांति एवं सुरक्षा के हित में दिनांक 12-9-71 से 20-10-71 तक पुलिस एवं पी० ए० सी० की टुकड़ियां नियुक्त की गयीं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1050 पर)

संगीत कला केन्द्र, देवरिया को अनावर्तक अनुदान

*10---श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया नगर में जनपद की एक मात्र रजिस्टर्ड संस्था संगीत कला केन्द्र गत 6 वर्ष से जनपद की सेवा कर रही है एवं शासन से बार-बार अनुदान की प्रार्थना कर रही है ? उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन---

जी हां। संस्था ने मई, 1970 में अनुदान के लिए प्रार्थना की थी। वर्ष 1971-72 में संस्था को 500 रु० का अनावर्तक अनुदान पहली बार स्वीकृत किया गया।

थाना निचलौल, जिला गोरखपुर में तस्कर व्यापार, डकैती एवं कत्ल की घटनायें

*11---श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी---

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि थाना निचलौल, जिला गोरखपुर की भौगोलिक स्थिति एवं प्रशासनिक व्यवस्था के कारण यहां अन्य स्थानों की अपेक्षा तस्कर व्यापार, डकैती एवं कत्ल की घटनाएं गत तीन वर्षों में अधिक हुई हैं ? यदि हां, तो उस की रोक-थाम के लिए शासन की ओर से कौन से प्रभावी कदम उठाने की योजना विचाराधीन है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

थाना निचलौल, जिला गोरखपुर के अन्तर्गत वर्ष 1969, 1970 तथा 1971 में डकैती तथा कत्ल की घटनाओं के तुलनात्मक आंकड़े उक्त जिले के अन्य थानों के सम्बन्धित आंकड़ों सहित, संलग्नतालिका में दिये गये हैं।

जहां तक तस्कर व्यापार में बढ़ोत्तरी का सम्बन्ध है, यह सही है कि थाना निचलौल के अन्तर्गत वर्ष 1971 में वर्ष 1969 व 1970 की अपेक्षा जिले के किसी भी अन्य थाने से अधिक मूल्य का गांजा बरामद किया गया, लेकिन केवल बरामदगी के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि तस्कर व्यापार अधिक हुआ।

संलग्न तालिका में दिये विवरण को देखते हुये यह कहना सही नहीं है कि थाना मिचलौल के अन्तर्गत डकैती व कत्ल की घटनाएं अन्य थानों की अपेक्षा अधिक हुई ।

थाना निचलौल में एक परिश्रमी एवं कुशल थानाध्यक्ष को तैनात किया गया है ताकि स्थिति में और सुधार हो सके ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1051 पर)

मेसर्स लक्ष्मी रतन इन्जीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड कानपुर, को दिया गया ऋण तथा बकाया

*12—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि उद्योग विभाग की ओर से मेसर्स लक्ष्मीरतन इन्जीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, कानपुर को मार्च, 1956 में 50 लाख रुपये का ऋण दिया गया था जिस के भुगतान की अवधि 28 मार्च, 1967 तक थी ? किन्तु दिनांक 1 दिसम्बर, 1970 को उपरोक्त कम्पनी को और देय, मूलधन साधारण ब्याज एवं दाण्डिक ब्याज के रूप में कुल मिलाकर लगभग 49,11,038 रु० 43 पैसे की धनराशि बकाया है ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त ऋण को वसूल करने में अब तक क्यों असफल रही ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, यह सच है । ऋण बकाया वसूली हेतु इस कम्पनी को वैधानिक रूप से परिसमापन कराये जाने तथा कम्पनी की बन्धक सम्पत्ति नीलाम कराये जाने की कई नोटिसें दी गयीं परन्तु कम्पनी के प्रत्यावेदन पर तथा उनकी वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुये और प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन तथा कारखाने से सम्बद्ध श्रमिकों के हितों में उन्हें अन्त में भुगतान हेतु 10 वर्ष का समय यह शर्त मान लेने पर प्रदान किया जाना स्वीकार कर लिया गया था कि कम्पनी साधारण तथा दण्डित ब्याज की दरें ५ प्रतिशत और 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 1/2 प्रतिशत और 9 1/2 प्रतिशत करेगी परन्तु काफी समय दिये जाने पर भी कम्पनी ने इस आशय का अनुबन्ध सरकार के साथ निष्पादित नहीं किया तो उन्हें ट्रांस्फर आफ प्रापर्टी ऐक्ट में एक और नोटिस दी गयी और अब इस नोटिस के अनुसरण में वसूली हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

*13-14—श्री सुखपाल पांडे—

[8वें गुरुवार में प्रश्न संख्या 24-25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राज्य बुनकर संघर्ष समिति का शिष्ट मण्डल

*15—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य बुनकर संघर्ष समिति का कोई शिष्ट मंडल उन्हें 20 फरवरी, 1972 को मिला यदि हां तो शिष्ट मंडल ने कौन-कौन सी मांगे प्रस्तुत कीं एवं उन मांगों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां ।

शिष्ट मंडल ने मौखिक रूप से प्रमुखतयः स्टेपुल यार्न का शीघ्र ही प्रबन्ध किये जाने की मांग की । स्टेपुल यार्न का विषय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता । अतः भारत सरकार से अनुरोध किया गया था कि वे स्टेपुल यान की 11,000 गांठ प्रतिमाह का खपत के आधार पर कोटा इस प्रदेश को आवंटित कर दें । फरवरी, में 3500 गांठों का तदर्थ कोटा प्राप्त हुआ था जिसमें से अधिकतर माल मंगाकर वितरित किया जा चुका है । तथापि, बुनकरों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु सभी सम्भव प्रयास निरन्तर जारी है ।

*16—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[13वें मंगलवार में प्र०सं० 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आर्य-कन्या पाठशाला तथा कमला महेश्वरी डिग्री कालेज,कानपुर की प्रधानाचार्या

*17—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि आर्य-कन्या पाठशाला इंटर कालेज मिर्जापुर एवं कमला महेश्वरी डिग्री कालेज मिर्जापुर (जो गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है) में एक ही प्रधानाचार्या कार्य कर रही हैं। यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*18—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

मेसर्स ठाकुर जी इन्जीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लि० कछवा, जिला मिर्जापुर को फैक्टरी ऐक्ट के अधीन न लिया जाना

*19—श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि मेसर्स ठाकुर जी इन्जीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लि० कछवा, जिला मिर्जापुर में 200 व्यक्ति कार्यरत हैं फिर भी क्यों फैक्टरी ऐक्ट के अधीन उक्त फैक्टरी नहीं है ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

चर्चित कारखाने म 21 मार्च, 1972 को किये गये निरीक्षण के समय कर्मकारों की संख्या 113 पाई गई। कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत, यह कारखाना है।

राज्य के विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित जूडिशियल कमीशन की रिपोर्ट

*20—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1970 में राज्य सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों के मामलों में जांच करने के लिये एक जूडिशियल कमीशन नियुक्त किया था जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है? यदि हां तो कब और सरकार उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

केवल लखनऊ तथा वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के संबंध में अलग-अलग दो जांच आयोग इन विश्वविद्यालयों के अधिनियम के प्राविधान के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये थे।

लखनऊ विश्वविद्यालय जांच आयोग की रिपोर्ट नवम्बर, 1971 में तथा वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय जांच अयोग की रिपोर्ट फरवरी, 1972 के अंतिम सप्ताह में राज्य सरकार को प्राप्त हुई थी। दोनों रिपोर्टों का परीक्षण किया जा रहा है।

थाना सोरिख, जिला फर्रुखाबाद में कत्ल, डकैती, राहजनी, चोरी तथा बलवा की घटनायें एवं पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

*21—श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि वर्तमान इंचार्ज थाना सोरिख, जिला फर्रुखाबाद के दिनांक 20 फरवरी, 1972 तक उस थाना म कार्यकाल में कत्ल 302, 304, डकती, राहजनी चोरी तथा बलवा की अलग-अलग कितनी वारदात हुयीं और उसी अवधि के उनके ठीक पहले के काल में उपयुक्त अपराधों की क्या स्थिति रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

16–2–71 को वर्तमान थाना इंचार्ज सौरिख, जिला फर्रुखाबाद ने कार्यभार ग्रहण किया । इस तिथि से 20–2–72 तक सौरिख थाने के अन्तर्गत कत्ल, डकैती, राहजनी चोरी एवं बलवा की घटनाओं के संबंध म, तथा उसी अवधि के उनके ठीक पहले के काल में इन अपराधों के सम्बंध में बांछित सूचना तालिका में नीचे प्रस्तुत है—

तालिका

अपराधों की संख्या	दिनांक 16–2–71 से 20–2–71 तक	उस अवधि के उनके ठीक पहले काल में 11–2–70 से 15–2–71 तक
1—कत्ल	6	3
2—डकैती	5	5
3—लूट	3	2
4—चोरी	85	97
5—बलवा	13	13

*22—श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या सरकार बतायेगी कि जिला फर्रुखाबाद के विभिन्न दलों के ओहदेदारों, भूतपूर्व विधायकों, आदि के हस्ताक्षरों से युक्त फर्रुखाबाद के अन्तर्गत थाना सौरिख की पदनिसीन पुलिस अधिकारियों की अंधेरगर्दी क्षेत्रीय जनता में भारी असंतोष शीर्षक का इश्तिहार दिनांक 21 फरवरी, 1972 को प्रशासन को मिला ? यदि हां, तो उसमें पुलिस सौरिख के विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये हैं और सरकार ने उस पर क्या कायवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

भूतपूर्व विधायकों आदि के हस्ताक्षरों से युक्त फर्रुखाबाद के अन्तर्गत थाना सौरिख की पदनिसीन पुलिस अधिकारियों की अंधेरगर्दी क्षेत्रीय जनता में "भारी असंतोष" शीर्षक का इश्तहार दिनांक 21–2–72 शासन को मिला इसमें पुलिस सौरिख के विरुद्ध निम्नलिखित शिकायतें थीं—

1—थाने में रिपोर्टों को तोड़-मरोड़ कर अदम तफतीश दर्ज करना ।

2—पुलिस भ्रष्टाचार, तरफदारी और जातिपांति के भेदभाव बढ़ाना ।

3—डी०वाई० एस०पी० का इस सांठ-गांठ में रहना ।

3—अपराधों में वृद्धि ।

इसकी जांच एक उच्च अधिकारी से कराने के लिये आदेश दिये गये थे । अब जांच सी० आई० डी० से कराने के शासनादेश प्रसारित कर दिये गय हैं ।

ग्राम गढोलामऊ, जिला कानपुर के श्री गोरेलाल द्वारा थाने में लिखाई गई झूठी नामजद रिपोर्ट

*23—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि कानपुर जिले के थाना मूसानगर के अन्तर्गत ग्राम गढोलामऊ के गोरेलाल ने अपने चाचा छोटा के कत्ल किये जाने की झूठी नामजद रिपोर्ट दिनांक 9 अप्रैल, 1966 को थाना मूसानगर में दर्ज कराई थी यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट क्या है और उस समय उक्त थाने में कौन थानाध्यक्ष था और उसकी ओर से इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

ग्राम गढोलेमऊ, थाना मूसानगर, जिला कानपुर निवासी श्री गोरेलाल ने श्री छोटेलाल के कत्ल किये जाने की कोई रिपोर्ट दिनांक 9-4-66 को थाना मूसानगर पर दर्ज नहीं कराई। उन्होंने उस दिन कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध बलवा, जान लेने के लिये बन्दूक से फायर करने तथा छोटे लाल को मार डालने की नियत से पकड़ ले जाने की सूचना उक्त थाने पर दी थी। उस समय श्री आशाराम नरवरिया उक्त थाने पर थानाध्यक्ष तैनात थे और उन्होंने इस मामले की विवेचना प्रारम्भ की थी।

*24--चौधरी रामपालसिंह यादव--

क्या यह सही है कि उपरोक्त छोटानामक व्यक्ति उस समय और अब भी जीवित हैं, थानाध्यक्ष ने सही तफतीश न करके अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया, यदि हां, तो उक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

यह सही है कि श्री छोटे लाल आज भी जीवित हैं। तत्कालीन थानाध्यक्ष की इस मामले की तफतीश में जल्दबाजी पाई गई थी और उनको थाने से हटा दिया गया था। बाद में इस संबंध में उक्त थानाध्यश के विरुद्ध जांच सी०आई० डी० द्वारा कराई गई परन्तु ऐसी कोई बात नहीं पाई गई जिसके लिये उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती।

राज्य कर्मचारियों का स्थायीकरण

*25--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या विधान सभा के 15 सितम्बर, 1971 के अल्प सूचित प्रश्न संख्या 1 के क्रम में क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अस्थायी कर्मचारियों को जिनकी राजकीय सेवायें 3 वर्ष या इससे अधिक की हो गई हैं उन्हें स्थायी करने के संबंध में जो एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त किये जाने की बात कही गई थी इस संबंध में उक्त समिति द्वारा अभी तक कितने कर्मचारियों के मामले स्थायीकरण के लिये विचार किये गये तथा इस उच्च स्तरीय सचिवों की समिति ने कब से कार्य करना प्रारम्भ किया?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

कथित समिति का गठन अस्थायी पदों को स्थायी करने की संभावनाओं पर बिचार करने के लिये किया गया है। कर्मचारियों का स्थायीकरण एक अलग बात है। यह आवश्यक नहीं है कि यदि किसी कर्मचारी की सेवा तीन वर्ष या उससे अधिक हो गई हो तो उसे स्थायी कर ही दिया जाय। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी नियुक्ति नियमानुसार हुयी हो और वह स्थायीकरण की सभी अपेक्षाओं को पूरा करता हो। समिति कर्मचारियों के स्थायीकरण के प्रश्न पर विचार नहीं करेगी, वरन् इस बात की छानबीन करेगी कि अस्थायी पदों को किस हद तक स्थायी किया जा सकता है। कर्मचारियों का स्थायीकरण तो उनके नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा ही किया जायेगा। समिति अपना कार्य उसी महीने में आरम्भ करेगी।

*26--श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य--

[केन्द्रीय सरकार से संबंधित होने के कारण निरस्त]

*27--श्री इन्द्रलाल--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

ग्राम मल्यपुर, थाना कांट, जिला शाहजहांपुर के चार व्यक्तियों की हत्या

*28--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 23 अक्तूबर, 1971 को जिला शाहजहांपुर के थाना कांट के ग्राम मल्यपुर में थानाध्यक्ष की लापरवाही से श्री कृष्ण वगैरा 4 व्यक्तियों की नृशंस

हत्या दिन दहाड़े कर दी गई ? यदि हां, तो पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर ने तत्काल थानाध्यक्ष कांट के विरुद्ध क्या कार्यवाही की और क्या यह भी सही है कि मृतक श्री कृष्ण वगैरा ने दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 को व उससे 1 माह पूव अपनी जान बचाने हेतु लिखित प्रार्थना थानाध्यक्ष कांट से की थी। यदि हां, तो थानाध्यक्ष ने इस घृणित और नृशंस कांड को बचाने के हेतु क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 23–10–71 को नहीं बल्कि दिनांक 13–11–71 को जिला शाहजहांपुर के थाना कांट के अन्तर्गत ग्राम कटैया के हार में दो दलों के बीच संघर्ष में चार व्यक्तियों की हत्या हो जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। घटना स्थल पर निरीक्षण के समय स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता की बात पुलिस अधीक्षक को ग्रामीणों ने बताई थी जिस पर पुलिस अधीक्षक ने थानाध्यक्ष के आचरण की जांच का आदेश दिया और थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण कर दिया।

श्री कृष्ण आदि का नहीं बल्कि श्री ओम कृष्ण का प्रार्थना पत्र दिनांक 6–10–71 प्राप्त हुआ था जिसमें जान-माल की रक्षा की प्राथना की गई थी। इस प्रार्थना-पत्र पर तत्कालीन थानाध्यक्ष ने शांति भंग की संभावना न होने की रिपोर्ट दी थी।

*29—श्री गोविन्दसिंह नेगी—

[छठें गुरुवार में प्रश्न संख्या 42 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

थाना खलीलाबाद, जिला बस्ती की पुलिस व थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*30—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि थाना खलीलाबाद, जिला बस्ती की पुलिस व थानाध्यक्ष के विरुद्ध वहां के पत्रकार श्री भगवती प्रसाद जायसवाल का दिनांक 29 सितम्बर, 1971 का कोई शिकायती-पत्र उनको प्राप्त हुआ। यदि हां, तो उस पत्र में उपरोक्त थाने की पुलिस और थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या आरोप थे और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्री भगौती प्रसाद जायसवाल निवासी खलीलाबाद बस्ती का दिनांक 29–9–71 का शिकायती-पत्र जिला मजिस्ट्रेट बस्ती को प्राप्त हुआ था। उसमें थानाध्यक्ष खलीलाबाद बस्ती के विरुद्ध बलात्कार की एक घटना के बारे में प्रकाशन के लिये सूचना न देने अपमानित करने पत्रकारों को बिलम्ब से सूचनायें देने तथा थाने में रिपोर्ट बिलम्ब से लिखे जाने आदि के आरोप लगाये गये थे। आरोपों की जांच कराई गई। जांच से आरोप सही नहीं पाये गये।

*31—श्री गोविन्दसिंह नेगी—

[छठे शुक्रवार के लिये प्र०सं० 80 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

हिन्दी तथा उर्दू के दैनिक समाचार-पत्र

*32—श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यू०पी० में उर्दू के कितने रोजनामे (न्यूज पेपर) और हिन्दी के कितने रोजनामे हैं जिनको सरकारी इश्तिहारात बाकायदा मिलते हैं और कितनों को नहीं और क्यों ?

श्री पुरुषोत्तमदास टंडन—

31 मार्च, 1972 को प्रदेश के 6 उर्दू और 42 हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र सूचना विभाग की विज्ञापन संबंधी स्वीकृत सूची पर थे। 4 उर्दू और 49 हिन्दी दनिक पत्र ऐसे

थे जो विज्ञापन संबंधी शर्तों को पूरा न कर सकने के कारण सरकारी विज्ञापन सूची पर नहीं आ सके ।

राजकीय महिला बहुधन्धी संस्थान, लखनऊ की प्रिंसिपल के विरुद्ध आरोपों की जांच

*33—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय महिला बहुधंधी संस्थान लखनऊ की प्रिंसिपल के विरुद्ध कुछ गम्भीर आरोपों की जांच सतर्कता आयोग द्वारा हो रही है । यदि हां, तो आयोग की जांच रिपोर्ट कब तक आ जायेगी ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां, कुछ आरोपों की जांच रिपोर्ट अगस्त 1971 में प्राप्त हुयी थी, जिसके फलस्वरूप प्रधानाचार्या को निलंबित करके वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । कुछ आरोपों की जांच रिपोर्ट अभी सतर्कता निदेशक से प्राप्त नहीं हुयी है । सतर्कता निदेशक से शीघ्रता करने के लिये कह दिया गया है ।

*34—श्री दल सिंगार यादव—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

महाविद्यालय अशैक्षिक कर्मचारी संघ द्वारा प्रेषित सामान्य सेवा नियमावली की प्रस्तावना

*35—श्री वीरेंद्र वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश महाविद्यालय अशैक्षिक कर्मचारी संघ द्वारा वर्ष 1971 में सामान्य सेवा नियमावली की कोई प्रस्तावना सरकार के पास पहुंची है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है और उसे लागू करने में क्यों बिलम्ब है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

जी हां,

गैर सरकारी महाविद्यालयों के अशैक्षिक कर्मचारियों की सामान्य सेवा नियमावली विश्वविद्यालय जिनसे यह महाविद्यालय सम्बद्ध हैं, को बनानी चाहिये। आगरा विश्वविद्यालय इस दिशा में कार्यवाही कर रहा है । अन्य विश्वविद्यालयों का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया जा रहा है ।

हाई स्कूलों तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान की सूची में सम्मिलित किया जाना

*36—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष 1970–71 में सरकार के द्वारा कितने हाई स्कूलों व इंटर कालेजों को सहायता (ग्रांट इन एड) की सूची में लाया गया और जिन नय विद्यालयों को सहायता सूची में लाय गय उनका तथा उनके प्रबन्धकों का नाम क्या है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

वर्ष 1970–71 में 33 हाई स्कूलों तथा 6 इंटर कालेजों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को अनुदान की सूची में लाया गया । इन विद्यालयों तथा उनके प्रबन्धकों का नाम संलग्न सूची में अंकित है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1052–1055 पर)

*37—श्री रामसिंह खन्ना—

[वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त]

द्वितीय विश्व-युद्ध की युद्ध सेवा वाले अभ्यर्थी की सचिवालय में आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति

*38—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि द्वितीय विश्व-युद्ध 1962 के भारत-चीन युद्ध तथा 1965 के भारत-पाक युद्ध के पश्चात् वार सर्विस वाले कितने अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग द्वारा यू०पी० सिविल सचिवालय में आशुलिपिक के पदों पर भरती किये गये? क्या शासन ने जी०ओ० संख्या 2738/2—बी—179—1955, दिनांक 3 जुलाई, 1958 में ऐसे वार सर्विस वाले अराजपत्रित कर्मचारियों की ज्येष्ठता निर्धारित करने के लिये यह स्पेशल रूल बनाया है कि उनकी ज्येष्ठता सिविल पद पर नियुक्ति के आदेश की तारीख से गिनी जायेगी।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

द्वितीय विश्व-युद्ध की युद्ध सेवा वाला केवल एक अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय में आशुलिपिक के पद पर भर्ती किया गया।

प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर 'जी हां' में है।

मुहल्ला सेनपुरा, वाराणसी के श्री गणेश प्रसाद तथा उनकी पत्नी की निर्मम हत्या

*39—श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत 13 फरवरी, 1971 को रात्रि 8 बजे वाराणसी नगर स्थित सेनपुरा मुहल्ले के चेतगंज थाने के पास स्वर्गीय गणेश उर्फ मिश्रीलाल जायसवाल तथा उनकी पत्नी श्रीमती गंगाजली देवी की निर्मम हत्या एवं 50 हजार रुपये से ऊपर की सम्पत्ति लूट लेने के संबंध में कोई पत्र मई, 1971 में प्राप्त हुआ है? जिसमें मृतक के पुत्र ने घटना की छानबीन प्रादेशिक गुप्तचर ब्यूरों द्वारा कराने की प्रार्थना की है? यदि हां, तो उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई और उक्त घटना के संबंध में क्या कोई अभियुक्त गिरफ्तार किया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्री गणेश प्रसाद उर्फ मिश्री लाल तथा उनकी पत्नी श्रीमती गंगाजली देवी निवासी मुहल्ला सेनपुरा, वाराणसी की 13—2—1971 को 9 बजे रात में हत्या किये जाने तथा सम्पत्ति के लूट लिये जाने की सूचना उसी दिन 12—45 बजे रात में थाना चेतगंज वाराणसी पर प्राप्त हुयी। इस रिपोर्ट के आधार पर एक मुकदमा धारा 460 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत कायम किया गया जिस की विवेचना हो रही है। इसी घटना के संबंध में मृतक के शत्रु का एक प्रार्थना-पत्र मई 1971 में प्राप्त हुआ था। इस मामले में पुलिस द्वारा ली जा रही विवेचना को गुप्तचर विभाग द्वारा चेक कराया गया। अपराध अनुसंधान विभाग ने विवेचना के संबंध में जांच अधिकारी को कुछ सुझाव दिये। तदनुसार जांच की गई। स्थानीय पुलिस द्वारा अभी तक कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।

हत्या की घटना की जांच अपराध अनुसन्धान विभाग को सौंप दिए जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

*40—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[5वें गुरुवार के लिये स्थगित]

*41—42—श्री मोतीलाल देहलवी—

[8वें गुरुवार के लिये प्र०सं० 35—36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*43—श्री रामसिंह खन्ना—

[3रे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री गंगेश्वर प्रसाद पुलिस कमीशन की रिपोर्ट

*44—श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया), चौधरी रामपालसिंह यादव, श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया) तथा श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गंगेश्वर प्रसाद पुलिस कमीशन की रिपोर्ट सरकार के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक सदन के पटल पर रखी जायेगी ? यह भी बतायेंगे कि इस कमीशन पर सरकार का कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*45—श्री रामसिंह खन्ना—

[5वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या 108 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश सचिवालय में निजी सचिव के पद

*46—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यू० पी० सिविल सचिवालय में निजी सचिव के कुल कितने पद हैं और उनमें कितने पद एक्स काडर ह और सचिवालय में काडर के निजी सचिव उपलब्ध होते हुए एक्स काडर पद बनाये रखने का क्या औचित्य ह क्या सरकार एक्स काडर पद को समाप्त अथवा काडर के पदों में विलय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उत्तर प्रदेश सचिवालय में निजी सचिव के निम्नलिखित पद हैं—

1—मुख्य मंत्री के निजी सचिव (1,200–1,400 रुपये)	..	1
2—निजी सचिव ग्रेड—1 (800–1,150 रुपये)	..	6
3—निजी सचिव ग्रेड—2 (350–750 रुपये)	..	60
4—मुख्य सचिव के निजी सचिव— (350–750 रुपये)	..	1

निजी सचिवों के संवर्गीय पद नियमानुसार मंत्रियों के कार्यालय में प्रयोग के लिये सृजित किये जाते हैं । अतएव मुख्य सचिव के निजी सचिव के पद को संवर्गीय रूप में नहीं बनाया जा सकता था । उस पद के विशेष कर्त्तव्यों को देखते हुए उसको 350–750 रुपये के वेतनमान में वस्तुतः एक प्रथक पद के रूप में मुख्य सचिव के कार्यालय में प्रयोग के लिए बनाया गया है ।

गोरखपुर बी० टी० सी० ट्रेनिंग के अध्यापकों की नियुक्ति एवं सेवा-मुक्ति

*47—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 1971 के सत्र में गोरखपुर जिले के अन्तर्गत बी० टी० सी० ट्रेनिंग में कितने अध्यापकों ने हिस्सा नहीं लिया उनके नाम और पते क्या हैं ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*48—श्रीमती मसाली देवी—

क्या मंत्री यह भी बतायेंगे कि बी० टी० सी० ट्रेनिंग में कितने अध्यापकों को भाग न लेने के कारण सेवा-मुक्त किया गया, कितने लोगों को पुनः विद्यालयों में नियुक्त किया गया है उनके नाम और पते क्या हैं और कितने दिनों का वेतन के धनराशि बकाया है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हरनरायन इण्टर कालेज, गंजडुंडवारा, जिला एटा को अनुदान

*49—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री को पता है कि हरनरायन इन्टर कालेज, गंजडुंडवारा, जिला एटा को अनुदान के रूप में दिये गये सरकारी धन से सन् 1966 से 1970 तक में भुगतान हुए वाउचरों का सामान वास्तव में खरीदा ही नहीं गया और वह कालेज के प्रधानाचार्य के चार्ज में दिया भी नहीं गया है ? यदि हां, तो इस प्रकार का कितना रुपया भुगतान हुआ है और सरकार ने इस मामले में क्या कानूनी कार्यवाही की है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

हरनरायन इन्टर कालेज, गंजडुंडवारा, जिला एटा को सन् 1966 से 1970 तक अनुरक्षण अनुदान के अतिरिक्त कोई भी अनुदान किसी वस्तु विशेष को खरीदने के लिये नहीं दिया गया है। अतः सामान का वास्तविक रूप म खरीदे जाने तथा उसका प्रधानाचार्य को चार्ज में देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर भी यह संभव है कि अनुपालन अनुदान कोष से ही विद्यालय के हेतु कतिपय वस्तुयें खरीदी गई हों, जिसको विधिवत् रजिस्टर में चढ़ाकर प्रधानाचार्य के अधिकार में न दिया गया हो परन्तु इस सूचना के वास्तविक तथ्यों के प्राप्त करने हेतु विद्यालय के पूरे पांच वर्षों के हिसाब विभाग को अर्जित करना पड़ेगा जिसमें पर्याप्त समय लगने की संभावना है। अस्तु यदि कोई सूचना माननीय सदस्य को उपलब्ध हो और वह वर्ष विशेष से संबंधित हो तो यदि वे इसे उपलब्ध करा दें तो आवश्यक जांच-पड़ताल कराई जा सकती है।

उद्योग विभाग के औद्योगिक निरीक्षकों का सवारी भत्ता

*50—श्री विजयपाल सिंह (जिला गोंडा)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलाने की कृपा करेंगे कि उद्योग विभाग में नियुक्त औद्योगिक निरीक्षकों को कोई सवारी भत्ता मिलता है और क्या उनका वेतनक्रम अन्य सभी विभागों के निरीक्षक से कम है ? यदि हां, तो क्यों ? वर्तमान वेतन आयोग को क्या वेतन-क्रम संशोधन करने की कोई सिफारिश की गई है ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

उद्योग विभाग में नियुक्त औद्योगिक निरीक्षकों को सवारी भत्ता नहीं मिलता। अन्य सभी विभागों के निरीक्षकों से सापेक्षिक तुलना में औद्योगिक निरीक्षकों के वेतनमान प्रायः कम नहीं हैं। वेतन आयोग से इस वर्ग के वेतन-क्रम पर विचार करने की संस्तुति उद्योग विभाग द्वारा की गई है।

टाउन एरिया अकबरपुर, जिला कानपुर का इमाम चबूतरा

*51—श्री उपेन्द्रनाथ दीक्षित (जिला कानपुर) तथा श्री रामकुमार दीक्षित—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जनपद स्थिति टाउन एरिया अकबरपुर में मुसलमानों के पचासों वर्ष पुराने इमाम चबूतरे को वहां के थानाध्यक्ष की साजिश से खोदवा डालने के विरोध में इस वर्ष मोहर्रम का त्यौहार नहीं मनाया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह कहना सही नहीं है कि कानपुर जनपद स्थित टाउन एरिया अकबरपुर में इस वर्ष मोहर्रम का त्यौहार नहीं मनाया गया। कस्बे में मोहर्रम का त्यौहार व ताजियादारी धूमधाम से मनाई गई। अन्य प्रश्न नहीं उठता।

रबड़ फैक्टरी, बरेली, (फतेहगंज) को दी गई भूमि का मुआविजा

*52—श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 7 दिसम्बर, 1971 को मुख्य मंत्री को सम्बोधित मेरे पत्र पर जो उद्योग विभाग द्वारा रबड़ फैक्ट्री, बरेली (फतेहगंज) को दी गई भूमि का किसानों को उचित मुआविजा दिलाने के विषय में था, क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

7 दिसम्बर, 1971 को माननीय सदस्य द्वारा मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र शासन को प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता। हां माननीय सदस्य द्वारा 9 दिसम्बर, 1971 को मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र शासन को प्राप्त हुआ था और इस पत्र का उत्तर माननीय सदस्य को शासन के पत्र सं० 723 भा० उ० (अट्ठारह) (11) दिनांक 21 मार्च, 1972 जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है, मैं दिया जा चुका है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1056 पर)

भूतपूर्व नगरपालिका एटा के ऐडमिनिस्ट्रेटर श्री खुरशीद अहमद खां के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*53—श्री सिया राम (जिला एटा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भू० पू० नगरपालिका एटा के ऐडमिनिस्ट्रेटर श्री खुरशीद अहमद खां द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में एक शिकायती प्रार्थना-पत्र अक्तूबर, दिसम्बर 1970 से श्री बचान सिंह एडवोकेट, एटा ने सरकार को दिया था और सरकार ने बिजलेन्स की जांच के आदेश कर दिये थे ? यदि हां, तो इस शिकायती-पत्र की जांच बिजलेन्स द्वारा की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

शासन को श्री बचान सिंह, एडवोकेट, एटा का अक्तूबर 1970 का कोई शिकायती पत्र नहीं प्राप्त हुआ किन्तु दिनांक 23 दिसम्बर, 1970 का एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें तत्कालीन प्रभारी अधिकारी एटा नगरपालिका के विरुद्ध कुछ शिकायतें की गई थीं। इसी प्रकार की और भी शिकायतें प्राप्त हुई थीं और उन सब पर खुली जांच के लिये सतर्कता अधिष्ठान को आदेश दिये गये। इस पर पुनर्विचार कर शासन ने निर्णय लिया कि सतर्कता जांच से पहले मण्डल के आयुक्त द्वारा शिकायतों की प्रारम्भिक जांच कराई जाय और उसमें सामने आये तथ्यों के अनुसार विजिलेंस की जांच का निर्णय लिया जाय। अतएव सतर्कता जांच रोक दी गई और मण्डलायुक्त से जांच करायी गई।

*54—श्री मोहनलाल कपूर—

[निरस्त]

मेरठ जिले की चीनी मिलों पर किसानों का बकाया

*55—श्री मोहन लाल कपूर—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जिले की किन-किन चीनी मिलों पर कितना-कितना किसानों के गन्ने का रुपया शेष है और सरकार इस रुपये को किसानों को दिलाने के लिये क्या पग उठा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मेरठ जिले की 8 चीनी मिलों में से केवल 3 चीनी मिलों (मोहिउद्दीनपुर, सुखौती, टांडा एवं मलियाना) पर 1971-72 सीजन से पूर्व गन्ना मूल्य का 31-3-72 तक कुल रु० 26-12 लाख अवशेष था। इसमें से रु० 4.37 लाख मलियाना चीनी मिल पर बाकी है,

जो उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किश्तों में भुगतान कर रही हैं। बाकी बकाया मोहिउद्दीनपुर, एवं सखौती टांडा चीनी मिलों पर है जो शासन द्वारा अधिग्रहीत की जा चुकी हैं तथा उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन के अन्तर्गत चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1971 के प्राविधानों के अनुसार इन अधिग्रहीत चीनी मिलों के ऊपर पुराने बकाया को प्रतिकर की धनराशि में से चुकाया जाना है। चीनी के बोरों के बिकने से बैंक का सुरक्षित ऋण काट कर जो मार्जिन धन उपलब्ध हो रहा है उसमें से गन्ना मूल्य का बकाया चुकाया जा रहा है।

2—चालू सीजन 1971-72 का मेरठ जिले की चीनी मिलों पर कुल रु० 11.22 लाख उक्त कथित अवधि तक (31-3-72 तक) वसूली योग्य अवशेष था, जिसका माह अप्रैल के अन्त तक भुगतान किये जाने की आशा की जाती है। मिलवार गन्ना मूल्य बकाया की स्थिति संलग्न तालिका 'ब' में दर्शायी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 1057 पर)

उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायकों की नियुक्ति

*56—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार उत्तर प्रदेश सचिवालय में कतिपय प्रवर वर्ग सहायकों की नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा लिये गये 1965 की विभागीय परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हुए सहायकों को लेने के सम्बन्ध में विचार कर रही है? यदि हां, तो उनकी वरिष्ठता का निर्धारण किस तरह किया जा रहा है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। ज्येष्ठता का प्रश्न भी विचाराधीन है।

*57—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि सन् 1965 के बाद उत्तर प्रदेश सचिवालय में कुल कितने अनप्लेस्ड सहायकों की नियुक्ति की गई? क्या सरकार उन समस्त सहायकों की एक सूची उनकी वरिष्ठता के आधार पर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेगी और यह भी बतायेगी कि सचिवालय में इन अनप्लेस्ड सहायकों की नियुक्ति कब की गई थी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सन् 1965 के बाद उत्तर प्रदेश सचिवालय में कुल 200 (दो सौ) अनप्लेस्ड सहायकों की नियुक्ति की गई है। उन समस्त सहायकों की एक सूची + उनकी वरिष्ठता तथा उनकी नियुक्ति की तिथि सहित संलग्न है।

फर्रुखाबाद जिला परिषद् के अध्यापकों को वेतन बढ़ोत्तरी का धन न दिया जाना

*58—श्री महराम सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को पता है कि फर्रुखबाद जिला परिषद् के अध्यापकों को 1970-71 में की गई वेतन बढ़ोत्तरी का धन अभी तक नहीं दिया गया है? यदि हां, तो ऐसे कितने अध्यापक हैं? उन्हें वेतन वृद्धि का धन वेतन में जोड़कर न देने के क्या क्या कारण हैं?

---

*छापी नहीं गई।

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

1971–72 में नव नियुक्त अध्यापकों को छोड़कर जिला परिषद् फर्रूखाबाद के सभी अध्यापकों को प्रश्नगत बढ़ोत्तरी अभी नहीं दी गई है। इसका कारण यह है कि इस संबंध में आवश्यक अभिलेखों/औपचारिकताओं की पूर्ति अभी नहीं की जा सकी है।

कानपुर राशनिंग की समाप्ति के उपरान्त वहां से लौटे हुये सचिवालय के कर्मचारियों का यात्रा भत्ता

*59—श्री रियासत हुसैन, श्री श्यामलाल कनौजिया, (जिला आजमगढ़) तथा श्री शिवप्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)—

क्या मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि क्या एस० ए० डी० (ई–1) के कार्यालय ज्ञाप संख्या ए–3/20 ई० एम० (1)/1965, दिनांक 1–12–69 के अनुसार कानपुर राशनिंग की समाप्ति के पश्चात् कानपुर से लौटे हुए सचिवालय के कमचारियों के यात्रा भत्ता दिये जाने के लिये एक आदेश अलग से निकालने के लिये कहा गया था? यदि हां, तो इस संबंध में कोई आदेश अभी तक क्यों नहीं प्रसारित किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 1 दिसम्बर, 1969 के कार्यालय-ज्ञाप में यह कहा गया था कि ट्रान्सफर टी० ए० आदि के विषय में आदेश अलग से जारी किये जायेंगे। ये आदेश जारी किये जा चुके हैं।

*60—श्री रियासत हुसैन, श्री श्यामलाल कनौजिया तथा श्री शिव प्रसाद पांडिया—

क्या यह सत्य है कि जिस शासनादेश द्वारा सचिवालय के समस्त सहायकों को कानपुर से वापस बुलाया गया था उसमें यात्रा भत्ता न दिये जाने का कोई जिक्र नहीं था? क्या सरकार अब यात्रा भत्ता न देकर कानपुर से लौटे हुए सहायकों को यात्रा भत्ते के रूप में कुछ धनराशि एकमुश्त दिये जाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो इसकी अदायगी कब तक की जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उसमें यात्रा भत्ते का कोई जिक्र ही नहीं था सरकार यात्रा भत्ता या उसके रूप में एक-मुश्त धनराशि देने पर कोई विचार नहीं कर रही है।

*61—श्री राम प्रसाद देशमुख—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

गन्ना सहकारी समिति भोजीपुरा, बरेली के गन्ना क्रय केन्द्रों पर परचियों का वितरण एवं तौल लिपिकों की तौल

*62—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जिला बरेली में गन्ना सहकारी समिति भोजीपुरा के गन्ना खरीद केन्द्रों अटामांडा, दवरनियां और भोजीपुरा पर इस वष परचियों के ठीक वितरण न होने के कारण सैकड़ों गन्ना कृषकों का गन्ना मिल बन्द होने के कारण खड़ा रह गया? यदि हां, तो सरकार दोषी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं। प्रश्न में उल्लिखित गन्ना क्रय केन्द्रों पर इस वर्ष किसी कृषक का गन्ना मिल बन्द होने के कारण पूर्ति हेतु खड़ा नहीं रहा। अतः किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*63—श्री चेतराम गंगवार—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना सहकारी समिति भोजीपुरा (बरेली) में वर्ष 1971 के दिसम्बर के महीने में अटामांडा गन्ना खरीद केन्द्र पर कुल कितनी गन्ने से भरी गाड़ी 25 कुन्तल से अधिक वजन की तौली गई तथा क्यों? क्या सरकार तौल लिपिकों के खिलाफ अधिकतम वजन से अधिक गाड़ी तौलने के आरोप में कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वर्ष 1971 के दिसम्बर के महीने में अटामांडा क्रय केन्द्र पर केवल 64 गाड़ियां 25 कुन्तल से अधिक वजन की तौली गई, जिनमें 52 बैलगाड़ियां तथा 12 डनलप गाड़ियां थीं। मिल की दैनिक मांग एवं समिति द्वारा गन्ने की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया। इसमें किसी कर्मचारी का दोष नहीं है। अतः किसी कमचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला परिषद्, मैनपुरी के अध्यापकों का स्थानान्तरण एवं विद्यालयों में नियुक्तियां

*64—श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जनपद के वर्तमान जिलाधीश महोदय ने जब से अध्यक्ष जिला परिषद् पद का कार्य भार संभाला है तब से 25 फरवरी, 1972 तक उन्होंने कितने अध्यापकों के स्थानान्तरण किये और बाद में उनमें से कितने स्थानान्तरण रद्द कर दिये ? क्या सरकार इस प्रकार रद्द किये गये स्थानान्तरण आदेशों का कारण भी बताने की कृपा करेगी ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

306 अध्यापकों के स्थानान्तरण किए गए। अध्यापकों की कठिनाई देखते हुए इनमें से 12 स्थानान्तरण रद्द किए गए।

*65—श्री सूबेदार सिंह—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त अवधि में जिलाधीश महोदय ने जिले के जिला परिषद् के विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की कितनी नियुक्तियां कीं और उनमें हरिजनों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों की नियुक्तियां पृथक-पृथक कितनी हैं ?

डाक्टर राम जी लाल सहायक—

187 नियुक्तियां की गईं। इनमें से हरिजनों की संख्या 17 है।

हरनारायण इन्टर कालेज, गंजडुडवारा, जिला एटा में व्याप्त अनियमिततायें

*66—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि विधान सभा प्रश्न संख्या 53, दिनांक 20-3-70 में ज्ञात हुए तथ्यों पर सरकार ने क्या अग्रिम कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

हरनारायण इण्टर कालेज, गंजडुंडवारा, जिला एटा में व्याप्त अनियमितताओं के विषय में आख्या प्राप्त हो गई है। संस्था में प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति का प्रश्न विचाराधीन है। शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

विद्यालय प्रति उपनिरीक्षक के लिये ब्लाकों तथा जिलों में कार्य करने की निर्धारित अवधि

*67—श्री गजेन्द्र सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि एक सब डिप्टी इन्सपेक्टर एक जिले व एक ब्लाक में कितने वर्ष तक नियमानुकूल रह सकता है और इटावा जिले व उसके एक ही ब्लाक में कितने सब डिप्टी इन्सपेक्टर 10 साल, 7 साल, 5 साल की अवधि के हैं और क्या 7 साल व 10 साल तक की अवधि के सब डिप्टी इन्सपेक्टरों को सरकार ब्लाक व जिले से स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

वर्ष 1967 में जारी हुई राजाज्ञाओं के अनुसार एक विद्यालय प्रति उप निरीक्षक अपने निवास स्थान के जनपद में 5 वर्ष तथा अन्य जनपद में 10 वर्ष तक रह सकता था। परन्तु अब मार्च, 1972 में जारी की गई राजाज्ञा के अनुसार कोई भी विद्यालय प्रति उप निरीक्षक अपने निवास स्थान के जिले में तैनात नहीं रखा जावेगा।

विद्यालय प्रति उप निरीक्षक के लिये ब्लाक में कार्य करने की कोई अवधि निर्धारित नहीं है।

केवल दो विद्यालय प्रति उप निरीक्षक जो अन्य जनपद के निवासी हैं, इटावा जनपद के एक ही ब्लाक में अविरल रूप से करीब 7 वर्ष की अवधि से कार्य कर रहे हैं। उन्हें अभी स्थानान्तरण करने का प्रश्न नहीं उठता है।

जूनियर हाईस्कूल छपरा सुल्तानपुर, जिला आजमगढ़ के विज्ञान अध्यापक का रिक्त स्थान

*68—श्री रामकुंवर सिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि जूनियर हाई स्कूल छपरा सुल्तानपुर (जिला आजमगढ़) के जिस विज्ञान अध्यापक का स्थानान्तरण अगस्त, सितम्बर, 1971 के वार्षिक प्रबन्ध में किया गया उसके खाली स्थान को अब तक क्यों नहीं भरा गया है जिससे उस स्कूल के सभी विद्यार्थियों की विज्ञान की पढ़ाई बन्द है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

रिक्त स्थान का प्रबन्ध दिनांक 25 फरवरी, 1972 को कर दिया गया है।

*69—श्री रामकुंवर सिंह—

क्या इस बारे में प्रश्नकर्ता के बार-बार प्रार्थना-पत्र सहायक विद्यालय निरीक्षक व अध्यक्ष जिला परिषद् को प्राप्त होने पर भी व्यवस्था नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों? खाली स्थान पर कब तक विज्ञान अध्यापक भेजा जायगा?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

प्रश्नकर्ता का कोई प्रार्थना-पत्र जिला परिषद कार्यालय में उपलब्ध नहीं हुआ है। जैसा ऊपर कहा गया है रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी गई है।

*70—श्री फिरंगीप्रसाद विशारद—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*71—श्री मुंशीलाल चमार—

[5वें गुरुवार के लिये स्थगित]

*72—श्री नित्यानन्द स्वामी—
[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*73—चौधरी गिरधारी लाल, श्री सुरेन्द्र विक्रम तथा श्री बंशीधर पांडेय—
[छठें गुरुवार के लिये प्रश्न सं० 83 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*74—श्री रामगोपाल सण्ड—
[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रादेशिक शिष्ट मंडल

*75—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 1971 के माह के अन्तिम सप्ताह में माध्यमिक शिक्षक संघ का कोई प्रादेशिक शिष्ट मण्डल उनसे मिला था? यदि हां, तो शिष्ट मण्डल की क्या मांगें थी और उन्हें पूरा करने के लिये सरकार कौन से पग उठा रही है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

कोई भी सूचना अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है जिससे प्रतीत होता है कि कोई शिष्ट मण्डल विधिवत् शिक्षा मन्त्री से नहीं मिला। अनौपचारिक ढंग से कुछ लोग मिले हों और उन्होंने कोई ज्ञापन दिया हो तो वह उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यदि कोई ज्ञापन माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में देना चाहें तो उस पर शासन विचार कर सकता है।

*76—श्री मोतीलाल यादव—
[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

जिला परिषद् गोरखपुर के प्रारम्भिक विद्यालयों के अध्यापक एवं अध्यापिकायें

*77—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या शिक्षा मन्त्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में जिला परिषद् के कितने प्रारम्भिक विद्यालय हैं इन विद्यालय में कुल कितने अध्यापक एवं अध्यापिकायें शिक्षण कार्य करती हैं? और इसमें हरिजनों का प्रतिशत कुल कितना है? यदि कम है तो क्या इनकी पूर्ति हेतु सरकार तत्काल स्थानों का विज्ञापन कराकर भर्ती करेंगे?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

1,564 प्रारम्भिक पाठशालायें हैं। इनमें 5,511 अध्यापक एवं 609 अध्यापिकायें कार्यरत हैं। अध्यापकों की संख्या में हरिजन 18.1 प्रतिशत हैं तथा अध्यापिकाओं में 14.28 हैं।

अध्यापिकाओं में 18 प्रतिशत से हरिजनों की कमी की पूर्ति हेतु निकटवर्ती जनपदों के सेवायोजन कार्यालयों को लिखा गया है।

*78—श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—
[5वें गुरुवार के लिये स्थगित]

*79—श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई तथा श्री रियासत हुसैन—
[9वें गुरुवार में प्र० सं० 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सन् 1964 के पूर्व अवकाश प्राप्त प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को पेंशन देने का विचार

*80—श्री रामचरण त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में प्राइमरी स्कूल के अध्यापक सन् 1964 के पहिले अवकाश प्राप्त कर चुके हैं उन्हें पेंशन देने का विचार है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी नहीं।

क्योंकि इसमें अनेक वित्तीय एवं प्रशासनिक कठिनाइयां हैं।

*81—श्री सतीशचन्द्र—

[9वें गुरुवार के लिये स्थगित]

गढ़वाल मंडल में डिफेंस यूनिवर्सिटी

*82—श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गढ़वाल मण्डल में डिफेंस यूनिवर्सिटी खोलने के निमित्त केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी नहीं।

*83—श्री रामकुमार दीक्षित—

[4थे मंगल में प्र० सं० 49 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*84—श्रीमती मसाली देवी—

[5वें गुरुवार में प्र० सं० 76 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*85—श्री प्रेमनारायण अहेरवार—

[5वें गुरुवार के लिये स्थगित]

कोतवाली गोंडा व बलरामपुर थाने में दर्ज चोरियों की रिपोर्टें

*86—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गोंडा जिले में थाना कोतवाली गोंडा व बलरामपुर थाने में 1 जनवरी, सन् 1972 से 20 मार्च, सन् 1972 तक कितनी चोरियों की रिपोर्ट दर्ज की गई? दर्ज की गई चोरियों में से कितनी चोरियों का पता पुलिस लगा पाई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 1058 पर)

*87—श्री मंजूर अहमद—

[माननीय सदस्य ने वापस लिया]

अतारांकित प्रश्न

सब-इंस्पेक्टर थानाध्यक्षों में अनुसूचित जाति की संख्या

1—श्री सियाराम—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश भर में एस० ओ० एस० आई० पुलिस की कुल संख्या कितनी है और इनमें अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

1 मार्च, 1972 को पुलिस विभाग में कुल 894 सब-इन्स्पेक्टर थानाध्यक्ष थे जिनमें अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत 4.5 था।

सीतापुर जिले में विभिन्न थानान्तर्गत डाके, कत्ल एवं चोरियां

2—श्री श्यामसुन्दर लाल गुप्ता (जिला सीतापुर)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में थाना महमूदाबाद, सदरपुर तथा थान गांव में 1-1-72 से 15-3-72 तक कितने डाके, कितने कत्ल तथा कितनी चोरियां हुई हैं और कितनों में फाइनल रिपोर्ट और कितने मुल्जिमों के चालान किये गये हैं ?

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 1059 पर)

3—श्री कल्याण सिंह—

[स्पष्टीकरण के अभाव में हटाया गया]

एटा जिले के महानुभावों को प्रदान किये गये अंगरक्षक

4—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेंगे कि जिला एटा में अगस्त, 1969 से 1 जुलाई, 1971 तक की अवधि में किस-किस व्यक्ति को सरकार की ओर से किन-किन आधारों पर शेडो प्रदान किये गये और उन पर सरकार को कुल कितनी-कितनी धनराशि व्यय करनी पड़ी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

1 अगस्त, 1969 से 1 जुलाई, 1971 तक की अवधि में जिला एटा में ग्याहर महानुभाओं को अंगरक्षक प्रदान किये गये तथा उस पर 34,907.47 रु० का व्यय हुआ। उक्त महानुभावों के नाम एवं अंगरक्षक दिये जाने के आधार के सम्बन्ध में सूचना शासन लोकहित म सदन के पटल पर रखना उचित नहीं समझता।

छोटे उद्योगों को दिया गया कच्चा माल

5—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में पंजीकृत छोटे उद्योगों को दिये जा रहे कच्चे माल के दुरुपयोग-सदुपयोग की बाबत जो जांच निदेशालय द्वारा कराई जा रही थी वह जिन जिलों की मुकम्मिल हो चुकी है वहां की बोगस व सही काम करने वाली इकाइयों की संख्या अलग-अलग जिलेवार दिसम्बर, 1971 तक कितनी है ?

श्री देवकी नन्दन विभव—

प्रदेश में छोटे उद्योगों को दिये जा रहे कच्चे माल के दुरुपयोग-सदुपयोग की बाबत जो जांच निदेशालय द्वारा कराई गई है उनमें से जिन जिलों में जांच पूरी हो गई है वहां की सदुपयोग

करने वाली इकाइयों की संख्या 3,486 तथा दुरुपयोग करने वाली इकाइयों की संख्या 13 है जिसका जिलेवार विवरण निम्न प्रकार है—

क्रम- सं०	जनपदों के नाम		इकाइयों की सं० जो कच्चे माल का सदुपयोग कर रही हैं	इकाइयों की स० जिन्होंने कच्चे माल का दुरुपयोग किया
1	2		3	4
1—आगरा		(जि०उ०अ०)	..	..
		(क्षे०वि० अ०)	..	194	..
2—मथुरा		..	..	11	..
3—शाहजहांपुर		..	..	6	..
4—अल्मोड़ा		..	..	2	..
5—रामपुर		..	..	14	..
6—कानपुर		(जि०उ०अ०)	..	15	..
		(क्ष०वि०अ०)	..	1,734	..
7—पिथौरागढ़		..	..	2	..
8—फतेहपुर		..	..	115	..
9—इलाहाबाद		(जि०उ०अ०)	..	178	..
		(क्षे०वि०अ०)	..	17	2
10—फैजाबाद		..	..	14	..
11—वाराणसी		(जि०उ०अ०)	..	7	..
		(क्षे०वि०अ०)	..	201	..
12—बिजनौर		..	..	6	..
13—आजमगढ़		..	..	526	..
14—बरेली		..	..	50	..
15—रायबरेली		..	..	3	..
16—बदायूं		..	..	2	..
17—हरदोई		..	..	6	1
18—गोरखपुर		..	..	15	..
19—बाराबंकी		..	..	8	..
20—मैनपुरी		..	..	28	..
21—सहारनपुर		(जि०उ०अ०)	..	16	6
		(प०रि०अ०)	..	3	..
22—बुलन्दशहर		(जि०उ०अ०)	..	32	..

1	2	3	4
23—मुरादाबाद	.. ..	..	..
24—बस्ती	.. ..	14	..
25—लखीमपुर खीरी	.. ..	8	..
26—मुजफ्फरनगर	.. ..	..	..
27—सुल्तानपुर	.. ..	3	..
28—गोंडा	.. ..	5	..
29—एटा	.. ..	..	..
30—उत्तरकाशी	.. ..	..	..
31—टेहरी-गढ़वाल	.. ..	..	..
32—पौड़ी गढ़वाल	.. ..	..	..
33—प्रतापगढ़	.. ..	..	..
34—चमोली	.. ..	3	..
35—सीतापुर	.. ..	243	4
36—बहराइच	.. ..	5	..
37—पीलीभीत	.. ..	..	..
38—हमीरपुर	.. ..	..	..
		3,486	13

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद को प्राप्त परीक्षा शुल्क

6—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐन्ड इण्टरमीडिएट एजूकेशन उत्तर प्रदेश के कार्यालय इलाहाबाद में 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 एवं 1970-71 में सरकार को परीक्षा शुल्क द्वारा कितनी आय हुई तथा इस धनराशि का उपयोग किस प्रकार किया गया ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की परीक्षा शुल्क आदि से विभिन्न वर्षों में हुई आय का वितरण निम्नवत है—

वर्ष	आय
	रु०
1967-68	1,66,36,665
1968-69	1,97,47,442
1969-70	2,09,22,365
1970-71	2,28,83,587

विधान सभा

परिषद् को होने वाली समस्त आय राज्य कोष में जमा होती है। इसका व्यय के लिए उपयोग नहीं होता ।

परिषद् के व्यय के लिये आवश्यक धनराशि शासन द्वारा सीधे स्वीकृत की जाती है।

7--श्री रामगोपाल सण्ड--

[5वें गुरुवार के लिये स्थगित]

इलाहाबाद से प्रकाशित समाचार-पत्रों को दिये गये विज्ञापनों के मूल्य

8--श्री रामगोपाल सण्ड--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश सरकार ने पिछले 3 वर्षों में 1-10-71 से 15-2-72 तक इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाले किस-किस दैनिक एवं साप्ताहिक समाचार-पत्रों को कितने-कितने रुपयों में विज्ञापन दिये गये हैं ?

श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन--

1 अक्तूबर, 1971 से 15 फरवरी, 1972 तक इलाहाबाद से प्रकाशित तथा सूचना विभाग द्वारा नियमित विज्ञापनों के लिये स्वीकृत समाचार-पत्रों को दिये गये विज्ञापनों के अनुमानित मूल्य का विवरण निम्न प्रकार है --

	रुपये (लगभग)
हिन्दी दै० 'भारत'	30,100
हिन्दी दै० 'देशभूमि'	3,100
अंग्रेजी दै० नार्दन इंडिया पत्रिका	94,500

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, इलाहाबाद द्वारा संस्थाओं को दी गयी वित्तीय सहायता

9--श्री रामगोपाल संड--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद जिला में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 31 जनवरी, 1972 तक किन-किन- संस्थाओं को कितनी-कितनी धनराशि की किस-किस कार्य के लिये कब-कब वित्तीय सहायता दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

इलाहाबाद जिले में उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 31 जनवरी, 1972 तक 21 संस्थाओं को कुल 7,01,273.81 रुपये वित्तीय सहायता के रूप में दिये गये जिसका वर्ष-वार विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 1060--1063 पर)

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदान मान्यतायें

10—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाई स्कूल और इन्टर की मान्यता देने की जो समिति है उसने कितने विद्यालयों को अप्रैल, 1971 से 31 जनवरी, 1972 तक मान्यता दी और उसे कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

इस अवधि में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा 441 विद्यालयों को 1973 की परीक्षा से तथा 42 विद्यालयों को 1974 की परीक्षा से मान्यता प्रदान की गई और 1973 की परीक्षाओं के लिये कुल 1977 आवेदन-पत्र विद्यालयों से प्राप्त हुए थे ।

11—श्री रामगोपाल संड—

[5वें गुरुवार के लिए स्थगित]

12—श्री रामगोपाल संड—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

आठ पर्वतीय जिलों में स्थापति उद्योगों द्वारा लोगों को मिलने वाला रोजगार

13—श्री डूंगरसिंह बिष्ट—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० नई दिल्ली द्वारा बनाई रूपरेखा के आधार पर तथा टैक्नो इकानामिक सर्वेक्षण की सितम्बर, अक्तूबर , 1969 की प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार आठ पर्वतीय जिलों में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में स्थापित हो सकने वाले उद्योगों में से कितने उद्योग जनवरी, 1972 तक स्थापति किये गये हैं ? उन पर कितनी पूंजी लगी है और उनसे कितने लोगों को रोजगार मिल जाने की संभावना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

105 उद्योग स्थापित किये गये, 20, 31, 910 रुपये की पूंजी लगी है और 375 लोगों को रोजगार मिला है ।

15 जुलाई, 1971 के श्री पन्नालाल गुप्त के अतारांकित प्रश्न संख्या 9 के उत्तर का शोधन

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मूल प्रश्न

9—श्री पन्नालाल गुप्त—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् 1969 व 1970 तथा 1970-71 में फतेहपुर जिले में कितनी डकैतियां, राहजनी, कत्ल तथा बल्वे हुए ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मूल उत्तर

प्राप्त सूचना के अनुसार फतेहपुर जिले में, वर्ष 1969 में 55 डकैती, 43 राहजनी, 84 कत्ल व 181 बल्वे की घटनायें हुईं, वर्ष 1970 में 120 डकैती, 133 राहजनी, 88 कत्ल, 206 बल्वे की घटनायें हुईं । वर्ष 1971 में 1 जनवरी, 1971 से 14 जून, 1971 के बीच डकैती की 63, राहजनी की 70, कत्ल की 42 तथा बल्वे की 65 घटनायें हुईं ।

संशोधित उत्तर

प्राप्त सूचना के अनुसार फतेहपुर जिले में वर्ष 1969 में 63 डकैती, 44 राहजनी, 83, कत्ल व 101 बल्वे की घटनायें हुईं, वर्ष 1970 में 122 डकैती, 137 राहजनी, 86 कत्ल व 206 बल्वे की घटनायें हुईं । वर्ष 1971 में दिनांक 1 जनवरी, 1971 से 31 मई, 1971 के बीच डकती की 66, राहजनी की 66, कत्ल की 37 तथा बल्वे की 57 घटनाएं हुईं ।

फतेहगंज पूर्वी, जिला बरेली से दातागंज, जिला बदायूं तक सड़कों को पक्की करने के सम्बन्ध में याचिका

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से फतेहगंज पूर्वी, जिला बरेली से दातागंज, जिला बदायूं तक की कच्ची सड़क को पक्की करने के संबंध में श्री रवींद्र कुमार सिंह चौहान, निवासी वरीप्रसिद्धपुर, जिला शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 20 अप्रैल, 1972 की बैठक में सदन के दिनांक 25 अप्रैल, 3 तथा 4 मई, 1972 के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं —

(1) दिनांक 25 अप्रैल, 1972 को सदन का समय 5 बजे अपरान्ह से 1 घंटा बढ़ाकर उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1972 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार एवम् उसका पारण हो ।

(2) दिनांक 3 मई, 1972 को सदन का समय 5 बजे अपरान्ह से डेढ़ घंटा बढ़ाकर अनुदान संख्या 18—शिक्षा पर विवाद तथा मतदान हो ।

(3) दिनांक 4 मई, 1972 को सदन का समय 5 बजे अपरान्ह से ढाई घंटा बढ़ाकर अनुदान संख्या 12— ग्राम सभायें और पंचायतें पर विवाद तथा मतदान हो ।

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन को 25 अप्रैल, 3 तथा 4 मई 1972 के कार्यक्रम के सम्बन्ध म की गई सिफारिशों को, जिसकी सूचना आज सदन को दी गई है, स्वीकार करता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन को 25 अप्रैल, 3 तथा 4 मई, 1972 के कार्यक्रम के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों को जिसकी सूचना आज सदन को दी गई है, स्वीकार करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

ग्राम मचकचा, जिला जालौन में पांच गड़रियों को डाकुओं द्वारा अपहृत किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)—

ग्राम मचकचा, जिला जालौन में 5 गड़रियों का अपहरण डाकुओं ने 18/19—3—72 की रात्रि में किया । इस संबंध में 19—3—72 को सूचना प्राप्त होने पर एक मुकदमा धारा 147/148/149/365/366/387/120 बी भा० दं० वि० के अन्तगत थाना रामपुरा में अंकित करके उसी दिन जांच आरम्भ की गई । प्राप्त सूचना के अनुसार यह अपहरण की घटना धन प्राप्ति के उद्देश्य से की गई है । अभी तक कोई अपहृत व्यक्ति वापस नहीं आया है और कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है । जांच जारी है यह कहना सर्वथा निराधार है कि इस प्रदेश में डाकुओं की गतिविधियों का कोई सम्बन्ध ग्राम पंचायत के चुनाव में शासक दल अथवा किसी अन्य दल विशेष को विजयी बनाने के साथ है ।

[श्री रामकृष्ण द्विवेदी]

चम्बल घाटी के डाकू जिनका निवास स्थान मध्य प्रदेश में है। जालौन जिले में अपराध करके मध्य प्रदेश को भाग जाते हैं जहां उनकी बिरादरी वाले और सम्बन्धी उनको पनाह देते हैं। इस जिले में (1) सरु सिंह, (2) बहादुर सिंह, (3) पंचम सिंह–तिलक सिंह, (4) काली चरन के रजिस्टर्ड गिरोहों ने अपहरण की घटनायें की हैं। इसके अतिरिक्त कुछ छोटे-मोटे गिरोहों द्वारा भी अपहरण हुए हैं। जालौन जिला मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित होने के कारण डाकू इस जिले की सीमा में घुस आते हैं और धन प्राप्ति के उद्देश्य से लोगों का अपहरण करते हैं। वर्ष 1972 में जालौन जिले में 31–3–72 तक डकैतों द्वारा अपहरण की 8 घटनाएं हुई हैं।

अपहरण की घटनाओं को रोकने हेतु बेहड़ के आस पास के ग्राम के लोगों को अधिक संख्या में आग्नेयास्त्र के लाइसेंस दिये गये हैं और अभी भी दिये जा रहे हैं। ग्रामीण जनता व लाइसेंस-दारों को आग्नेयास्त्रों की सुरक्षा तथा चलाने का प्रशिक्षण थानों तथा पुलिस लाइन में दिया गया है। ग्राम सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है।

पनाह देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है। मध्य प्रदेश सरहद पर पहूज नदी के इस पार तथा उस पार के पालेट्स में पी० ए० सी० द्वारा गस्त का प्रबन्ध किया गया है। जिले की सशस्त्र पुलिस की गारद सुरक्षार्थ प्रभावित क्षत्रों में लगाई गई है। अधिकारीगण भी इन क्षेत्रों में दौरा करते रहते हैं। मध्य प्रदेश के अधिकारियों से जालौन जिले के पुलिस अधिकारी सम्पर्क स्थापित करके सूचनायें एकत्रित करते हैं तथा उसके अनुसार कार्यवाही करते हैं। पुलिस अधिकारी डकैतियों को तथा अपहरण की वारदातों को रोकने में प्रयत्नशील हैं और इस सम्बन्ध में हर प्रकार की आवश्यक कार्यवाही भी की जा रही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य पढ़ा उससे ज्ञात हुआ कि कोई व्यक्ति वापस नहीं आया और कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या मुख्य मंत्री जी इस विषय में यह उचित समझेंगे कि जो कार्यवाही अब तक हुई है वह नाकाफी है। पुलिस को बढ़ाया जाय और अधिक लोगों को शिक्षित किया जाय तथा घेरा डलवा कर कार्यवाही की जाय ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

इसके लिये समुचित व्यवस्था की जा रही है वैसे यह बड़ी विकट समस्या है और जो सामाजिक अपराध हो रहे हैं इन सभी समस्याओं पर विचार करने के लिये मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया था जिसमें कुछ निश्चित निर्णय भी लिए गए थे। जय प्रकाश जी के माध्यम से कुछ डाकुओं ने सरेन्डर भी किया है। इस तात्कालिक समस्या का निराकरण करने के लिए केन्द्र से कुछ धन की भी मांग की गई है तथा उक्त क्षेत्र में आग्नय अस्त्रों के लाइसेंस भी दिये गये हैं, प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जा रही है, ग्राम सुरक्षा समितियों का भी गठन किया गया है। सशस्त्र सुरक्षा पुलिस की गारद भी प्रभावित क्षेत्रों में लगाई गई है। साथ ही वहां पर प्लाटून भी भेज दी गई है। इस प्रकार से हमारी ओर से पूरी सतर्कता बरती जा रही है और विश्वास है कि जो योजना बन रही है उसके अनुरूप सरकार शीघ्र ही इस समस्या पर पूरा काबू पा लेगी।

श्री शिवसम्पत्ति शर्मा (जिला जालौन)—

मान्यवर, मि० दूबे जो पुलिस कप्तान हैं, गत 6 माह से जब से वे वहां पर गये हैं उस समय से कितनी डकैतियां तथा अन्य अपराध वहां पर हुए हैं ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

मान्यवर, इसके लिए सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह क्षेत्र डाकुओं का क्षेत्र है यहां के रहने वाले लोगों को जो कारतूस दिये जाते हैं उनको बढ़ा देंगे जब तक कि यह क्षेत्र इससे प्रभावित है ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

यह क्षेत्र केवल डाकुओं का ही क्षेत्र नहीं है भले आदमी भी यहां पर रहते हैं। आपने कहा कि उनको कारतूस देने पर विचार करें तो सहसा ही इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

पांच गड़रियों का अपहरण धन प्राप्त करने के लिये किया गया है। धन तो प्राप्त उन लोगों से हो सकता है जो धनी हैं, उन गरीबों से क्या मिलेगा जैसे कि गड़रिये हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उससे पता चलता है कि जिन गड़रियों का अपहरण किया गया वे सम्पन्न थे। जितने डाकुओं पर इस तरह के आरोप हैं उनमें से 3 डाकुओं ने 14 अप्रैल को आत्म-समर्पण कर दिया है।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कम अन्तरिम राहत के फलस्वरूप हड़ताल के आवाहन के सम्बन्ध में वक्तव्य

सूचना उपमंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

वर्ष 1947 में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की न्यनतम उपलब्धियां (वेतन तथा महंगाई भत्ता) 25 रु० प्रति माह थीं और प्रदेशीय सेवाओं की उच्चतम उपलब्धियां 2,000 रु० प्रतिमाह थीं। इस प्रकार उस समय न्यूनतम और अधिकतम उपलब्धियों में 1:80 का अनुपात था। वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिशों के पश्चात् न्यूनतम उपलब्धियां (वेतन तथा महंगाई भत्ता) 70 रु० प्रतिमाह हो गई, जबकि प्रदेशीय सेवाओं की उच्चतम उपलब्धियां 2,000 रु० प्रतिमाह ही रहीं। इससे अनुपात 1:28.5 हो गया। दिनांक 1-4-1868 से जब 1,000 रु० प्रतिमाह से अधिक न्यूनतम वाले वेतनमानों का पुनरीक्षण हो गया तो प्रदेशीय सेवाओं का अधिकतम वेतन 2,250 रु० प्रतिमाह हो गया। इस समय न्यूनतम उपलब्धियां 99 रु० प्रतिमाह थीं और यह अनुपात घटाकर 1:22.7 रह गया। वर्तमान स्थिति यह है कि अंतरिम सहायता को मिलाकर न्यूनतम उपलब्धियां 133रु० प्रतिमाह है और प्रदेशीय सेवाओं की अधिकतम उपलब्धियां 2,250 रु० प्रतिमाह ही हैं। इस प्रकार उनका अनुपात अब केवल 1:16.9 रह गया है। स्पष्ट है कि धीरे-धीरे न्यूनतम तथा उच्चतम उपलब्धियों में अन्तर कम होता जा रहा है।

2—केन्द्रीय सरकार ने गजेन्द्र गडकर आयोग की रिपोर्ट में प्रस्तावित निराकरण की दरें अपनायी हैं, जिनके अनुसार 70 रु० से 109 रु० की वेतन सीमा में महंगाई का निराकरण 90 प्रतिशत तक होता है जो आगे बढ़कर 450 रु० से 499 रु० तक केवल 24 प्रतिशत रह जाता है। राज्य सरकार ने भी उक्त सिद्धांत रूप में स्वीकार किया हुआ है, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए महंगाई का निराकरण 90 प्रतिशत तक हो जाता है, जबकि 450-499 रु० वेतन पाने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह निराकरण केवल 24 प्रतिशत ही होता है। 600-900 रु० की वेतन सीमा में वेतन पाने वालों को केवल 43 रु० प्रतिमाह ही महंगाई भत्ता देय है और उसके ऊपर कोई महंगाई भत्ता स्वीकृत नहीं किया जाता।

[श्री गुलाबसिंह]

3—राज्य सरकार ने 900 रु० से अनधिक वेतन पाने वाले अपने कर्मचारियों को दिनांक 1-4-1971 से 10 रु० प्रतिमाह की अंतरिम सहायता स्वीकृत की थी। बाद में वेतन आयोग की संस्तुति पर राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिनांक 1-10-1971 तथा 1-3-72 से निम्न दरों पर अंतरिम सहायता स्वीकृत की है—

वेतन सीमा	अंतरिम सहायता की दर	
	1-10-1971 से	1-3-1972 से
	रु०	रु०
85 रु० से नीचे	17	22
85 रु०—209 रु० तक	18	33
210 रु०—499 रु० तक ..	20	40
500 रु०—1,250 रु० तक ..	25	60
1,250 रु० से ऊपर	सीमांत समायोजन	सीमांत समायोजन

इस प्रकार दिनांक 1-3-72 से राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी उन्हीं वेतन सीमाओं में उन्हीं दरों से अंतरिम सहायता स्वीकृत कर दी गई है, जिन वेतन सीमाओं में तथा दरों से वह केन्द्रीय कर्मचारियों को स्वीकृत है।

4—जुलाई, 1971 में श्री सयद अली जहीर की अध्यक्षता में जो वेतन आयोग गठित किया गया है। वह सक्रिय रूप से कर्मचारियों की उपलब्धियों के वर्तमान ढांचे पर विचार कर रहा है और आशा की जाती है कि आयोग इस विषय पर अपनी संस्तुतियां जुलाई, 1972 में शासन को प्रस्तुत कर देगा। आयोग की रिपोर्ट आने के पूर्व शासन द्वारा इस विषय में कोई अग्रिम कार्यवाही सम्भव अथवा उचित नहीं प्रतीत होती।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मैं मंत्री जी से जो उन्होंने लम्बी-चौड़ी रिपोर्ट पढ़ी, उसकी अंतिम बात की ओर ध्यान दिलाते हुये मंत्री जी से, तिवारी जी से, चाहूंगा, क्योंकि वह इसको समझते हैं, सदन को आश्वासन देंगे कि 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक गजेंद्र गडकर कमीशन के अनुसर महंगाई भत्ता न्यूट्रलाइज करने में क्या-क्या करने वाले हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो कठिन है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

वह उत्तर दे रहे हैं, खड़े हैं।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

अच्छा अब मैं दूसरा प्रश्न कर रहा हूं। क्या केंद्रीय दर के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भत्ता देंगे?

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

मान्यवर, सलाह देने के लिये श्री अलीजहीर जी की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया है। हम उसकी राय के हिसाब से चलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

आयोग की रिपोर्ट आने के पूर्व शासन की ओर से कोई अग्रिम कार्यवाही सम्भव और उचित नहीं प्रतीत होती, यह जिक्र उसमें है।

श्री गोविन्दसिंह नेगी (टिहरी गढ़वाल)---

वक्तव्य में कहा गया है कि अनुपात कम करने की कोशिश की जायेगी । लेकिन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 5 और एक हजार से ऊपर पाने वालों को 35 रु० देने का क्या औचित्य है?

श्री उपाध्यक्ष---

इसका स्पष्टीकरण एकाधिक बार आ चुका है।

श्री गोविन्दसिंह नेगी---

मैं औचित्य पूछना चाहता हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

जितनी केंद्रीय सरकार ने अन्तरिम सहायता दी है, वह हमें मिलना चाहिये, यह उनकी मांग है । इसमें किसी वर्ग के साथ विभेद का सवाल नहीं है । मांग है कि केंद्रीय सरकार के अनुरूप अन्तरिम सहायता दी जाय । उसी के अनुरूप हमने दिया । इस विषय में मेरा निवेदन है कि केवल एक अन्तरिम सहायता को न लें, तीनों जो रिलीफ पिछले वर्ष दी गयी हैं, उनके जोड़ को देखें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कार्य-स्थगन के प्रस्ताव में और भी कुछ बातें उठायी गयी थीं, जिनको माननीय मंत्री जी ने टाल दिया । दो पेज का वक्तव्य बना दिया गया कि हम ये-ये काम कर रहे हैं । प्रश्न यह उठाया गया था कि ये चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं, तो उनकी मांगें क्या हैं । इसके अलावा बाकी मांगों को भी छोड़ दिया गया । चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की इस मांग के अलावा (जिसका आपने स्पष्टीकरण दिया है) यह मांग भी है कि उनसे जो बेगार लिया जाता है वह समाप्त किया जाय और उन लोगों के अन्तरिम सहायता के अनुपात को बढ़ाकर दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

यह तो केवल अन्तरिम सहायता में राहत के विषय में जिक्र था । बाकी के विषय म नहीं था ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

हड़ताल का जिक्र इसमें नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष---

इस प्रश्न के विषय में माननीय वित्त मंत्री जी ने एकाधिक बार सरकार की नीति को स्पष्ट कर दिया है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

ग्राम-चौकीदार भी चतुर्थ श्रेणी में आता है । इस आयोग के सामने उसके वेतन का सवाल नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आप लिखकर आयोग को भेज दें । वह तो सुझाव आमंत्रित ही कर रहे हैं ।

ग्राम नगला बन्धिक, जिला मथुरा में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष—

अब ग्राम नगला जिला मथुरा में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की घटना के संबंध में सर्वश्री विश्वनाथ कपूर, बंशीधर पांडेय, रामबिलास पांडेय तथा चन्द्रमोहन सिंह नेगी द्वारा दी गयी नोटिस पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य को लेते हैं ।

गृह उपमंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)—

दिनांक 12-3-72 को ग्राम नगला दुर्जन, थाना जलेसर, जिला एटा में एक डकैती पड़ने की सूचना प्राप्त होने पर थाना जलेसर में एक मुकदमा धारा 395/397 भारतीय दंड विधान का, अंकित किया गया । इस घटना के संबंध में गिरफ्तार किये गये एक अभियुक्त ने डकैती में शामिल अपने कुछ अन्य साथियों के नाम बतलाये । दिनांक 5-4-72 को थाना जलेसर, जिला एटा की पुलिस उक्त डकैती से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये दबिश देने के लिये मानिकपुर स्टेशन पहुंची । वहां से कुछ गवाहों को साथ में लिया । वहीं पर एक मुखबिर से यह सूचना मिली कि डकैती से संबंधित दो अभियुक्त ग्राम भ्याऊ, थाना जलेसर में बाबू सिंह के टयूबवेल के पास खलिहान में सो रहे है फौरन दबिश देने से गिरफ्तार हो सकते हैं । इस सूचना पर जलेसर की पुलिस ने गवाहों को लेकर तीन पार्टियां बनाकर मुखबिर द्वारा बताये गये जगह पर दबिश दी । पुलिस के आने का पता लगने पर दोनों अभियुक्त ग्राम नगला बाग बधिक (जिला मथुरा) की ओर भागे तथा गांव वालों को पुलिस के आने की सूचना दी एवं उनसे निपटने के लिये कहा । पुलिस की दो पार्टियों ने भागते अभियुक्तों का पीछा किया । अभियुक्तों के शोर पर ग्राम नगला बाग बधिक के कुछ व्यक्ति जिसमें कुछ स्त्रियां तथा बालक भी थे लाठी-डंडा व तमन्चा लेकर आ गये और पुलिस पर लाठी-डंडा तथा ईंटों, पत्थरों से आक्रमण किया और एक कान्स्टेबिल की मस्किट छीनने लगे । कुछ पुलिस वालों को चोटें आईं और कांस्टेबिल की मस्किट का बट भी टूट गया । पुलिस ने भी बचाव में लाठी-डंडों का प्रयोग किया इसी बीच, 3-4 लोग जिनके पास देशी तमन्चे थे पोजीशन लेकर पुलिस पार्टी पर फायर करने लगे जिससे कुछ स्त्रियों तथा बालकों को जो पुलिस पर आक्रमण कर रहे थे चोटें आईं पुलिस पार्टी के घिर जाने तथा अभियुक्तों द्वारा बराबर फायर करते रहने पर थानाध्यक्ष ने चैलेंज किया परन्तु उसका कोई प्रभाव न होने पर पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई। दोनों ओर से चलाई गई गोलियों से 1 बालक की मृत्यु हुयी तथा 15 व्यक्ति घायल हुये । इसी बीच पुलिस की तीसरी पार्टी वहां पहुंच गई जिसे आते देखकर गोली चलाने वाले अभियुक्त भाग गये ।

इस घटना के संबंध में थानाध्यक्ष, जलेसर की सूचना पर थाना सहमऊ, जिला मथुरा में एक मुकदमा धारा 147/148/332/307 भारतीय दंड विधान के अधीन उसी दिन कायम हुआ । नगला बाग वधिक के निवासियों की ओर से प्राप्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर एक क्रास केस धारा 147/148/452/302/307 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत थाना सहपऊ पर कायम हुआ है ।

इस घटना की जांच एक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है ।

इस घटना में घायल व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार कराया गया । 2 घायल पुरुष तथा 7 महिलाएं अस्पताल में दाखिल किए गए । शेष ने अस्पताल जाना मंजूर नहीं किया ।

घटना से सम्बन्धित जलेसर थाने के थानाध्यक्ष, दो एस० आई० और एक ए० एस० आई० को निलम्बित कर दिया गया है और दोनों मुकदमों की जांच अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा कराई जा रही है।

इस घटना के तुरन्त बाद एटा और मथुरा के उच्च अधिकारी तथा उप पुलिस महानिरीक्षक आगरा रेंज घटना-स्थल पर गए जिससे जनता में विश्वास उत्पन्न हुआ और किसी प्रकार का आतंक नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस निलम्बन का आधार क्या है, वह किस आधार पर किया गया है?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

निलम्बन तो इसलिये किया गया है कि वहां पर बड़ा असन्तोष था और आतंक था। यह उनकी गलती भी थी कि बिना पूर्व सूचना पुलिस को दिये हुये वे दूसरे क्षेत्र में गये। पूरे तथ्यों की जानकारी के लिये ही मजिस्टीरियल जांच और सी० आई० डी० की जांच चल रही है।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

रिपोर्ट में कहा गया है कि स्त्री और बच्चे लाठी तथा तमंचे आदि लिये हुये थे तो मैं जानना चाहता हूं कि वे बच्चे किस उम्र के थे?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

उसी गांव के थे, मैंने बताया कि इसमें जांच करायी जा रही है। जांच के बाद ही पता चलेगा सही स्थिति क्या थी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

जब सी० आई० डी० जांच कर रही है तो मजिस्टीरियल जांच की क्या जरूरत थी?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

चूंकि उसमें एक लड़का मारा गया है, इसलिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश तुरन्त कर दिये गए थे। किन्तु बाद में समझा गया कि यह लम्बा केस है, इसमें और कुछ सम्भावना छिपी मालूम पड़ती है तो सी० आई० डी० की जांच के आदेश कर दिये गये हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

यह जो मसला है उतना सरल नहीं दिखता है जितना मंत्री जी ने सदन में रख दिया है। चूंकि यह सम्भव नहीं है कि गांव के लोग खड़े हो जाएं और पुलिस का मुकाबला करें। इसके पीछे अवश्य कोई रहस्य और बड़ा मसला रहा होगा। तो क्या इस मसले की किसी अन्य उच्चाधिकारी से जो हाई कोर्ट के जज के स्तर का हो, उससे जांच करायेंगे?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

सी० आई० डी० की इंक्वायरी हो रही है, हो जाने दीजिए, फिर उस पर भी विचार हो।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अब तक जो जांच हुई है उसके नतीजे में क्या यह मालूम हो सका कि किसी के घर के अन्दर घुसकर, अनधिकृत रूप से घुसकर लोगों को मारा-पीटा गया है और मार डाला गया है?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

यह सब जांच हो रही है?

श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या इस तथ्य को मानकर कि पुलिस ने वहां की औरतों और बच्चों को मारा और अपने बचाव के लिए उसने यह वाकिया दिखा दिया है, जांच कराएंगे?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सारे तथ्यों की जांच हो रही है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उन्होंने पुलिस का वर्जन दिया है, तो जनता का वर्जन न देने का कारण क्या है? और जो इस वक्त घायल लोग हैं और जो मर गये हैं, उसकी भी इत्तिला सदन को कराएंगे?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

मैंने जनता की भावनाओं को ध्यान में रख कर ही उनको मुअत्तल किया है और उसको ही ध्यान में रखकर सी० आई० डी० और मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश दिये हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आपने जनता का वर्जन नहीं रखा है, तो क्या आप अब उसको बताने की कृपा करेंगे?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

जांच पूरी हो जाने दीजिए, फिर उस पर भी विचार किया जाएगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न। दो मंत्रियों ने दो तरह के उत्तर दिये हैं, इसे आप सुन लीजिए। राज्य मंत्री ने यह कहा कि जो उनका निलम्बन किया गया है वह इसलिए किया गया है कि वह दूसरे जिले की हद में चले गये थे, किन्तु उप मंत्री जी ने यह कह दिया कि उनका निलम्बन जनता की राय के कारण कर दिया गया है। तो दोनों में अन्तर है आप बताइये कि कौन सही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

निलम्बन किया जाता है तो कई कारण होते हैं। एक कारण यह था कि बिना रिपोर्ट किये हुए दूसरे क्षेत्र में—दूसरे जिले में चले गये थे। आप जनता के वर्जन की बात पूछ रहे थे तो उनकी भी अप्लीकेशन मौजूद है वहां पर लोगों में असन्तोष व्याप्त है। रहस्य मालूम पड़ता है कि आपस की गोलियों से मारे गये—यह कहां तक सही है? जनता की अप्लीकेशन में यह आरोप था कि पुलिस ने मारा। इसलिए सी० आई० डी० की जांच के आदेश दिये गये। एक बच्चा मारा गया, इसलिए मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश दिये गये। अब जब रिपोर्ट आ जाएगी तो जैसा आवश्यक होगा, वैसा किया जाएगा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

अब हमें नियम 56 में जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वह इस प्रकार हैं। श्री हरिवंश सहाय जी ने देवरिया जिले में बाढ़ से पीड़ित छात्रों से सरकारी आदेश के विपरीत फीस का लिया जाना विषय पर दिया था। यह स्वीकार नहीं किया गया है। सरकार का ध्यान आप दिला दें और कार्यवाही के लिए हम भेज देते हैं। यह ऐसा मामला है कि जो साधारण कार्यवाही की अपेक्षा करता है। एक श्री विश्वनाथ कपूर और रामबिलास पाण्डेय ने दिया था कि मसौदा शगर मिल फजाबाद के मजदूरों को 22 अप्रैल से आधे वेतन पर अनिवार्य अवकाश पर भेजना, आप इसको यहां उठा सकते हैं बजट में बहस के समय।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, स्थिति विषम है, एक हजार मजदूरों को नोटिस भेज दी गई है—22 अप्रैल से वह कर रहे हैं। परसों 22 है। विभाग ने कुछ नहीं किया। कहते हैं कि विभाग की समाजवादी, मजदूर परस्त नीति है। मिल मालिक परेशान कर रहे हैं, उन्होंने नोटिस दे दिया है कि 22 अप्रैल से लेबर अवकाश पर चला जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न करें। कार्य-स्थगन लायक है ही नहीं।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मेरो निवेदन सुन लें। वक्तव्य दिला दें। परसों से पहले कुछ हो जाय। टेलीफोन से पूछ लें।

श्री उपाध्यक्ष—

अल्पसूचित प्रश्न आप कर लें।

माननीय सुरेन्द्र विक्रम, और माननीय वंशीधर पांडेय—वन्य पशु पक्षियों का सरकारी नीति के विपरीत शिकार किया जाना। कार्यवाही इस पर हुई है। सरकार को पहले भेजा गया था।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

वन्य पशु तथा पक्षी संरक्षण विधेयक आने वाला था, जिसे काउंसिल मे पासकर दिया और प्रवर समिति को जाने वाला था। माननीय मुख्य मंत्री ने वापस ले लिया दिनांक 17-4-71 को।

श्री उपाध्यक्ष—

वापस नहीं लिया।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

वह पेश नहीं करना चाहते हैं। केन्द्र इसी पर विधेयक लाना चाहता है। लेकिन विभिन्न प्रदेश की विभिन्न समस्याएं हैं। जैसे हदबन्दी के लिए केन्द्र ने अपने सुझाव दे दिये थे, आपने सुझाव दे सकते थे। हमारी भावनाएं वहां नहीं पहुंचेंगी।

श्री उपाध्यक्ष—

बिल जब वापस लेने की बात आये तब आप कह सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

वह तो पेश ही नहीं करेंगे। माननीय मुख्य मंत्री बैठे हैं। केन्द्र से चिट्ठी आ गयी है इसी प्रकार का विधेयक आने वाला है। विभिन्न प्रदेशों की विभिन्न समस्यायें हैं। यहां गैंडे की समस्या हमारे प्रदेश में नहीं है, यहां सिंह समस्या भी नहीं है। जब तक हम यहां, विधान सभा में वन्य जन्तु रक्षण विधेयक पर वाद-विवाद नहीं करेंगे तब तक हमारी भावनाएं केन्द्र में कैसे जानी जायंगी।

श्री उपाध्यक्ष—

विभिन्न प्रदेशों की विभिन्न समस्याएं हैं, लेकिन केन्द्रीय विधेयक ऐसा आ जाय जिसमें विभिन्न समस्याओं का निराकरण एकरूपता में हो जाय तो स्वागत योग्य होगा।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

केन्द्र आज्ञा मांग रहा है प्रदेशों से कि हम बनाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आयेगा, तो हम देंगे आपको मौका।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

यह पेश नहीं करेंगे तब तक वहां पेश हो जायगा और प्रदेश का अहित होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

वह आयेगा। आपको समय मिलेगा।

माननीय रूपनाथ सिंह यादव और माननीय जयराम यादव—जोत चकबन्दी तथा शहरी सम्पत्ति सीमा आरोपण बिल सरकार द्वारा जानबूझ कर न प्रस्तुत करना।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

यह बड़े महत्व का है। इस सरकार का वादा कब तक चलेगा? सीलिंग का कानून सदन में फौरन लाया जाय। खेतों की सीलिंग 10 से 18 एकड़ कर दी जाय और शहरी, सम्पत्ति की एक लाख की सीलिंग कर दी जाय। जब कि पंजाब में और मध्य प्रदेश में 10 से 18 एकड़ का विधयक पारित हो गया। माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं। उत्तर प्रदेश को कितने साल पीछे रखेंगे? समाजवाद कब आयेगा, गरीबी कब मिटेगी। निश्चित तारीख बताएं कि सीलिंग का विधेयक कब ला रहे हैं? बहानेबाजी नहीं चलेगी। इस प्रदेश की जनता जाग उठी है। सीलिंग का कानून फौरन लायें। शहरी सम्पत्ति थी निश्चित सीमा एक लाख होनी चाहिए और 10 से 18 एकड़ खेतों के बारे में होनी चाहिए। मैं श्री सेठी को बधाई देता हूं कि 10 से 18 एकड़ का विधेयक पास करवा दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री त्रिपाठी जी माने जाने व्यक्ति हैं। वह क्यों पीछे जा रहे हैं। एक हफ्ते के अन्दर विधेयक आये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें कि कब आयेगा।

श्री रूपनाथसिंह यादव—

यह पूरे प्रदेश की 9 करोड़ जनता का सवाल है। गरीब, हरिजन, पिछड़े हुए लोगों जिनको जमीन मिलेगी उनका सवाल है। समाजवाद कब आयेगा? गरीबों के लिए कानून हमेशा पीछे रहता है। समाजवाद आखिर कब आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

कब आयेगा यही तो प्रश्न है। आ जायगा तो कब आने का प्रश्न ही नहीं उठेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी ने हरदोई में नक्सलपंथियों द्वारा जिला जज की हत्या के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव भेजा है उस सम्बन्ध में उनसे अपने कक्ष में मेरी बातचीत हो चुकी है। जज के सामने जब यह घटना हुई है तो कोर्ट उसकी नोटिस लेगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

उनको घर पर मारा गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

जब कार्यवाही न हो तो आप इसको उठायें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

सूती मिलों में हड़ताल हो रही है उसे मैंने 301 के अन्तर्गत दिया था। हड़ताल चल रही है। कब तक चलती रहेगी?

श्री उपाध्यक्ष—

उसे बाद में उठाइयेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इतना तो कर दीजिये कि शाम को जो आबकारी पर बहस हो रही है उसका विवरण नहीं मिला है। इस पर व्यवस्था दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

उसे देख लूंगा और पता लगा लूंगा।

1972–73 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 37—परिवहन तथा अनुदान संख्या 50—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

परिवहन मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37—परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त 6,99,09,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 50—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,22,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, सभी जानते हैं कि आज हमारा देश तेजी से प्रगति करता जा रहा है। (व्यवधान) आप सुनिये तो उसी तेजी के साथ हमारा प्रदेश भी प्रगति करता जा रहा है और फलस्वरूप यहां का जनजीवन तेज होता जा रहा है। इसी तरह हमारा जो परिवहन विभाग है इसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। परिवहन विभाग की दो शाखायें हैं। एक शाखा रोड-वेज से संबंधित है जिसके अन्तर्गत रोडवेज सरकार की तरफ से राष्ट्रीयकृत मार्गों पर प्रदेश के अन्दर अपनी बस सेवा चलाती है। दूसरी शाखा है निजी क्षेत्र के द्वारा संचालित परिवहन सेवायें जिसमें बसें, टैक्सीज तथा कारें इत्यादि आती हैं। हमारा उद्देश्य तथा प्रयास इन दोनों शाखाओं में यही रहा है कि जनता को अच्छी सेवायें प्रदान की जायं, उनके साथ सद्भावना और सद्व्यवहार किया जाय। इस तरफ हमेशा हमारी सरकार ने बल दिया है।

मान्यवर, सन् 1971–72 में सरकार ने करीब 200 किलोमीटर मार्ग का राष्ट्रीयकरण कर लिया है। इसी अवधि-सन् 1971–72 में 4,125 बसों का बेड़ा इस प्रदेश के अन्दर परिवहन विभाग की ओर से चल रहा था। हमने जो मार्ग राष्ट्रीयकृत किये हैं और कुछ पुराने मार्ग जहां कि बस सेवाओं को बढ़ाने की आवश्यकता थी उसको पूरा करने के लिये तथा कुछ बसें जो पुरानी हो गई थी और उनको नीलाम करके अलग किया जाना था, अलग किया गया। इस सब की पूर्ति हेतु सरकार ने 350 नई बसें खरीदी हैं और साथ ही साथ 180 और बसें खरीदी जा रही हैं। मान्यवर, जहां हम ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवाओं की सुविधा देते हैं वहां शहरों में रहने वाले लोगों के लिये भी सिटी बस सेवायें सरकार ने चालू की हैं। आप जानते हैं कि शहरों में सभी धनाढ्य लोग ही नहीं होते हैं, किन्तु ऐसे लोग भी होते हैं जो गरीब होते हैं। जिनके पास मोटर गाड़ियां या कारें नहीं हैं उनके लिये सस्ती और

[श्री बलराम सिंह यादव]

सुलभ सेवायें उपलब्ध कराना इस सरकार का कर्तव्य है । इसी दृष्टिकोण से आप जानते हैं कि शहरों में कल-कारखाने और फैक्टरियों में काम करने वाले मजदूरों तथा दफ्तरों में काम करने वाले छोटे-छोटे कर्मचारियों आदि की सेवा के लिये सिटी बस सेवायें सरकार ने चालू की हैं । जो 12 बड़े-बड़े शहर हैं उनमें सिटी बस सेवा हमारे प्रदेश के अन्दर चलाई जा रही है। इन बस सेवाओं को चलाने में हमारा उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है । हमारा उद्देश्य पिछड़े हुये गरीब लोगों को मदद पहुंचाने का ज्यादा है, जो कि शहरों में रहते हैं और जिनको अपने निवास स्थान से बहुत दूर-दूर तक नौकरी के लिये जाना-आना पड़ता है।

मान्यवर, रोडवेज बस सेवाओं की व्यापकता में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं । उससे आप यह अन्दाज लगा सकते हैं कि रोडवेज इस प्रदेश के अन्दर कितने व्यापक रूप से सेवा कर रहा है । वर्ष 1969–70 में 21.71 करोड़ यात्रियों ने, 1970–71 में 23.33 करोड़ यात्रियों ने तथा 1971–72 में दिसम्बर तक 19.01 करोड़ यात्रियों ने राजकीय बसों से यात्रा की । यात्रियों की सुविधा के लिये सरकार ने प्रदेश के अन्दर 180 बस स्टेशनों पर निर्माण कार्य अब तक पूरा कर लिया है। कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां पर कि सरकारी बस स्टेशन नहीं हैं किन्तु सरकार ने उन्हें किराये पर लिया हुआ है और उनके माध्यम से काम हो रहा है। जहां तक बस स्टेशनों का सवाल है, सरकार उससे सन्तुष्ट नहीं है। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि बस स्टेशनों की दशा को सुधारा जाय और जो बड़ी-बड़ी जगहें हैं और जहां बस स्टेशनों की आवश्यकता है वहां पर बस स्टेशन कायम किये जायं। परिवहन विभाग में बसें और कारें चलाई जाती हैं। अगर उनकी मरम्मत और रख-रखाव का समुचित इन्तजाम सरकार के पास नहीं है तो उनका संचालन सही प्रकार से नहीं किया जा सकता ।

मान्यवर, इस दृष्टिकोण से इस संचालन को सफलतापूर्वक करने के लिये सरकार ने एक केन्द्रीय कर्मशाला कानपुर में खोल रखी है जिसमें जहां नयी गाड़ियों की हम बाडी इत्यादि बनाते हैं । वहीं जो गाड़ियां पुरानी हो जाती हैं और डेप्रिशिएटेड नहीं होती हैं उनकी भी ओवर हालिंग करके उनका नवीनीकरण कर लेते हैं और फिर पुनः उनको सड़कों पर डाल देते हैं ।

इसके साथ-साथ हमारे प्रदेश के अन्दर जो हमारे रीजन हैं उसमें 12 कर्मशालायें हैं और उसके अलावा 62 डिपो कर्मशालायें हमारे प्रदेश में स्थापित हैं उनके जरिये से बसों के संचालन के लिये, उनके रख-रखाव और मेंटिनेंस के लिये सारा इन्तजाम किया जाता है।

मान्यवर, मैंने शुरू में जब यह कार्य-भार संभाला तो पहली मीटिंग मैंने अपने उच्च अधिकारियों की बुलाई थी, उसमें मैंने उनसे इस बात का आग्रह किया था और कहा था कि हमें प्रदेश के अन्दर जहां आय बढ़ानी है वहीं दूसरी ओर कार्यक्षमता भी बढ़ानी है और जो बुराइयां विभाग की हैं उनकी तरफ भी हमारी नजर रहनी चाहिये और उनको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिय। मेरे और मेरे साथी उपमंत्री जी ने इस प्रदेश का समय-समय पर दौड़ा किया है । हम लोगों ने चलती हुयी गाड़ियों की भी चेकिंग की है, बस-स्टेशनों को भी देखा है और कर्मशालाओं का भी निरीक्षण किया है। इससे जहां कमी पायी गयी वहां पर उसका सुधार करने के लिये निर्देश दिये गये और इस तरीके से हमें ऐसा विश्वास है कि जहां एक ओर हमने अधिक लाभ कमाया है वहीं दूसरी ओर विभाग की कार्य-क्षमता और जनता को पहुंचाने वाली सुविधायें भी निश्चित रूप से बढ़ी हैं ।

जहां तक आय में वृद्धि का सवाल है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रोडवेज विभाग ने इस वर्ष इतनी आय अर्जित की है उतनी रोडवेज विभाग के इतिहास में कभी अर्जित नहीं हुई। सन् 1969–70 में रोडवेज की संपूर्ण प्राप्ति 21.91 करोड़ थी, 1970–71 में यह

प्राप्ति 24.43 करोड़ हुई और 1971–72 में अनुमानित संपूर्ण प्राप्ति 26.86 करोड़ है। पिछले वर्ष में शुद्ध लाभ 2.40 करोड़ था और इस वर्ष 3.10 करोड़ रुपया अनुमानित है।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

व्यवस्था का प्रश्न है। जैसे इंडीकेट और बी०के०डी० की मिली जुली सरकार को गिराने के लिये कमलापति जी अपनी कौंसिल लेकर अलग बैठा करते थे, श्रीमन्, उसी तरह से कमलापति सरकार को गिराने के लिये राजेंद्र कुमारी जी सदन में अलग कौंसिल कर रही हैं। क्या वैसा ही कोई सरकार को गिराने का षड़यंत्र रच रही हैं राजेन्द्री जी ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपको कैसे मालूम हुआ, (हंसी)

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, इसी तरीके से इस वर्ष.....

श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा)—

मान्यवर, कुर्सी की ओर से पीठ किये हुये ये लोग बैठे हैं। ये लोग लाबी में चले जायं।

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, इस तरीके से इस वर्ष लगभग 32 परसेंट.....

श्री बसन्तलाल शर्मा—

मान्यवर, त्रिवेणी राय जी पीठ किये हुये बैठे हैं।

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)—

आप अपना काम कीजिये।

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, हमारी आय में बढ़ोत्तरी हुई है। पिछले वर्ष 4 अप्रैल को हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला और तुरन्त बाद ही हम लोगों का ध्यान प्रदेश के परिवहन विभाग के कर्मचारियों की ओर गया। हमने महसूस किया कि उनका जो वेतनमान है, सेवा की शर्तें हैं उनमें सुधार होना चाहिये। उनकी भी मांग थी कि केंद्रीय वेतन मंडल की सिफारिशों को उनके ऊपर लागू किया जाय। हमारी सरकार ने फैसला लिया है और हम उनकी सिफारिशों को निकट भविष्य में लागू करने जा रहे हैं। इस निर्णय से हम करीब 25 हजार कर्मचारियों को 62 लाख रुपये प्रति वर्ष देंगे और आगे चलकर वह 80 लाख के करीब हो जायेंगे। अभी कर्मचारियों की जोरदार मांग आई थी और वे हड़ताल करने पर भी उतारू हो गये थे क्योंकि आप जानते हैं कि प्रदेशीय सरकार ने फैसला लिया है और वेतन-आयोग का गठन किया गया है। कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों के सिलसिले में इस विभाग के कर्मचारियों ने सोचा कि सम्भवतः हम क्यों न इस आयोग की ही मांग करें हो सकता है कि इससे हमें अधिक उपलब्धि प्राप्त हो जाय। उन्होंने इस बात को लेकर स्ट्राइक की बात की थी। इसलिये सरकार ने फैसला लिया है कि वेतन मंडल की संस्तुतियां तभी लागू की जायेंगी जब वेतन आयोग के सुझाव आ जायेंगे और कर्मचारी देख लेंगे कि उनको किस से फायदा है। तब तक के लिये यह निर्णय स्थगित कर दिया गया है।

[श्री बलराम सिंह यादव]

मान्यवर, अभी तक रोडवेज का संचालन विभाग के रूप में सरकार करती आ रही है। इस दौरान में हमने महसूस किया कि जहां हम तेजी से प्रदेश में राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं बढ़ती हुयी मांग को पूरा करना चाहते हैं कि जितने एक्जिस्टिंग रूट्स हैं, उन पर जो बसें चल रही हैं वहां से मांग आती है कि बसेज कम हैं, इनको और बढ़ाया जाय। बहुत से नये रूट्स बनाये जा रहे हैं सड़कें पक्की हो रही है, तेजी से काम करने के लिये सरकार के पास इतने वित्तीय साधन नहीं थे कि इनको पूरा कर सके। इसलिये हम तेजी से राष्ट्रीयकरण कर सकें, जनता को अच्छी सुविधा दे सकें, अच्छा फ्लीट और अच्छे बस स्टेशन बना सकें, इस धारणा से प्रेरित होकर सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश में ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की स्थापना की जाय। रोडवेज निगम के बनने के मसले पर हमारे प्रदेश के परिवहन विभाग के कर्मचारियों के अन्दर एक भ्रम पैदा हो गया है या यों कहिये कि भ्रम उनके अन्दर फैलाया गया है और वह यह है कि उनकी जो सेवा शर्तें हैं तथा उनके जो वेतन मान और सेवा उपलब्धियां हैं कारपोरेशन के बन जाने पर उनमें कमी आ जायगी। उनकी ओर से जो स्ट्राइक की बात कही गयी थी उसमें भी एक मांग यह थी। मान्यवर, सरकार की यह कभी भी मंशा नहीं रही है कि जो रुपया इन कर्मचारियों को मिलता है उससे भी वे महरूम हो जायं या उसमें कमी हो जाय किन्तु इस प्रगतिशील सरकार का तो प्रत्येक कार्य ही, चाहे वह कर्मचारियों के लिये हो अथवा वह जनता के लिये, वह प्रगतिशील कदम ही होगा, उनकी बेहतरी के लिये ही होगा। हमने यह उनसे वायदा किया है और प्रेस के विज्ञप्ति में भी इस बात को साफ कर दिया गया है कि उनकी सेवा की शर्तें, उनकी उपलब्धियां जो रोडवेज के कर्मचारियों को इस समय हो रही हैं, किसी भी हालत में उनसे कम नहीं होंगी।

दूसरी जो गलत धारणा विभाग के कर्मचारियों में यह फैली हुयी है कि अगर रोडवेज कारपोरेशन की स्थापना हो जायगी तो टैम्परेरी कर्मचारियों की छंटनी कर दी जायगी, उनको विभाग से निकाल दिया जायगा। इसके बारे में भी मैंने समय समय पर घोषणायें की हैं कि ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन बनाने का हमारा उद्देश्य केवल एक ही है कि उससे प्रदेश में ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था बढ़े, जनता को आराम मिले। अगर ऐसा होगा तो छंटनी की बात तो दूसरी है वहां तो हजारों नये लोगों को और भी एम्प्लायमेंट मिलेगा। इसलिये लोगों की यह धारणा कि छटनी होगी, बिलकुल निर्मूल है। मैं पुनः कर्मचारियों को यह आश्वासन देता हूं कि परिवहन विभाग में किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं होगी, जो इस समय उसमें काम कर रहे हैं।

अक्सर यह देखा गया है कि पहाड़ी मार्गों पर अक्सर दुर्घटनायें हो जाती हैं। उनको रोकने के लिये समय-समय पर सरकार चिन्तित रही है और उस ओर कदम भी उठाये गये हैं। इस सदन में सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता रहा है। इस बारे में हमने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और वह यह है कि पहले पहाड़ी क्षेत्रों में चलने वाली बसों और मैदानी क्षेत्रों में चलने वाली बसों का चलने का पूरा माइलेज बराबर ही रखा था और वह 4 लाख 80 हजार कि०मी० रखा गया था। लेकिन अब पहाड़ी क्षेत्रों में बसों के चलने की पेचीदगियां को देखते हुये और इस कारण कि ड्राइवरों और जनता की रक्षा के लिये और इसलिये कि उनको कोई किसी प्रकार का रिस्क न रहे, जनजीवन के साथ खिलवाड़ न हो, हमने यह फैसला लिया है कि टाटा की गाड़ी 3–3 लाख कि०मी० और लेलेंड गाड़ी 4–4 लाख कि० मी० चलने पर डिप्रीशियेटेड समझी जायगी। और उनको नीलाम कर दिया जायगा, इससे ज्यादा की गाड़ी को पहाड़ों पर चलने की इजाजत नहीं दी जायगी हमने ड्राइवरों और कन्डक्टरों के लिये भी वेजबोर्ड की रिकमेंडेशन्स के अलावा कुछ फैसले लिये हैं। मैं चाहता हूं कि उनको भी मैं सदन के सामने रख दूं। अभी तक ड्राइवर्स को नाइट आउट अलाउन्स एक रुपया प्रति रात्रि मिलता था। अब हमारी सरकार ने फैसला किया है कि उसको एक रुपये से बढ़ाकर डेढ़

रुपया कर दिया जाय इसके साथ साथ गुड कन्डक्ट अलाउन्स पहले कन्डक्टर्स व ड्राइवर्स को 7 रुपया मिलता था अब उस को बढ़ाकर 10 रुपया करने का फैसला लिया है। गर्मियों की वर्दी का अलाउन्स 10 रुपया और जाड़े की वर्दी का 20 रुपया कर दिया गया है। इसके अलावा जो वर्कचार्ज एम्पलाईज विभाग में काम कर रहे हैं उनमें से वह कर्मचारी 3 साल से पहले के हैं उनमें से 75 प्रतिशत को रेगुलर करने का फैसला भी सरकार ने ले लिया है।

इसके अलावा हमारे परिवहन विभाग की दूसरी शाखा जो नान-रोडवेज शाखा है जो कि प्राइवेट वेहिकिल्स को कंट्रोल करती है जैसे बसें, ट्रक्स, कार, टैक्सीज, स्कूटर्स आदि हैं उस शाखा से भी हमारी सरकार को काफी आय होती है। 3 तरीके से इस शाखा के द्वारा सरकार को आय होती है, यात्री कर के रूप में माल करके के रूप में और तीसरे मार्ग करके रूप में इन तीनों प्रकार के करों से हमने 71–72 में 18 करोड़ रुपये की आय की थी। इस विभाग के कार्य को नियंत्रित करने के लिये हमने प्रदेश के अन्दर 11 सम्भाग स्थापित किये हैं। इनके अलावा 2 उप-सम्भाग भी हैं, एक फैजाबाद का और दूसरा पौड़ी का, इन सम्भागों को प्रोन्नत कर दिया गया है और उनको भी पूरा सम्भाग बना दिया गया है। तो यह पौड़ी और फैजाबाद के अलग-अलग सम्भाग बनाने का फैसला भी सरकार ने लिया है।

एक और बहुत बड़ा कदम हमारी सरकार ने इस वर्ष उठाया है और वैसा कदम देश भर में किसी भी राज्य सरकार ने नहीं उठाया है, केवल हमारा ही ऐसा प्रदेश है कि जिसने पहली बार अपने यहां ऐसा कदम उठाया है और वह यह है कि जो प्राइवेट बसें हैं उनको लिबरली परमिट देने का फैसला। जो पहले की परमिट वितरण प्रणाली थी उसके बारे में बड़ी शिकायतें सरकार के पास आती थीं। बड़ी रयूमर्स फैलती थीं और साथ ही साथ कुछ कानूनी अड़चनें पैदा हो जाती हैं, अदालत से स्टे आर्डर हो जाते हैं और उनके हो जाने के कारण जनता को कितनी ही परेशानी होती हो, एक भी बस नहीं बढ़ायी जा सकती थी। प्रतिवर्ष ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और इसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिये हर रूप पर बसों को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता थी। इस दृष्टिकोण से सरकार ने यह फैसला लिया है कि परमिट वितरण प्रणाली में फर्क किया जाना चाहिये और इसलिये इसमें मौलिक परिवर्तन किया गया है। जो बसें नान नेशनलाइज्ड रूट्स पर चलती है, उनकी परमिट उसी तरह से आसानी से मिल सकेंगी जिस तरह से ट्रक्स के परमिट्स मिल जाते हैं। कुछ थोड़ी सी अड़चन हमारे सामने जरूर आयी है, कुछ बस वाले हाई कोर्ट में गये और स्टे ले लिया, सरकार लड़ रही है लेकिन हमें विश्वास है कि जो फैसला हमने लिया है, उसको निकट भविष्य में पूरा कर सकेंगे।

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि अभी अभी हाल ही में कुछ बस वाले इस उसूल पर हाई कोर्ट में गये हैं और उन्होंने स्टे ले लिया है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

हां, अन्तरिम स्टे दिया है। मैंने अभी-अभी कहा है। इस प्रणाली को सरल बनाने के लिये हमने यह किया है कि पहले आर०टी०ए० कमेटीज थीं, डिवीजनल कमिश्नर उसका अध्यक्ष होता था। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सा० नि० विभाग, और उस रेंज का डी०आई०जी० ये दोनों उसके सदस्य होते थे सरकार ने यह फैसला लिया है कि केवल वन मैन आर०टी०ए० कमेटी होगी। कमिश्नर ही आर०टी०ए० का सदस्य और चेयरमैन भी होगा क्योंकि परमिट प्रणाली में अगर 3–4 सदस्य रहेंगे तो उनकी मीटिंग बुलाना या तुरन्त एक कमेटी को इकट्ठा करना नामुमकिन बात है। इसमें बिलम्ब होना संभव था। इसलिये केवल वन मैन आर०टी०ए० की कमेटी बनाने का सरकार ने फैसला ले लिया है।

(इस समय 1 बजकर 9 मिनट पर अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोबिन्द खेर पीठासीन हुये)

[श्री बलराम सिंह यादव]

मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं है कि विभाग में भ्रष्टाचार है, मैं इसको स्वीकार करता हूं और इसको रोकने के लिये हम लोगों ने समय समय पर हर स्तर से कोशिश की है। रोडवेज शाखा के 10 अधिकारियों के विरुद्ध तथा नान रोडवेज 8 अधिकारियों के विरुद्ध उच्च अधिकारियों द्वारा जांच करायी जा रही है। उनमें जो मामले ऐसे हैं जिनकी जांच ठीक ढ़ग से नहीं हो सकती है, उनको सतर्कता आयोग द्वारा जांच कराने के लिये उन्हें सुपुर्द कर दिया गया है। मैं स्वयं भी जगह-जगह पर जाकर और हमारे उपमंत्री जी ने भी, जो बड़े उत्साही हैं, बहुत जगहों पर स्वयं जाकर चेकिंग की है और दोषी लोगों को पकड़ा है। उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इस तरीके से परिवहन विभाग की दोनों शाखाओं का जन जीवन से बड़ा घनिष्ट संबंध है और उनकी प्रगति पर ही हमारे प्रदेश की प्रगति बहुत कुछ निर्भर करती है। अब मैं अधिक समय न लेकर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इन सब बातों को पूरा करने के लिये मुझे बहुत अवांछनीय तत्वों से टक्कर भी लेनी पड़ी है और सब बातें करनी पड़ी। लेकिन मान्यवर, बहुत कुछ विभाग ने इस दौरान में किया है। हमें आशा है कि हमारे सभी माननीय सदस्य जो इस सदन में उपस्थित है और जो आज बोलेंगे वे हमें अच्छे-अच्छे सुझाव देकर लाभान्वित करेंगे। हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम अपने साधनों के मातहत जो कुछ भी संभव होगा हम अवश्य उनके सुझावों को मानेंगे और उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे।

श्री रामबिलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं दोनों कटौती के प्रस्तावों को एक साथ रखता हूं। मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३७ व ५० के अधीन मांग की राशि घटाकर एक एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। मान्यवर, मंत्री जी ने अभी-अभी यह बताया है कि यह विभाग इसीलिये खोला गया कि इससे जनता को राहत मिल सके और इसमें किसी फायदे के लिये या सरकार की इन्कम बढ़ाने के ख्याल से यह नहीं किया गया है। बल्कि जनता को राहत देने के लिये किया गया है इस सद् उद्देश्य से सन् १९४७ में यह स्कीम इस प्रदेश में मात्र दो सौ बसों से चली और आज ४१२५ बसेज इस विभाग के पास हैं। मान्यवर प्रारम्भ से लेकर आज तक लगभग ३७ हजार रुपये का शुद्ध फायदा हुआ है ऐसा मुझे आंकड़ों को देखने स ही ज्ञात हुआ है कि मान्यवर, जहां तक बसों से जनता को राहत पहुंचाने की बात है, मैं समझता हूं कि जितनी राहत मिलनी चाहिये उतनी राहत इससे नहीं मिल पा रही है। आज ४१२५ गाड़ियों में मान्यवर आप यकीन रक्खें कम से कम १५ या १६ सौ गाड़ियां ऐसी हैं जो बेकार पड़ी हैं जिनके कुछ न कुछ पुरजे खराब हैं, वे काम नहीं कर पा रहे है। आज जितनी मांग है उतनी मांग के ख्याल से सड़कों पर गाड़ियां नहीं है और उधर गाड़ियों के किराये में भी वृद्धि काफी हुई है। कर समिति ने सन् १९६७–६८ में एक रिपोर्ट दी है। उसने कहा है कि ६ वर्षों में एक अक्टूबर-१९६४, में १ जून १९६२ में, १४ जून–१९६५ में, ५ अगस्त १९६६, में और ५ अगस्त, १९६८ में, छः बार टैक्स लगाकर इतना ज्यादा किराया बढ़ा दिया गया है कि उस पर समिति ने यह रिपोर्ट की कि अब हम शासन को यह सुझाव नहीं देते है कि इन बसों का किराया बढ़ाया जाय। बावजूद कर समिति के इस सुझाव के इस कथित समाजवादी सरकार ने अपने पूर्व निश्चय के प्रतिकूल गरीबों को सुविधा देने के बजाय कर वृद्धि कर जनता पर काफी बोझ लाद दिया है तो मैं समझता हूं कि जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि जनता को राहत के लिये यह विभाग खोला गया है। वह राहत इतनी जरूर है कि हमें सवारी मिल जाती है। फिर भी जितनी जरूरत है उतनी तो नहीं है। लेकिन मिल जाती है परन्तु जिस उद्देश्य से यह विभाग चलाया गया है जैसा कि मंत्रीजी ने

तदनुरूप न किराया कम हुआ और न तो जनता को सुविधायें ही मिल सकी हैं । मंत्री जी ने यह कहा है कि हम कुछ और गाड़ियां लेने वाले हैं । मान्यवर, इससे समस्या हल होने वाली नहीं है । उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत घनी है, बहुत बड़ी है और यहां पर बसेज की बहुत मांग है । उस लिहाज से जो परिवहन विभाग की बसेज चल रही हैं वे काफी नहीं हैं ।

दूसरी बात यह है कि प्राइवेट गाड़ियां जो प्राइवेट रूट्स पर दी गई हैं और दी जाने वाली हैं । मैं समझता हूं कि जो उदार नीति शासन ने इधर अपनाया है कि हम ज्यादा परमिट देंगे सभी लोगों को छूट होगी कि वे काफी से काफी परमिट लेकर रोड पर बसेज चलायें । इससे जनता को राहत मिलगी । मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह व्यावहारिक नहीं हो पायेगा । इस प्रदेश की आबादी पौने नौ करोड़ के करीब है और मैं समझता हूं हर परमिट चाहने वाले आदमी को आप परमिट दे सकेंगे उसमें मुझे सन्देह है न तो इतनी गाड़ियां ही सुलभ हो सकेंगीं और न इतने परमिट देकर आप गाड़ियां ही दिला सकेंगे और न तो प्रदेश की साधारण जनता में वह क्षमता है जिसकी तरफ मंत्री जी ने संकेत किया है हम इससे गरीबी दूर नहीं कर सकेंगे । आम लोगों में क्षमता भी नहीं है कि वे गाड़ी खरीदकर सड़कों पर चलायें जिसमें जनता को राहत मिल सके ।

श्री रघुनाथ सिंह--

मंत्री जी किसी को मजबूर नहीं करेंगे कि वे गाड़ियां चलायें ।

श्री रामविलास पाण्डेय--

मैं इस चीज को समझ रहा हूं लेकिन मंत्री जी ने कहा था समाजवादी नारा देकर जनता की भावना को उभाड़ा है कि वे परमिट देंगे । मालूम हो रहा है कि वे बहुत आसानी से परमिट देंगे । और बगैर पैसा लिये ही गाड़ी दिलायेंगे जबकि ६८ हजार रुपये की गाड़ी मिलेगी । उस गाड़ी को गरीब आदमी लेकर क्या करेगा ।

श्री राममूर्ति अंचल (जिला शाहजहांपुर)--

मेरा निवेदन यह है कि क्या आप उस नीति को पसन्द करेंगे जो चल रही थी या बीच में कोई सुझाव भी देंगे ।

श्री रामविलास पाण्डेय--

मुश्किल तो यह है कि आप सबर नहीं करते मेरी बात सुनने की, कि मैं क्या पसन्द कर रहा हूं । सुनें, मैं समझता हूं कि परमिट देने की उदार नीति इस सरकार की साधारण लोगों को राहत देने की बात की गई है इसके सिवा मान्यवर कि एक समाजवादी भुलावे में और उस समाजवादी तरीके का नारा देकर लोगों को धोखे में रखा जाय इसके सिवाय कुछ नहीं है । वैसी ही है जैसी प्रिवीपर्स और बैंकों के राष्ट्रीकरण की रही । न तो कोई टैक्सी वाला टैक्सी का मालिक बन सका और न ही रिक्शे वाला रिक्शा का ही मालिक बन पाया है । बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बावजूद जिसके पास पैसा रहा है उसी को बैंकों ने पैसा दिया है गरीबों को नहीं । मान लीजिये आपने गरीब आदमी को एक परमिट दे दिया । क्या वह ६८ हजार रुपये की गाड़ी लेने की क्षमता रखता है । क्या वह गाड़ी खरीद सकेगा । नहीं केवल बी०आर० मोहन जैसे ही लोग गाड़ी खरीद सकते हैं । पैसे वाला ही गाड़ी खरीदेगा और गरीब आदमी को बीस और पच्चीस रुपये महीने के किराये देकर वह गाड़ी ले सकता है । तो यह समस्या इससे हल होने वाली नहीं है । मान लीजिये कि आपने परमिट दे दिया या ईशू कर दिया । जिस रूट पर तीन गाड़ियां चलाने की जरूरत है उस रूट पर दो ही परमिट आपने ईशु कर दीं और मान लीजिये कि सभी ने गाड़ियां खरीद लीं तो क्या यह मुमकिन नहीं है कि वहां पर अव्यवस्था पैदा हो जाय और लोग आपस में ही लड़ जायें और मारपीट तथा कत्ल हो जाय । जिस रूट पर दो चार गाड़ियों की जरूरत है वहां पर दो-दो सौ गाड़ियां कैसे चलेंगीं ।

श्री शिव कुमार पाण्डेय (जिला सुल्तानपुर)—

क्या आप चाहते हैं कि पहले की तरह चार हजार या छः हजार रुपये देने पर ही परमिट मिले।

श्री रामनिवास पाण्डेय—

दो दो सौ आदमियों में आप किस किस को रोकेंगे। आपने कहा कि हमने उदार नीति अपनाई है। निम्न प्रश्न में कि क्या मंत्री जी पालिटिकल सफरर जो, देश में काम आये अपंग जवानों को, देश में काम आये उन जवानों की विधवाओं को परमिट देंगे तो माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि उन्हें अलग से परमिट देने के प्रबन्ध की क्या जरूरत है, हमने तो एक विधान बना दिया है कि उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति परमिट पा सकता है, किसी को रोक नहीं है जब कोई रोक नहीं है और जहां सड़क पर तीन बस की जरूरत है और वहां पर लोगों को 250 गाड़ियों का परमिट दे दिया गया है तो क्या होगा उस सड़क पर, यह मंत्री जी बतायेंगे। और जब वह उत्तर देंगे तब इसका स्पष्टीकरण अवश्य करेंगे। मैं समझता हूं कि यह व्यवहारिक नहीं है, लेकिन प्रचार जरूर हो रहा है कि आपकी बड़ी उदार नीति है और सभी को परमिट मिलेगा, लेकिन होगा वही जो आपकी कमेटी जिसमें ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, या माननीय मंत्री जी या और कोई मेम्बर हों, करें। जितना आसान आपने कर दिया है इस परमिट को, मैं समझता हूं उतना आसान नहीं है। वह तो आने वाले दिनों से मान्यवर, पता चलेगा कि उनकी जो कमेटी बनी है जिन इरादों को लेकर, वह कहां तक उनका पालन कर सकेगी और कैसे लोग परमिट और गाड़ियां पा सकेंगे। यदि आपने यह प्रबन्ध कर दिया होता कि टैक्सी चलाने वाले परमिट पायेंगे और सरकार भी उनको कुछ सहायता करेगी तो समझ में बात आती कि बेरोजगारी को दूर करने के लिये आपका इशारा है। ड्राइवर जो बेकार हैं और परिवहन विभाग में जगह नहीं पा रहा है या जो लड़के 1963 से कन्डक्ट्री की ट्रेनिंग लिये हुये घर पर पड़े हुये हैं तो उन ड्राइवर और कन्डक्टरों के वास्ते कोई व्यवस्था करते, उनको बैंक से कर्जा दिलाते या इन गाड़ियों को किसी आसान तरीके से दिलाते तब मैं समझता कि इस सरकार की उदार नीति है और यह समाजवाद की तरफ जा रही है। इनके परमिट की उदार नीति, मैं नहीं समझ पाया क्योंकि मंत्री जी ने साफ बताया नहीं कि क्या तरीका होगा और कैसे वह परमिट देंगे, क्योंकि आप हर मांगने वालों को देने के लिये तैयार हैं किसी पर कोई बंदिश नहीं हैं, इसलिये शक हो रहा है कि इसमें कोई ईमानदारी है भी।

जहां तक बसों का सवाल है 4,125 बसें हैं, उनमें से कितनी चल रही हैं यह बराबर सदन में हर बजट के समय आता है कि 1,300, 1,400 या 1,500 बसें बेकार पड़ी रहती हैं और मामूली खराबी के कारण या तो वह ठीक नहीं हो पातीं या कराई नहीं जातीं, बावजूद बहुतेरे वर्कशाप एवं कानपुर के सेंट्रल वर्कशाप के रहते हुये भी। कानपुर वर्कशाप की चर्चा आज अखबारों में है, जिसके सम्बन्ध में प्रश्न इसी सदन में कल हुआ था और मंत्री जी ने बड़ी ईमानदारी दिलेरी के साथ उसको माना भी कि और बड़ी हिम्मत के साथ उन्होंने कहा कि वहां परभ्रष्टाचार है, वहां पर चोरी है, वहां पर गबन है, वहां पर बेईमानी है। मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं उनकी ऐसी सही बातों पर क्योंकि मंत्री जी ने इसको कबूल किया है कि वहां पर चोरी और भ्रष्टाचार है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किस पर है। मंत्री जी की भी है। एक नई बस अभी हाल ही में चोरी हो गयी (सेंट्रल वर्कशाप से)। सन 1968 में कर समिति ने शासन का ध्यान आकर्षित किया था कि सरकार के 24 लाख रु० के पुर्जे जो आज से 12 साल पहले ही बेकार हो चुके थे वे आज भी पड़े हैं उस वर्कशाप के गोडाउन्स में। उनकी बिक्री के के लिये कोई मार्केट भारत में नहीं था तो दूसरे मुल्कों में भी ले जाने का कोई प्रयास सरकार ने

नहीं किया। यह कोई मामूली बात नहीं है। कर समिति ने तो 24 लाख रुपया दिखलाया है और भी न जाने कितना होगा। बड़ी बड़ी पेटियां वर्कशाप से चोरी जाती है लेकिन इसको पुलिस के सुपुर्द नहीं किया जाता।

मान्यवर, ऐसे ही हर एक वर्कशाप का हाल है इस विभाग में। 30, 40, 60 हजार रुपयों का गबन देखा जाय तो हर वर्कशाप में होगा। यह क्यों और कैसे होता है? हमारी गाड़ियां खराब इसलिये होती है कि उसकी कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं करता है। कर्मचारी इस लिये नहीं करता है कि जो ड्राइवर और कन्डक्टर है उसको तो 136 रु० तनख्वाह मिलती है। सबेरे 6 बजे से शाम को 6 बजे तक वह गाड़ी में रहता है, गर्मी में इन्जिन के पास बैठा हुआ वह सड़क की तरफ आंखें लगाये रहता है। उसकी आंख भी खराब हो जाती है। गुजर बसर भर का पैसा उसको नहीं मिलता है तो वह जिम्मेदारी क्यों महसूस कर सकता है। ड्यूटी से जाता है, रहने के लिये कोई स्थान है नहीं, इधर उधर पड़ रहा। यह तो हाल है। यहां के मंत्रियों के जो ड्राइवर्स है उनके रहने का भी लखनऊ में कोई प्रबन्ध नहीं है। अक्सर तो वे लोग गाड़ी में ही सो जाते हैं या फिर किसी गली सड़ी गली में 25, 30 रु० मासिक का कोई मकान ले लिया वहां पर रहते हैं। अब ऐसी हालत में वे क्या जिम्मेदारी महसूस करें, प्राइवेट बसों में जो ड्राइवर काम करते हैं अगर उनकी गाड़ी कहीं रास्ते में खराब हो गई तो उन्होंने पास से 25 रु० निकाला और गाड़ी ठीक हो गई और वे फौरन ही चल दिये। सरकारी बस के कहीं रास्ते में खराब होने पर भी वह वहां पर पड़ी रहेगी। जब दूसरी बस आयेगी तो सवारियों को लाद कर ले जायेगी और वह गाड़ी खिंच कर वर्कशाप जायेगी। हफ्तों के बाद उसके ठीक होने का नम्बर आता है। मंत्री जी कहते है कि बहुत ज्यादा फायदा हुआ। आपका काम 1947 से चल रहा है। आज तक 37 करोड़ रुपयों का फायदा हुआ है लगभग 26 वर्षों में 4,125 गाड़ियां आपकी चल रही हैं। अगर कन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही आप इतनी गाड़ियों को दे देते तो मैं सच कहता हूं कि इससे दुगुना फायदा हमको मिल सकता है। लेकिन मंत्री जी ने इशारा किया है कि बिजनेस के लिये हम बसें नहीं चलाते हैं, जनता की राहत के लिये चलाते हैं, ट्रेन्स के मुकाबले चलाते हैं और उसी के अनुसार किराया रखते है ताकि जनता को आराम मिल सके। इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि गाड़ियां इतनी कम हैं और खराब हैं कि जनता को स्टेशन पर इंतजार करना पड़ता है, रास्ते में इंतजार करना पड़ता है और आपकी गाड़ियां नहीं पहुंचती हैं और जनता को राहत नहीं मिल पा रही है। दूसरी बात यह है कि मान्यवर यह जो मंत्री जी ने कहा है....

श्री अध्यक्ष---

मालूम होता है कि आप थक गये हैं।

श्री राम बिलास पाण्डेय---

थक नहीं गया हूं, मान्यवर। तो मैं यह कह रहा था कि उनकी और प्राइवेट गाड़ियों में यह अन्तर है और तब तक कर्मचारियों में नैतिकता नहीं आ सकेगी।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)---

स्टेशन आ गया है।

श्री राम बिलास पाण्डेय---

आप बैठे रहें, अभी हाल ही में उधर गये हैं।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक चरित्र का उत्थान नहीं होगा हमारे समाज में और कर्मचारियों में, तब तक यह परिवहन विभाग आगे नहीं चलेगा। आपका जो स्टेशन इन्चार्ज होता है वह बुकिंग क्लर्क के बराबर तनख्वाह पाता है। मेकनिक उससे भी ज्यादा

[श्री राम विलास पाण्डेय]

तनख्वाह पाता है। तो स्टेशन इन्चार्ज का कन्ट्रोल मेकेनिक पर कैसे हो सकेगा। सम्मान के लिये ही सही, आप एक रुपया ही उसका वेतन बढ़ा दीजिये ताकि स्टेशन इन्चार्ज को अधिक वेतन मिले, नहीं तो अनुशासन कैसे रह सकेगा। मुझे आशा है कि मंत्री जी इस बात को ध्यान में रक्खेंगे और जिनकी तनख्वाह कम है उनको अधिक तनख्वाह देंगे। एक चीज और कहना चाहता हूं। आज हड़ताल होने वाली थी लेकिन मुख्य मंत्री जी ने 10 बजे रात में रोडवेज के नेताओं को बुलाया। जो मान्यता प्राप्त यूनियनें थीं उनको बुलाया भी नहीं गया। उन में माननीय उग्रसेन सिंह और गया प्रसाद जो यहां के सदस्य रहे हैं, वह यूनियन के पदाधिकारी हैं, उनको जानकारी भी नहीं है कि क्या फैसला इन कर्मचारियों के लिये किया गया है। 12 बजे रात में प्रेस को वक्तव्य गया है। मैं चाहूंगा कि जब मंत्री जी बोलेंगे तो बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेश के 30,000 रोडवेज कर्मचारियों के भाग्य का 12 बजे रात में क्या फैसला लिया गया है। या वह समाजवादी नारा महज धोखा तो नहीं है? क्योंकि आज भी मुझे खबर मिली है कि बहुत सी जगहों पर हड़ताल है और लोगों में असंतोष है कि कुछ ही लोगों ने जाकर यह फैसला लिया है। वे जानना चाहते हैं कि आखिर मंत्री जी ने क्या फैसले लिये। मंत्री जी ने कहा कि ड्राइवर्स और कंडक्टर्स का नाइट हाल्ट 1 रुपये की जगह डेढ़ रुपया कर दिया है। लेकिन माइलेज एलाउन्स का क्या किया, यह नहीं बताया। उन्हें शायद साढ़े12 आने मिलते हैं। इस एलान के अलावा मैं समझता हूं कि और कोई ऐलान मंत्री जी ने नहीं किया कि उनको बोनस कब से देंगे। 1969 से कर्मचारी मांग करते आ रहे हैं। उसमें 20 हजार कर्मचारी ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि हमें मिले और 10 हजार कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी असुविधाओं को दूर करने के बाद माननीय मंत्री जी उसे दे दें। मेरा सुझाव है कि उन्हें बोनस दिया जाय।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि कर्मचारी धोखे में न आयें, हम उनको निगम बन जाने के बाद कोई तकलीफ नहीं देंगे। लेकिन उस निगम की कोई रूपरेखा न तो सदन के सामने आयी है और न जनता के सामने गयी है। उसका कुछ स्वरूप तो आना चाहिये। हम निगम चाहते हैं, इस मांग को हम लोग पहले से करते आये हैं।

श्री शिव कुमार पाण्डेय---

जो रोडवेज की हड़ताल करने वाले थे उनके लीडर ने बयान निकाला है कि कोई भी रोड वेज का कर्मचारी विरोधी नेताओं के बहकाने में न आये।

श्री राम बिलास पाण्डेय---

मैं जानता हूं कि सरकारी टेलीफोन से रात में हर जगह खबर दी गयी है। मुझको आप क्या बता रहे हैं। आज उन परिवहन विभाग के नेताओं की मुझसे बात हुई है और वे उपाध्यक्ष जी के कमरे में बैठे हुये हैं और मेरी बात को सुन रहे होंगे कि 12 बजे रात को सरकारी टेलीफोन से खबर दी गयी है कि तुम बैठे रहो, तुम्हारी मांगें हमने मंजूर करा ली है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन सी मांगें मंजूर हुई हैं और क्या उन 20 या 30 हजार कर्मचारियों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा है। एक बार 7 तारीख को हुआ और दूसरी बार 20 तारीख को हुआ है। कब तक आप गुमराह कर सकेंगे मैं नहीं जानता।

एक हिन्द फ्लाइंग क्लब है लखनऊ में। मान्यवर आप को पता होगा बहुत दिनों से इस सदन की अध्यक्षता कर रहे हैं। कुछ राजा लोग इस क्लब के मेम्बर थे और ये लोग हवाई जहाज से घूमा करते थे। एक घंटे की घुमाई में 76 रुपये खर्च होते हैं। 7 लाख रुपये का गबन इस क्लब में है। अगर मैं भूलता नहीं हूं तो माननीय चन्द्रभानु गुप्त जिस वक्त मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने इस की जांच कराई थी। यह रुपया वसूल होना चाहिये। और उस बैठी कमेटी द्वारा इन्क्वायरी हुई और साबित भी हो गया लेकिन आज तक परिवहन मंत्री जी यह 7 लाख रुपया इन राजाओं से वसूल नहीं कर पाये। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले मुख्य मंत्री, माननीय सी० बी० गुप्ता जी ने इस सम्बन्ध में काम को किया है

श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)--

किस सन् की बात कर रहे हैं।

श्री राम बिलास पाण्डेय--

सी० बी० से पहले की बात है। आपका इशारा मैं समझ गया हूं। मैं जिम्मेदारी से बाहर नहीं हूं। लेकिन आप तो करें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

राजा लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं।

श्री राम बिलास पाण्डेय--

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि कानपुर सेन्ट्रल वर्कशाप में सुधार एवं सुरक्षा का बढ़िया प्रबन्ध कर दिया जाय। खिलवाड़ न किया जाय जनजीवन के साथ। नंगी, भूखी जनता का पैसा इस तरह से न बरबाद किया जाय। 30-30 40 लाख रुपयों के पुर्जों को सड़ाया न जाय। उसके लिये मार्केट ढूंढ़ी जाय। नीलाम किया जाय। कल मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि एक नयी बस चोरी गयी, 79 हजार का गबन हुआ। जब 79 हजार का सामान चला जाता है, नयी बस चली जाती है तो मैं चाहता हूं कि इसमें पुलिस की वहां ड्यूटी लगा दी जाय और इस तरह का कोई प्रबन्ध किया जाय ताकि उसकी हिफाजत की जा सके। मान्यवर, अभी बत्ती न जलायें, थोड़ा सा समय और लूंगा।

श्री अध्यक्ष---

आधा घण्टा हो गया।

श्री राम बिलास पाण्डेय--

कम से कम एक घण्टा तो कट मोशन में दें, श्रीमन्।

मान्यवर, 12 आर० टी० ओ० हैं यहां प्रदेश में। इनका स्थानान्तरण गोरखपुर से बनारस, या बनारस से आगरा या आगरा से गोरखपुर इन्हीं बारह स्थानों में होता रहता है। इन्हीं 12 जिलों में वे घूम कर रह जाते हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आर० टी० ओ० की पोस्ट को पी०सी०एस० रैंक का कर दिया जाय ताकि इनका ट्रान्सफर दूसरे विभाग में किया जा सके। क्योंकि मुझे याद है कि एक आर० टी० ओ० महोदय जो मुजफ्फर साहब के जमाने में पर्ची बाजी किया करते थे, वे आज भी पर्चीबाजी करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहां पोलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। कभी मंत्री जी का तो कभी ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर का साथ देते हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आप यहां सुधार चाहते हैं और चाहते कि इस विभाग में ईमानदारी आ सके तो आर० टी० ओ० को पी० सी० एस० रैंक का बनाकर दूसरे विभागों में भेज दिया जाय दूसरे विभाग के लोग इसमें आते रहेंगे तो इससे भ्रष्टाचार दूर हो सकता है।

मान्यवर, मुझे कुछ दरख्वास्तें और पैम्फलेट मिले हैं। ये इस प्रदेश के बड़े-बड़े लोगों से संबंधित हैं। इतने शर्मनाक हैं वे कि मैं उस पर चर्चा करना अपनी तौहीन समझता हूं। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। इनमें न केवल ट्रान्सपोर्ट के अधिकारियों के नाम हैं, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर का नाम है, बल्कि मुख्य मंत्री जी की भी चर्चा है। यह इतनी नीची और कमीनी चर्चा है कि इसका जिक्र यहां नहीं करना चाहता। यह मुख्य मंत्री ही नहीं प्रधान मंत्री तक गया है। उसकी कापी हमको मिली है। उसको पेश कर दूं तो...

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

उसे जरूर पेश कर दें ।

श्री राम बिलास पाण्डेय---

यह तो जायसवाल जी को भी मिली है ।

मान्यवर, दूसरी चीज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहाड़ों पर जो गाड़ियां दी जायं वे चार वर्ष बाद मैदानी क्षेत्र में भेज दी जायं । पहाड़ी क्षेत्रों में टायर और ट्यूब बिल्कुल नये होने चाहिये । इस बात की निगरानी बड़ी सतर्कता से पहाड़ी इलाके में होनी चाहिये । चार वर्ष के बाद ये गाड़ियां पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी इलाकों में कर दी जायं तो इससे एक्सीडेंट जो बहुत होते हैं, वे इतने नहीं हो सकेंगे ।

दूसरा एक सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि आप ऋषिकेश से बद्रीनाथ तथा ऋषिकेश से केदारनाथ तक के लम्बे मार्ग को राष्ट्रीयकृत कर दें तथा लखनऊ, बनारस और इलाहाबाद से वहां तक के लिये डायरेक्ट बस परिवहन विभाग की चलाई जाय ताकि जो तीर्थ यात्रा करने वाले यात्री हैं उनको असुविधा न हो । आज जो लोग तीर्थ यात्रा के लिये जाते हैं उनको बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है । इसलिये मंत्री जी मेरे इस सुझाव को स्वीकार करने की कृपा करें । यदि इस लम्बे मार्ग पर आप अपनी बस चला देंगे तो इससे लोगों को बड़ी सुविधा होगी ।

दूसरे पहाड़ों पर जो ड्राइवर्स तथा कन्डक्टर्स काम करते हैं वे एक बड़े भारी खतरे को लेकर अपना कार्य करते हैं । पता नहीं कब खड्ड में गिर जायें और उनका जीवन समाप्त हो जाय । अतः उनको विशेष सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये । उनके लिये पेन्शन की भी व्यवस्था होना चाहिये । रिटायर होने के बाद उनकी चिकित्सा तथा दवा आदि की भी मुफ्त व्यवस्था होना चाहिये ।

मान्यवर, जब मनोहर लाल जी मिनिस्टर थे तब उन्होंने गबन के कई मामले पकड़े थे । करीब पचीसों लाख रुपये के गबन की चर्चा उस समय थी । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर इस ओर उन्होंने कोई कार्यवाही न की तो भविष्य में आने वाले मंत्री भी कुछ नहीं कर पायेंगे ।

हमारे साथी श्री राम प्रसाद जी एम०एल०ए० ने कई बार, जब धर्मसिंह जी परिवहन के मिनिस्टर थे, उसके बाद लक्ष्मीरमण जी जब थे तथा अब बलराम सिंह जी यादव के समय में भी स्कूटर के लिये प्रार्थना-पत्र दिया मगर उनको आज तक स्कूटर नहीं मिला जब कि कई विधायक ऐसे हैं जिनको 2-2, 4-4 बार स्कूटर मिल चुके हैं । आपने कार को टक्सी में और टैक्सी को कार में भी तब्दील किया है । मगर मैं उन सब की चर्चा नहीं करूंगा । इतना निवेदन करूंगा कि माननीय विधायकों के प्रार्थनापत्र पर आपको विचार करना चाहिये ।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि परिवहन विभाग को अधिक सक्षम बनाने के लिये तथा उसके अन्दर नैतिकता लाने के लिये यह आवश्यक है कि छोटे कर्मचारियों को ज्यादा वेतन और भत्ता मिले, बोनस मिले, अन्य सुविधायें दी जायें, तभी वे महसूस करेंगे कि गाड़ी उनकी है । आज 136 रुपये में गर्मी के दिनों में 3 रुपये तो नाश्ते पानी चाय में ही खर्च हो जाते हैं । लखनऊ से कानपुर अगर जाना है तो उसको रास्ते में चाय-पानी भी चाहिये । नैतिकता कहां तक उसमें आएगी । चोरी न कर सके उसके लिए आपने सख्त तरीके बनाए हैं । वह पैसा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, फिर भी कुछ तरीके हैं । कुछ सामान नीचे लदता है कुछ ऊपर लदता है, उसमें वे पैसा लेते हैं । वह अनैतिकता करते हैं । लेकिन नैतिकता लाने के लिए आवश्यक है कि उन छोटे लोगों की तन्ख्वाहों की तरफ आपका ध्यान जाए । 30 हजार

कर्मचारी मांग कर रहे हैं, मंत्री जी ने आज खतरे को टालने के लिए रात में अगर उड़ती हुई कोई बात कर ली है तो हम चाहेंगे कि आप उनसे ठीक बात करें। उनकी गरीबी और बेबसी का आप फायदा न उठाएं। इनका आज बजट आ रहा था, कौंसिल हाउस के सामने प्रदर्शन वगरह होता, इसलिए बखूबी आपने उसे टाल दिया है, लेकिन याद रखिए अगर कोरा आश्वासन ही रहा तो मजदूर आपको कभी माफ नहीं करेंगे, स्ट्राइक होगी और वे अपनी मांगें मनवा कर आपसे रहेंगे। इन शब्दों के साथ में अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, इस समय सदन में कोरम नहीं है।

(कुछ समय के बाद श्री अध्यक्ष द्वारा श्री रघुनाथ सिंह से बोलने के लिये कहने पर)

*श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। ट्रांसपोर्ट का बजट हमारे प्रदेश के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना केन्द्रीय सरकार के लिए शायद रेलवे का बजट होता है। इसमें हमारे जनजीवन के कितने ही हित निहित रहते हैं, यह भी हम सब लोग महसूस करते हैं। मान्यवर, यहां तो हमारे पाण्डेय जी ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और एक विरोधी सदस्य का होने के नाते उन्हें हमारे बजट की आलोचना करनी चाहिये थी, वह भी उन्होंने की। मैं उनका आभारी हूं। कि कई जगह उन्होंने स्वीकार किया कि ट्रांसपोर्ट विभाग में कुछ तरक्कियां भी हुई हैं।

सर्व प्रथम मैं अपने नई पीढ़ी के मंत्री—परिवहन मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रदेश के इस महत्वपूर्ण विभाग में सर्वांगीण तरक्की करने का प्रयास किया है। पूरे बजट को देखें तो कोई गुंजाइश नहीं मालूम पड़ती है कि इसमें अनावश्यक नुक्ताचीनी की जाये। लेकिन विरोधी सदस्यों का अपना कुछ फर्ज होता है, उसकी पूर्ति होनी चाहिये और माननीय पाण्डेय जी ने उसकी शुरुआत कर दी है। अब आगे जो सदस्य बोलेंगे, उनसे प्रार्थना है कि आलोचना समालोचना के रूप में होनी चाहिये, वे ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव दें हमारे नौजवान मंत्री को दें कि उन्हें सहायता मिल सके, उनके हाथ मजबूत हों सकें और जो सन् 47 से खामियां चल रही हैं, उसको दूर करने का श्रेय हमारे नौजवान साथी को मिल सके। मैंने अभी जिक्र किया है पूरे बजट को देखने पर यह मालूम पड़ता है कि कम से कम इस बात का प्रयास किया गया है कि हर दिशा म तरक्की की जाये। उनसे कुछ बातों का जिक्र मैं कर देना चाहता हूं। यहां मंत्री जी ने अपने भाषण में सारी बातें बताई और पाण्डेय जी ने कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए कुछ बातों की आलोचना भी की।

मैं मन्त्री जी के और पाण्डेय जी के बीच में नहीं आना चाहता। उनके सवालों का उत्तर वहीं देंगे। लेकिन जैसा मन्त्री जी ने बताया, पाण्डेय जी ने भी जिक्र किया, प्राइवेट बसेज को परमिट देने की कड़ाई में ढीलापन कर दिया गया है। अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो पाण्डेय जी ने कहा कि पाण्डेय जी और हम अलग-अलग नहीं थे, तो इसी सदन में...

श्री राम बिलास पांडेय—

मैंने कहा था कि यह साफ नहीं है कि परमिट का तरीका क्या होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रघुनाथ सिंह (कानपुर)—

इस सदन में जब भी बजट अधिवेशन में यह ट्रांसपोर्ट का बजट आया तो हमारे कई सदस्यों ने इस बात की मांग की थी कि अगर ट्रांसपोर्ट विभाग जनता की आसानी के लिए बसेज की व्यवस्था नहीं कर सकता, इतनी बसेज सड़कों पर नहीं डालता जो आजकल बढ़ती हुई मांग को पूरी कर सकें तो कम से कम प्राइवेट लोग ही इस जनता की मांग को पूरा कर सकें, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। मैंने इस बात को कहा था और तत्कालीन मिनिस्टर साहब ने इसके औचित्य को स्वीकार करते हुये केवल एक बात कही थी कि हम लोग समाजवाद की तरफ चल रहे हैं। मैंने निवेदन किया था कि हमारे देश ने जो समाजवाद स्वीकार किया है उसके बारे में आपका दिमाग साफ नहीं है। जिस समाजवाद को हमारे देश ने स्वीकार किया है, गांधी नेहरू का समाजवाद, उस में प्राइवेट इन्टरप्राइज की व्यवस्था है। माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब के इस कदम की जनता सराहना करेगी और इसमें समाजवाद इसीलिए निहित है कि इसमें समाज का हित है। जिनको शक व शुबहा हो वह जाकर देहातों में देख लें। जहां पर तीन-तीन, चार-चार घंटे लोगों को बसेज के लिए इन्तजार करना पड़ता था, उनको कितनी आसानी हो गयी है बसेज के प्राप्त करने में, अपने आवश्यक कामों पर जाने की। निश्चित रूप से वह इसकी सराहना करते हैं। माननीय पाण्डेय जी ने कहा कि अगर सब लोगों को परमिट दे देंगे तो कत्ल हो जायेंगे। आज बसेज को परमिट देने की यही व्यवस्था है, अगर सौ लोगों ने प्रार्थना पत्र दिये सब को परमिट दे दिया हो उसमें कोई कत्ल या बलवा हो गया हो ऐसी कोई सूचना मुझे नहीं मिली है। अगर रोडवेज कम्पिटीशन में आयेगा, और आपस में कम्पिटीशन होगा, कम से कम जनता को राहत मिलेगी। इसका मुझे पूरा विश्वास है।

दूसरे पाण्डेय जी ने जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं उनको सूचना दे दूं। आर०टी०ओज० और पी० सी० एस० का एक कडर कर दिया गया है। इससे बड़ी राहत मिलेगी। जिन आर०टी०ओज० के बारे में बहुत दिन से शिकायतें चली आती हैं, वह उस विभाग में घूमा करेंगे, देहरादून न रहेंगे तो मुजफ्फरनगर आ जायेंगे।

(व्यवधान)

विचार हो रहा है तो भी बधाई दूंगा, उस दिन और बधाई दूंगा जिस दिन तय हो जाय। यह चीज बड़ी आवश्यक है। मैं माननीय पाण्डेय जी से सहमत हूं कि अच्छे आफिसर्स यहां आयेंगे, यहां के गन्दे अफसरों को ट्रेजरी में भेज दिया जाय वहां अपना वक्त काटें।

श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

वहां के सेक्रेटरी साहब जो हैं उनके कारण भी बड़ा भ्रष्टाचार है।

श्री रघुनाथ सिंह (कानपुर)—

सब हम ही कह देंगे तो आप क्या कहेंगे? जो घोषणा हो चुकी है ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन बनाने की, उससे निश्चित रूप से इस विभाग की तरक्की होगी। ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन बनने पर भारी वित्तीय सहायता केन्द्रीय सरकार से मिल सकेगी और जो आज हम तरक्की इसलिए नहीं कर सकते कि वित्तीय साधन हमारे पास नहीं हैं उनके करने में हमें आसानी होगी। और फिर जहां पर विभाग का मन्त्री इतना जागरूक हो वहां कारपोरेशन बन जाने से ट्रांसपोर्ट विभाग में जो खामियां चल रही हैं अगले सत्र तक हम देखेंगे कि उनमें कमी आ गयी है। कुछ सुझाव मैं देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय अपने उत्तर में बतलाने का कष्ट करेंगे कि वे सुझाव कहां तक ग्राह्य तथा उचित हैं। एक बात तो यह कहूंगा कि विभाग पर मन्त्री का प्रभावकारी नियन्त्रण रहना बड़ा आवश्यक है। जहां तक भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं का सवाल है वह विभागों में इसीलिए होता है

कि हमारा प्रभावकारी नियन्त्रण विभागों पर नहीं होता। मन्त्री जी प्रदेश में अपनी ऐसी तस्वीर खड़ी करें जिससे यह ज्ञात हो कि उनका विभाग पर पूरी तरह से नियन्त्रण है। यह सुझाव देने से मेरा यह मतलब नहीं है कि उनका किसी प्रकार ढीलापन है बल्कि इस विभाग में ढीलापन काफी दिन से चला आ रहा है और उन्होंने उसे दूर करने की कोशिश की है।

मैं और अधिक व्याख्या न करके एक उदाहरण दूंगा जिससे मन्त्री जी उस ओर आकृष्ट होंगे और कुछ करने की कृपा करेंगे। जब से विधान सभा का सत्र चला तब से एक चर्चा चली और लिखा पढ़ी में चीजें देखने में आई कि इस विभाग के एक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे राम बहादुर सक्सेना, उनके सम्बन्ध में और मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उनके बारे में कोई जांच करवाई गई अथवा नहीं? बड़ सम्मानित लोगों ने उनके बारे में वे बातें कही हैं और अविश्वास करने का कोई सवाल नहीं उठता। आखिर उनको इतने दिन तक क्यों बर्दाश्त किया गया? सक्सेना साहब का सम्बन्ध वाराणसी के एक दीप बाबू से था। दीप बाबू की एक घृणित अपराध में सजा हो चुकी थी और जब सक्सेना साहब वाराणसी में कलेक्टर थे तब से यह सम्बन्ध थे और इन चीजों को नजरन्दाज करके जब वह यहां ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर बने तो उन्होंने दीप बाबू को बनारस के किसी टूरिस्ट आफिस का रिसेप्शनिस्ट बना दिया और उनकी ओवर एज को भी कनडोन कर दिया। इससे जाहिर होता है कि सक्सेना साहब का उनसे गहरा सम्बन्ध था और दीप बाबू कैसे आदमी थे यह कोर्ट के जजमेंट से साबित होता है। अगर माननीय मन्त्री जी यह ख्याल करते कि बर्डस आफ दि सेम फीदर फ्लोक टूगेदर मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि यह चीजें उनके नोटिस में आई या नहीं। अगर उनकी नोटिस में यह चीज आई है तो जो तबादला उस आदमी को किया गया है उसे मैं कोई सजा नहीं मानता हूं। ऐसे आदमी के खिलाफ तो कोई बड़ी हायर लेबुल इंक्वायरी होनी चाहिए थी और सजा मिलनी चाहिए थी। किसी आदमी का ट्रांसफर कर देना कोई पनिशमेंट नहीं है। जहां तक इफेक्टिव कन्ट्रोल का सवाल है, मैं समझता हूं कि जितन दिन य वहां रहे होंगे, काफी परम्परा वे इस विभाग में डाल गये होंगे जिसका खमियाजा माननीय मन्त्री जी को भुगतना पड़ेगा। उन्हें ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए और किसी प्रकार का उन्हें मौका नहीं देना चाहिए जिससे विभाग पीछे की ओर घसीटे।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में एक बात और यह कह दूं कि अक्सर यह शिकायत मिलती है कि गाड़ियां समय से नहीं चलती हैं। इस बारे में मेरा माननीय मन्त्री जी से निश्चित निवेदन है कि जिस तरह से रेलवे विभाग ने किया है कि अगर कोई गाड़ी लेट हो जाती है और वह भी कुछ मिनटों के लिए लेट होती है तो सम्बन्धित स्टेशन इंचार्ज को जुर्माना हो जाता है, उसी तरह से यदि मन्त्री जी घंटों के हिसाब से ही सही, बस के लेट होने पर सम्बन्धित स्टेशन इंचार्ज को जुर्माना कर दें तो मैं समझता हूं कि काफी हद तक यह समस्या दूर हो सकती है। आज रोडवेज के बारे में जनता में यह बात घर कर गई है कि वह तो दो घंटे लेट हो सकती है और रुक भी सकती है। इसलिए मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे मेरे इस सुझाव पर ध्यान देंगे। इसके अलावा भी मन्त्री जी कोई और तरीका सोच सकते हैं।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर मुझे थोड़ा समय और दे दें।

श्री अध्यक्ष—

आप दो मिनट और ले लें।

श्री रघुनाथ सिंह (कानपुर)—

मान्यवर, दो मिनट नहीं, 5 मिनट.....

श्री अध्यक्ष—

अच्छा ठीक है ।

श्री रघुनाथ सिंह (कानपुर)—

इसी तरीके से पिछले सत्र से कानपुर में जो कानपुर से लखनऊ आने का बस स्टेशन है, उसके बनाने के बारे में चर्चा चल रही है। मैंने उस सम्बन्ध में प्रश्न भी किये थे और माननीय मन्त्री जी ने मुझे आश्वासन भी दिया था और शायद पी० डब्लू० डी० द्वारा उसे बनाया जाना था, उस पर अभी कार्यवाही नहीं हुई है। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे उस फाइल को देखें। सौभाग्य की बात है कि मेरी इस बात की गवाही देने के लिए भूतपूर्व मन्त्री जी मौजूद हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीयमन्त्री जी अधूरे काम को पूरा करवा दें। वहां की जनता की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुये वह इस आवश्यक कार्य को पूरा कर दें। आप जानते हैं कि गर्मियों के दिनों में पैसेन्जर्स को कितनी परेशानी होती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि वे बतायें कि वह अब कितने समय में पूरा हो जायेगा ।

इस विभाग में फैले करेप्शन के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जिस तरह से इन्कम टैक्स विभाग ने किया है कि अगर कोई इन्कम टैक्स का मामला किसी आफीशियल या किसी नान-आफिशियल के प्रकाश में आता है, वह बताता है तो उसे काफी बड़ी रकम इनाम के रूप में दी जाती है। मैं चाहता हूं कि रोडवेज विभाग में भी इसी तरह यदि कोई व्यक्ति ऐसे मामले को प्रकाश में लाता है तो उसको प्रोत्साहन के रूप में इनाम देने की घोषणा होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि ऐसा करने से छोटे कर्मचारियों को अवश्य ही प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए मेरा विश्वास है कि इस विषय पर मन्त्री जी कुछ न कुछ विचार करेंगे।

इसके अलावा मेरा एक सुझाव यह भी है कि एक विजीलेंस शैल कायम होनी चाहिये। इसमें कोई दो राये नहीं हैं कि सन् 47 से इस विभाग में गड़बड़ियां चल रही हैं। मन्त्री जी को उनमें सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए और इस कार्य के लिए एक विजीलेंस शैल की स्थापना होनी चाहिए जो कि बगैर किसी सरकारी या कैबिनेट के डिसीजन के अपनी जांच उस सम्बन्ध में कराये ।

एक सुझाव यह भी है कि जो आपके विभिन्न जिलों में स्थानीय कर्मचारी हैं उनके लिए नियम होना चाहिये कि कम से कम उस जिले या शहर में न रहें अधिक समय तक और 2–3 साल रहते हैं तो कुछ न कुछ निहित स्वार्थ पैदा हो जाते हैं जिनकी वजह से निश्चित रूप से अपने कर्त्तव्य पालन में बाधा होती है और विभाग बदनाम होता है, जनता को कष्ट होता है। ऐसे आदेश प्रसारित करें कि कड़ाई से इस नियम को लागू किया जाय। मैं यह नहीं कहता कि लखनऊ का टेहरी-गढ़वाल भेज दिया जाय, लेकिन ऐसी जगह भेजा जाय कि अपने निहित स्वार्थवश कर्त्तव्य पालन से विमुख न हो सके।

एक हड़ताल का जिक्र किया पांयडय जी ने। समय नहीं है, अतः इन शब्दों के साथ जो बजट मन्त्री जी ने पेश किया है उसका समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री शिवपाल सिंह (जिला उन्नाव)—

माननीय अध्यक्ष जी, इससे पूर्व परिवहन विभाग की अनुदानों के सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उन्होंन कुछ सुझाव और शिकायतें रखीं। मैं भी अपने कुछ सुझाव और इस विभाग की कार्य क्षमता को बढ़ाने के सम्बन्ध में जो अभी

तक प्रयत्न किये गये हैं और उनमें कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई उस सम्बन्ध में देना चाहता हूं। परिवहन विभाग के पास 1947 से पूर्व केवल एक रजिस्ट्रेशन का कार्य था—नयी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करना और उनका रिन्युअल करना। इसके अलावा कोई कार्य नहीं था जो कोई विशेष जनता से सीधा सम्बन्ध रखता हो। रजिस्ट्रेशन और नये परमिट देने के लिए 1947 में जब इस विभाग ने एक योजना बनायी कि कुछ मार्गों को राजकीय करके प्रयोगात्मक ढंग से वहां पर सरकारी बसें चलाई जायं और उनसे जनता को देखा जाय कि हम कितनी सुविधायें दे सकते हैं जो प्राईवेट आपरेटर्स नहीं दे रहे हैं, इस सम्बन्ध में जो बसें थीं उस समय वह पेट्रोल की छोटी गाड़ियां थीं। इस वजह से उस वक्त जो मार्ग लिये गये थे वह बहुत छोटी दूरी के थे और उसके कारण इस विभाग से जनता कोई विशेष फायदा न उठा सकी और प्राईवेट आपरेटर्स उसी तरीके से अपना कार्य बढ़ाते गये। विभाग के बनने के उद्देश्य में दो चीजें आती थीं। प्रथम तो यह था कि जनता को सुख और सुविधाएं प्रदान की जायं, दूसरे कुछ व्यापारिक उद्देश्य भी था। सुख-सुविधायें मुफ्त में नहीं दी जा रही थीं। यह भी विचार था कि जो खर्चा उसमें होगा वह वापस मिले, और विशेष व्यापारिक उद्देश्य नहीं था कि कोई विशेष कमाई हो। लेकिन जब डीजल की गाड़ियों ने पेट्रोल की गाड़ियों का स्थान ग्रहण किया और राष्ट्रीयकृत मार्गों की दूरियां बढ़ायी गयी और उन पर डीजल की गाड़ियां चलनी आरम्भ हुई उस समय के अधिकारियों और शासन को सोचना चाहिए था कि हमने इस विभाग की स्थापना से पूर्व जो इसका उद्देश्य रखा था वह जनता की सेवा का था और अधिक से अधिक सुख-सुविधाएं प्रदान करने का था, लेकिन जो उस समय के अधिकारी थे उन्होंने इस विभाग के उद्देश्य को जनता की सुख और सेवा को, तो पीछे छोड़ दिया और धीरेधीरे इस इस विभाग को अपना निजी विभाग समझने लगे। नतीजा यह हुआ कि निजी विभाग इस तरीके से समझा कि जैसे प्राईवेट आपरेटर निजी विभाग समझने लगे।

रात दिन उन्नति की बात करते हैं, पैसा कमाने की बात करते हैं, इन अधिकारियों ने यह सोचा कि जो अच्छा सामान, अच्छे पुर्जे तथा अच्छी चीजें जो बाहर से मंगाते थे बसेज के रख रखाव के लिए, उनको बाजार में बेचना शुरू कर दिया। यह हालत हुई कि जो बसें नई आती थीं, थोड़ी दिन बाद उनकी यह हालत देखने में आती थी कि कहीं उनमें धक्का लग रहा है, कहीं बैटरी नहीं है कहीं टायर नहीं है। कानपुर में बड़ी-बड़ी दुकानों पर आपकी मर्सडीज बसेज के पार्ट्स बिकते हैं जो आपके वर्कशाप से ही किसी न किसी तरह से निकाले जाते हैं। वे कम कीमत पर बाजार में बिकते हैं। उनसे पूछने पर उनकी बात से यह आभास होता है कि वे पार्ट्स रोडवेज से चोरी किये हुये हैं। उन पर कोई निगाह नहीं रखी गई। उनसे पूर्व अच्छे और अनुभवी मन्त्री रहे। लेकिन वे केवल अपने भाषण में सदस्यों के ऊपर अपनी छाप डालने तक ही सीमित रहे।

जब से माननीय मन्त्री जी ने अपने पद का कार्यभार सम्भाला है, नये आदमी होने के कारण क्योंकि अपने डिप्टी मिनिस्टर के काल में उनको सत्र देखने को नहीं मिला क्योंकि सरकार खत्म हो गई, लेकिन उस समय से इन्होंने भाग दौड़ करके प्रयत्न किया है कि इस का विस्तार और इसकी प्रगति हो। आपकी पुस्तिका में लिखा है कि बसेज समय से चलीं और करटेलमेंट कम करके आय बढ़ाई है। मन्त्री जी उन्नाव डिपो के दो महीने का रजिस्टर देखने की कृपा करें तो एक-एक महीने में 70—70 करटेलमेंट्स हुये हैं। अगर ये न होते तो सरकार की कितनी आय बढ़ती तथा जनता को सुविधा प्राप्त होती। इसके लिए फोरमैन और स्टेशन इंचार्ज दो आदमी जिम्मेदार होते हैं। उन पर इसके लिए जुरमाना होना चाहिये। माननीय रघुनाथ सिंह जी ने केवल स्टेशन इंचार्ज को जिम्मेदार बनाया है लेकिन र. इसमें फोरमन को और जोड़ना चाहता हूं जो समय से बस नहीं देता है।

[श्री शिवपाल सिंह]

जब आपका सामान बाजार में बिकता है तो आपकी पुरानी बसें, नई बसों को छोड़ दीजिये जो आपने अपने मन्त्रि काल में मंगाई हैं, बल्कि उनको देखिये जो पहले से चली आ रही ह। उनके लिये जो सामान जाता है वह डिपो में नहीं पहुंच पाता है। इसलिए उनकी हालत खस्ता रहती है। किसी में टायर पन्चार हो जाता है, किसी में यह सामान नहीं है किसी में वह सामान नहीं है। कहा गया कि 200 बस स्टेशन्स का निर्माण हो गया है। लेकिन इनका निर्माण कागज पर हो गया है। लेकिन जो इनमें सामान लगाया गया है, उसके बारे में यह है कि बनने के 6 महीने बाद ही दुबारा काम शुरू करने की नौबत आ जाती है। उसकी साक्षात मिसाल आपका निर्माण विभाग है वह इतना निकम्मा है कि उसमें परिवर्तन करने की सख्त जरूरत है। मैं चाहूंगा कि इस विभाग को जल्दी से ठीक किया जाय। सीमेन्ट, बालू और ईटा क्या टेंडर में दिये हुए की भांति लगाया गया है या नहीं, इसे आपको देखना चाहिये।

इलाहाबाद, रायबरेली और लखनऊ के बस स्टेशनों पर हो सकता है सुसज्जित स्टेशन भवन बने हुए हों लेकिन छोटे स्थानों पर भवन ही नहीं हैं, उसके साथ ही साथ जो वाटरमैन वहां पर रखे गये हैं वे स्टेशन आफिसरों के घर का काम, बरतनों का साफ करना और कपड़े धोने का काम करते हैं, पब्लिक की सुविधाओं से उनको कोई मतलब ही नहीं है।

धर्मसिंह जी जब ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर थे उस समय से अब तक एक विशेष चीज यह हो रही है कि अगर कोई आदेश यहां से जाता है तो उस पर बिलकुल ध्यान ही नहीं दिया जाता, पता नहीं कौन सी रद्दी की टोकरी में वह चला जाता है। उदाहरणस्वरूप लखनऊ से कानपुर या वापस जो बसें आती हैं उनको उन्नाव पर रुकने के लिए आदेश दिये गये लेकिन आज तक एक मेल बस को छोड़कर कोई भी मेल या एक्सप्रेस बस नहीं रुकती है। मौके पर चल कर आप देख लीजिये। बार-बार आदेश भेजे गये कि उन्नाव पर बसों को रोका जाय। लेकिन सिवाय एक टांडा मेल के जो फैजाबाद से आती है, कोई और गाड़ी लखनऊ आने के लिए नहीं मिलती। या पैसेंजर गाड़ी 3-3 घंटे में मिलती हैं जो ढाई घंटे में लखनऊ पहुंचाती हैं। म चाहूंगा कि मन्त्री जी उन्नाव के नागरिकों की इस कठिनाई की ओर ध्यान दें।

यह ठीक है कि लखनऊ, रायबरेली कानपुर और उन्नाव के आसपास 10-11 मील तक सिटी बस सेवायें उपलब्ध है। लेकिन उन्नाव जिले के कम से कम 50 हजार आदमी ऐसे है जो रोजाना कानपुर काम करने के लिए जाते रहते हैं। मेरा सुझाव है जिस प्रकार से ट्रेन में उनके लिये मंथली पास की व्यवस्था है इसी प्रकार से बसों में भी कर दी जाय। आशा करता हूं मन्त्री जी इस पर शीघ्र ही विचार करेंगे। होता यह है कि कमी गाड़ी जाने वाली है और बसों में जगह भी है, कन्डक्टर टिकिट इश्यू नहीं कर रहा है, अगर मंथली पास बन जायेंगे तो उनको सुविधा हो जायगी। इसलिये मैं मंथली पास सिस्टम की वहां के लिए मांग करता हूं।

अब मैं कानपुर की वर्कशाप जिसको केसा वर्कशाप कहते हैं उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा, उसके बारे में मुझे कुछ विशेष बात नहीं कहनी है चूंकि आप उसके विषय में पहले ही बता चुके हैं और उसका काफी अच्छा प्रबन्ध चल रहा है और ऐसा प्रबन्ध यदि 1-2 साल तक चलाने की कोशिश की जायगी तब हम समझ सकेंगे कि प्रबन्ध में सुधार हुआ है। अगर वहां की आप सही हालत जानना चाहते हैं कि मेरा एक निवेदन है कि आप उस वर्कशाप का स्पेशल आडिट करा दें तो आज हम गबन का और चोरी का वहां के बारे में अन्दाजा लगाते हैं उससे 50 गुना ज्यादा निकलेगा। वहां पर आज तक इस तरह की कोई स्पेशल आडिट टीम नहीं भेजी गई जो निष्पक्ष रूप से वहां का स्पेशल आडिट करती। जहां तक मार्गों का अधिक से अधिक राष्ट्रीयकरण करने की बात

है वह अपनी जगह पर सही है लेकिन यह न भूलें कि आप बसें तो मार्गलेकरबढ़ा दें लेकिन पीछे चलने वाली जो बसें हैं उनकी हालत उसी तरह से होती जाय क्योंकि आप मजबूर हैं कि न पुराने रूट रह सके और न नये रूट रह सकें। इसलिये मेरा निवेदन है कि मन्त्री जी इधर ध्यान दें और अपने समय में उन्होंने जो नई सुविधायें जनता को प्रदान की हैं उनको कायम रखें क्योंकि हर आदमी चाहता है कि जो गाड़ियां कानपुर वर्कशाप से बाहर से सस्ती आपने बनवाई हैं उनका लाभ उठाया जाय। इसलिये उनकी मरम्मत आदि का विशेष प्रबन्ध बनाये रखा जाय।

आप ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन या निगम बना रहे हैं वह अच्छा है लेकिन हमारे प्रदेश में इन निगमों और कारपोरेशनों का कोई अच्छा तजुर्बा नहीं रह गया है। मैं आपका विशेष रूप से ध्यान दिलाऊंगा कि अगर आप निगम बनाये तो आपका उस पर पूरा कन्ट्रोल रहना आवश्यक है वर्ना वही हालत होगी जो मौजूदा विद्युत् परिषद् की या एग्रो इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन की है, जिसको भी अफसर रहकर वहां एक साल रहने का मौका मिला उसी ने अपनी मनमानी की। हर कारपोरेशन में पुराने आई० सी० एस०, आई० ए० एस० अफसर बिठा दिये जाते हैं और सरकारी रफ्तार उनके घर की रफ्तार हो जाती है। इसलिए मैं इस तरफ सतर्क रहने के लिये आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

यह जरूर है कि आपके समय में विभाग की आय की वृद्धि हुई है। लेकिन हम यह भी कह सकते हैं कि उसका कारण यह नई गाड़ियां हैं उनमें खराबी नहीं होती, वे समय से चलती और पहुंचती हैं, वे नई बनी रहें, उनको नई बनाये रखने का प्रबन्ध बराबर जारी रहना चाहिए। आपने जो परीक्षा से भर्ती का सिस्टम चलाया है वह बहुत अच्छा है इससे आपको ठीक तरह के लोग मिलेंगे और निश्चित रूप से परीक्षा पद्धति से सही भर्ती हो सकेगी। इसके अलावा आप के यहां जो विभाग भूमि की अध्याप्ति करता है उसके लिए आप अच्छा हो कि अलग से एक ब्रांच खोल दें वर्ना आप के अधिकारी 15–15 और 20–20 साल तक जमीनें और मौका ही देखा करते हैं। मेरा अनुभव है कि अधिकारी इस कार्य के लिये उन्नाव में दस बारह साल से जाते हैं उन का टी०ए० डी०ए० अगर देखा जाय तो जमीन की आधी कीमत तो खर्च हो चुकी होगी, तो इसलिए इस ब्रान्च को अलग करें जो केवल जमीन के अधिग्रहण की ही कार्यवाही कर और उसमें वे वहां के अधिकारियों से निजी लोगों से बराबर संपर्क बनाये रखें जिससे आपको जमीन जल्द मिल सके और भवन बन सकें। हमारे यहां पर तहसील पुरवा में जमीन ली हुयी पड़ी है, 1960 से। बारह साल हो गये हैं लेकिन वहां पर बस अड्डा बनाने का कार्य आरम्भ नहीं किया गया है।

अंत में मुझे यह कहना है कि इस विभाग में हरिजनों और पिछड़ी जातियों के लोगों का और उन परिवारों का जिनके सदस्य किसी भी सेवा में नहीं हैं, उनको इस विभाग में विशेष स्थान दिया जाय।

श्री शिव कुमार पांडेय—

श्रीमन्, सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं अपने नौजवान मंत्री जी को भी बधाई देता हूं। जादू वह है जो सिर पर चढ़ कर बोले और वीरता भी वह है जिसे शत्रु भी सराहें। हमारे विरोधी दलों के माननीय सदस्यों को यह आशा है कि उनके कार्यकलापों से उन्हें संतोष होगा और भविष्य में भी इस विभाग में सुधार की आशा है। तो ऐसे नौजवान मंत्री को धन्यवाद देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं।

मान्यवर, जब हमारी सरकार का गठन हुआ और उसमें हमारे माननीय बलराम सिंह जी मंत्री बने तो हमारे साथियों न प्रोपगन्डा किया लेकिन अब हम देखते हैं कि इन्होंने सारी चीजों को

[श्री शिव कुमार पांडेय]

जिस तेजी से विभाग में सुधार किया है वसा पहले कभी नहीं हुआ है। जिस अधिकारी को दंड देने के लिये माननीय चौधरी साहब ने प्रयास किया था उसे दंड नहीं दे पाये लेकिन माननीय बलराम सिंह जी ने उनको दंड दिया।

माननीय पांडेय जी थे, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, भाषण तो बड़े जोर से दिया लेकिन कहीं भी यह साबित नहीं कर सके कि जब स माननीय बलराम सिंह जी ने मंत्री पद संभाला है, तब से ये ये खराबियां आयी हैं। उन्होंने थोड़ी-सी उन खराबियों को बताया जो माननीय गुप्ता जी के जमाने की थी। 10–12 साल पुरानी थीं। यह बात सही है कि हम उन पापों को भी धोयेंगे लेकिन जो पहले की सरकारों के जमाने में हुयी हैं, यह कैसे हो सकता है कि एक दम से उन सब गड़बड़ियों को दूर किया जा सके। लेकिन मंत्री जी उन्हें भी दूर करने के लिये प्रयत्नशील हैं।

बराबर यह शिकायत की गयी है कि रोज किराये बढ़ रहे हैं। एक ओर तो कहते हैं कि कर्मचारियों को वेतन बढ़ाया जाय उनकी सुविधायें बढायीं जायं और दूसरी ओर कहते हैं कि बसों की गद्दियां, उनके इंजिन भी अच्छे रहे। एक ओर कहते हैं कि किराया न बढ़े और दूसरी ओर गाड़ियां भी ठीक दशा में रहें। घास तभी अच्छा रहेगा जब गाय नहीं खायेगी और गाय तभी मोटी होगी जब घास खायेगी। अगर हमें टैक्स में कमी करनी पड़ेगी तो लाजमी है कि सुविधाओं में भी कमी करने पड़ेगी। इसलिये अगर थोड़ा-सा किराया बढ़ता है तो कोई बुरी बात नहीं है।

परमिट प्रणाली में अगर कुछ परिवर्तन करने की बात की तो कहा गया कि इससे बड़ा अनर्थ हो गया। एक एक सड़क पर 84–84 गाड़ियां चलने लगेंगे। आज व्यवपारी हम से ज्यादा समझदार है। जिस सड़क पर वह अधिक बसें देखेगा तो वहां के लिये एप्लाई न करके दूसरी सड़कों के लिये एप्लाई करेगा। दूसरे यह कहा गया कि आपने परमिट तो दे दीं लेकिन गाड़ियां कहां से आवें। मालूम होता है माननीय सदस्यों ने तस्वीर को एक पहलू को तो देखा है लेकिन दूसरे पहलू को वे देख नहीं पाये हैं। उन्हें शायद मालूम हीं है कि अगर 1/4 रुपया कोई व्यक्ति इकट्ठा कर ले तो 3/4 रुपया बैंक दे देगा चाहे वह टेक्सी खरीदे, चाहे बस खरीदे और चाहे वह ट्रक खरीदे और इस व्यवस्था के हिसाब से सकड़ों आदमियों ने गाड़ियां ले लीं।

मान्यवर, मैं तो पिछड़े जिले का रहने वाला हूं जहां देहात के लड़कों ने बैलगाड़ी के अलावा इक्के नहीं देखा था। वह आज मान्यवर, टैक्सियां चल रही हैं जितनी टैक्सियां हजरतगंज में भी नहीं चल रही हैं। सुल्तानपुर में तो यह हालत है कि कहा जाता है कि ज्यादा टैक्सियां वहां न खड़ी की जायं। इस पर यदि यह कहा जाय कि सुल्तानपुर में पूंजीपति बढ़ गये हैं और वही टैक्सियां चला रहे हैं तो सही नहीं है। मैं तो कहता हूं कि जिनकी टैक्सियां चल रही हैं जिनको एक वक्त खाना नहीं मिलता था। ऐसे लोगों ने कुछ रुपया बैंकों से कुछ प्राइवट फाइनेन्शर्स से लिये और उसी रुपये से किश्तों में दे दे कर टैक्सियों का अपना कर लिया। इनका यह कहना कि टैक्सियां नहीं चल रही हैं और उनको टैक्सियां नहीं मिल रही हैं, यह इनका कहना माने नहीं रखता है। इस चीज से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि पहले जब परमिट देने के लिये समिति गठित की जाती थी तो पार्टी के आधार पर वह अलाटमन्ट किया जाता था। यह मुझे कहना नहीं चाहिये लेकिन वास्तविकता तो यही है। उस वक्त बस का मालिक दो-दो चार-चार हजार रुपये दिये बगैर बस का परमिट नहीं पाता था। कितने लोगों का कितना ही पैसा जन्मदिवस के ऊपर इकट्ठा हो गया लेकिन टैक्सियों का परमिट नहीं मिला। अगर सरकार ने इसमें ढिलाई कर दी और परमिट मिलने लगे तब भी हम बुरे हैं। चित भी इनकी और पट भी इनकी। हम अच्छा करें तो हम बुर और बुरा करें तो बुरे हैं ही। बुराई पर ये गाली तो देंगे ही।

एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि इतनी बसें खराब हो गईं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जब 4125 बसें चल रही हैं तो उसमें कुछ तो खराब रहेंगी ही। मान्यवर, आदमी अस्पतालों में तमाम बीमार पड़े हुये हैं। जब आदमी बीमार हो सकता है तो मशीनों में भी टूट-फूट रहेगी ही। उनकी मरम्मत होनी चाहिये। यह दूसरी बात है कि सही बसें बेकार न हों। कोई ऐसा मंत्री नहीं है कि मशीनें खराब नहीं हों, चाहे कोई भी परिवहन मंत्री आ जांय। मान्यवर, अभी कैटौती के प्रस्ताव रखने वाले ने बताया कि 12 वर्षों से चौबीस लाख रुपये का समान बेकार पड़ा हुआ है। बीच में जो सरकारें रहीं वे इसको नीलाम कर सकतीं थी। ये चाहते हैं कि हम एक ही साल के अन्दर सब काम कर दें, कर्मचारियों की तनख्वाहें भी बढ़ा दें और उस सामान को भी नीलाम करवा दें।

एक सवाल यहां आया कानपुर में भ्रष्टाचार का और हमारे मंत्री जी ने कहा हाउस में कि इसमें अधिकारी की गलती है। इस केस को पुलिस को देना था। उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से इसको पुलिस में दिलाऊंगा। मान्यवर, गलती नहीं बुरी है गलती को न मानना बुरा है। हम गलती मानते हैं। आपकी गलती को भी हम अपने सिर लेते हैं। आपकी पहली वाली सरकारों की गलतियों को हम अपने सिर पर लेते हैं उसको भी दूर करने का हम प्रयास करेंगे पर आप हमें समय तो दें। मैं ड्राइवरों की तनख्वाहों के बारे में महसूस करता हूं कि उनकी तनख्वाहें कम हैं। 130 रुपये आप उस ड्राइवर को तनख्वाह देते हैं जो रोजाना लखनऊ और कानपुर में टहल रहा है। जब हम सुल्तानपुर को जाते हैं तो स्टेशन पर ही तीन चार रुपये रोज कोका कोला और चाय आदि में खर्च हो जाते हैं। उस ड्राइवर को आप कवल डढ़ रुपये ही नाइट हाल्ट देते हैं। उसको चार बाग स्टेशन पर डेढ़ रुपया में भरभेट खाना भी नहीं मिलेगा। उनकी यह मांग जायज है। मैं चाहूंगा कि हमारे परिवहन मंत्री जरा सा इस पर ध्यान रखें। जो ड्राइवर और कन्डक्टर लखनऊ में या कानपुर में नाइटहाल्ट कर रहे हैं उनको उतना पैसा देना चाहिये कि वह रास्ते में नाश्ता तो कर सके और अपने भोजन और खाने की व्यवस्था तो कर सकें।

मान्यवर, इस पर भी एतराज किया गया कि 26 साल से बसें चल रही हैं, लेकिन मुनाफा बहुत कम हुआ है, जब कि प्राइवेट बसों में बहुत हुआ। मान्यवर, यह चीज बिलकुल साफ कि हम बसों को प्राफिट की भावना से नहीं चलाते हैं, बल्कि जनता की सुविधा के लिये चलाते हैं प्राइवेट बसों में जब तक रस्सी बांधने से काम चल जायेगा, तब तक स्क्रू नहीं लगाते हैं। लेकिन ऐसा करने का यहां सवाल नहीं उठता, तो मुनाफा तो कम होगा ही।

मान्यवर, निगम की स्थापना भी हो रही है। इसका एक कारण यह भी है कि अधिक से अधिक रुपया और तरीकों से इकट्ठा करके ज्यादा से ज्यादा बसें चला सकें। इन चीजों की तरफ हमारा ध्यान पहले ही से है।

मान्यवर, अब मैं कुछ स्थानीय चीजों की तरफ थोड़ा-सा जिक्र करना चाहूंगा और परिवहन मंत्रीजी से उम्मीद करता हूं कि इसपर वह ध्यान देंगे। हमारे जिले में मान्यवर दो सड़कें ऐसी हैं जो पक्की है और जहां एक भी रोडवेज की बस नहीं चलती है। पहली सड़क है सुल्तानपुर कूड़ेभार-समरी-दोस्तपुर-बिलवाई। यह 70 मील लम्बी सड़क है। दूसरी सड़क का नाम सुल्तानपुर-बरौसा-विरसिमपुर-दोस्तपुर-बिलवाई। यह भी मान्यवर 70 मील की सड़क है जो अभी दो-तीन साल हुई पक्की हुई है। मान्यवर यह सड़क आजमगढ़ और जौनपुर जिले को सीधे-सीधे जोड़ती हैं और अगर वहां रोजवेज की बसे चल जायं तो जो 25 मील घूमकर उन्हें जाना पड़ता है इससे उनको सुविधा हो जायेगी।

मान्यवर, एक मेरा ही गांव है बनी गांव। यह एक बड़ा गांव है और यहां एजूकेटेड लोग रहते हैं और वहां से बहुत सवारी निकलती है। उन ऐसे गांवों में एक रोडवेज की बस होनी चाहिये जो नाइट हाल्ट करे। मैं परिवहन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस चीज की तरफ गौर करें और नोट कर लें। अगर एसा हो जायेगा तो जनता को सुविधायें बहुत मिलेंगीं

[श्री शिवकुमार पांडेय]

मान्यवर, एक चीज की तरफ मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान विशेष कर दिलाना चाहूंगा और मैं आशान्वित हूं और उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी जिस ढंग से चल रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार खतम हो जायेगा, मैं अपना ही किस्सा सुनाऊं। मेरे लड़के का सगा साला कन्डक्टर की नौकरी चाहता था। गरीब था बेचारा। मैंने मंत्री जी से कहा, उन्होंने भी आर्डर कर दिये। लेकिन मैं उसको नौकरी न दिला पाया। वह एक रोडवेज के कर्मचारी से मिला और उसने उस कर्मचारी को 300 रु० दिये। सात दिन के अन्दर उसको आजमगढ़ में ज्वाइन करने का आर्डर मिल गया। वह लोग नाराज हो गये कि रिश्तेदारी की वजह से मैं उनसे 300 रु० न मांग सका। इस तरह से अगर 300 रु० देने पर नौकरी मिले यह रिवाज मान्यवर खतम होना चाहिये और एक निश्चित ढंग इसकी व्यवस्था करनी चाहिये ताकि एक मेरिट पर लड़के आये और ड्राइवर या कन्डक्टर बने और ऊपर के पदों पर जायं।

एक छोटी सी नौकरी के लिये भी अगर कोई प्रयास करे तो उसको जगह नहीं मिलती है। मेरिट पर कोई सेलेक्शन नहीं होता है। रोडवेज में रोज ही जगहें निकला करती हैं, भर्ती हुआ करती हैं परन्तु अगर आपके पास रुपया है और उसको आप खिला सकते हैं तो आपको फौरन ही नौकरी मिल जायेगी। आपके चुनाव के लिये नियमावली है अन्य कार्यों के लिये नियम है। आप इसके लिये भी नियम बना दें और मेरिट से बाहर नहीं जाना चाहिये, यह तो आवश्यक है। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

*श्री जंगबहादुर यादव (जिला जौनपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो माननीय राम विलास पान्डेय ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। मई, 1947 में जिस चीज को लेकर इस परिवहन विभाग का राष्ट्रीकरण किया गया था उसके सामने यह प्रमुख उद्देश्य था कि जनता को जो आवागमन में कठिनाइयां थीं अथवा प्रदेश में जो बेकारी की समस्या थी उसको इसके माध्यम से हल किया जायगा। जनता को सस्ता और आरामदायक आवागमन के साधन सुलभ हो सकें इसके लिये कार्यवाही की जायेगी। 25 वर्ष हो गये हैं, कई पंचवर्षीय योजनायें बीत चुकी हैं और काफी धन इस पर व्यय भी किया जा चुका है। इन सारी चीजों को देखते हुये जनता को जितनी सुविधा और प्रगति होनी चाहिये या उसको मिलनी चाहिये वह इन 25 वर्षों में जनता को नहीं मिल सका है। जो रोडवेज के सब स्टेशन्स हैं, यद्यपि मंत्री जी ने कहा है कि वहां पर ठंडे जल की व्यवस्था की गई है, शौचालय व्यवस्था है और वह साफ सुथरे हैं तथा प्रकाश का भी समुचित प्रबन्ध किया गया है। यह ठीक है कि इसको किया गया है लेकिन ऐसे अनेक स्थान हैं जहां पर इनकी कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं है। मिर्जापुर का जो बस स्टेशन है जहां पर इतनी गन्दगी है कि कहा नहीं जा सकता है। शौचालय इतने गन्दे रहते हैं जिसको बताया नहीं जा सकता है। जौनपुर का भी यही हाल है। ऐसे एक नहीं अनेक स्थान हैं। आप प्रकाश की व्यवस्था को देखें तो बल्बस गायब हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, इन्क्वायरी आफिस तो है लेकिन जनता को कोई सूचना नहीं मिलती है, कोई रहता ही नहीं है।

भ्रष्टाचार और गबन भी इस विभाग में बहुत अधिक है। अभी कानपुर में 1 लाख रुपये के सामान की चोरी हो गई उसका कहीं पता नहीं चला और न कोई व्यक्ति ही दंडित किया गया। जौनपुर में रोडवेज का सामान हमेशा ही गायब किया जाता है और बाजारों में वह बिकता है। अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं जिनकी बट्रीज, टायर, हान आदि निकाल लिये जाते हैं और उसको बाजार में बेच दिया जाता है और उसके स्थान पर खराब सामान लगा दिया जाता है। मेरा सुझाव है जिस प्रकार से रेलवे विभाग में होता है कि हर एक सामान पर उनकी सील लगी रहती है, नाम लिखा रहता है और उसका ट्रेस हर स्थान पर हो सकता है। उसी प्रकार से रोडवेज में भी वर्कशाप कानपुर में जो चीजें या कहीं पर भी इस विभाग की चीजें बनाई जायं उन पर रोडवेज उत्तर प्रदेश का नाम अंकित रहे। चाहे वह टायर हो, ट्यूब हो या कोई भी चीज हो। इस प्रकार से अगर किया जायगा तो सामान को निकाल कर कोई बाहर ले जाने में हिचकेगा और उसको खरीदनेवाला भी भय खायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी चीज यह है कि इस विभाग के अन्दर बहुत सी गाड़ियां कन्डक्टर बिना टिकट दिये हुये ले जाते हैं। मैं लखनऊ की घटना बतला रहा हूं। कुछ दिन हुये मैं विधान सभा के आगे से महानगर चारबाग वाली बस से स्टेशन गया था। मैंने कन्डक्टर को टिकट के लिये एक रुपये का नोट दिया। उसने पैसे तो लौटा दिये लेकिन टिकट नहीं दिया। रास्ते में मैंने देखा कि उसने और लोगों के साथ भी ऐसा ही किया। चारबाग पर जब मैंने टिकट मांगा तो उसने कहा कि वह तो दे दिया होगा। जब मैंने नाम पूछा तो उसने बीसों आदमियों के सामने क्षमा याचना की। तो कन्डक्टर ऐसा करते हैं और इससे सरकार की आमदनी पर असर पड़ता है। अगर इसको रोकने की व्यवस्था नहीं की गई तो रोडवेज को जो फायदा होना चाहिये वह नहीं हो सकेगा। यह चीज बस कन्डक्टर और ड्राइवर के बीच में ही नहीं हो रही है बल्कि ऊपर के अधिकारियों का भी बंधा हुआ है। इसको रोकने के लिये जितना भी प्रयास किया जा रहा है उतना ही यह बढ़ता जा रहा है।

मुझे एक कहानी याद है। एक सेठजी को शराब पीने की आदत थी। उन्होंने एक नौकर दध पिलाने के लिये रखा था। उसकी तनख्वाह थोड़ी थी। सेठजी के लिये सेर भर दूध की व्यवस्था की गई थी। उसमें से एक पाव दूध नौकर चुरा लेता था और तीन पाव पिला देता था। कुछ दिन बाद सेठजी को शक हुआ कि वह चोरी कर रहा है। उन्होंने उसके ऊपर एक आदमी रखा कि पूरा दूध मिल सके। जब दो आदमी हो गये तो दो दिन तक उसको पूरा दूध मिला और बाद में दूसरे नौकर ने कहा कि तुम भी खाव और हम भी खायें। परिणाम यह हुआ कि सेठजी को आधा सेर दूध मिलने लगा और आधा यह लोग पीने लगे। उसके बाद सेठजी को जब फिर शक हुआ तो उन्होंने उनके ऊपर एक इन्सपेक्टर रक्खा। उसकी तनख्वाह भी अच्छी थी। उसने कहा कि तुम लोग मूर्ख हो। तुम भी खाओ और हमको भी खिलाओ। नतीजा यह हुआ कि आधा सेर दूध इन्सपेक्टर को मिलना शुरू हुआ और आधा सेर बाकी दो आदमियों में बट गया और सेठजी की मूंछों में मलाई लगाई जाने लगी। सेठजी जब सुबह को उठते और सीसे में मलाई लगी देखते तो समझते कि पूरा दूध उनको पीने को मिल रहा है। ठीक वही हाल इस विभाग का भी है।

इस विभाग में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि इसको हर जगह देख लीजिये। 25 दिन पहले मैं आर०टी०ओ० आफिस, वाराणसी में अपनी कार का टैक्स जमा करने गया था। उसका समय 10 से 2 बजे तक है। मैं ठीक 10 बजे पहुंचा लेकिन आफिस में कोई क्लर्क भी नहीं आया था। आर० टी० ओ० उस समय किसी मीटिंग में गये थे। मैं बैठा रहा। 45 मिनट बाद क्लर्क पहुंचा। मने कहा कि टैक्स जमा कर लो। चपरासी ने कहा कि विधायक हैं लेकिन क्लार्क ने कहा कि लाइन से आइये। मैंने कहा कि 7, 8 लोग हैं, इनका जमा करने के बाद मेरा जमा कर लो। इस बीच मैंने देखा कि लोग अन्दर से जमा कर रहे हैं और दो रुपये अधिक दे रहे हैं। मैंने जाकर हेडक्लार्क से कहा। वह आये और मुझसे पैसा लेकर जमा कर दिया। मुझे बतलाया गया कि वह क्लार्क इस तरह को कोशिश करता है कि 2 बज जांय, जिससे टैक्स जमा करने वालों का काम न हो सके। वहां लोग दूसरे जिलों से भी पैसा जमा करन आते हैं और यदि पैसा जमा नहीं हुआ तो उनको दूसरे दिन तक रुकना पड़ता है। इस कारण 2 बजे के बाद जमा करने वालों का रेट 2 रुपये के बजाय 5 और 10 रुपये तक पहुंच जाता है। इस प्रकार का सारा भ्रष्टाचार है। माननीय मनोहरलाल जी जब पिछली बार मंत्री थे तो वह वाराणसी

[श्री जंगबहादुर यादव]]

गये थे और उन्होंने ऐसे अधिकारियों को पकड़ा भी था। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन्हें भी कभी कभी ऐसे पहुचना चाहिये। गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट बिला पैसा लिये दिया ही नहीं जाता। पैसा लेने के बाद खराब से खराब गाड़ी पास कर दी जाती है और जबतक पैसा नहीं मिलता अच्छी गाड़ियां भी पास नहीं की जाती है। इसके अलावा हैवी वेहिकिल्स के ड्राइविंग लाइसेन्स के लिये भी 50 से 100 रुपये तक लिये जाते हैं। चाहे कुछ भी जानकारी न हो लेकिन पैसा ले कर बड़ी आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाता है। जब ऐसे लोगों को लाइसेन्स मिल जाता है और उनको गाड़ियां चलाने का अवसर मिलता है तो यह भी ऐक्सीडेंट होने का एक कारण होता है। इन सारी चीजों को देखने की आवश्यकता है।

अब जैसा कि अध्यादेश जारी किया गया है कि जिन सड़कों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है उन पर हर व्यक्ति को जनहित में गाड़ी चलाने का परमिट दिया जायगा। अभी हमारे पांडेय जी ने एक आपत्ति उठायी थी कि इससे बड़ा अनर्थ होगा। मैं समझता हूं कि यह निर्णय बहुत ही उचित है क्योंकि अगर ज्यादा गाड़ियां चलेंगी तो आपस में कम्पिटीशन होगा जिससे यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही उनको सतर्क रहना चाहिये कि जिन आर० टी० ओ० या कमिश्नर को परमिट न देने का अधिकार दिया गया है उनपर कड़ी दृष्टि रखें नहीं तो हजारों रुपये में परमिट बिकने लगेगा।

इसके अलावा मैं कभी कभी आते जाते देखता हूं कि इस विभाग के कर्मचारी मंत्री जी के कमरे के सामने चक्कर लगाया करते हैं। मैं समझता हूं इनको कड़ाई के साथ व्यवहार करना चाहिये और किसी अधिकारी को इनके कमरे में आने की इजाजत नहीं होनी चाहिये और उनकी फाइलों को मंगा कर डिस्पोज आफ करना चाहिये। अभी सक्सेना साहब के बारे में बताया गया कि वह कितने दुश्चरित्र थे और उन्होंने मिर्जापुर में 10 लाख रुपया गलत तरीके से पैदा किया। उनसे तो इस विभाग को मुक्ति दिला दी गयी है लेकिन मैं समझता हूं कि एक ही व्यक्ति नहीं बल्कि कई ऐसे व्यक्ति हैं और इस विभाग के जो सेक्रेटरी है उनके खिलाफ भी बहुत से आरोप हैं। ऐसे लोगों को विभाग से दूर करने का प्रयास करना चाहिये क्योंकि ऐसे ही लोगों से सारा भ्रष्टाचार पनपता है।

एक चीज मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि इस युग में समाजवाद की बहुत बात कही जाती है। समाजवाद की क्या व्याख्या है यह तो मेरी समझ में नहीं आता लेकिन जैसे रियासत हुसैन साहब लाल टोपी पहने हुये हैं वह एक टोपी ऐसी है कि जिसके सिर पर रख दी जाती है उस पर फिट हो जाती है। लोहिया जी का समाजवाद क्या है, अशोक मेहता जी का समाजवाद क्या है, सम्पूर्णानन्द जी का समाजवाद क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाजवाद क्या है, यह तो ऐसी टोपी है कि जिसके सिर पर लगा दी जाय फिट बैठ जायगी।

एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं। आज आवागमन के साधन बढ़ रहे हैं।

मान्यवर, जहां तक आमदनी का प्रश्न है, जिस ढंग से आमदनी होनी चाहिये वह नहीं हो पा रही है। इसका मुख्य कारण यही मिलता है कि बसेज ठीक समय पर नहीं चलती हैं और उनके चलने में काफी बिलम्ब होता है। न ठीक समय से बसें छूटती हैं और न कोई आदमी समय से पहुंच पाता है। तो मान्यवर, इस गड़बड़ी को दूर करना चाहिये। साथ ही साथ आवश्यकता को देखते हुए सिटी बसेज का अधिक से अधिक चलाने का प्रयास करना चाहिये। इलाहाबाद के विषय में कहना चाहता हूं कि यह इतना बड़ा नगर है किन्तु आवश्यकता को देखते हुए वहां सिटी बसेज कम हैं। वहां पर सिटी बसेज की संख्या और बढ़ानी चाहिये। मान्यवर, हमारे जिले के अन्दर नगर बसों की सेवा को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। अगर जलालपुर से जौनपुर और कजगांव से चौकिया तक बसें चला दी जायं तो इससे बड़ा लाभ होगा और जनता को भी काफी आराम प्राप्त होगा।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मैं परिवहन मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

(इस समय 3 बजकर 1 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मैं माननीय मन्त्री जी को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि पिछले 12 वर्षों की तुलना में किसी भी वर्ष में इतना नफा नहीं हुआ जो कि 1971–72 में आपको हुआ । इस विषय में थोड़ा सा गौर करके देखें तो मालूम होगा कि 12 वर्ष में 22.68 करोड़ का नफा हुआ । यह बैठता है जाकर एक करोड़ 89 लाख रुपये सालाना । इस 9 महीने में यह बैठता है 2.56 करोड़ का लाभ और 28 लाख रुपये प्रति मास इससे आपको लाभ हुआ । हिसाब लगायें तो इससे 3.38 करोड़ के लाभ होने की सम्भावना है । इस तरह से प्रगति हो रही है । लेकिन मान्यवर, इतने ही से हम संतोष कर लें तो ठीक नहीं है । मान्यवर हम अगर देखें तो हमारे प्रदेश में 4125 बसें, 444 ट्रक्स और 91 टैक्सियां चल रही हैं । ट्रक और टैक्सियों को छोड़ कर केवल बसों का हिसाब लगायें और तुलनात्मक दृष्टि से प्राईवेट बसों से तुलना करें तो (एक प्राइवेट बस जबकि 60 कि० मी० चल भी नहीं पाती और उसका एवरेज एक दिन में 100 रुपये पड़ जाता है लेकिन चूंकि वह प्राईवेट है इसलिये उसका प्रभाव नहीं पड़ता) तो मैं कह रहा था कि यदि इसकी तुलना करें तो देखेंगे कि 4125 बसों से 2,06 250 रुपये डेली की इनकम हमें होनी चाहिये । अगर हम 6250 निकाल द और इसे 2 लाख मान कर चलें तो हमारी आमदनी 60 लाख रुपया प्रति मास और 70 करोड़ 20 लाख सालाना होनी चाहिये । यह हमारी कम से कम आमदनी होनी चाहिये । 20 लाख को अगर छोड़ दें तो 70 करोड़ की आमदनी सालाना होनी चाहिये हमारी 4125 बसों से । तो हम संतोष तभी होगा जब हम अपनी आमदनी इस प्रकार से कर पावेंगे । लेकिन इसमें आपको देखना यह है कि हमारी कितनी बसें आफ-रोड हैं । मान्यवर उन आफ-रोड बसों की खास वजह क्या है । यह चीज हम बाद में बतावेंगे । लेकिन आज आमदनी कम होती है और खर्च ज्यादा । हम जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करते हैं लेकिन फिर भी जनता से शिकायतें विभाग वालों को और मन्त्री जी को मिलती ही रहती है और रोजाना मिल रही हैं, यह एक दिन की बात नहीं ।

सबसे बड़ी शिकायत भ्रष्टाचार की है । दूसरी शिकायत बसों का टाइम पर न चलना और चलना भी तो तीन-तीन बसों का एक साथ चलना या तीन-तीन घंटे एक भी बस का न आना । एक शिकायत मैं यह करना चाहता हूं कि आपकी बसें दिन भर स्टार्ट रहती हैं । अगर किसी गलती से वे बन्द हो गयीं तो फिर स्टार्ट करने के लिये यात्रियों को धक्का लगाना पड़ता है । इस ओर भी विभाग ध्यान दे ।

स्टाफ का व्यवहार यात्रियों के साथ अच्छा नहीं रहता । आपका यह कामर्शियल विभाग है उनको तो बड़ी मृदुलता से पेश आना चाहिये ।

एक शिकायत यह है कि एक एक बस में 90 सवारियां तक भर कर ले जाते हैं जिससे यात्रियों को बड़ी परेशानी होती है । मेरे यहां कांठ-मुरादाबाद रूट की माननीय मन्त्री जी जांच करा लें । वहां यही स्थिति है । फिर बसें भी उस रूट पर बड़ी खराब हालत में हैं । एक एक दिन में 10-10 ट्रिप कैंसिल होते हैं । बसों की बहुत कमी है । फिर जरा सी खराबी के कारण बस वर्कशाप में पड़ी रहती है । उसको ठीक करने के लिये पुरजे नहीं मिलते । ए० जी० एम० को छोटे मोटे पुरजे खरीदने के लिये भी पावर नहीं है । अगर ए० जी० एम० को जो आपको इतनी आमदनी करके देता है 10–12 हजार रुपये तक के छोटे मोटे पुरजे लोकल

[श्री नौनिहाल सिंह–]
खरीदने की अथारिटी दे दें तो इससे बसों के रखरखाव में बड़ी सुविधा मिलेगी और जो दिक्कतें सामने आती हैं वे भी न आयेंगी। मैं इस सिलसिले में ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर से भी मिला था और उनसे विचार किया था पर उन्होंने भी कुछ टैक्नीकल कठिनाइयां बतलायीं। मैंने उनसे कहा कि आपकी बात थ्यूरेटिकली ठीक हो सकती है, प्रैक्टीकली नहीं। एक एक महीना सामान के लिये लिखे हुए हो जाता है मगर वहां से जवाब नहीं आता। इसलिये इसमें थोड़ी सी इफीशियन्सी लाने के लिये यह जरूरी है कि ए० जी० एम० को कुछ पावर्स सामान खरीदने के लिये दी जायं।

आपके विभाग में 7-7, 8–8 साल से जो ड्राइवर्स और कन्डक्टर्स काम पर रहे हैं उनको अभी तक परमानेन्ट नहीं किया गया है। इसके कारण उन्हें यह भय बना रहता है कि पता नहीं कब उनकी नौकरी समाप्त कर दी जाय। इसके कार ण वे ईमानदारी से काम भी नहीं कर पाते अगर उनकी जरा सी गलती हो जाती है तो उनकी नौकरी बिना उनको सुने हुए समाप्त कर दी जाती है। यह बड़ा गलत है। उनको भी सुनने का मौका देना चाहिये।

मन्त्री जी ने कारपोरेशन बनाने की घोषणा की है। इसमें मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर, जी० एम० तथा ए० जी० एम० की पोस्ट्स टैक्निकल होनी चाहिये। यह नहीं कि आपने किसी आई० सी० एस० और पी० सी० एस० को बुलाया और वहां बैठा दिया। इस विभाग का सम्बन्ध टेक्निकल बातों से रहता है। इन पदों पर बैठे हुए साधारण आई० सी० एस०, पी० एस० एस० आफिसर उन बातों को नहीं समझ सकते हैं। इसलिये आवश्यक है कि इन पदों पर टेक्निकल आदमी ही नियुक्त किये जायें। अगर ए० जी० एम० टेक्निकल आदमी होगा, तो फौरनमैन जो उनको उल्टीसीधी पढ़ा देते हैं, उसको वह नहीं समझा सकेंगे और टैक्निकल हैण्ड ए० जी० एम० आदमी वास्तविकता को समझ सकेगा। अगर यह सुझाव मुनासिब हो तो मन्त्री जी इसको कार्यान्वित करने की कृपा करें।

प्रदेश में इतनी रूटें सरकार ने अपने हाथ में ले रखी हैं। मेरा निवेदन है कि पहले इन्हीं रूटों पर ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि सवारियों को कोई परेशानी न हो यात्रा करने में, तब तक आगे दूसरे रूट न लिये जायें। और रूट लेने से कोई फायदा नहीं जब तक आप जनता को फायदा नहीं पहुंचा पायेंगे। इस समय मार्च, 71 के आंकड़े के अनुसार 14582 प्राइवेट ट्रक्स हैं। यदि कम से कम पांच रुपया भी प्रति ट्रक सवारी ढोने का हिसाब लगाया जाय तो 72 हजार रुपये प्रति दिन की रोडवेज विभाग को हानि होती है। इस तरह करीब ढाई करोड़ रुपया सालाना हमारी ट्रक वालों की जेब में चला जाता है। यदि हम पूरी तरह सर्विस दें और समय पर सन्तोषजनक रूप से जनता को सर्विस दें तो इसकी आमदनी निश्चित रूप से बढ़ सकती है। जब हम पहले लिये गये रूटों पर पूरा कन्ट्रोल कर लें, तभी हमें आगे रूट्स लेनी चाहिये।

मैं ट्रैक्टर ट्राली के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, जिस पर मैं पहले भी बोला था। ट्रक्टर ट्राली पर पंजाब और हरियाणा में टैक्स बिलकुल नहीं पड़ता है। एक दफा 15 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस जाती है और रोड टक्स वगैरह कुछ नहीं पड़ता है। लेकिन यहां बार बार निवेदन करने के बावजूद ट्रक ट्रालियों को टैक्स से माफ नहीं किया जाता है। एक शर्त यह भी रखी गई है कि ट्राली पर चेसीज नम्बर जरूर होना चाहिये। इस बारे में हर आदमी की सामर्थ्य नहीं है कि वह चेसीज खरीद सके। इसलिये यह जो हिदायत लगाई जाती है, वह नहीं होनी चाहिये। क्योंकि ज्यादातर लोग इधर उधर से पुरानी चेसीज लेकर उस पर नई बाडी बना लेते हैं। इसके बारे में मन्त्री जी आश्वासन दें। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि वैसे तो यह प्रवृत्ति हो गई है कि किसी अफसर के खिलाफ कोई कुछ भी निकाल दे, तो कोई उसे रोकने वाला नहीं है। फिर भी अगर कोई लेटर मन्त्री जी को मिलता है तो उनका कर्तव्य है कि चाहे वह पत्र झूठा हो या सच्चा, उसकी जांच अवश्य कराई जाय। यदि यह नहीं करते हैं तो यह

जिम्मेदारी आपकी है कि ये लेटर क्यों आ रहे हैं। जैसे सक्सेना जी के बारे में अजीब-अजीब बातें निकली हैं, इस बारे में दो किताबें इतनी मोटी मोटी निकली हैं और इस सम्बन्ध में गौरी शंकर राय और अनन्तराम जायसवाल जी का लिखा हुआ लेटर उनको मिला है। एक साहब कोई एम० एल० सी० हैं उन्होंने लिखा है। इतने माननीय सदस्यों ने लिखा है। माननीय मन्त्री ने आज तक जांच नहीं करायी है। विभाग की बड़ी बदनामी है। मैं यह भी आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप जांच करायें और अगर शिकायत झूठी हो तो झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये, अगर शिकायत सच है तो आफिसर के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये। यह क्या हुआ मैं किसी के खिलाफ कुछ कह दूं उसकी जांच न हो। अगर कोई गलत बात कहता है तो उसको दंडित किया जाय। अगर माननीय मन्त्री को ये किताबें न मिली हों तो मैं दे सकता हूं। वह देख लें। देखें कि क्या हकीकत है। किसी के खिलाफ निकाल देना कोई मामूली चीज तो होती नहीं।

एक चीज और कहना चाहूंगा। आपकी ट्रैफिक पुलिस रास्ते में जो चेकिंग करती है उसमें बड़ा भ्रष्टाचार होता है। एक एक सिपाही का कम से कम महीने में दो दो, तीन तीन हजार, प्राइवट बस और ट्रक वालों से बंधा होता है। आर०टी०ओज० मौजूद हैं। उनके बजाय पुलिस को यह अधिकार दिया जा रहा है।

मैं अब स्वयं अपनी भुक्तभोगी एक बात कह रहा हूं। मेरे छोटे भाई ने राजस्थान से एक गाड़ी खरीदी थी उसकी रजिस्ट्रेशन बुक में लिखा हुआ था—चेसिस नम्बर नाट नोन। जब मुझे उसे ट्रांस्फर कराने की नौबत आयी तो मैं खुद आर० टी० ओ० के पास गया। उन्होंने कहा कि पैंसिल से चेसिस नम्बर ट्रेस कर लाइये। मैंने देखा, जब नम्बर नहीं मिला, तो रजिस्ट्रेशन बुक देखी उसमें नाट नोन लिखा हुआ था। मैंने कहा कि नाट नोन लिखा हुआ है। उन्होंने कहा तो फिर यह कानून नहीं है, इनके नाम ट्रांस्फर नहीं हो सकती। कानून के खिलाफ मैं भी जाने वाला नहीं था। मैं कागजात को लेकर अपने घर वापस आ गया। मैंने छोटे भाई से कहा कि राजस्थान जाकर तुम यह ठीक कराकर लाओ। ठीक डेढ़ महीने के बाद मेरा छोटा भाई सिर्फ 25 रुपये खर्च करके अपने नाम पर करवा लाया। शाम को मुझ से कहता है कि आपकी नेतागीरी किस काम की है। आर० टी० ओ० के आफिस में जा कर देखिये कोई टाइम नहीं होता है जब चांदी न बरसती हो। मैं कहता हूं कि पटवारी और दरोगा बनने की जरूरत नहीं है, आर०टी०ओ० का चपरासी बना दें। शाम को दोनों जेबें भर कर जाता है।

अब मैं अपने क्षेत्र की एक मांग फिर रखना चाहूंगा। एक तो मांग है कांठ की बसों के बारे में। कम से कम 6–7 बसें और भिजवाइये। दूसरे बिजनौर से मुरादाबाद बस जाती है उसका स्टापेज रवाना में जरूर बनाया जाय। वही बस मनहटौर को जाती है। वह बस रवाना में रुकने की व्यवस्था करें। इससे रवाना के अंसारी साहबान को बड़ी सुविधा होगी। इन शब्दों के साथ मन्त्री जी ने जो परिवहन का बजट प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री अमरनाथ दूबे (जिल वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री भाभी यादव (जिला आजमगढ़)—

मेरे दल का नम्बर है।

श्री उपाध्यक्ष—

बाद में आपको देंगे।

श्री अमरनाथ दूबे—

परिवहन विभाग का बजट पारसाल भी आया था, इस साल भी आया है और हर साल आता रहेगा लेकिन बजट में ट्रेफिक पर कंट्रोल न करके इम्मारेल ट्रेफिक पर अधिक ध्यान दिया गया है और मुझे पता नहीं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर इसमें कामयाब होंगे या नहीं ?

"यौवन धन सम्पत्ति प्रभुत्तम अविवेकता,

मन्त्री जी की अभी उम्र कम है। भगवान उनको कामयाब बनाये लेकिन ऐसा मालूम होता था एक ट्यूशन रात में हुआ है कैसे इम्मारेल ट्रेफिक रोका जाय। सड़क के ट्रेफिक से हट कर इम्मारेल ट्रेफिक पर माननीय सदस्य चले गये। पेम्फलेट मुझे भी मिले हैं। जिस आदमी का पेम्फलेट है उस आदमी को मैं जानता हूं। यह इसका आदी है। इसके 8 वर्ष पहले का भी पेम्फलेट मेरे पास मौजूद है और एक सीवीडिंग उसमें है। सी० बी० आई० द्वारा जांच हो, दोनों पेम्फलेट्स मेरे पास रखे हैं और उस आदमी को गिरफ्तार किया जाय जो ऐसी गंदगी पैदा कर रहा है। ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जो होता है उसका सबार्डिनेट ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर होता है। अगर सजा का बिल होगा तो सजा दी जायगी लेकिन मालूम ऐसा होता है कि रात में एक रिकार्ड भरा गया है। आज से तीन रोज पहले भाई रामलाल जी बोल रहे थे। उन्होंने यकायक सवाल उठाया कि कारपोरेशन बनने वाला है तो उसके चैयरमैन रामबहादुर सक्सेना तो नहीं होंगे ? रेशे-रेशे में यह चीज भर दी गयी है। किसी की रेपुटेशन गिराना कहां तक अच्छा है ? किसी पर कीचड़ क्यों उछाली जा रही है ? असल विषय पर हमको आना चाहिये। मुझे दुख होता है कि इतने पढ़े लिखे नेतागण के मौजूद रहते ऐसी छोटी बातें यहां कही जाती हैं। "खुद फरामोशी कुनद तोहमत दई उस्तादरां।" दूसरे दोष दर्शन न करके हमको आत्मदर्शन करना चाहिये।

अब मैं बजट पर आता हूं। रोडवेज की स्थापना के दो ही उद्देश्य हैं। एक जनहित और दूसरे सरकार की आय का वृद्धि करना। मुझे थोड़ी बातें कहनी है। दरअसल जितने भी हमने सुझाव गत वर्ष दिये थे उनमें से एक पर भी अमल नहीं किया गया, न उन पर गौर किया गया। "गो बात न मानो मेरी सुन तो लो कहानी"। मेरी मुझे कहना है चाहे उस पर अमल हो या न हो। इसकी दो शाखें बनाई गईं। इसलिये आर० टी० ओ० आफिस बना दिया गया। कहा गया कि आर० टी० ओ० में चपरासी की इतनी जेब भरी रहती है कि माननीय सदस्य वहां का चपरासी बन जाना पसन्द करेंगे। भगवान न करे ऐसी भावना उनकी बनी रहे। आर० टी० ओ० के चपरासी होने की कृपा भगवान उन पर न करे। यह रिश्वतखोरी कहां नहीं है ? इसे दूर करने का प्रयत्न किया जाय। पब्लिक में धारणा है कि सरकार बड़ी लिबरली परमिट देने के लिये तैयार है। उस पर आपको गौर करना होगा। आप रेवेन्यू विभाग देख लीजिये उनके यहां सब्सिडी दी जाती है। 500 रुपये सब्सिडी दी गयी। 500 रुपये 10 इंस्टालमेंट में ले लिये गये इंटरेस्ट के बतौर और सब्सिडी वसूल हुई बाद में। जितनी सब्सिडी आपने दी उससे ज्यादा ब्याज में वसूल कर लेते हैं।

उससे सब्सिडी का इन्टेरेस्ट आप वसूल कर लेते हैं तो क्या फायदा उसको इससे होता है ? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उसके बारे में आपने कहा है कि हमने मिनिमम गारन्टी खत्म कर दी। वैसे एक हजार रुपया देना पड़ता था, अब सोलह सौ देना पड़ रहा है किन्तु वास्तव में बात यह है कि जो काय जनता के अहित के लिये है उसे यह असेम्बली उसके हित में पास करती चली जा रही है। लिबरल परमिट देने का क्या तरीका है ? हर परमिट देने के लिये मोटर वैहिकिल

ऐक्ट में स्ट्रेंथ आफ दि रूट कायम हो जानी चाहिए और तब एक हजार हो, दस हजार हो या कितना ही हो। आप इत्मिनान करें कि आज रोडवेज की बसें उतनी नहीं चल रही हैं जितनी कि प्राइवेट बसें चल रही हैं। पारसाल भी मेरा कहना यही था कि जितनी बसें एक रूट में एक प्राइवेट आपरेटर चलाता है उतनी ही बसें रोडवेज की भी चलानी चाहिए और तब मुनाफा देखना चाहिए। आज रोडवेज की रूट पर टैक्सियां क्यों चलती हैं? क्यों कि आपके पास गाड़ियां नहीं हैं। प्राइवेट आपरेटर के रूट पर टैक्सियां क्यों नहीं चलतीं? क्यों कि उसको उसकी जरूरत नहीं है, उसके पास काफी गाड़ियां हैं आपके विभाग के पास गाड़ियां ही नहीं हैं। प्राइवेट आपरेटर पब्लिक को सहूलियतें देता है, लोगों का सामान उतारता है, चढ़ाता है इसलिये लोग प्राइवेट बसों को पसन्द करते हैं। आपके यहां क्या है कि स्टार्टिंग स्टेशन पर बस को ओवर-लोड कर लेंगे और डाइरेक्ट ले जायेंगे बीच के सवारियों को पिक-अप नहीं करेंगे, तो ये खामियां हैं।

एक दूसरा जनहित का उदाहरण म आपको दे दूं। बड़ी-बड़ी लम्बी बातें हैं। आपके नोटिफाइड रूट्स बने हैं 45 मील का रूट है। उसके बीच में 36 मील कच्चा रूट आता है और बाकी पक्का आता है। आप इनमें बसें चलाने की परमिशन नहीं देंगे। मैं पूछता हूं कि क्यों नहीं देंगे? मेरा सुझाव है कि आप ऐसे रूट्स पर अपनी गाड़ियां चलावें अन्यथा प्राइवेट वालों को चलाने दें। इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। न तो आप उनकी गाड़ी चलाने देंगे और न अपनी चलायेंगे और ज्यादातर यह कोशिश करेंगे कि मामला डिसप्यूट में पड़ जाय। हर जगह यह कायदा है कि रूट की स्ट्रेंथ फिक्स है और जब तक यह नहीं होगा तब तक ट्रेफिक कंट्रोल नहीं हो सकता। लिहाजा इस लिबरल कानून बनाने के पहले यह भी तय कर लेना चाहिए था कि रूट्स की स्ट्रेंथ फिक्स हो जाय। यदि 10 मील का परमिट है और 15 20 गाड़ियां हो जायं तो कोई बात नहीं किन्तु यदि उसे 500 बसें कर देंगे तो जनता की क्या हालत होगी। इससे जनता को गाड़ियां नहीं मिलेंगी। आपको चाहिए कि आप अपने तजुर्बेकार अधिकारियों को बुलाकर लिबरल परमिट देने की योजना पर विचार करें। यदि नान नोटिफाइड रूट पर चलने वाली गाड़ी नोटिफाइड रूट में आ जाती है तो उन्हें आपको बिना हिचकिचाहट के परमिशन दे देनी चाहिए जब तक आपकी गाड़ियां वहां नहीं चलती हैं।

अब आप इन्कम की बात ले लें। एक साल की इन्कम निकाल लें। आपकी पुस्तिका में दिया हुआ है कि आपकी 4,125 गाड़ियां इस समय चल रही हैं और 22 करोड़ 68 लाख रुपये की आपने इन्कम दी है। तो यदि इसकी एक साल की आमदनी निकाली जाय तो वह केवल 2 करोड़ रुपये होती है। आप इस पर गौर करें कि इस हिसाब से केवल 13 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से पड़ता है। तो क्या यह बात काबिले क्यास है? जब कि प्राइवेट आपरेटर 100-200 रुपया प्रतिदिन इन्कम पैदा करता है। अभी हमारे एक भाई ने एक पब्लिक कैरियर की आमदनी बताई। इस चीज को आपको सोचना चाहिए, मंत्री महोदय को सोचना चाहिए। जो आंकड़े दिये गये हैं वे कहां से दिये गये हैं? इसके पहले माननीय मंत्री जी को गणना कर लेनी चाहिए थी कि आया यह सही हैं अथवा गलत हैं। बाढ़ के समय में सेक्रेटेरियेट ने 1,500 मकानों की कीमत 250 रु० रखी। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि 250 रु० में सेक्रेटेरियट का वाथ रूम नहीं बनता।

"बजा कहे जिसे आलम उसे बजा समझो" "आवाजे खल्क को नक्कारये खुदा समझो"। इस गलत तरीके से अगर बजट देते रहेंगे तो हाउस को गुमराह करते चलेंगे और हम उसे पास करते चलेंगे। तो कम से कम हर बजट को लाने से पहले देख लेना चाहिए।

[श्री अमरनाथ दुबे]—

ड्राईवर्स का सवाल है। जिन्दगी भर ड्राईवरी की, रिटायर हुए, एक के बारे में मैंने रोडवेज़ कमिश्नर से कहा, तो बोले कि इसका एक्सटेंशन कैसे हो सकता है? मैंने कहा कि पेंशन उसको कितनी मिलेगी? ज्यादा से ज्यादा 15–20 रुपया मिलेगी। बीमार पड़ जाय तो मेडिकल एड उसे नहीं मिल सकती। मेरा सुझाव है कि न आप उसे कुछ दें तो जिन्दगी भर मेडिकल एड देने की कृपा करें। रुपया पैसा देना तो बजट पर मुनहसिर होगा, दे दें तो अच्छी बात है, देना चाहिए लेकिन कम से कम मेडिकल एड ऐसी चीज है कि बुढ़ापे में हमेशा जरूरत पड़ेगी और देना जरूरी है।

आर० टी० ओ० आफिसेज की बात है। उनकी बिल्डिंग्स हमारे यू० पी० में हर जगह होंगी लेकिन उनके साथ सौतेला व्यवहार गवर्नमेंट का है और सब बिल्डिंग बन जाती हैं लेकिन आर० टी० ओ० आफिस की बिल्डिंग कहीं नहीं बनी है और आजतक किराये की बिल्डिंग है। इनको तरक्की देने की तो बात ही नहीं होती हाउस में। सजा की बात होती है। रिश्वत की बात जरूर सोची जायगी। लेकिन अगर तरक्की का सवाल कीजिये तो हाउस खामोश हो जायगा और देखेगा कि बजट है या नहीं। तो कम से कम मैं अपने कटौती के प्रस्ताव का इसलिए समर्थन करता हूं कि कटौती जायज तरीके की रखी गयी है और मेरे हर सुझाव जनहित को दृष्टि में रखकर रखे गये हैं। कृपया ऐसे कानून न बनायें कि लिबरल परमिट्स को बनाकर के देने के लिए कर दिया है। और परदोष दरशाने के लिए हम हाउस से भी क्षमा मांगेंगे। सज्जनतापूर्वक बजट देना चाहिए, दो चार करके देना ठीक नहीं है और आचरण के विपरीत है। जय हिन्द!

श्री रामसिंह खन्ना (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे अनुदान संख्या 37 पर बोलने का अवसर दिया। मैं परिवहन मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान के अनुमोदन के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि सड़कों का आर्थिक ढांचे से बड़ा भारी सम्बन्ध है। जहां ट्रांस्पोर्ट अच्छा होगा, वहां का आर्थिक ढांचा भी अच्छा होगा सड़कों के द्वारा गांव गांव का लिंक शहरों से जितना बढ़ता जायगा उतनी हमारी आर्थिक व्यवस्था अच्छी होती जायगी और इसी उद्देश्य को लेकर सन् 47 में यह लक्ष्य सामने था कि सारी ट्रैफिक का राष्ट्रीयकरण करके उनमें सेवा की अच्छी व्यवस्था करके उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए आर्थिक ढांचे को सुधारा जाय। कोशिश की जा रही है बराबर। काम कठिन है। क्योंकि केवल बसेज की तादाद या ट्रक या मोटरों की तादाद पर इसकी सफलता निर्भर नहीं है, इसकी सफलता के लिए आवश्यक है सड़कें और उनको बनाने के लिए पुलों और टेक्निकल नालिज का और उसके लिए काफी साधन एवं धन जुटाने की आवश्यकता होती है।

मेरा सबसे पहला सुझाव यह है कि परिवहन विभाग को और पी० डब्लू० डी० विभाग को एक ही मिनिस्ट्री के अन्तर्गत कर दिया जाय जिससे कार्य अच्छा हो सके।

अभी विरोधी पक्ष की ओर से फ्री परमिटस योजना की काफी आलोचना की गई। बात सही है, उनकी बात में जोर है, वजन है, लेकिन सारी चीज को तुलनात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। जिस समय यह प्रथा थी तो रोजाना सुना जाता था कि उस आर० टी० ओ० कमेटी में इतनी रिश्वत ली गई और फलां-फलां ने रिश्वत ली। यहां तक कि चुने हुए नुमायन्दों को भी खींचा जाता था। इसलिये सोचा गया कि अधिकारियों को रखा जाय। जब उनको रखा गया तो और भी शिकायतें हुईं। जब घूस देने वाले और घूस लेने वाले दोनों का फायदा है तो पकड़ा जाना मुश्किल है।

कोशिश की गई कि कीचड़ उछालना बन्द हो लिहाजा सोचा गया कि फ्री परमिट कर दिये जांय। इसमें दिक्कत होगी हाई कोर्ट ने स्टे आर्डर दिया हुआ है। जब तक हाई कोर्ट से मामला तय न हो तब तक के लिये जैसा कि पंजाब में है वैसा कर दिया जाय। वहां पर प्राइवेट और पब्लिक सैक्टर की बसेज साथ साथ सड़कों पर चलती हैं। निरीक्षण करने वाले स्टाफ की तादाद को बढ़ा दिया जाय और निरीक्षण करने के लिये एक एक व्यक्ति न जाये बल्कि सामूहिक ग्रुप्स बना दिये जायं। जो आकस्मिक निरीक्षण कर सकें एक दूसरे के मंडलों में जिससे सुविधा बढ़ सकें और भ्रष्टाचार कम हो सके।

पुरजों की चोरी को रोकने के दृष्टिकोण से जो आंध्र प्रदेश में 4 साल बाद बस सड़क पर से हटा ली जाती हैं। इसको यहां पर कार्यान्वित किया जाय। कल जायसवाल जी ने प्रश्न किया था कि कानपुर सेंट्रल बर्कशाप में से तीन साल में 80 हजार की चोरी हुई और एक बस चोरी गई। बस तो बाद में मिल गयी। लेकिन चोरी करने वालों का कुछ पता नहीं चला और न कोई गिरफ्तारी हुई। मंत्री जी ने कहा कि चौकीदार के ऊपर एक्शन ले रहें हैं। उन्होंने विभागीय कार्यवाही की होगी और उनका ऐसा खयाल हुआ होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि अकेला एक आदमी वह भी छोटा कर्मचारी ऐसा नहीं कर सकता। ऊपर के लोगों के ऊपर भी कड़ी निगाह रखी जाय और उनको दण्ड देने की कोशिश की जाय। उनका भी उसमें हाथ हो सकता है।

हमारा दृष्टिकोण था कि शनैः शनैः प्रदेश भर की बसेज का राष्ट्रीयकरण किया जाय। 4 हजार बसेज पब्लिक सैक्टर में और 5638 प्राइवेट सैक्टर में चलती हैं 24 साल के बाद भी। कोशिश यह होनी चाहिए कि आप उनको देखकर अपनी आमदनी बढ़ाते लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शनैः शनैः राष्ट्रीयकरण की ओर अग्रसर होइये अच्छे कार्यों से आर्थिक ढांचे पर अच्छा असर पड़ता है। जितना कमाते हैं उसमें से काफी धन सड़क बनाने के लिये ईयर मार्क कीजिये तथा अपने कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधायें दीजिये। उनका नैतिक स्तर ऊंचा कीजिये, इसको कामर्शियल कन्सर्न न बनाइये। दूर जगह ऐसी चीजें पड़ी रहती हैं जिनका वहां इस्तेमाल नहीं हो पाता और जहां जरूरत होती है वहां नहीं पहुंच पाती क्योंकि ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अच्छी नहीं है।

इसलिये सबसे ज्यादा जरूरत है, ट्रांसपोर्ट साधनों की जिसमें Placeutility बढ़ाई जा सकती है। उसी के द्वारा किसानों की पैदा की हुई वस्तुयें मिलों को पहुंच सकती हैं और मिलों का सामान भी कन्ज्यूमर तक पहुंच सकता है। इसलिये हमें ट्रांसपोर्ट साधनों को बेहतर बनाने का निरन्तर प्रयास करते रहना चाहिये।

यह कोई विशेष खुशी की बात नहीं है कि हमने इतना लाभ उठाया। प्राइवेट बस आपरेटर तो आपसे भी ज्यादा लाभ उठाते थे। लेकिन आपने जो इसका नेशनलाइजेशन किया था वह इसलिये किया था कि लोगों का शोषण कम हो और यात्रियों को अधिक सुविधायें मिलें। इस पर ध्यान रखिये। मन्त्री जी ने कहा कि उन्होंने कर्मचारियों को अधिक सुविधायें दी हैं लेकिन मैं समझता हूं कि वे अब भी कम हैं। एक बस कंडक्टर जो सुबह से बस पर चलता है वह शाम को घर जाता है और उसको आप 136 रुपये देते हैं, इतने रुपये में किस प्रकार से वह ईमानदारी से अपना काम कर सकता है। जब डेढ़ दो रुपया रोज तो चाय नाश्ता में ही खर्च हो जाता है। इसलिए यह बात सही नहीं है कि कामर्शियल ढंग पर इसको आप चलायें लेकिन आपको अपने स्टाफ की भी अधिक परवाह करनी चाहिए। परिवहन विभाग के कमचारी यदि ईमानदारी से काय कर सकें तो बहुत कुछ देश के लिए कर सकते है।

[श्री राम सिंह खन्ना—]

मन्त्री जी नौ जवान हैं। अच्छा कार्य कर रहे हैं यह मैं नहीं कहता कि वह गलती नहीं करते। इन्सान गलती भी कर सकता है। लेकिन किसी से भी मुझे यह सुनाई नहीं पड़ा कि मन्त्री जी ने बदनीयती से ऐसा किया।

पैम्फलेट की बात भी कही गयी, यह वह लोग करते हैं जो किसी खास व्यक्ति पर हमला करते हैं। लेकिन किसी-किसी पैम्फलेट में बहुत से सच्चे ऐलीगेशन भी होते हैं। लेकिन बड़े-बड़े लोगों के साथ-साथ जो चुने हुये नुमायन्दों को भी फांस दिया जाता है यह बात मुनासिब नहीं है। चुने हुए नुमायदों की पोजीशन बड़ी नाजुक होती है। बहुत बार ऐसा होता है जिन चीजों की उनकी जिम्मेदारी नहीं है, जिनकी उनको कोई जानकारी भी नहीं है, और उन पर लांछन लगा दिया जाता है। साथ-साथ नौकरपेशा लोग हैं उन पर जब सदन में लांछन लगाया जाता है तो उनको अपनी सफाई देने का भी मौका नहीं मिलता है। इसलिये जब भी यहां पर उनके खिलाफ कोई बात कही जाय, बहुत समझ बूझ कर करनी चाहिये क्योंकि ईमानदार आदमी के दिमाग पर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। ज्यादातर जो भी पम्फलेट निकाले जाते हैं खुले तौर पर भले ही सरकार उनके बारे में कुछ न कहे लेकिन अन्दरूनी तौर पर उस पर सरकार को छानबीन करानी चाहिए और अगर इन पैम्फलेटों में लिखी हुई बात सही है तो कड़े से कड़ा दन्ड उन लोगों को देना चाहिये। सब लोगों के जानकारी में दन्ड दिया जाय ताकि भविष्य में ऐसी गलती रिपीट न हो सके। मैंने भी परिवहन विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध निकाले गये दो तीन पैम्फलेट्स देखे हैं और उनमें लाखों रुपये के रिश्वत की बात कही जाती है। उनमें छोटे-छोटे लांछन नहीं थे। जो रिश्वत की धनराशि का उसमें उल्लेख था वह 250–500 रुपया रिश्वत जो दरोगा वगैरा के बारे में कही जाती है ऐसी न होकर वहां लाखों रुपये की बात कही जाती है। ऐसा होना स्वाभाविक है, आपका जो रुपया लगा है वह भी करोड़ों में लगा है। इस प्रकार के आरोपों की छानबीन मन्त्री जी को गुप्त रूप से करनी चाहिये और जिन जिन बुराइयों को वह दूर कर सकते हैं, उनको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये।

यह मानना होगा कि हमारे समाज में व्यापक भ्रष्टाचार है और वह दो-चार साल में दूर नहीं होता दीखता, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं और वेस्टेड इन्टरेस्ट्स इतने चालाक और होशियार हैं कि जो लोग भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश करते हैं ये खुद खत्म हो जाते हैं और भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता, ऐसा तजुर्बा अभी तक हुआ है। लेकिन हममें से प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिये। हमारे मन्त्री जी अभी नवयुवक हैं, अभी उनकी जिन्दगी में राजनीति में अनेकों परिवर्तन आयेंगे, उनको बिना किसी संकोच के अपना कार्य करना चाहिये। वेस्टेड इन्टरेस्ट्स बराबर उनको पीछे खींचने की कोशिश करेगा लेकिन वह अगर सही दिशा में कोशिश करेंगे तो वह अवश्य कायमयाब होंगे, उन्हें हर तरह के भ्रष्टाचार को सख्ती के साथ निसंकाय दबाने की कोशिश करनी चाहिये। मुझे पूरा विश्वास है कि परमात्मा उनकी मदद करेगा और समाज भी उनकी मदद करेगा क्योंकि समाज में 98 प्रतिशत व्यक्ति ईमानदारी से काम करते हैं और केवल 1–2 फीसदी लोगों को ही व्यक्तिगत लगाव होते हैं और उनका दृष्टिकोण केवल दूषित रहता है और वे चाहते हैं कि न्याय की बात न की जाय यद्यपि वह भी दिल से मानते हैं कि अगर न्याय होगा तो नुकसान उठाने पर भी वह सोचेंगे जरूर कि आखिर फैसला तो ठीक ही हुआ लेकिन अगर आप अन्याय करेंगे तो आप के दोस्त ही आप को सड़क पर गाली देते मिलेंगे और उससे न आप का और न समाज का ही भला होगा। आप जितनी व्यक्तिगत बिना भेदभाव से लोगों के काम और सहायता करेंगे वैसे ही जनता आप की सहायता करेगी। वर्ना चुनाव में 70 प्रतिशत लोग आपके मुकाबिल होंगे। क्योंकि आप उनकी मांगें पूरी नहीं कर पायेंगे। आप देखेंगे

कि जितने लोगों ने आप से अपने स्वार्थ सिद्ध किये हैं उनमें से आप यदि ईमानदारी और बिना पक्षपात से कार्य करेंगे तो सारी गरीब जनता आपके पीछे होगी।

इसके अतिरिक्त हमारे देश में और प्रदेश में जरूरत इस बात की है कि हम ज्यादा से ज्यादा वह सड़कें बनायें जिन पर बैलगाड़ियां और किसानों का सामान मण्डी बाजारों तक जाता है न कि हम वह सड़कें बनाने में लगे रहें जिन पर रोल्सराय चलती हैं। गरीब किसानों को अपनी उपज के सही दाम मिलने के लिये यह जरूरी है कि उनके गांवों से मंडियों तक अच्छी सड़कें हों। एक मेरी प्रार्थना है कि ट्रेलर्स से टैक्स हटा दिया जाय। इसके अतिरिक्त जो आर० टी० ओज० का चेकिंग होता है वह बगैर पुलिस के किया जाय, उन का अपना गैंग रहे तो मुनासिब होगा। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे समय दिया और इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री भाभी यादव (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय परिवहन मन्त्री जी द्वारा जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है उसके विरोध में और विरोधी पक्ष द्वारा उपस्थित कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि चाहे उस तरफ के बैठने वाले हों या इधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों, मन्त्रियों के जब-जब उन के विभाग का बजट आता है तब उनके अनुदान का बजट पेश होता है तो अपने विभाग की जितनी तारीफ उनके मन में रहती है मन्त्री जी उसका सारा वर्णन कर डालते हैं लेकिन जो कमियां हैं पता नहीं क्यों उनको हम विरोधी पक्ष वालों के जिम्मे छोड़ देते हैं। अगर हम उन पर सुझाव न दें, अपने विचार न दें तो उन को खबर नहीं रहती है कि हमारे सुझावों में कोई कमी है या नहीं। हमने देखा कि जितने मन्त्रियों ने बजट अनुदान पेश किये कभी किसी मन्त्री ने कबूल नहीं किया कि हमारे विभाग में भ्रष्टाचार है लेकिन आज यह नई बात सुनने में आई कि परिवहन मन्त्री जी ने तसलीम किया कि हमारे विभाग में भ्रष्टाचार है। एक तरफ तो ईमानदारी का शब्द सूचक है लेकिन यदि कोई जुर्म को तसलीम करे तो वह उसकी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकता।

श्रीमन्, सन् 1947 से राजकीय बसों की बुनियाद पड़ी। उसकी मूल मंशा को समझना चाहिए कि किस मंशा को लेकर यहां पर रोडवेज की आवश्यकता पड़ी। पहला काम यह सोचकर इसका आविष्कार किया गया कि आने-जाने की जहां पर सुविधा नहीं है, पिछड़े क्षेत्र हैं, जहां पर सवारियों की बड़ी कमी है, आने-जाने के लिए सरकार की ओर से बस गाड़ियों का प्रबन्ध करना अनिवार्य समझा गया। यही नहीं, यह भी सोचा गया कि जो लोग नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी आमदनी का जरिया नहीं है तो सोचा गया था कि इस विभाग से कुछ नौकरियां लोगों को मिलेंगी। सन् 1947 की बात है लेकिन आज भी किसी ने गौर नहीं फरमाया कि सन् 1947 में जो कर्मचारियों की व्यवस्था हुई है, चाहे परिचालक हों, चाहे ड्राइवर हों, चाहे जिले के ए० जी० एम० हों और चाहे जी० एम० हों और चाहे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हों कि हाय रे गरीबों, हाय रे हरिजनों, हाय रे पिछड़ी जाति के लोगों तुम्हारे में सन् 1947 में यह योग्यता नहीं रही जिससे आपको नौकरी में स्थान भी नहीं मिल सका। आपको वंचित रखा। क्या किसी ने सोचा कि इन पिछड़ी जाति के लोगों को, हरिजन जाति के लोगों को और मुसलमानों को और इनके बच्चों की ओर आज भी कोई ध्यान नहीं देता। मैं परिवहन मन्त्री जी से, जो कि एक नौजवान व्यक्ति हैं, बड़े उत्साही भी हैं, एक निवेदन करूंगा और एक उदाहरण भी आपके सामने रखूंगा

[श्री भाभी यादव—]

कि पिछड़े वर्ग के लोगों को, हरिजनों को, और गरीब मुसलमानों को नौकरी में रिजर्वेशन कर दें। इस सम्बन्ध में संविद सरकार के जमाने में माननीय रूपनाथ सिंह यादव, स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने अपने विभाग में सभी नौकरियों में, इंजीनियरिंग विभाग में, नौकरियों के लिये बैकवर्ड एवं हरिजनों आदि के लिये 60 फीसदी का स्थान आरक्षित कर दिया है। उस पत्रावली को मंगा कर आप इस फीसदी को अपने विभाग में भी लागू कर दें ताकि अन्य सभी मन्त्रियों को सबक मिल जाय। हमारे माननीय परिवहन मन्त्री जी स्वयं बड़े ईमानदार हैं जिन्होंने स्वयं तसलीम किया है कि विभाग में भ्रष्टाचार है। तो अगर हिम्मत है तो वे इस प्रकार का काम कर दें ताकि पूरे उत्तर प्रदेश में एक इतिहास बने और लोग समझें कि न्याय का कदम रखा गया है और सब मन्त्रीगण आपके कार्य का अनुकरण करें और एक रोशनी जनता के सामने आये।

श्री राज मंगल पांडेय—

क्या माननीय भाभी जी इधर आने की तैयारी कर रहे हैं जो इतनी तारीफ माननीय मन्त्री जी की कर रहे हैं?

श्री भाभी यादव—

मैंने संकल्प किया है। मैं दल बदलू नहीं हूं। मैं जिस पार्टी में हूं अगर उसके उसूल मुझ पसन्द नहीं आये तो मैं पहले एम०एल०ए० पद से इस्तीफा दूंगा और फिर चुनाव लड़ूंगा। अगर मैं दल बदलूं हूं तो यहां पर ही मेरे ऊपर जूते पड़ें।

सन् 1947 में जब रोडवेज की बसों का आविष्कार हुआ, आप सब लोगों को सोचना पड़ेगा, उस जमाने से लेकर आज तक जितनी बसेज गाड़ियां हैं, आप आंकड़े देखें 4,125 बस गाड़ियां थीं। पारसाल 126 टैक्सियां थीं लेकिन अब 91 हो गई हैं।

जो आपकी आमदनी और खर्च निकाल कर बचत होती है उसकी भी आपकी ही जिम्मेदारी होती है विभाग के कर्मचारियों की, विभाग के मन्त्रियों की क्योंकि यह जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा सरकारी रोडवेज की गाड़ियों में लगा है इससे कोई इन्कार कर नहीं सकता। उसके एक-एक पैसे का हिसाब जनता लेगी और जनता ले सकती है। इस नाते जो आंकड़े पेश हैं उनको देखने से मालूम होता है कि इसमें गड़बड़ियां हुई हैं, चोरियां हुई हैं। मैं ज्यादा न गिनाकर साफ कह देना चाहता हूं कि जितने आप सब लोग बैठे हैं, उनमें कौन नहीं भ्रष्टाचार को जान रहा है, कौन नहीं गड़बड़ियों को जान रहा है लेकिन परदा डालने से काम चलने वाला नहीं है।

मैं साफ बता देना चाहता हूं कि हमारे जिले के सत्तारूढ़ दल के रहने वाले उमाशंकर मिश्रा, एम०एल०सी०, की तारीख 13 मार्च, 1972 को यहां के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, श्री आर० बी० सक्सेना के बारे में साफ शब्दों में इस बात की शिकायत की। मैं उसे साफ बता देना चाहता हूं। शशिकान्त त्रिपाठी जो कि देवी शंकर त्रिपाठी केयर टेकर दारुलशफा बी० ब्लाक में हैं उनके सुपुत्र हैं। इनकी बीवी के नाम टेलीफोन द्वारा श्री आर० बी० सक्सेना, एकराम खां, डीलर वाराणसी से उनको एक एम्बेसेडर कार दिलवाई है। यही नहीं, शशिकान्त त्रिपाठी, लैन्ड डेवलपमेंट बैंक, बहराइच में काम करते हैं। लेकिन हाय रे इन्तजाम, हाय रे अफसर, 24 घंटे सक्सेना के साथ सुरा सुन्दरी का उपभोग करते हैं। यही नहीं, इसी सम्बन्ध में 22 मार्च को गौरी शंकर राय, एम०एल०सी०, सत्तारूढ़ 6 अप्रैल, को नेता

अनन्तराम जायसवाल, 9 अप्रैल, को बंशीधर पांडेय भी सक्सेना के अधम कर्मों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। यही नहीं श्रीमन्, एक एस० पी० चतुर्वेदी, क्लर्क, अर्थ संख्या विभाग में काम करते हैं जोकि रात दिन सक्सेना के साथ रहते हैं। उनके द्वारा ही सक्सेना के भ्रष्टाचार के कार्य होते हैं। यही नहीं श्रीमन, सी०बी०आई० की जांच में सक्सेना पर शीलभंग और हत्या के अपराधों पर इनके बिरुद्ध एक पुस्तिका भी छपी है जो देखने में आई है बिधान सभा में। वह अंग्रेजी में है। अंग्रेजी तो हम कम जानते हैं। दिलचस्पी भी नहीं लेते हैं। लेकिन दूसरे लोगों से पढ़वाकर हमने सुनी है जो शायद मन्त्री जी के समीप तक हमारे साथी इधर से बढ़ाकर भेजे हैं। खुद सोचना पड़ेगा कि इतना बड़ा अफसर जिस पर उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग का पूरा बोझ हो क्या मन्त्री जी इससे वंचित रह सकते हैं? वह आपकी भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन एक बात जरूर है। यह बात सही है कि आप उस भ्रष्ट अफसर की जांच करवा रहे हों और सुनने में आया है कि शायद उनका ट्रांसफर हो गया है लेकिन वे न जाने छुट्टी लेकर कहां की हवा खा रहे हैं। यही नहीं हो सकता है कि नैनीताल उनके लिये यहीं बना हुआ हो।

श्रीमन्, एक निवेदन आपके सामने यह कर देना चाहता हूं कि आपके परिबहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ में 23 अगस्त, 1970 को लिपिक बर्ग की परीक्षा हुई थी। जो अभ्यर्थी उनमें पास हो गये थे उन्हें एक बर्ष बाद अस्थायी तौर पर कार्यालय में रख लिया गया था। परन्तु जब उनकी उम्र ज्यादा हो गई तो उनको सेवा से मुक्त कर दिया गया। इस बात को नोट कर लें। जो ईमानदारी की बात है वह होनी चाहिये। इन छोटे कर्मचारियों के ऊपर इस तरह का अन्याय नहीं करना चाहिये।

यही नहीं, एक निबेदन और कर देना चाहता हूं कि जितनी रोडबेज की बसें हैं, जितनी गाड़ियां हैं उनमें जितना दाम लगा है, अगर आंका जाय तो मेरी समझ में, हालत चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन हमारे जिले में हालत यह है कि तीन-चौथाई गाड़ियां हमेशा बेकार रहती हैं। धक्का लगाना पड़ता है, हथौड़ा से ठोंकना पड़ता है। मान्यवर, सन् 47 से लेकर आज तक कोई भी सुविधा हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई। अच्छी गाड़ियां चलें शहरों में और हमारे यहां वही खड़खड़िया गाड़ी जिन्हें कि रात-दिन धक्का देना पड़ता है। अफसरों के लिये बढ़िया गाड़ी, मन्त्री जी के लिये बढ़िया गाड़ी, लेकिन पिछड़े हुये लोगों के लिये, गरीब जनता के लिये वही खराब गाड़ी, शर्म आनी चाहिये हम लोगों को। दूसरी तरफ बसों का किराया बढ़ गया। जो लोग लखनऊ बस से आते थे रेलगाड़ी से आ रहे हैं। कहते हैं कि एक तो गाड़ी खराब और दूसरे गरदन से पैर तक की नस चढ़ जाये, उत्तर प्रदेश रोडबेज की बस जनता की कमाई की है अगर आप किराया कम कर देते तो कौन सा हर्ज हो जाता।

मान्यवर, यही नहीं व्यवस्था में भी काफी गड़बड़ी है। हमारे जिले में मुहम्मदाबाद से चिरैया कोट और मुहम्मदाबाद से मुबारकपुर करटों से भटानागंज यह पी० डब्लू० डी० आदि की सड़कें हैं लेकिन आज तक रोडबेज की बसें नहीं चल सकी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह गाड़ियां जनहित में चलाई गई थीं न कि उनके लिये जो सुरा-सुन्दरी में मस्त रहते हैं। मैं साफ बता देना चाहता हूं कि सिर्फ समाजवाद कहने से काम नहीं चलेगा। समाजवाद सीखना है तो लोहिया जी से सीखिये। कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होना चाहिये। समाजवाद का नारा लगाने वाले साथियों, मैं आपको बड़ा प्यार करता हूं। जो कदम हम उठाना चाहते हैं उसको आप ही पूरा कर दें तो हम से

[श्री भाभी यादव---]

ज्यादा लायक आप बन जाओ। सच्ची बात को तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं ज्यादा न कहकर यहां समाप्त कर देना चाहता हूं और मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूं कि गोरखपुर में एक जगह बस चलाने के लिये स्टैंडिंग काउंसिल ने एक राय दी थी कि यहां रोडवेज की बस चलाई जाय। लेकिन आयुक्त से कहा गया कि यहां पर सरकारी बस न चलाई जाय। श्री बांके लाल ने यह बात अपने एक हलफनामें में कहीं है।

मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि यह बात कहां तक सत्य है कि मैं उसको जानता नहीं हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से यह पर्चा मन्त्री जी को दिये देता हूं। इस बात को सोचकर तकलीफ होती है, दुख होता है। मान्यवर, जो विरोधी पक्ष की शिकायत होती है उस पर दलीलें दी जाती हैं बजाय कि उस ऐब को दूर किया जाय, इससे दुख होता है। मान्यवर, आपके अधिकारियों की यह हालत है, सचिव की यह हालत है, कमिश्नर की यह हालत है और मन्त्रियों की यह हालत है। जब कोई विधायक मन्त्री के यहां जाता है तो उसको वह ताकते तक नहीं हैं। सही बातों को तो सुनना चाहिये। मान्यवर, जो विरोधी दलों की सही बातें हैं उनको तो सुन कर मानना ही चाहिये। इन शब्दों के साथ जो मन्त्री जी ने बजट प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं विरोध करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव विरोधी पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि जन जीवन से सम्बन्धित अनुदान पर आपने हमको बोलने का अवसर दिया। माननीय मन्त्री जी के भाषण के उपरान्त हमारे विरोधी दल के श्री राम विलास पांडेय ने कटौती का प्रस्ताव उपस्थित किया उसको भी सुना। इसमें उन्होंने बहुत सी बातें कहीं और उनकी वाणी से ऐसा आभास होता था कि जो हमारी योजनायें हैं, प्रगति की दिशा में प्रयास हैं उसके प्रति उनका कोई विरोध नहीं था। जिन विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने यहां पर भाषण दिये हैं उनको भी मैंने सुना और उनके भाषण में भी मन्त्री जी के प्रति वही विचारा-धारा है जिस विचार धारा के अन्तर्गत मई, 1947 में परिवहन विभाग का शुभारम्भ हुआ था। मैं उन सभी विरोधी पक्ष के नेताओं का हृदय से स्वागत करूंगा जिन्होंने स्वस्थ पर-म्परा को कायम रखते हुये रचनात्मक सुझाव दिये हैं। उन्होंने भी मन्त्री जी को प्रातःकाल का उगता हुआ सूर्य कहा है और यह भी कहा है कि उनसे उनको बड़ी आशायें हैं और वह प्रगतिवाद की दिशा में चल रहे हैं। उन सबों का स्वागत करता हूं।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)---

मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनका नाम भी माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास या राज्यपाल महोदय के पास विचाराधीन है? जो गड़बड़ियां उन्होंने की हैं, क्या वे भी उनके पास हैं?

श्री राममूर्ति 'अंचल'---

उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस सम्बन्ध में जो बातें यहां रक्खी गई हैं उसके बारे में मैं अधिक न कह कर मंत्री महोदय का ध्यान अपने सुझावों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यह सही है कि परिवहन विभाग व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं चलाया गया है। जन जीवन की सुविधा के लिये और लोगों को थोड़े पैसे में अधिक दूर ले जाने के लिये इसको चलाया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है। सन् 47 में जब इसको प्रारम्भ किया गया था तो प्राइवेट बस वालों का काम मर्यादित नहीं था और न जन जीवन को उससे सहूलियतें थीं। सन् 47 से आज तक आबादी भी बढ़ी है तो बसें बढ़ना आवश्यक है। 4125 बसें अब हमारे यहां विभाग में हैं यह बड़ी अच्छी बात है लेकिन इनमें से बहुत सी बसें खराब भी रहती हैं। इस बारे में मेरा कहना है कि जो वर्कशाप हैं उनमें अच्छी सेवा प्रदान करने की दिशा में कदम उठाया जाय।

मेरा निवेदन है कि यहां जो चेकिंग पावर के बारे में कहा गया है कि पुलिस उसका मिसयूज करती है। चाहे प्राइवेट बस हो या सरकारी बस हो, पुलिस का सिपाही से लेकर उच्च अधिकारी तक उसका सदुपयोग नहीं करता है, इसलिए यह उचित व्यवस्था होगी कि मंत्री जी अपने विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी बढ़ोतरी करके अपने विभाग से ही चेकिंग करायें ताकि पुलिस द्वारा चेकिंग खतम की जा सके।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने फरमाया कि कारपोरेशन हम बनाने जा रहे हैं। इसमें 25,000 निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को 62,000 रुपया देने की बात भी कही गई है। मैं कहना चाहूंगा कि श्रीमन्, अभी जो रक्खा गया है कि कन्डक्टर और जूनियर क्लर्क और बुकिंग असिस्टेंट का वेतन मान जो 100-4-120-5-180 में था अब 65 से रक्खा गया है।

यह भी कहा गया है कि क्लर्क की जो सबसे छोटी श्रेणी है उसमें पदोन्नति 55 प्रतिशत कन्डक्टर से होगी लेकिन श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कन्डक्टर और जूनियर बुकिंग क्लर्क के वेतन मान एक ही हैं, तो उसको इससे क्या लाभ होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बात पर फिर विचार करें और जैसा कि प्रमोशन में आर्थिक लाभ होना आवश्यक है, वह अवश्य होना चाहिए।

श्रीमन्, यह भी सही है कि जहां रेलगाड़ी नहीं जा सकती है वहां बस चलती है लेकिन इस विभाग में एक ट्रेनिंग सेन्टर खोला जाना चाहिए जिसमें विभाग के कर्मचारियों को ट्रेनिंग मिलना चाहिए कि यात्रियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए।

श्रीमन्, एक निवेदन और करना है कि ट्रेक्टर और ट्राली रखना कृषि के लिये अब आवश्यक हो गया है और वगैर इसके सामान भेजने में कठिनाई होती है, तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए।

यह टैक्स बहुत अधिक है, इसमें कमी करनी चाहिए। साथ ही साथ ट्रैक्टर पर केवल एक ड्राइवर रखने की सुविधा की है। कम से कम दो आदमी रखने चाहिए क्योंकि एक आदमी उसकी सहायता के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसलिए आप कृपया इस दिशा में भी ध्यान दें।

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में बहुत बात कही गयी। मैंने काफी सुना कि इसमें कितना भ्रष्टाचार है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं, मैं सिर्फ यह जानता हूं कि अगर इसमें कोई भ्रष्टाचार है तो माननीय मंत्री जी ने जो कदम उठाये हैं, जिनकी आज सबने सराहना की है, जिस विभाग का हमारा सबसे उच्च कार्यकर्त्ता ठीक हैं तो हमें विश्वास है कि अगर उसमें भ्रष्टाचार है, जिसे मंत्री जी ने भी थोड़े अंशों में स्वीकार किया है, उसे वह दूर करेंगे, ऐसी मुझे उनसे प्रबल आशा है।

मंत्रीजी ने एक बात कही कि ड्राइवर और कन्डक्टर को नाइट हाल्ट के लिए जो 1 रुपया मिला करता था अब उसके बजाय 1 रुपया 50 पैसे दिये जायेंगे। लेकिन क्या आज इस मंहगाई के जमाने में नाइट हाल्ट करने में डेढ़ रुपये में उसे भर पेट खाना प्राप्त हो जावेगा? यदि नहीं, तो मानवता के दृष्टिकोण को देखते हुए क्योंकि उनकी सबसे कम तनख्वाह है और सबसे अधिक काम वह करते हैं कम से कम ढाई रुपये रखने चाहिए जिससे वह भर पेट भोजन तो कर लें।

[श्री राममूर्ति 'अंचल']

उनके विश्राम के लिए माननीय पांडेय जी ने कहा कि कोई स्थान नहीं है। मैं उनकी इस बात का स्वागत और समर्थन करता हूं। जो आदमी दिन भर तपती लू में आदमियों को ढोयेगा, उसको रात में रहने के लिए स्थान जरूर होना चाहिए। इस दिशा में अगर हमारे परिवहन मंत्री जी ध्यान देते हैं तो बहुत अच्छा हो क्योंकि यह व्यापारी संस्था भी है और जिस आदमी से आप कमवाओगे उसको अगर आप सुख दोगे तो वह उसका मुआविजा आपको जरूर देगा।

इसके आलावा टेक्निकल नालेज रखने वालों की तरफ भी आप ध्यान दें क्योंकि उनकी बड़ी उपेक्षा की जा रही है। कहा जा रहा है कि गाड़ियां खराब रहती हैं। इसमें भी कुछ तथ्य है। गाड़ियां कई कई दिन तक सड़कों पर पड़ी रहती हैं। तब ब्रेकडाउन हो जाता है और गाड़ियों को खींच कर लाता है। इसमें हमें वहां के कर्मचारियों की नीयत पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि रात में जब वह ब्रेकडाउन के लिए जाते हैं तो उनके लिए एलाउन्स इत्यादि की व्यवस्था करना चाहिए ताकि वे मन लगा कर काम करें और रात में ही उन गाड़ियों को खींच लायें और सवेरे उनको चालू कर सकें।

अधिक न कह कर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्रीजी ने कानपुर वर्कशाप के बारे में जो कहा है उसके लिए भी मैं उनकी सराहना करना चाहता हूं और जो 350 नई बसें खरीदनें की बात कही हैं उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और उनकी विचाराधारा से मैं पूर्णतया सहमत हूं।

जहां तक परमिट देन की बात है, आपने अभी तक कमिश्नर को वन मैन कमेटी बनाया है, लेकिन जब आप परमिट फ्री कर रहे हैं, कि जिसका प्रार्थना-पत्र प्राप्त होगा उसको आप परमिट देंगे तब किसी कमेटी की मेरी समझ में जरूरत नहीं है। जिसने दरख्वास्त दी, वह आदमी सक्षम हो जाता है। प्रत्येक प्रार्थी को जब परमिट एलाऊ कर देंगे तो कमेटी की जरूरत नहीं रह जाती है। कमेटी की जरूरत उस वक्त होती है जब यह बात हो कि अमुक आदमी को परमिट दी जाय और अमुक को न दी जाय। उस हालत में कमेटी रखनी पड़ेगी। उस हालत में कमिश्नर सर्वोच्च अधिकारी डिवीजन का होता है। उसको उसमें रखना जरूरी है।

इन शब्दों के साथ मैं परिवहन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का स्वागत करते हुये समर्थन करता हूं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, सर्वप्रथम मैं सरकार की नियत पर हमला अवश्य करना चाहता हूं क्योंकि सरकार ने यह जो पुस्तिका छापी है, उसमें लिखा है कि हम राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं। हमारा ऐसा विचार नहीं कि राष्ट्रीयकरण की नीति गलत है। लेकिन जो आपके कार्यकलाप हैं, उनकी मैं अवश्य आलोचना करना चाहूंगा। मान्यवर, जो छूट सरकार मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट में करने जा रही है, उससे बड़ी दिक्कत होगी। मैंने 69 में एक प्रश्न पूछा था, अन्य मार्गों में राष्ट्रीयकरण की क्या दिक्कत है? सरकार से उत्तर एक ही मिला था कि हाई कोर्ट ने निर्णय कर दिया है और उस निर्णय के अनुसार जहां प्राइवेट बसें चलती हैं, वहां सरकारी बसें चलाने में दिक्कत होती है। श्रीमन्, आप देखें कि आपने खुद स्वीकार किया है कि सड़कों का मामला द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत था। तो सरकार खुद नीति को बनाती है और बिगाड़ती है। दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली। तो मान्यवर, इस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश के यातायात की समस्या हल नहीं होने वाली है। मंत्री जी ने बताया कि 12 वर्षों में 22.68 करोड़ का लाभ हुआ। माननीय मंत्री जी अपने आंकड़े को देखें। आपने जो आंकड़े दिये हैं, उसमें आप देखेंगे 1955–56 जब कि रोडवेज में कुल लगाई पूंजी 4,45,93,595 रु० थी, तब लाभ हुआ था 11.78 लाख। 1959–60 में लगाई गई पूंजी थी 9,53,45,110 रुपये और लाभ था 21.31 लाख। और आज 1970–71 में 21,08,25,495 रु० का

खर्चा हुआ और 10.86 का लाभ। इसका मतलब यह हुआ कि प्रदेश की परिवहन विभाग से जो आय 1955–56 में होती थी, उससे भी आज वह कम है। श्रीमन्, यह शर्म की बात है। श्रीमन् अब इस सरकार को चाहिये कि वह ढकोसला करना छोड़ दे और जनता के हित की बात सोचे तो प्रदेश का ज्यादा कल्याण होगा।

दूसरी बात मान्यवर, मैं यह निवेदन कर दूं मंत्री जी ने बताया कि 491 बसें चलेंगी और 5 बातानुकूल चलेंगी। लज्जा नहीं आती है इस प्रकार की व्यवस्था करने में। जब उत्तर प्रदेश में एक सीट नहीं मिलती है बैठने के लिये बसों में तब वहां पर आप बातानुकूल की व्यवस्था करने जा रहे हैं। आप पहले इस बात की व्यवस्था करें कि हर आदमी को सीट मिल सके अच्छी प्रकार से, तब इन बातों की ओर सोचें।

कई माननीय सदस्यों ने आर० बी० सक्सेना के बारे में शिकायतें की, मगर आपने उनको वहां से हटा कर बोर्ड में भेज दिया। अच्छा होता यदि आप उनको परिवार नियोजन में भेज देते। एस० पी० चतुर्वेदी, पी० के० खत्री, सुन्दर बाग में रहने वाली दो सुन्दर महिलायें, एक डाक्टर बलासिंह, एक धनेश्वर गुप्त एक शशिकान्त त्रिपाठी, इन लोगों का एक गिरोह है जो सुन्दर सुन्दर लड़कियों को बहलाकर फंसाकर अनैतिक व्यभिचार कराता है। इसमें जो डाक्टर हैं यह गर्भपात कराते हैं। आज जाने कितने माताओं और बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। मैं पूछता हूं कि इन आर० बी० सक्सेना को लखनऊ लाने की क्या जरूरत थी? माननीय मुख्य मंत्री जी तो उनके कारनामों से परिचित हैं। यह शासन के लिए एक बड़ा भारी कलंक है। ऐसे आदमी को तो तुरन्त बरखास्त कर देना चाहिए था। इसे तुरन्त बरखास्त करो, वरना हम विधान सभा में आपको चैन नहीं लेने देंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री जंगबहादुर सिंह (जिला आजमगढ़)—

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं इस ग्रान्ट का जो परिवहन मंत्री जी ने पेश की है, समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इस विभाग की दो शाखायें हैं जिन पर हमें विचार करना होगा। सन् 47 में जब रोडवेज विभाग की स्थापना हुई थी उस समय 200 बसें थीं, जब कि आज 4,125 बसें हैं। इसके अतिरिक्त जितने और संस्थान सरकार के चल रहे हैं उनमें से किसी में भी इतनी आमदनी नहीं है जितनी कि इस विभाग में है। 31 मार्च, 1972 तक 22 करोड़ 68 लाख की इस विभाग में पूंजी लगी थी और पिछले 12 वर्षों के अन्दर 22 करोड़ का लाभ हुआ है 1970–71 में जब कि सितम्बर–अक्तूबर में बाढ़ की विभीषिका थी, 9 महीनों के अन्दर ही 2 करोड़ का लाभ हुआ। हां, यह अवश्य है कि जितनी उन्नति होनी चाहिये थी वह नहीं हुई। मैं यह नहीं कहता कि इस विभाग ने शत प्रतिशत उन्नति कर ली है। लेकिन राष्ट्रीयता की भावना की जो कमी अन्य रेलवे आदि विभागों में है, वह इस रोडवेज विभाग में भी है। क्योंकि वहां काम करने वाले भी इसी प्रदेश के और इसी देश के हैं।

आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। जब आप ट्रांसपोर्ट के भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो आपको रेवेन्यू विभाग और शिक्षा विभाग के भी भ्रष्टाचार को देखना चाहिए। जो हम लोगों का नैतिक पतन हुआ है, वे चाहे इस तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्य हों या उस तरफ के, हमें उस पर भी विचार करना चाहिए। इस माहौल का असर हर संस्था और हर विभाग पर आज है। मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूं जहां हम यह कहते हैं कि आर० टी० ओ० दफ्तर में भ्रष्टाचार है। उसको मैं मानता हूं। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि वहां भ्रष्टाचार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जंगबहादुर सिंह]

नहीं है। लेकिन वह भ्रष्टाचार परिस्थितिवश था। जैसे 25 परमिट आर० टी० ए० को सैंक्शन करने हैं, तो लेने वाले 100 हैं। अब 25 को तो मिल गया, लेकिन बाकी 75 को जिन्हें नहीं मिला वे अथारिटीज के खिलाफ तरह-तरह के मनमाने आरोप लगाते फिरते हैं। जिन्हें नहीं मिला वे कहने को तैयार है कि फलां-फलां को रुपया लेकर दे दिया गया, उन्होंने उनके लिए फोन किया, मुख्य मंत्री ने फोन किया मंत्री ने फोन किया। इसलिए यह जो आर्डीनेंस सरकार ने जारी किया है उसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। अब किसी को शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं यह नहीं कहता कि सभी के सभी आर० टी० ओ० ईमानदार हैं, उसमें कुछ भ्रष्ट भी हैं, भ्रष्ट हो सकते हैं। कुछ कर्मचारी भी विभाग में भ्रष्ट होंगे। किन्तु यह जो आर्डीनेंस जारी किया गया है कि जो चाहे परमिट ले, तो इससे यह मसला हल हो गया है। आर० टी० ए० में जब हमारे सदस्यगण इसके मेम्बर थे, तब भी इस प्रकार का भ्रमात्मक प्रचार किया जाता था। आज कल तो कमिश्नर महोदय, आर० टी० ए० हैं जो आई० ए० एस० होते हैं, जो अमूमन भ्रष्टाचारी नहीं माने जाते हैं।

(व्यवधान)

मैं यह कहना चाहता हूं कि अधिकांश रूप में आई० ए० एस० अफसरों की बात अंग्रेजों के जमाने से आज कल तक ऊंची मानी जाती है। जब आर० टी० ए० की कमेटी हो गई तब भी उनके खिलाफ तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने घूस ली और फलां को परमिट दे दी। हमारी सरकार ने अब परमिट फ्री कर दिया है, इससे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की परेशानी और बदनामी बहुत कुछ हल हो जाएगी। मान्यवर, अब आप रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिस की बात देखें, वहां अच्छे-अच्छे नागरिक आते हैं, किन्तु उस कार्यालय की दशा बड़ी ही दयनीय है। जब कि उसका शुद्ध रेवेन्यू साढ़े 17 करोड़ है, कभी साढ़े 8 करोड़ रही है। जिस विभाग से 17 करोड़ रुपये का कर सरकार को प्राप्त होता है, उसके उक्त कार्यालय को आप देखें लें तो मेरा ख्याल है बहुत सारे रजिस्ट्री के कागजात दीमक खा गये होंगे। कोई भी चला जाए वहां बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं है। मैं अपने परिवहन मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं इस विभाग का नया दफ्तर अवश्य बनना चाहिए, नागरिकों के लिए बैठने का स्थान होना चाहिए। कभी-कभी बड़ा कष्ट होता है, वहां जाने पर कोई रिस्पांस भी नहीं मिलता है। वहां के साधारण लिपिक भी लोगों को पहचानने को तैयार नहीं होते हैं यह बातें दूर होनी चाहिए।

जहां तक चालकों तथा परिचालकों का संबंध है माननीय मंत्री जी ने 1 रुपये नाइट हाल्ट के स्थान पर डेढ़ रुपया कर दिया है। जाड़ की वरदी की सिलाई 10 रुपये के बजाय 20 रुपये कर दिया है। इस सब के लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन जरूरत इससे कुछ ज्यादा की है। जिस जिम्मेदारी का काम चालकों तथा परिचालकों को दे रखा है और उनसे जिस ईमानदारी से काम करने की उम्मीद की जाती है उसके मुताबिक हम न उनको तनख्वाह देते हैं, न स्टेटस देते हैं। परिवहन विभाग में ए० टी० आई० की पोस्ट है। ए० टी० आई० चालकों तथा परिचालकों से जबरदस्ती घूस दिलवाता है और चालक तथा परिचालक घूस लेने के लिये मजबूर हो जाते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो निकाल दिये जाते हैं। रोडवेज में स्टाफ बहुत ज्यादा हो गया है। उसमें कुछ कटौती होनी चाहिये और उनको ऊंचा वेतन दिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष —

अब आप समाप्त करिये।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जंगबहादुर सिंह ने अभी कहा कि आई०ए०एस० आफिसर रिश्वत कम लेते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि इस आर०टी०ए० में रिश्वत की शिकायत इन

आई०ए०एस० आफिसर्स के कारण ही है। राजस्व परिषद् के अध्यक्ष, जे०डी० शुक्ला ने कानपुर—लखनऊ परमिट देने के लिये रिश्वत ली और वे आई०सी०एस० आफिसर हैं। एक आई०सी०एस० आफिसर जो एस०टी०ए० का मालिक बेईमानी कर सकता है और रिश्वत ले सकता है उसकी देखा देखी आर०टी०ए० का आई०ए०एस० आफिसर जनता का गला काट रहे हैं। रोडवेज की चोरी अगर बन्द हो जाय तो उसकी आमदनी से उत्तर प्रदेश के कई विकास कार्य चल सकते हैं। पहले भी मैं कह चुका हूं कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर प्राइवेट गाड़ियां चला करती हैं और वह सब आर०टी०ए० एन्फोर्समेंट विभाग और स्थानीय पुलिस की मिली भगत से होता है। प्रतापगढ़ तथा सुल्तानपुर में इतनी धांधली है कि वहां ऐसा कोई राष्ट्रीयकृत मार्ग नहीं है जिस पर प्राइवेट गाड़ियां बिना नम्बर के न चलती हों। आप कर्मचारियों का वेतन तथा महंगाई अवश्य बढ़ाये लेकिन उनके करप्शन के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिये। जब कोई बस कंडक्टर तथा ड्राइवर रिश्वत में पकड़ा जाय तो उसकी सिफारिश हरगिज नहीं की जानी चाहिये। और उसे अवश्य दंड मिलना चाहिये।

*श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि (जिला हरदोई)—

श्रीमान् उपाध्यक्ष जी अभी मुझसे पूर्व एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, जिनका नाम ज्ञात नहीं, वह कह रहे थे कि आर०टी०ओ० आफिस में चांदी बरसती है। श्रीमन्, अधिक तो जानकारी मुझे है नहीं, केवल लखनऊ रीजनल ट्रांसपोर्ट कार्यालय को जानता हूं। वह शायद अपवाद होगा। श्रीमन्, एक बात मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हीं के डिपार्टमेंट के कर्मचारी ऐसे ह जो रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिस में काम करते हैं। उनमें महान् असंतोष व्याप्त है। इसको मैं लिख कर भी दे चुका हूं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के आफिस के क्लर्कों और रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिस के क्लर्कों की क्वालीफिकेशन योग्यता एक ही प्रकार की है। लेकिन प्रोन्नति में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के आफिस में लोग टैक्स इंस्पेक्टर और आर०टी० ओ० तक बन जाते हैं। लेकिन यह बेचारे जो रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिस में काम करते है दस-दस, बीस-बीस साल हो जाते हैं, अधिक से अधिक हेड क्लर्क बन कर रिटायर हो जाते हैं। यह भेद भाव है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के कार्यालय में और रीजनल ट्रांसपोर्ट के कार्यालय में। माननीय मंत्री जी इसको देखें और इस भेदभाव को मिटायें।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में केवल एक ए०पी०पी० मेहतर जाति का है जो लखनऊ में काम करता है। उसका नाम पुत्रूलाल है। उसे दस साल सेवा करते हो गये। उसने अपनी उन्नति के लिये कई बार लिखा पढ़ी की लेकिन कोई विचार नहीं किया जा रहा है अब कि उसी पद पर अन्य जाति के काम करने वालों की प्रोन्नति हो चुकी हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस ए०पी०पी० की भी पदोन्नति करने की कृपा करें। धन्यबाद।

*श्री बांकेलाल—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। देवरिया जिला में हाटा कस्बा है। तहसील का सेंटर भी है। वहां पर बुकिंग आफिस और मुसाफिरों के ठहरने के लिये कोई इन्तजाम नहीं है। रात हो जाती है विश्राम के लिये भी कोई जगह नहीं है। न कुर्सी है न बेंच है। बजट में तीन चार साल से स्वीकृति चली आ रही है कि वहां भवन बनेगा लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। इसलिये मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वह बन जाना चाहिये जैसे गौरी बाजार में बन गया उसी तरह हाटा में बन जाना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बांके लाल]

दूसरे भ्रष्टाचार की बड़ी चर्चा हुई । भ्रष्टाचार इस सरकार के हर विभाग में है । भ्रष्टाचार केवल इसलिये है कि गंगोत्री में गोबर घोल दिया गया है जहां से गंगा निकली है बहते-बहते वह गावों तक चला गया है। यह जो आई० ए० एस० आफिसर हैं उनके बारे में क्या कहूं। रात ही एक दृश्य सामने पड़ा । मैं सीधा सादा आदमी हूं ऐसे मामले में। लेकिन इत्तफाक से एक चक्कर में पड़ गया । उस अफसर का नग्न चित्र देखा । शराब पीते हुये देखा । जो ऊंची शिक्षा प्राप्त किये हुये हैं शराब पीता है, भ्रष्टाचार करेगा, रिश्वत लेगा, सारे कुकर्म करेगा। आई० सी० एस०, पी०सी०एस०आफिसर सारे भ्रष्ट हो गये हैं इस प्रांत में कोई एक आधा इत्तफाक से बाकी हो। मंत्री लोगों में यह खराबी है कि अपने विभाग को अनुशासित नहीं रखते हैं।

अपने विभाग में वे अनुशासन नहीं रख पाते क्योंकि इस परिवहन विभाग में 2 ग्रुप हैं एक माननीय मंत्री जी के समर्थन में है और दूसरा रोडवेज आयुक्त के समर्थन में । एक दूसरे की निन्दा वे करते रहते हैं और पैंफलेट बांटते रहते हैं । दोनों के कागज मेरे पास है । दोनों में एक भी अच्छा नहीं है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वे ऐसे अधिकारियों को निकाल बाहर करें, झंझट ही साफ हो जायेगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मान्यवर, दो मिनट मुझे बोलने का मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

यदि इधर समय देता हूं तो उधर भी देना पड़ेगा।

श्री राम बिलास पांडेय—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके संबंध में जो मुझे प्रसन्नता है कि चाहे इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के लोग साथ ही माननीय मंत्री जी ने भी स्वयं हमारी बहुत सी बातें मानी हैं । इन्होंन कहा है कि सरकार आर०टी०ओ० को पी०सी०एस० के रैंक देने के संबंध में विचार कर रही है ताकि उनका ट्रांसफर आदि हो सके। मैं उसके लिये उनका आभारी हूं और माननीय सदस्यों का भी आभारी हूं जिन्होंने मेरे इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है । मैं बहुत ज्यादा बात न कहा केवल 1, 2 सुझाव देना चाहता हूं एक सुझाव तो मेरा यह है कि जिस प्रकार आंध्र प्रदेश में 4 वर्ष गाड़ी चलने के बाद नीलाम कर दी जाती है उसी प्रकार हमारे यहां भी होना चाहिये । हमारी गाड़ियों को 4–5 साल बाद खुले बाजार में नीलाम करने के बाद कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि वर्कशाप में जो गाड़ियां खराब पड़ी रहती हैं मरम्मत इत्यादि के लिये तो उनके लिये कोई मियाद निर्धारित नहीं होती । वे 6–6 महीने तक वहां पड़ी रहती हैं इसलिये वर्कशाप में इन गाड़ियों को पड़े रहने की मियाद माननीय मंत्री जी को एक सप्ताह निर्धारित कर देना चाहिये और इस अवधि के अन्दर उन्हें रोड पर लाया जाना चाहिये ।

अन्त में, एक चीज और निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो हमारे भूतपूर्व मंत्री रहे हैं वे सौभाग्य से इस समय मौजूद हैं । दोनो ही वर्तमान और भूतपूर्व, मंत्री समाजवादी हैं और समाजवादी समाज की रचना करने की बातें करते हैं । मंत्री जी ने कहा कि जो परमिट की छूट दी जा रही है वह हमारा समाजवादी कदम है किन्तु इनके पहले वाले जो मंत्री थे उन्होंन क्या कहा था । इस पर मैं मामनीय मंत्री जी की नीति चाहता हूं कि उन्होंने क्या नीति निर्धारित की है । भूतपूर्व परिवहन मंत्री, माननीय डाक्टर रामजी लाल सहायक ने कहा था "बराबर यह कहा जाता है कि परमिटों के संबंध में प्रश्नों के द्वारा भी और वैसे भी कि क्यों नहीं उसको फ्री कर दिया जाता है और जो चाहे वह अपनी गाड़ी चलाये लेकिन आज के इस बदलते हुये जमान में मेरी अपनी राय है कि इस तरह की इजाजत देना कोई अच्छी बात न होगी। एक तो

कानून इजाजत नहीं देता। और दूसरी बात यह भी है कि अगर हम ऐसी छूट द देते हैं तो यह मानी हुयी बात है कि उसमें हम समाजवाद की दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे बल्कि एक माने में हम सारा यातायात का काम उन्हीं के हाथ में दे देंगे जिनके पास पैसा है और जो शक्तिशाली हैं। हमारी हर सड़क पर आज मांग है इस बात की कि मोटर गाड़ियां बढ़ाई जायं यद्यपि वहां रोडवेज और प्राइवेड बसें चलती हैं लेकिन मांग अधिक की है। तो यहां पर दो विरोधी बातें हैं। यह समाजवादी सरकार के और कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं।..." एक ने कहा कि खुली छट अगर परमिट के लिये दी जायेगी तो समाजवादी समाज की रचना करने में परेशानी होगी और दूसरे वर्तमान मंत्री कहते हैं अगर खुली छूट नहीं दी जायेगी तो समाजवाद आयगा ही नहीं। इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री जी जब बोलें तो उस समय इस बात पर भी प्रकाश डालें.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो नया ही प्रश्न आपने जोड़ दिया, क्योंकि आज के शिक्षा मंत्री उस समय के परिवहन मंत्री थे। उस समय सरकार की कुछ भी नीति रही हो।

श्री रामबिलास पांडेय—

इसीलिये तो मुझे शक है। 12 बजे रात को टेलीफोन न करके सारे उत्तर प्रदेश के 30 हजार कर्मचारियों को इत्तला दी गई कि हड़ताल बन्द कर दो, तुम्हारी बहुत सी मांगें हमने पूरी कर दी हैं।

केवल दो उन कर्मचारियों के नेता रहे बल्कि बहुत से नेता मान्यता प्राप्त यूनियन के यहां से कोई जानकारी भी प्राप्त नहीं कर सके हैं। तो रात में जो परिवहन मंत्री जी ने अश्वासन दिये हैं, वह आश्वासन ही हैं। कुछ मिलने को नहीं है और ऐसा मुझे लगा रहा है कि उधर जो इशारा किया है इसमें भी समाजवाद का थोड़ा सा स्पष्टीकण कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय परिवहन मंत्री।

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं मंत्री जी से कि आज रोडवेज का किराया बहुत बढ़ा हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष—

कुछ तो मर्यादा रखिये जब परिवहन मंत्री जी को पुकार लिया....

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, आज इस परिवहन विभाग के अनुदान के सिलसिले में हमारे जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है और उन्होंने जो अपने महत्वपूर्ण सुझाव और बातें हमारे सामने रखी हैं निश्चितरूप से मेरा ऐसा विश्वास है कि उनसे हमारा विभाग लाभान्वित होगा और इसके लिये मैं तमाम सदस्यों को, चाहे सरकारी पक्ष के या विरोधी पक्ष के, उनका बड़ा कृतज्ञ हूं। जो भी उनके सुझाव हम कार्यान्वित कर सकेंगे वह अवश्य करेंगे। इस दौरान में कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ प्रश्न उठाये हैं, मेरा कर्त्तव्य है कि उनका भी स्पष्टीकरण करता चलूं। कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुये हमारे मित्र माननीय पांडेय जी ने कुछ बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं। एक तो किराये की वृद्धि के सिलसिले में जो 15 फीसदी बढ़ोत्तरी की है। मैं पहले भो कई बार प्रश्नोत्तर काल में जिक्र कर चुका हूं कि सरकार का कोई मंशा नहीं था कि अकारण ही ऐसा हो। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनीं। एक तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और इधर कर्मचारियों को जो वेजबोर्ड के जरिये से 60–62 लाख

[श्री बलराम सिंह यादव]
रुपया देने जा रहे हैं और पेट्रोल इत्यादि पर ड्यूटी इत्यादि बढ जाने से जहां हमारा लाभ पिछले साल 2 करोड़ 30 लाख का था वह भावों के बढ़ जाने से बिलकुल उलट गया, इसी वजह से यह बढ़ोत्तरी करनी पड़ी और जहांतक मेरी जानकारी है अन्य सूबे जो अपने सूबे से मिले हुए हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि इनमें जो किराये हैं, उनसे उत्तर प्रदेश का किराया ज्यादा नहीं है, इसकी मुझे जानकारी है । पांडेय जी हमारी मजबूरी से सहमत होंगे परमिटों के बारे में पांडेय जी ने कहा कि प्राइवेट रूट्स पर परमिट फ्री कर देने से संचालन अनियमित हो जायगा ।

दूसरी बात उन्होंने पढ़कर सुनायी उसके बारे में मुझे कहना है कि हमेशा हमारे सदस्यों ने यह शिकायत की कि जो परमिट देने की पुरानी प्रणाली थी वह ऐसी थी कि परमिट उन्हें को मिलते हैं जो रिसोर्सफुल होते हैं या साधन सम्पन्न होते हैं और एक-एक पार्टी के पास 80–90 परमिट्स होते हैं । यह जो प्रणाली सरकार ने अपनाई है, हिन्दुस्तान के अन्दर हमारा सूबा ऐसा है जिसने मुख्य मंत्री के नेतृत्व में इसको अपनाया है । मेरा ऐसा विश्वास है कि इस प्रणाली के जरिये कोई भी आदमी जिसके साधन सीमित होंगे वह भी असानी से परमिट प्राप्त कर सकता है । जहां तक अधिक परमिटों के प्राप्त करने का सवाल है, जब मांग और पूर्ति का सिद्धांत लागू होता है वहां एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब यह सब बातें नहीं होंगी । उस रूट पर उतनी बस चलेंगी जितनी इकोनोमिकल होंगी । कोई भी प्राइवेट आपरेटर अपना रुपया नहीं फंसायेगा यदि लाभ नहीं होगा ।

मान्यवर, कारपोरेशन की रूपरेखा के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा कि इसको स्पष्ट कर देना चाहिये था । आप जानते हैं कि यह एक आटोनोमस बाडी होती है और इसके बन जाने के बाद ही यह अपने नियम और सरविस कंडीशन बनायेगा । अगर सरकार नियम बनाकर उसके ऊपर थोप दे तो उसकी स्वायत्तता पर आंच आयेगी । इस ऐक्ट में यह प्रावीजन है कि जो रूल्स यह बनायेगा वे उसी समय इम्पलीमेंट होंगे जब गवर्नमेंट का एप्रूवल हो जायेगा । इसलिये माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो नियम यह बनायेगा वह सरकार के पास आयेंगे और हम उनको देखेंगे कि कोई बात तो नहीं होगी जिससे एम्पलाइज का नुक्सान हो ।

इसके अलावा माननीय सदस्यों ने कहा कि आर० टी० ओज० को पी०सी० एस० काडर में मर्ज कर देना चाहिये । मैंने इसके बारे में मुख्य मंत्री जी से बात की थी और वह पूर्णतया सहमत हैं और शीघ्र ही किसी न किसी निर्णय पर पहुंच जायेंगे बल्कि मुख्य मंत्री की धारणा है कि इसको कर देना चाहिये । माननीय सदस्यों ने बस स्टेशन और बसेज के बारे में कहा है । मैंने नोट कर लिया है और मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारा काम जनता की सेवा करना है । हम उनकी सेवा करेंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—
इनके यहां हार्न के बजाय सब चीज बजती है ।

श्री उपाध्यक्ष—
अब आप समाप्त कीजिये । प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या 37 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपये कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37-परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,99,09,700 रुपया से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या 50 के अधीन मांग की राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 50—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,22,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं । वे सब स्वीकार करने योग्य नहीं है इसलिये सब अस्वीकार की गयी ह ।

श्री मनोहरलाल (जिला कानपुर)—

मेरा नियम 51 का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है । सारा बाजार बन्द पड़ा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह स्थानीय है, इस पर प्रश्न पूछ लिया जाय ।

श्री मनोहरलाल—

पुलिस ने आतंक फैला रखा है। यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है । सब लोग वहां से भाग रहे हैं, बाजार बन्द है, पुलिस अत्याचार कर रही है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग सब एक साथ बोल रहे हैं किस तरह से आपको सुना जा सकेगा । मैं चाहता था कि आप सब को एक एक सुन कर सब को सन्तुष्ट करूं ।

(श्री मनोहर लाल से) आपने लिखा है "कानपुर जनपद में थाना छावनी के फेथफुलगंज की चौकी इंचार्ज, श्री अवस्थी और वहां पुलिस कर्मचारियों के अत्याचार और उत्पीड़न के सामूहिक कारनामों से मुहल्ला फेथफुलगंज के संभ्रात नागरिकों का जीवन अशांतमय होना और अपने जीवन रक्षा के लिये इधर उधर भागना ।"

यह भला किस प्रकार से स्वीकार किया जायगा । आपको यह ठीक करके देना होगा।

श्री मनोहर लाल—

कल हम आपको लिख कर ठीक से दे देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय बांके लाल जी ने इसमें कोई तारीख ही नहीं लिखी है, इसको कैसे स्वीकार किया जायगा ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

वहां पर कई गांवों में आग लग गयी है। एक सप्ताह हो गया लेकिन कोई सहायता नहा पहुंचाई गई है । इसलियें मैं उसकी ओर राज्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

उसको माननीय मुख्य मंत्री जी को उचित कार्यवाही के लिये भेज देते हैं ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)-

शासन के यह सख्त आदेश हैं कि आग लगने पर तत्काल सहायता पहुंचाई जाय, यह डी० एम० की जिम्मेदारी है । इस लापरवाही की ओर माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाय ।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

हमारा एक बहुत जरूरी विषय है ।

श्री उपाध्यक्ष---

हड़ताल के संबंध में तो बयान हो चुका है।

श्री मोतीलाल देहलवी---

उस बहस का कोई नतीजा नहीं निकला और माननीय मुख्य मंत्री जी का बयान अभी अखबार में पढ़ने को मिला. ...

श्री उपाध्यक्ष---

इस पर चर्चा हो चुकी है ।

श्री मोती लाल देहलवी---

नई स्थिति अब यह पैदा हो रही है कि जितनी अन्य मिल है वे भी सहानुभूति में हड़ताल करने जा रही है.....

श्री उपाध्यक्ष---

यह नई स्थिति नहीं है । हड़ताल कोई नई स्थिति नहीं है, इस विषय पर चर्चा हो चुकी है आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें ।

श्री मोतीलाल देहलवी---

वहां अब नई स्थिति पैदा हो गई है....

श्री उपाध्यक्ष---

आप ने जो लिखा है उस में नई स्थिति का संकेत नहीं है ।

श्री मोतीलाल देहलवी---

28 मार्च से अब तक कानपुर की 2 मिलें हड़ताल पर है और उन की साधारण मांग है कि 8.33 प्रतिशत बोनस दिया जाय या सन् 70 का 150 रुपया दिया जाय और अगर खादिलकर समिति के निर्णय.....

श्री उपाध्यक्ष---

यह सब चर्चा यहां विस्तार से हो चुकी है, आप उस वक्त नहीं थे .....

श्री मोतीलाल देहलवी---

नई स्थिति पैदा हुई है और 21 अप्रैल से....

श्री उपाध्यक्ष---

आप अल्पसूचित प्रश्न करें अगर नई स्थिति लगेगी तो देख लेंगे ।

1972-73 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 3–राज्य आबकारी

रवि०–296
20 April 1972

आबकारी मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 3– राज्य आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 54,84,700 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मंत्री जी तो खुद ही काफी हैं इस अनुदान पर बहस की जरूरत नहीं है।

(श्री चन्द्र भान शर्मा का नाम कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुकारे जाने पर)

कई सदस्य—

ऐसे ही पास कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, अपने दोस्तों का खयाल कीजिये, भूखे प्यासे हैं . . .

*श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—सरकारी नीति की आलोचना और पूर्ण मद्य निषेध लागू करने के सुझाव देना ताकि बापू के आदर्श एवं आकांक्षा की पूर्ति हो सके।

मान्यवर, आज आप देख रहे हैं कि इनकी कथनी कुछ होती है और करनी कुछ और होती है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। यह समाजवादी सरकार कहती है कि देश के हित में यह जरूरी है कि पूरा पूरा मद्य निषेध हो, कम्पलीट प्रोहिबिशन हो लेकिन अगर इस बात को देखें तो पता चल जायगा कि इनका कहना कुछ है और करना कुछ है। यह लोगों की आंख में धूल झोंकने के अलावा और कुछ नहीं है। जो महात्मा गांधी की बात को रटते चले आ रहे हैं, आज उन्होंने कांग्रेस के संविधान में, वह कम्पल्सरी मद जो शराब के बारे में थी, कि जो शराब पीता होगा वह, कांग्रेस में नहीं रहेगा, उसको आज आपने दबाव के मातहत निकाल दिया है और आज आप अपने को समाजवादी कहने का दावा करते हैं।

आज क्या मालूम नहीं है कि वही इसका प्रोपेगेंडा करते हैं लेकिन कहने और करने में कितना फर्क है इसकी जिन्दा मिसाल पिछले राज्य सभा के एलेक्शन में इसी पार्टी ने सबसे बड़े शराब के निर्माता, श्री वी० आर० मोहन को अपना औफिशियल टिकट दिया और उसने सुरा और सुन्दरी के बल पर इस प्रदेश के विधायकों के वोट हासिल किए।

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)—

क्या आपने दुनिया के सबसे बड़े होटल वाले को टिकट नहीं दिया?

श्री चन्द्रभान शर्मा—

जब हम पेश करेंगे, तब आप कहना। इसका जिन्दा सबूत यह है कि उस पार्टी के 4 व्यक्तियों का एक कमीशन नयी कांग्रेस दल को बैठाना पड़ा कि क्या क्या भ्रष्टाचार अमल में लाये गये हैं, तो इसको कोई इन्कार नहीं कर सकता है। आज एक ओर तो यह पोजीशन है और दूसरी ओर जो बाढ़ से पीड़ित हैं, या जिनकी फसलें बरबाद हो गयी हैं, उनसे तकावी और कर्ज डंडे के बल से वसूल किया जा रहा है लेकिन ये अपने गिरहवान में झांक कर देखें तो इन्हें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभान शर्मा]

मालूम हो जायगा कि कितने लाख रुपया की शराब के ऊपर छूट दी। आज मैं सिर्फ एक ही बात पेश करना चाहता हूं और भाई रियासत साहब का ध्यान इस शेर की ओर दिलाना चाहता हूं। जब मोरार जी देसाई बम्बई के मुख्य मंत्री थे उनकी अध्यक्षता में एक मुशायरा हुआ था उस समय कैराना के जिला मुजपफरनगर के एक शायर मौजद थे जिन्होंने यह शेर पढ़ी थी :

हूं शरीक जलसए में कुशी मेरे घर पे होती है मैंकशी,
हूं मजीद गमे करबला तेरी शान जल्ले जलाल हूं।।

इसका मतलब यह है कि मैं शराब बन्दी के जल्से में तो हूं, सदारत कर रहा हूं, लेकिन मेरे घर पर शराब खिचती भी है और बिकती भी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन हालतों के अन्दर जब ये चीजें हों, तो कैसे काम चल सकता है ? नीति को जब तक सहयोग के साथ अमल में नहीं लाया जायगा, उस वक्त तक आप मद्य निषेध को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपका कहना तो है लेकिन कोई पग नहीं उठाया है और आप इस ढिलाई की वजह से हिन्दुस्तान को कमजोर कर रहे हैं और आप लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं।

पिछले दिनों इस सरकार के अहमद नाम का एक्साइज इन्सपेक्टर को श्री मोहन की चेकिंग के लिए मुकर्रर कर दिया था। वह बड़ा ईमानदार आदमी है। उन्होंने श्री मोहन के स्मगलिंग के तरीकों को सख्ती से कंट्रोल करना आरम्भ किया तो अब इस सरकार की सिफारिशों पर उसको हटा दिया क्योंकि वह उनको काबू में करके काम करना चाहता था। तो जहां आपका यह कमाल है···

(व्यवधान)

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज महात्मा गांधी की दोहाई देने के बादमें जिनकी तसवीर लगी हुई है उनके कथनों को सामने रखते हुए—आज कहना कुछ और करना कुछ हो रहा है। चाहे जितना भी अत्याचार हो उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है। अगर कुछ लोग गुमराह हो जायं तो उनको सीधे रास्ते पर लाने के लिये रास्ता बताना पड़ता है। तो यह नहीं चाहता कि मैं इस कटौती के प्रस्ताव को इन हालात में पेश करूं क्योंकि जो वातावरण है उसमें क्या कहा जाय। लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य को देखते हुए मजबूर हूं और मैं आपके सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। मान्यवर, राष्ट्रपिता ने जब यंग इण्डिया के एडीशन में 3-3-27 में पेज 29 में कहा "मैं भारत का कंगाल हो जाना पसन्द करूंगा। मैं यह बरदाश्त नहीं कर सकता कि हमारे हजारों लोग शराबी हों। अगर भारत में शराबबन्दी जारी करने के लिये लोगों को शिक्षा देना बन्द करनी पड़े तो कोई परवाह नहीं। मैं भारी कीमत चुका कर भी शराब को रोकने की कोशिश करूंगा।" एक तरफ मान्यवर, राष्ट्रपिता यह कहते हैं और दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट की यह पालिसी है कि आमदनी के चक्कर में फंसकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश सरकार करती है। दूसरी जगह राष्ट्रपिता ने इसी में 16-4-25 को पेज 136 में कहा—"शराब के प्रश्न के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिये। कोई नियम और शासन नीति इस भयंकर बुराई का सामना नहीं कर सकेगी। पूर्ण शराब बन्दी ही लोगों को इसके अभिशाप से बचा सकती है।" इसके अलावा, मान्यवर, राष्ट्रपिता इसी तरह से आखीर में यह कहते हैं कि "अगर मुझे घंटे भर के लिये भारत का डिक्टेटर बना दिया जाय तो मैं सबसे पहले तमाम शराबखानों को बिल्कुल बिला मुआविजा दिये बन्द कर दूंगा और कारखानों के मालिकों को मजबूर करूंगा कि वे अपने मजदूरों के लिय मानवोचित परिस्थितियां पैदा करें और जलपान तथा मनोरंजन घर खोलें जहां इन मजदूरों को प्रेम और नये निर्देश और मनोरंजन प्राप्त हो सकें। अगर कारखानों के मालिक पैसे की अदायगी की आशा करेंगे तो मैं उनके कारखानों को बन्द करवा दूंगा।"

मान्यवर, राष्ट्रपिता की ये तमाम बातें हैं। आप अन्दाजा लगा लीजिये कि आज हमारे देश की क्या हालत हो रही है। मान्यवर, केवल आमदनी के लिये ये लोग कहते हैं कि हम शराब को बन्द नहीं करेंगे। मान्यवर, इनकी क्या तकलीफ और डिफिकल्टी है ? जब हमारी

सेन्ट्रल गवर्नमेंट कहती है कि जो स्टेट पूर्ण मद्य निषेध करेगी उनको हम पचास परसेंट उनकी आमदनी का जो लास होगा उसको हम पूरा करेंगे तो क्या परेशानी इनको है ? मान्यवर, यह कैसे कहा जा सकता है ? इसका सारा कारण यह है कि आज आप नीचे से ऊपर तक जाकर देखिये तमाम ब्यूरोक्रेसी के अन्दर कितनी शराब और सुन्दरी पैदा हो चुकी है। आज शराब की पोजीशन यह है कि शराब रात का शुगल हो गया है तमाम एडमिनिस्ट्रेशन में यह रुझान प्रचलित है शराब और सुन्दरी का। आप अन्दाजा लगा लीजिये बहुत से अफसर यहां तक कि हाई कोर्ट के जज सुरा-सुन्दरी से प्रभावित हैं। जजमेन्ट इस पर बदल दिये जाते हैं। मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि मेरठ के अन्दर जाकर वहां के एम० एल० ए० से पूछ लीजिये, वहां के लोगों से पूछ लें, कमिश्नर से पूछ लें, एक रम बोतल दे दीजिये।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

एक व्यवस्था है, मान्यवर, क्या माननीय सदस्य जानते हैं कि हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कहना इस तरह अपमान है ? आप व्यवस्था दें और इस प्रोसीडिंग्स को खारिज करवा दें।

श्री उपाध्यक्ष--

हाई कोर्ट का कोई उल्लेख नहीं करना चाहिये।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

मान्यवर, जज पीते हैं, हाई कोर्ट नहीं पीता है ?

श्री उपाध्यक्ष--

हाई कोर्ट और जज अलग-अलग चीजें हैं।

श्री चन्द्र भान शर्मा--

मान्यवर, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से अपनी आमदनी का जरिया नहीं छोड़ सकते तो कम से कम इस बात का ख्याल करना चाहिये कि इसका असर हमारी जनता पर, उसके स्वास्थ्य पर, उसके चरित्र पर क्या पड़ रहा है ? मान्यवर, आप देखें कि शराब के अन्दर कितनी मिलावट हो रही है ? कानपुर, देहली, बम्बई के अन्दर किस तरह की जहरीली शराब बिक रही है, जिसके कारण कितनी ही मृत्यु हो चुकी हैं। यह तो मृत्यु की पोजीशन है, लेकिन कितनी खतरनाक और अन्दरूनी बीमारी पैदा हो रही हैं, इसका अन्दाजा भी करना चाहिये और सरकार जो मजदूरों के हितों के लिये जिम्मेदार है उसको इस बुराई से मजदूर वर्ग को बचाना चाहिए अगर कम्पलीट निषेध हो जाय तो कोई शिकायत ही पैदा न होगी और जिस तरह से नाजायज काम हो रहे हैं वे न होंगे। मान्यवर, आज हालत यह है कि फर्टीलाइजर को मिलाकर शराब बनाई जा रही है प्रदेश में ही नहीं देश पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है और लोगों की जिन्दगी खतरे में पड़ रही है। अगर आप गौर से देखें कि ठेकेदार जो देशी शराब में मिलावट करते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है तो मालूम होगा कि आपका एक्साइज इन्स्पेक्टर मौके पर है। आप अन्दाज नहीं लगा सकते उसकी आमदनी 5 हजार और 10 हजार रुपया महीना है और वह ऐशो-आराम की जिन्दगी बसर करता है जो बड़े से बड़ा सरकारी कर्मचारी या मिनिस्टर नहीं कर सकता। लेकिन आज उसके ऊपर कोई चेक नहीं है। इससे पुलिस भी नाजायज फायदा उठाती है और कर्मचारी भी भ्रष्ट होता है और प्रदेश की हालत गिरती चली जा रही है। मैं आपके द्वारा मिनिस्टर साहब का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि यहां पर कच्ची शराब जो गाजियाबाद से लेकर मेरठ तथा बुलन्दशहर-या जो जमुना बेल्ट है, खींची जाती है और उन्होंने उसका नाम भी गांधी मार्का रख छोड़ा है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि उसको एनकरेजमेन्ट आज मिल रहा है और कोई किसी तरह के चेक की बात नहीं है। यह बजट का रुपया जिसके लिये आपने मांग रखी है, हमारा स्टाफ, यह सब कब काम आयेगा। आज इसके कारण करप्शन बढ़ रहा है और प्रदेश की हालत खराब हो रही है।

[श्री चन्द्र भानशर्मा]

मान्यवर, मैं थोड़ा गांजा और अफीम के बारे में कह दूं। मान्यवर, चीन आज से कुछ साल पहले जो 50 करोड़ रुपये की अफीम मंगाया करता था, अब वही चीन 50 करोड़ रुपये की अफीम बाहर भेजता है और फारेन एक्सचेंज कमाता है। उसने अपने आदमियों पर कन्ट्रोल किया। दूसरी तरफ हमारे यहां क्या हाल हो रहा है ? हमारे यहां गांजा और अफीम का तस्करी व्यापार बड़े-बड़े लोग मुनाफाखोर व्यापार कर रहे हैं। अभी कुछ दिन हुए गाजियाबाद में एक बड़े जिम्मेदार व्यक्ति के पास अफीम और गांजा पकड़ा गया। यह दूसरी बात है कि मदाखलत की वजह से उसका नाम प्लेटफार्म पर नहीं आ सका। अगर आप इसको कन्ट्रोल नहीं कर सके तो फ्री कर दीजिये ताकि जब ज्यादा लोग पीने लगेंगे तो उनकी स्वयं ही समझ में आ जायगा कि इससे क्या हालत हो रही है और इस बात की शांक तो नहीं होगा कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कुछ नहीं कर रहा है। हमारी आल इंडिया पालिसी कम्पलीट प्राहीबिशन की है लेकिन आप हिन्दुस्तान की जनता के साथ प्राहिबिशन न करके खिलवाड़ कर रहे हैं चूंकि वक्त की कमी है, अतः मैं इन शब्दों के साथ अपना कट मोशन पेश करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने 54 लाख रुपये का अनुदान सदन से मांगा है... और इस 54 लाख रु0 के अन्तर्गत काफी बड़ी उस खर्च में आ गई है जिसमें प्राहिबिशन की स्कीम भी लागू है। जहां तक कि शराब की बात है, मैं आज तक खुद भी यह नहीं समझ पाया कि देश की या उत्तर प्रदेश सरकार की शराब के बारे में पालिसी क्या है ? अभी श्री चन्द्रभान शर्मा ने कटौती का प्रस्ताव रखा और उन्होंने इसके अन्दर बिला वजह की राज्य सभा के एलेक्शन का भी जिक्र कर दिया। बड़े दुख की बात है कि एक ऐसे व्यक्ति का नाम जिसका नाम हिन्दुस्तान में ही नहीं, अन्य जगह भी है, श्री वी० आर० मोहन का, लिया गया। आपने उनका नाम नहीं लिया जिसका दायरा शराब पीने और पिलाने में बहुत बड़ा है क्योंकि वह आपकी पार्टी का है, वह उसका उम्मीदवार था। जहां तक कि शराब की पालिसी के बारे में बात है वह तो सभी जानते हैं कि बुरी चीज है। अभी इसी साल हमारे प्रदेश की सरकार ने पोलिटिकल पेंशन देने की बात कही है। यह उन लोगों को भी मिलेगी जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। इसमें उसने यह भी कहा है कि जिस व्यक्ति ने स्वतंत्रता संग्राम में 10 कोड़े भी खाये हैं उसको भी पोलिटिकल पेंशन मिलेगी। जिन लोगों को किसी प्रकार भी दंड मिला है इस सिलसिले में उनको यह पेंशन दी जायगी। जिन लोगों ने शराब की दुकानों पर पिकेटिंग आदि की और इस एवज में मार, लाठी या डंडे खाये या जेल गये उनको भी यह सहूलियत मिलेगी। हम यह चाहते हैं कि शराब बन्द हो, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। मैं शराब पीने वालों की तादाद देना चाहता हूं कि वह किस किस तबके के लोग हैं। इनके तीन तबके हैं। एक तबका वह है जो दिन भर मजदूरी करता है उसके बाद अपनी थकान को उतारने के लिये शराब पीता है। उसी के लिये सारे कायदे और कानून है, आई0 पी0 सी0, जाब्ता फौजदारी उसी के ऊपर लागू होती है और उसको पकड़ कर बन्द कर दिया जाता है। जो दुसरा तबका वह है इसकी लत में पड़कर अपनी जमीन जायदाद को बेच डालता है और शराब पीता है और इस तरह से अपने को बर्बाद कर लेता है।

तीसरा तबका उन लोगों का है जिसके यहां पैसे की कोई कमी नहीं है। इस तबके में बड़े-बड़े अधिकारी और तिजारत करने वाले लोग हैं। इनके पास पैसे की कमी नहीं है और यह शौक पूरा करने के लिये शराब पीते हैं। इनके लिये इसको शौक ही कहा जाता है। ये लोग नैनीताल के बोट हाउस क्लब में, बड़े बड़े क्लबों में या फिर बारों में शराब पीते हैं जहां जाकर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह अपने-अपने शौक को पूरा करते हैं। वहां पर कोई रिक्शावाला या मामूली आदमी नहीं जा सकता है। बड़े आदमी जो पैसे वाले हैं वे लोग ही ऐसे स्थानों में जाते हैं।

(इस समय 5 बजकर 29 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राम सिंह पीठासीन हुए।)

ऐसे स्थान बड़े लोगों का ही शौक पूरा करते हैं मामूली आदमी का नहीं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शराब से जो सरकार को आय होती है वह करीब 29 करोड़ रुपये है। जैसा कि शर्मा जी ने कहा कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने कहा है कि जो सूबा अपने यहां शराब बन्दी करेगा उसका आधा रुपया केन्द्र उसको देगा जितनी की उसको उससे आमदनी होती है। अगर सेन्टर ने इसको नहीं भी दिया तो जिस सूबे का बजट 700 करोड़ रुपयों का है, उसमें से और 2, 28 करोड़ रुपया निकल भी जायगा तो कहीं पर भी हम इसको कम कर लेंगे और उससे हमारे ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज भी अगर आप जन संख्या को देखें तो मैं यह समझता हूं कि 10 प्रतिशत से ज्यादा लोग शराब नहीं पीते हैं। हमने अगर 9 करोड़ में 1 करोड़ लोगों को मान भी लिया कि शराब पीते हैं तो, श्रीमन्, 8 करोड़ बचते हैं। इन 8 करोड़ लोगों को आप शरा पीने के बाद की खराबियों से रोक सकते हैं, डकैती से रोक सकते हैं, मुफलिसी से रोक सकते हैं अगर इसको आप बन्द कर दें इस 8 करोड़ जनता को आप मुसीबत से बचा सकते हैं। श्रीमन्, 27 करोड़ की आमदनी में 3 रुपया फी आमदमी टैक्स आता है। तो उत्तर प्रदेश की जनता जो शराब पीना नापसन्द करती है वह अगर आप चाहें तो इस टैक्स को बर्दाश्त कर सकती है।

बहर हाल आप इस बात को देखें कि जो यह मामला चलता है कि शराब कैसे बन्द हो, आमदनी का मसला है। तो बांगला देश जो अभी आजाद हुआ है वहां शराब पीना शेख मुजीबुर्रहमान ने हराम घोषित कर दिया है। कोई वहां शराब पी नहीं सकता है। बांगला देश में घुड़-दौड़ जिसमें पैसा लगाया जाता है, उसको भी बन्द कर दिया गया है। क्यों इसलिये कि बुजुर्गों का कहना है और किसी फकीर ने भी कहा था कि नाजायज कमाई से कभी वफा नहीं होगी और जायज कभी जाया नहीं होगी। नाजायज कमाई शराब की है। अगर देश का निर्माण नाजायज कमाई के आधार पर होगा तो इससे देश का उद्धार नहीं होगा। इस नाजायज कमाई से आबकारी इन्स्पेक्टर लेगा और इक्साइज कमिश्नर लेगा और ठेकेदार सीमेन्ट में बालू मिलाकर लेगा और उससे बरकत होने वाली नहीं है। वह कभी वफा नहीं करेगी और श्रीमन्, देख लीजिये गोरखपुर में पुल टूट गया। बीच का दर पानी में गिर गया। जगह-जगह इसी तरह से पुल और सड़कें टूट रही हैं। इसलिये कि जिस आदमी के हाथ में खर्च करने के लिये यह रकम होती है वह समझता है कि यह तो आसानी से आगई है। पानी की कमाई है और पानी में बेना है। श्रीमन, इस सदन में यह मांग होती रहती है कि कम से कम अगर शराब बन्द नहीं कर सकते तो इतना जरूर कर दें कि दुकानें ऐसी जगह न हों जहां बच्चों के स्कूल या कालेजेज हैं, मन्दिर और मस्जिद हैं। इन जगहों से इन दुकानों को हटा दिया जाय। हो सकता है कि इनको हटाने से कुछ कम आमदनी हो लेकिन इसको भी अभी तक नहीं किया है। बड़े अफसोस की बात है और आपने देखा होगा कि उन्हीं जगहों पर दुकानें हैं जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ रहती है और श्रीमन्, लखनऊ में दारुलसफा के नीचे ही दुकान है। यह रात भर खुली रहती है। बड़े अफसोस की बात है कि आप उस दुकान को भी हटा नहीं पाये, जबकि इस माननीय सदन की बराबर यह मांग रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार दुकानों को ऐसी जगह से हटा दे, जहां भी स्कूल, कालेजेज हैं, मन्दिर, मस्जिद हैं।

श्रीमन्, शाम को 6 बजे के बाद उस सड़क पर आदमी का निकलना भी दुश्वार है। तो आखिर हमारी पालिसी क्या है? एक तरफ तो आप कहते हैं कि प्राहिबिशन कौंसिल बनी हुई है, सूबे की भी कौंसिल बनी हुई है और जिले-जिले में प्राहिबिशन कमेटियां बनी हुई हैं जिनके

[श्री रियासत हुसैन]

चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहबान हैं। जब कभी साल, 6 महीने में वह मीटिंग बुलायेंगे तो विचार किस बात पर होगा कि शराब बन्दी कैसे की जाय। मैंने एक दिन कह दिया कि कोई बात नहीं है, ये दुकानें अगर आप बन्द कराना चाहते हैं तो आप खड़े हो जाइए, एक दिन के अन्दर सारी दुकानों की शराब उठवा कर फेंकवा दूंगा इसकी जिम्मेदारी मेरी रही। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या आप प्राहिबिशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं? अगर प्राहिबिशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि इस साल पीने वालों की तादाद अगर 100 थी तो अगले साल 125 तो नहीं हो जायेगी। होना यह चाहिए कि अगले साल पीने वालों की तादाद 100 के बजाय 80 रह जाय। लेकिन यह दुतरफा पालिसी मुनासिब नहीं है।

अगर हम समझते हैं कि इस प्रदेश के मारल को सही बनाने के लिये 28 करोड़ के रेवेन्यू को हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते तो फिर यह प्राहिबिशन का डेसीजन बेकार है। फिर तो आप कह दीजिए कि हमारा पैसा हमको दो और खूब पियो और पिलाओ जैसे ट्रांसपोर्ट वालों ने छूट दे दी है कि हमारा टैक्स हमें दे दो और बसें चलाओ। यह सीधी सी बात है। शराब दो लफ्जों से बना है, शर और आब। ऐसा पानी जो शर पैदा करे। उसका नाम बदल दीजिये। अभी राम कुमार शास्त्री जी ने कहा कि उसका नाम शराब के बजाय आबेहयात कर दीजिये जिसको पी कर जिन्दगी बढ़े तो ज्यादा उचित होगा। लेकिन यह बात मुनासिब नहीं है कि एक ऐसी लानत जिसकी वजह से हजारों कत्ल होते हैं। पुलिस के मोटिव में यह लिखा जाता है कि शराब पी कर अपनी बीबी का कत्ल कर दिया या किसी से झगड़ा हो गया, उसको कत्ल कर दिया। बाद में मेडिकल रिपोर्ट में निकलता है कि शराब पिये हुये था। इसका उसको एडवान्टेज मिलता है। जो जुर्म किया है वह शराब के नशे की हालत में किया है। इससे उसके जुर्म में कमी हो जाती है। बड़े-बड़े वकीलों ने जब देखा कि जुर्म कर ही आया है तो कहा कि चलो तुम्हारा मेडिकल मुआयना करवाएं। मेडिकल आफिसर से कहा कि अपना पैसा ले लो और या तो यह लिख दो कि यह पागल हो गया है या शराब के नशे में था। तो शराब पी कर, जो खुद एक जुर्म है, एक दूसरा संगीन जुर्म करे और उसमें उसको एडवान्टेज मिले यह पालिसी बिल्कुल उचित नहीं है। कितने घर खराब हो गये, कितने लोग मुफलिसी में आ गये इस शराब के कारण। हमारे राष्ट्र पिता, महात्मा गांधी ने, जिसके चरणों के नीचे यह सदन बैठा है, जिसकी रात दिन भाग-दौड़ के बाद यह देश आजाद हुआ उन्होंने मुहर लगाई इस बात की कि शराब पीना गुनाह है, पाप है। अब गुन्जाइश इसमें है तो कोशिश यह होनी चाहिये कि जो 54 लाख रुपये हैं इसके लिये हम 54 लाख नहीं, 1 करोड़ 54 लाख रुपये के लिये सदन की स्वीकृति लेंगे लेकिन कम्पलीट प्रोहीबीशन होगा और प्रदेश के अन्दर कोई शराब नहीं पियेगा और जो पियेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। तभी, श्रीमन्, इस प्रदेश का कुछ कल्याण होगा और गरीब जनता के घर तबाह होने से बच पायेंगे। मैं इस बात को एक बार नहीं, बार-बार इस सदन के अन्दर कह चुका हूं। लेकिन दुकानों को नहीं हटा सकते, क्योंकि उससे नीलामी होती है और उससे आमदनी होती है, तो यह हो सकता है कि हर शहर के अन्दर एक इण्टरटेनमेन्ट एरिया अलग बना दीजिये, उसका कोई नाम रख दीजिये, मदशाला उसका नाम रख दीजिये। मील या आध मील पर इसे बना दीजिये और जितनी दूकानें हैं, चाहे वे असली शराब की हों या स्प्रिट मिली हुई शराब की हों, वे वहां हों। लोग वहीं पर उनका स्तेमाल करें। और यह निश्चित है कि लोग शराब से मरने लगे हैं। वह मर जाते हैं और उन पर मुकदमा नही चलता है। कह दिया जाता है कि शराब पी ली, एडल्ट्रेटेड शराब थी, इसलिये मुकदमा नहीं चल सकता है। तो आप प्रोहीबीशन नहीं कर सकते हैं तो अलग एक रिक्रीएशन सेन्टर बना दें और सारी शराब की दूकानें चाहे वे, अंग्रेजी शराब की हों, या देशी शराब की हों, या दूसरी हों, वे सब वहीं हों। लोग शराब पियें और वहीं मरें। जो अनसोशियल एलीमेन्ट हों, वे वहीं पर हो। इस सम्बन्ध

में एक क्वालिटी निर्धारित कर दें कि हम प्रदेश को प्रोहिबिशन की तरफ से ले जाना चाहते हैं इस साल अगर 100 दूकानें हैं तो अगले साल केवल 80 होंगी। लेकिन अगर 100 के बजाय 125 हो गयीं तो फिर यह फेल हो जाता है। तब पीने वालों की तादाद भी बढ़ेगी। इन बातों को कहकर मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री रामपति (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, आपने जो मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं। यह जो आबकारी के सम्बन्ध में 54,84,700 रु० खर्च करने के लिये मांग की गयी है, उसमें से 54,84,699 रु० निकाल कर केवल 1 रु० रखा जाय क्योंकि यह जो विचार हो रहा है, आखिर यह मद्य-निषेध है क्या? आम तौर से तमाम लोग शराब, अफीम और गांजे से व्यापक रूप में मरते हैं। मैं कहता हूं कि आखिर नशा होता क्या है? जवाब यही है कि जब बहुत ज्यादा तादाद की किसी वस्तु को थोड़े में ला दिया जाता है, तो उसमें ताकत अधिक हो जाती है और वह नशा कर देती है। मिसाल के तौर पर अंगूर की शराब, संतरे की शराब, गेहूं की शराब, महुए की शराब, आदि-आदि हैं। ये सभी मादक हैं। इनकी 10 किलो या 20 किलो की मात्रा को एक छटाक में कर दिया जाता है तो ये शराब बन जाती हैं। तो मान्यवर, इन चीजों को जब साधारण रूप में खाया जाय तो कोई भी आदमी एक किलो से ज्यादा नहीं खा सकता। लेकिन जब 20 किलो की मात्रा को एक छटांक में ला देते हैं तो पीने वालों के लिये ये घातक होंगी और तरह तरह की खराबियां पैदा कर देंगी। मान्यवर, इस दृष्टिकोण से भी कि इनमें खाद्य सामग्री अधिक तादाद में खराब होती है, शराब बनाना उचित नहीं है। जिस मात्रा को शराब के रूप में केवल एक ही आदमी लेता है, उसको यदि उसे शराब में न बनाया जाय तो 20 आदमी ले सकते हैं। ऐसी सूरत में खाद्यान्न का भी ह्रास इसमें होता है। इससे बौद्धिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक ह्रास होता है। आदमी शराब पीकर नाली में गिर पड़ता है। अपनी मां बेटियों और बहिनों तक को गालियां देने लगता है। फिर पीने के लालच में वह इस बात की परवाह नहीं करता कि घर में बाल-बच्चों के लिये खाने-पीने के लिये भी है अथवा नहीं, सारे पैसे को वह शराब में ही खर्च कर डालता है। यहां तक कि घर का सामान तक बेच डालता है। इसका समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इन मादक वस्तुओं के कारण भ्रष्टाचार भी बहुत पनप रहा है। आये दिन गांजे आदि के व्यापारी पकड़े जाते हैं मगर वे सभी खा-पीकर छोड़ दिये जाते हैं। कई शराब की नाजायज भट्टियां चला करती हैं। ले-देकर ताड़ी की दूकानें ऐसी जगह खोल दी जाती हैं जहां नहीं खोलनी चाहिये।

मान्यवर, आजकल बड़े जोरों से नसबन्दी अभियान चल रहा है। मेरा विश्वास है कि अगर आप शराब बन्दी अभियान चलायें और शराब बन्द हो जाये तो नसबन्दी की आवश्यकता ही नहीं रह जायगी, बच्चे अपने कम पैदा होने लगेंगे। इससे जो आय में कमी होगी उस कमी को आप नसबन्दी में खर्च होने वाले खर्च को कम करके पूरी कर सकते हैं क्योंकि फिर मेरा ऐसा विश्वास है कि नसबन्दी की आवश्यकता नहीं रहेगी।

मान्यवर, इस विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार है। यदि कोई पकड़ा जाता है तो पैसा लेकर आबकारी विभाग के लोग उसे छोड़ देते हैं। जब कोई तीन बार पकड़ा जाता है तब उसे सजा होती है। पहली बार माफी मांगने पर ही छोड़ दिया जाता है। दूसरी बार दो तीन दिन की सजा होती है। पहले जमाने में, मान्यवर, समुद्र मन्थन हुआ था। जिसकी बुद्धि लेनी हो उसको शराब पिला दी जाय तो उसकी बुद्धि का विनाश हो जाता है।

मान्यवर, मिसाल के दौर पर देखें। हमारे शास्त्र के आधार पर जब बलवान लोग बढ़ने लगे और दूसरे लोग जो सामन्ती किस्म के थे कमजोर पड़ने लगे। तो इन सामन्ती लोगों ने आपस में गुप्त मन्त्रणा की और यह निश्चय किया कि सागर मंथन का खेल खेला जाए। उसमें 14 रत्न निकले और बलवानों को शराब पिला कर सारी अच्छी-अच्छी चीजें इन लोगों ने आपस में बांट

[श्री रामपति]

ली और उन लोगों को परस्पर लड़ा दिया, जिससे उनका सत्यनाश हो गया। जब आदमी शराब पीने का आदी हो जाता है तो वह अपना सब कुछ खो बैठता है। जैसे उनके लिये विद्या निषेध था, उसके साथ ही नशा निषेध कर दिया जाता तो अच्छा होता। लेकिन उनको बर्बाद करने का साधन दिया गया कि तुम अपने पैरों पर अपने हाथ कुल्हाड़ी मारो। समाज को सुधारने के लिये नशाबन्दी होना जरूरी है। कम से कम उत्तर प्रदेश में इस नशाबन्दी को कर के आपको एक आदर्श उपस्थित करना चाहिये। कहते हैं, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, एक पाये बौरात है, एक खाये बौराय। मेरे कहने का मतलब यह है कि सोने की–पूंजी का नशा भी बहुत लम्बा होता है। सोने को पाने से आदमी बौराता है, और धतूरे को खाने से बौराता है। इसलिये पूंजीवादी व्यवस्था और नशे बाजी दोनों में एक साथ कमी की जाय। तब आपका समाजवाद सही होगा, नहीं तो आपका वह ख्वाब ही ख्वाब रहेगा।

श्री कन्हैया लाल बाल्मीकि (जिला हरदोई)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मै, माननीय आबकारी मन्त्री जी ने जो अनुदान रखा है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कटौती का प्रस्ताव जो शर्मा जी ने रखा, उसको मैंने सुना, और उसके बाद रियासत हुसैन साहब बोले उनको भी सुना और फिर तीसरे बोलने वाले सज्जन को मैंने सुना। इन तीनों सदस्यों को सुनने के बाद मैं उस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इनका विचार है जो नशेबाजी इस प्रदेश में हो रही है, वह सरकार द्वारा चलाई जा रही है और इसका सरकार पर ही सारा दोष है। मैं यह समझता हूं कि ऐसा सोचना मेरी अपनी विचार-धारा से नितान्त गलत है। क्योंकि मैं इस प्रदेश में सन् 47 से 52 तक मद्य-निषेध प्रचारक रहा हूं। कानपुर में बहुत दिनों तक इस कार्य में लगा रहा, मेरे साथ भजन-मण्डली थी और सरकारी गाड़ी भी थी। उसके बाद, उसके फलस्वरूप कानपुर को ड्राई एरिया घोषित कर दिया गया। उसके बाद मैंने यह अनुभव किया कि पहले वहां पर जितनी शराब आदि की दुकान थी, ड्राइ एरिया घोषित होने के बाद उससे ज्यादा दुकानें हो गईं-हर मोहल्ले में उसकी अवैध दुकानें हो गईं। इससे सरकार के रेवेन्यू का लास तो हुआ और मद्य-निषेध के बजाए नशेबाजी का प्रचार हुआ।

मेरा सुझाव यह है, कि शुरू में जब मद्यनिषेध विभाग खुला था 1947 में उस समय चौधरी गिरधारीलाल जी आबकारी मंत्री थे, उस समय हर एक बिरादरी के चौधरियों, मुसलमानों, ईसाइयों, धोबी बिरादारी, चमार बिरादरी, हर एक बिरादरी के चौधरियों को बुलाकर उनके द्वारा पांचायतें बनायी गयीं थीं। और कहा गया था कि उसमें प्रतिबन्ध लगाया जाय कि जो शादी बिवाह में पी कर आयेगा उसका जाति बहिष्कार होगा, हुक्का-पानी बन्द होगा। इसी तरह मैं शर्मा जी से, और भाई रियासत साहब से प्रार्थना करूंगा कि इसके लिए धार्मिक प्रचार होना चाहिये। शर्मा जी की जानकारी के लिये मैं बता दूं, अघोरी (बांम) पंथी हैं उनकी धार्मिक पुस्तकों में लिखा हुआ कि पितवा पितवा पुनः पितवा यावत पतिता भूतले, पुनरात्थायें वे पितवा पुनर्न्मिना विद्यते। पियो-पियो, फिर पियो, जमीन पर गिर पड़ो, और फिर उठ कर पियो, तो ८४ लाख योनियों से मुक्ति मिल जायगी। स्वर्ग मिल जायगा। ऐसी पुस्तकों का विरोध होना चाहिये। इसी तरह से किसी मुसलमान भाई ने लिखा है साकी शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, या वह जगह बता दे जहां पर खुदा न हो। इन पर ऐतराज होना चाहिये, इसका विरोध करना चाहिये। एक साहब लिखते हैं, जो पीता हूं तो उड़ती है सितारों से भी कुछ आगे, वगरना जिन्दगी जेरे जमीं मालूम होती है। एक और साहब लिखते हैं, जर हुस्न व जवानी" में भी तो नशा है, फिर मय में क्या खराबी है, ये वादानोशों को कोसने वालों इंसान फितरत शराबी है। ऐसी बातें जो लिखी जाती है किताब में उनका विरोध करना चाहिये, हर मजहब की तरफ से धार्मिक प्रचार होना चाहिये।

सरकार की तरफ हर एक चीज के लिये मुंह देखना उचित नहीं है, सरकार ने चम्बल घाटी में क्या किया? हजारों डाकू हथियार डालने के लिये तैयार हो गये। इस योजना में सरकार

के अधिकारी नहीं थें। कौन सा विभाग बनाया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने या केन्द्री सरकार ने जो डाकुओं से हाथियार डलवा दिये। ये समाजिक कार्यकर्त्ता थे। उन्होंने ऐसा वातावरण बनाया और अपनी जान खतरें में डाल कर प्रचार किया। तब उनका हृदय परिवर्तन हुआ। अगर नशाखोरी बन्द करनी है तो हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई, हर मजहब के मानने वाले सामाजिक कार्यकर्ता समझाएं और किताबों में समाचार-पत्रों में इसका विरोध करें, नशाखोरी को खराबियां बताएं। मेरी बिरादारी ने जब मैं 23-24 साल का था तो, मेरा जाति बहिष्कार कर दिया था, बिरादारी ने मेरा हुक्का पानी बन्द कर दिया था। मैंने शराब के ऊपर एक किताब भजन सुधार लिखी थी। मेरी बिरादारी के चौधरियों ने कहा कि यह नौजवान लड़का हम लोगों का तिरस्कार करता है। उस जमाने में पंचायत तब होती थी जब शराब की बोलतें आ जाती थी। मैं पहले यह समझता था कि जब ये बुड्ढे नहीं रहेंगे, शराब बन्द हो जायगी, लड़के शराब पीना, पसंद नहीं करेंगे लेकिन आज जो लड़के दसवीं क्लास में, बारहवीं क्लास में पढ़ते हैं वे भी बूरी तरह से शराब पीने लगे है। एक तो शराब बन्द करने का यह तरीका है। दूसरी चीज यह कि शराब खोरी महंगी की जाय। मैंने 1947 में कहा था कि शराब की बोतल की कीमत 25 रुपये की जाय जैसा एक सज्जन ने कहा शराब पीने में थकान उतर जाती है। और गरीब मजदूर इसलिये शराब ताड़ी पीते हैं। श्रीमन् मेरा सुझाव है कि शराब की बोतल की कीमत 50 रुपये की जाय और ताड़ी की कीमत 5 रुपये से कम न हो और विदेशी शराब की कीमत 100 रुपये से ऊपर हो। इससे गरीब ताड़ी अथवा शराब नहीं पी सकेगा। वैसे तो जो पीने के आदी हैं वे अगर ताड़ी और शराब मंहगी होने के कारण नहीं पीते हैं तो सिग्रेट पीते हैं। मेरा सुझाव है कि स्प्रिट बेचने वालों के दूकान पर रजिस्टर हो। चोट के लिये स्प्रिट लेने कोई आये तो उसके पास डाक्टर का सर्टिफिकेट हो। मैंने देखा कि कन्जर लोग मांस के साथ अधिक स्प्रिट पीते हैं। उसमें कमी होगी इसके अलावा हरिजनों के मोहल्लों में शराब तथा ताड़ी की दूकानें बन्द की जायं। बरेली में वाल्मीकियों की बस्ती में तथा दारूलशफा के पीछे जहां 25, 30 घर बाल्मीकियों के है शराब की दूकानें ह जो नहीं होनी चाहिये। वहां से हटाई जांय फिर यह देखो शराब तथा ताड़ी के लाइसेन्स ऐसे लोगों को ही मिलते हैं जो एक घर के ही लोग होते हैं। एक आदमी दस-पांच नाम से यह लाइसेंस ल लेता है। मेरा सुझाव है कि हरिजनों को ये लाइसेंस दिये जाय क्योंकि वे धर्म-कर्म से डरते हैं और वे गलत काम नहीं करेंगे। इसके अलावा मन्दिर, मस्जिद तथा स्कूलों के पास से ये नशे की दूकानें हटा दी जांय। इन शब्दों के साथ में इस गत अनुदान का समथन करता हूं।

*श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, आबकारी मंत्री जी का कुल बजट मिला कर 62 लाख का है। यह बजट अगर मद्य निषेध की बाबत होता है तो इससे अधिक बजट की मांग की जा सकती थी और उसमें हमको इंकार नहीं होता। उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति में अगुवा रहा है, यह राम और कृष्ण की धरती रही है और जहां पर गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां हैं। समस्त हिन्दुस्तान के लोग इस प्रदेश में दर्शनों के लिये आते हैं। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि प्रत्येक मुल्क आजाद हुआ है किन्तु हमारे मुल्क ने आजामी की प्राप्ति के लिये गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों के आधार पर लड़ाई लड़ी है। चाहे इस पक्ष के लोग हों और चाहे उस पक्ष के लोग हों, आज सत्ता उन्हीं लोगों केहाथ में है जिन्होंन गांधी जी के चरणों में गिरकर यह कहा था कि जब हमारा देश आजाद हो जायेगा तो हम आपके आदर्शों के मुताबिक इस देश को ले जायेंगे किन्तु आज आजादी प्राप्त होने के 25 वर्ष के बाद भी जब कि हमारे जो मुख्य मंत्री हैं वे सबसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री इन्द्र मणि]
ज्यादा गांधी जी के निकट रहे हैं और आबकारी मंत्री भी रहे, मुझे यह कहने में हिचक हो रही है, कि उनके बताये रास्तों की ओर इस देश को नहीं ले जाया जा रहा है।

मद्य निषेध हम कहेंगे तो बड़ा जुल्म हो जायेगा। जैसा कि अभी हमारे कुछ बन्धुओं ने कहा है कि हिन्दुस्तान में अभी जो असेम्बलीज के चुनाव हुए हैं केवल शेख मुजीब के नाम पर और बंगला देश के नाम पर इनकी जीत हुई है। लेकिन शेख मुजीब ने कितना बड़ा काम किया कि एक ही दिन में उन्होंने यह आदेश दे दिया कि बंगला देश में कहीं भी शराब नहीं बिकेगी। साथ ही उन्होंने यह भी आदेश दिया कि विदेश में जो उनके राजदूत हैं चाहे वह रूस हो, अमेरिका हो या इंग्लैंड हो वे भी किसी को शराब सर्व नहीं करेंगे। वे कितने बड़े गांधी जी के अनुयायी हैं। किन्तु हमारे इस देश में मद्य निषेध लागू नहीं हो पाता। जैसा मैंने कहा कि बजट में ऐसा प्रतीत होता है कि जो यह आबकारी बजट है वह नशे में बनाया गया है। वित्त सचिव के स्मृति पत्र में लिखा है कि मेरी समझ में नहीं आता है कि यह बजट 1971–72 के 64.10 हजार की तुलना में आय-व्ययक के वर्ष में 62.71 हजार का अनुमान है जो कि 1.39 की वृद्धि व्यक्त करता है। जब 1972–73 में कम पैसा खर्च हो रहा है। तो क्या वृद्धि हो रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि कोई ठेकेदार उनके पास आ गये होंगे और पिलाने के बाद यह लाइन लिख दी होगी।

इसके आगे देखिये। दो प्रकार का बजट है जिसमें कि सरकार की दुरंगी नीति स्पष्ट दिखाई देती है। एक तरफ तो मद्य निषेध को लागू करने की नीति है और एक तरफ उसको प्रश्रय देने की बात कही गयी है। एक तरफ मद्य निषेध कर्मचारी वर्ग पर 4 लाख 68 हजार रुपया कम किया गया है और इसी प्रकार विज्ञापन और समाजोत्थान में 7 हजार रुपये की कमी की गई है। बजट का वह पक्ष जिसमें मद्य निषेध की बात थी चाहे वह धार्मिक स्थान थे उनको साफ उड़ा दिया गया है और दूसरा पक्ष जिसमें माल मिलता था जिसमें फायदा होता था उसको रख दिया। आबकारी आयुक्त जो हैं उनको 800 रु0 से 2 हजार रुपये का स्केल दिया गया है और दूसरे जो हैं उनको 600 से 1250 का स्केल दिया गया है सहायक आबकारी आयुक्त को 300 से 900 रु0 दिया गया है किन्तु जो मद्य निषेध का सबसे बड़ा कर्मचारी है उसको ढाई सौ से साढ़े पांच सौ रुपये का वेतनक्रम आगे दिया गया है। तो आपको अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि मद्यपान करके ही आप देश को ले जाना चाहते हैं और उसी में आपको भलाई दिखाई देती है तो उसी के मुताबिक आप चलें।

लेकिन एक बात बतलाता हूं। मैं उस जगह का रहने वाला हूं। रियासत थी और 84 भट्टियां थीं। 2 लाख की आबादी थी, आज तो तीन लाख हो गयी है तो हम सब ने कहा कि इन भट्टियों को आग लगाओ और एक दिन हुआ कि सब भट्टियों को लेकर आन्दोलन हुआ, राजा को निकाला गया। इसी तरह से चीन की मिसाल आप के सामने है। वहां सरकार ने अफीम खिला कर राज्य किया लेकिन एक रोज ऐसा आया कि वहां की जनता उठी और उस सरकार को हटाया।

मंत्री जी के हम आभारी हैं कि उन्होंने अबकी साल उत्तराखंड, टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल में मद्य-निषेध लागू किया। मैं 9 तारीख को वहां गया था, आपको जानकारी शायद न हो कि एक अंग्रेजी की शराब की दूकान पर साइनबोर्ड लगा हुआ है। जिलाधीश से मिला तो उन्होंने बताया कि दवाई के लिये यहां से मिलेगी। 1 अप्रैल से मद्य निषेध लागू कर दिया है लेकिन बिक्री का साइनबोर्ड अब भी लगा है। कुछ ऐसे दबाव वाले लोग लाइसेंस वाले यहां पर हैं जिनके रिश्तेदारों को लाइसेंस मिले हैं। तो इस प्रकार से बच्चों की तरह सरकार को बात नहीं करना चाहिए कि मद्य निषेध हो गया है और अंग्रेजी की दुकान खुली रखी गयी। इस तरफ विशेष ध्यान दें। इस देश की रक्षा के लिये मजबूत, शक्तिशाली आदमी चाहिए और वह तभी पैदा होगा जब उसकी आदत बदलेंगे। आर्थिक प्रगति के लिये भी आप को आदमियों को होश में

लाना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मद्य-निषेध आपको पूर्णरूप से करना होगा। कुछ लोग दलील देते हैं कि मद्रास और अन्य जगहों पर सरकारोंने मद्य-निषेध लागू किया था, अब उसे खत्म कर दिया है, इसलिए उत्तर प्रदेश में मद्य-निषेध नहीं हो सकता है। लेकिन मद्रास, बाम्बे चाहे कोई राज्य हो यह भारतीय संस्कृति का प्रतीक नहीं रहा। यह तो हमेशा उत्तर प्रदेश ही रहा है। जब गांधी जी ने कहा है कि सब बुराइयों की जड़ मद्य-पान है (लाल बत्ती होने पर) एक मिनट और। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की गरीबी दूर हो तो सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में मद्य-निषेध करना चाहिए। मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड के जिलों में किया है, लेकिन यह नीति स्पष्ट होनी चाहिए वहां पर अंग्रेजी की दूकानो को बन्द करके और अगर दवाई के रूप में देते ह तो उसको सरकार हास्पिटल में रखे, सरकारी ट्रेजरी में अफीम की तरह से रखे, दूकानों पर नहीं और ऐसे कर्मचारियों को वहां भेजे जो मद्य-निषेध में विश्वास करते हों, मद्य-पान न करते हों ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा सार्थक बना सकें।

श्री राम लाल भाई (जिला गोरखपुर)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने हमारे माननीय आबकारी मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसके समर्थन में बोलने के लिये अवसर दिया है बहुत से माननीय सदस्यों ने गांधी जी के सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लिया होगा, वह हमेशा कहते थे कि हमारी हार्दिक इच्छा हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी हो, और शराब बन्दी हो। पर हम भाषण में सुना देते है और कार्यान्वियन नहीं होता है। मुख्य प्रश्न यह है कि इससे राजस्व 29 करोड़ रुपया वसूल होता है। इस कमी को किस तरह से पूरा किया जायेगा। व्यापारी वर्ग जब कोई बिजनेस करता है तो सोचता है कि एक रुपया लगाने पर अगर तीन रुपये प्राप्त होते हैं तो इस पर ही वह ध्यान देता है। इसी तरह से हमारे मंत्री जी का हाल है वह सोचते है कि 54 लाख लगा कर इससे 29 करोड़ रुपया मिलता है। लेकिन यह नहीं सोचते है कि सरकारी विभागों की लापरवाही के कारण इसमें 50 परसेंट चोरी में चला जाता है। और भी विभाग हैं जैसे इलक्ट्रिसिटी बोर्ड है सिंचाई है उसमें करोड़ों रुपयों का नुकसान है। अगर इन चीजों की तरफ ध्यान दिया जाय तो यह कमी बड़ी असानी से पूरी हो जायेगी।

(इस समय 6 बजकर 16 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

पुराने जमाने में शादी विवाह भी करते थे तो पूछते थे कि परिवार का आचरण कैसा है। क्या खाते-पीते है। श्रीमन में आपको एकपरिवार की कहानी सुनाता हूं एक ब्राह्मण अपनी लड़की की शादी करने के लिये गया। उस ने पूछा कि लड़का क्या करता है क्या खाता है तो उन्होंने कहा कि प्याज खाता है। इस पर उसने कहा कि हम शादी नहीं करेंगे। तब पुनः परिवार के एक व्यक्ति ने कहा कि कभी कभी जब गोश्त बनता है तो प्याज खा लेता है। यह सुनकर उसे और भी ताज्जुब हुआ। उसने कहा कि यह ठीक नहीं है तो व्यक्ति ने पुनः कहा कि कभी भी शराब पीता है तो शराब के साथ खा लेता है। पहले लोग ऐसे परिवार में शादी विवाह करना पसन्द नहीं करते थे। लेकिन आज अगर शराब की दुकान है इन्जिनियर है तो उस परिवार में जरूर शादी करेंगे क्योंकि उनकी काफी आमदनी होती है। यह भी देखते है कि इसके परिवार वाले क्लब वगैरा में जाते हैं। तो उस परिवार के लोग उच्च समझते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कि इनका स्टैंडर्ड हाई है। आज का माप दण्ड यह है। पुराने लोग जानते थे कि हमारा कर्त्तव्य क्या है। लेकिन इधर ध्यान नहीं दिया जाता है कि 29 करोड़ लाभ के लिये लोगों का जीवन भ्रष्ट हो रहा है। अभी बम्बई और दिल्ली तथा कानपुर में कई मृत्युयें शराब पीने से नहीं बल्कि डिनेचर के पीने से हुई है। दुकानदार को पकड़ा गया लेकिन उसका केस कम्पाउंड हो जाता है यानी 100-200 रुपया जुरमाना करके उसको छोड़ दिया जाता है। अगर कोई कत्ल कर देता है तो उसको फांसी दी जाती है लेकिन एक दुकानदार गलत शराब बेचता है जिससे 10-5 आदमी मर जाते हैं तो उसके केवल 200 रुपया जुरमाना हो जाता है और वह छूट जाता है। 200 खर्च करने में लाखों की आमदनी सकड़ो की हत्या वंचित हो जाता है।

[श्री राम लाल भाई]
इस विभाग के अधिकारियों में भी रिश्वत बहुत तगड़े रूप से चलती है। आबकारी इंसपेक्टरों के पास 2-3 मोटर साइकिलें रहती हैं तरह-तरह के ऐशो आराम की चीजें रहती हैं। लेकिन सभी भ्रष्ट नहीं हैं। कुछ ईमानदार भी होते हैं। अभी निचलौल में श्री मणि बहादुर सिंह जी सी० आई० डी० के डी० एस० पी० हैं, उन्होंने अपनी तत्परता एवं होशियरी से एक लाख 40 हजार गांजे का ट्रक पकड़ा जिन्हें पुरस्कार मिलना चाहिये। ताकि अधिकारियों का मनोबल बढ़े। अगर नशा बंदी करना मुश्किल ही है तो कम से कम इसमें सुधार कर दें। जिस तरह से शुगर फैक्टरीज का राष्ट्रीयकरण कर किया गया है उसी तरह से शराब की दुकानों का तथा जो बनाते हैं उनका भी राष्ट्रीयकरण कर दें। उन्हीं व्यक्तियों को लाइसेंस दिये जायं जिनके ऊपर इत्मीनान हो। ताड़ी पीने से इतना नुकसान नहीं होता है क्योंकि वह ताड़ से बनाई जाती है लेकिन अर्टीफिशियल ताड़ी पीने से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इससे बीमारी फैलती है और अस्पतालों में इनको भर्ती कराना पड़ता है। इससे अन्य लोगों को अपना इलाज कराने में दिक्कत होती है। तथा अनावश्यक खर्च बढ़ता है बीच बाजार में शराब की दुकानें होती हैं जिससे शरीफ परिवार उधर से गुजरता है तो उसको 2-4 गालियां सुनने को मिलती हैं। शराब पीकर लोग नालियों में लोटते हुए दिखाई पड़ते हैं। यही मनुष्य जीवन है यह तो जानवरों से भी बदतर जीवन है। सुबह मालूम हुआ कि वह मनुष्य मर गया। यह क्या जनहित हुआ। किसी भी तरह से सोच लीजिये २९ करोड़ रुपया, नौ करोड़ की आबादी के लिये कोई खास नुकसान की बात नहीं है। अभी आपने सुना होगा कि एक आदमी ने शराब पीने के लिये अपनी औरत से पैसा मांगा। क्योंकि गरीब लोग थे। औरत ने पैसा देने से इनकार कर दिया तब उसने उस औरत की दोनों आंखें निकाल लीं। क्या माननीय मंत्री जी इससे सोचते हैं कि 29 करोड़ का नुकसान उठाने से जन-जीवन का नुकसान अच्छा होगा। जिसके कारण लोग चैन से नहीं सो पाते उसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। आज बड़ी खुशी की बात है कि कोआपरेटिव विभाग की, एक स्कीम चली है श्वेत क्रान्ति की। उसमें आप इस रुपये को, कर्मचारियों को अधिकारी को लगा दें तो लोगों को स्वास्थ्य के लिए कुछ दूध तो मिल जायगा तथा सुख की नींद से लोग तथा परिवार के व्यक्ति सोयेंगे।

बंगला देश का इतना सारा व्यय जनता ने हर्षपूर्वक सहा। 9 करोड़ की आबादी है उस पर 29 करोड़ रुपया का भार और आ जाय तो जनता उसको खुशी के साथ सहन कर लेगी अवश्य ही कर लेगी और हम भी जनता से अपील करेंगे। केवल 3 1/4 रु० प्रतिवर्ष ही तो आयेगा ? 1 पैसा भी प्रति व्यक्ति प्रति दिन नहीं आता है। जनता इस रकम को इच्छा से दे देगी और आपके घाटे की पूर्ति भी हो जायेगी। फिर आप क्यों 29 करोड़ रुपये के स्थान पर जनता को परेशानी में डाले हुए हैं। मंत्री जी तो गांधी जी के साथ भी रहे हैं उनको गांधी जी की अन्तिम इच्छा को पूरी करनी चाहिये। मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ जिलों में मद्य निषेध लागू हो गया है पर रफ्तार धीमी है। इसे तत्काल बढ़ायें।

इसके अलावा चार-चार जिलों में आपने एक मद्य निषेध अधिकारी रख छोड़ा है और पीने वालों की संख्या है लगभग लाखों की। एक मद्यनिषेध अधिकारी किस-किस को देखेगा। वह भी सोचता है हम भी थोड़ी सी पीकर सो जाएं। 250 रु० तनख्वाह मिलती है, वही काफी है और शराब की दूकानों से भी उसके पास पैसा आ जाता है वह कहता है चलो वहां न जायेंगे यह एक सामाजिक अपराध है। इसे रोकना अति आवश्यक है।

माननीय मंत्री जी ने कानपुर में एक दुकान पर गांजा पकड़ा। मुझे जहां तक जानकारी है लेकिन बाद को अधिकारी ने 250 रु० में उसको कम्पाउन्ड कर दिया। कई लाख रुपया कमाया और 200–300 रु० जुर्माना हो गया दुकानदार को क्या नुकसान हुआ ? इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे पूर्ण मद्यनिषेध तुरन्त लागू कर दें।

*श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, यह एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर आमतौर से दो रायें यह बात दूसरी हैं कि आत्मा की आवाज को दबा कर कांग्रेस के लोग इस बात को न सोचें कि मद्य निषेध नहीं होना चाहिये। मैंने अभी तक उस ओर से एक भी भाषण ऐसा नहीं सुना जिसमें यह कहा गया हो कि मद्य निषेध नहीं होना चहिये। इसके विरोध में केवल दो ही बातें कही जाती हैं। पहली यह कि हमारे रेवेन्यू का लास होगा और उसका अन्दाजा करीब 28 करोड़ लगाया जाता है। दूसरी दलील यह दी जाती है कि अगर हमने इसको बन्द कर दिया तो घर-घर में कच्ची शराब बनने लगेगी और बाद में नुक्सान होगा। मैं समझता हूं कि आमतौर से जो यह तर्क किया जाता है, इसकी टांगे नहीं है, यह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। जिस समय संविधान इस देश का बना था उस समय इस बात के ऊपर काफी उन सारी आपत्तियों के बावजूद संविधान के निर्माताओं ने उसको डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स के आर्टिकिल 47 में रखा और उन्होंने यह इसलिये रखा और इस बात को जानते हुए रखा देश की प्रगति में मद्यनिषेध अत्यावश्यक है। अगर यह कोई कहे कि उत्तर प्रदेश को 28 करोड़ रुपये का लास हो जायगा तथा और प्रदेशों को भी ऐसा ही नुक्सान होगा लेकिन उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि कई बार हम लोग गाड़ी को घोड़े के आगे खड़ा कर दिया करते ह।

हम यह सोचते है कि मद्यपान जारी रहने से हमें रुपया मिलता हैं लेकिन हम यह क्यों नहीं सोचते कि अगर हम देश में मद्यनिषेध करते तो मनुष्य के कार्य करने की जो शक्ति है जो उसकी वर्किंग कैपेसिटी है, जो उस की उत्पादन क्षमता है वह कितने गुना बढ़ जायगी। कभी इस चीज का अनुमान शासन की ओर से नहीं लगाया गया।

आज मद्यपान के कारण देश में तरह-तरह के अपराध, हत्यायें, लूटपाट, जरायम होते हैं और इनके कारण देश का कितना रुपया और शक्ति मुकदमों और न्याय अदालतों और पुलिस पर व्यय होता है। सारे प्रबन्ध पर कितना व्यय राज्य को करना होता है उसमें मद्यनिषेध करने से अवश्य कमी आ जायगी। आप यह क्यों नहीं सोचते कि मद्यनिषेध के बाद इस देश के अन्दर व्यक्ति के चरित्र का कितना उत्थान होगा, कितना उस का विकास होगा और वह इस 28 करोड़ की हानि से कहीं अधिक ज्यादा होगा। महात्मा गांधी ने जो शब्द लिखे उन को मैं दोहराना नहीं चाहता, उन्होंने कहा था मैं देश को कंगाल हो जाना पसन्द करूंगा लेकिन मैं हर हालत में मद्यनिषेध चाहूंगा।

भाई रियासत जी ने कहा कि बंगला देश के निर्माण के बाद वहां पर यह घोषणा कर दी गई कि वहां मद्यनिषेध होगा। मैं जानना चाहता हूं कि संविधान के डाइरेक्ट प्रिंसिपिल्स की कितनी कीमत है, उन की कोई कीमत है या नहीं, हमारे ऐलानों की कोई कीमत है या नहीं, कांग्रेस के प्रस्तावों की कोई कीमत है या नहीं, महात्मा गांधी के कीमती वचनों की कोई कीमत है या नहीं और अगर इन सब की कोई कीमत नहीं है तो रुपया कमाने के लिये मैं आप को चुनौती देता हूं कि शराब के अलावा और भी जो अनतिक तरीके से आप की कमाई हो सकती वह सब आप कीजिये, आप खोल दीजिये हर तरह के दूसरे अड्डे के ब्योरे को मैं यहां नहीं रखना चाहता लेकिन बहुत सी तरह के अनैतिक अड्डे हो सकते हैं, उनको आप चलाइयें और कमाइए करोड़ों रुपया और उन से आप की रेवेन्यू पूरी हो जायगी। लेकिन उसका नतीजा आप देखेंगे कि प्रदेश का का नवयुवक गिरेगा और हर तरह से उसका ह्रास होता चला जायगा और नैतिक पतन होता चला जायगा। आप को बड़ी खुशी हो रही है कि रेवेन्यू कोष में रुपया जमा होता चला

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

जा रहा है मैं यह कहूंगा कि यह जो रेवेन्यू की दलील और लालच है इसको तो मैं समझता हूं कि आज हमें स्वीकार नहीं करना चाहिये । आपको ध्यान होगा कि केन्द्रीय सरकार के एक योजना आयोग ने अपनी एक स्टडी टीम गठित की थी जस्टिस टेक चन्द्र की अध्यक्षता में और उस टीम ने सिफारिश की थी कि 12 साल के अन्दर पूरे देश में मद्यनिषेध की योजना बनाई जाय और उन्होंने मद्यपान की तमाम बुराइयों की ओर उसमें संकेत किया है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि ऐसी संभावना हो कि गलत ढंग से शराब निकालने की कोशिश हो और उसको रोकने के लिये भी उन्होंने सुझाव दिया है। मैं नहीं जानता कि सरकार उस पर विचार कर रही है या नहीं। यह जो कहा जाता है कि मद्यनिषेध होगा तो गलत ढंग से अधिक शराब निकलने लगेगी लेकिन दिल्ली में और जगह-जगह पर मौतें हो गयीं, उनकी गहराई में आप अगर जायं तो पता लगेगा कि यह मौतें वहीं हुई कि जहां पर देसी शराब के ठेके चालू हैं, वहां पर कितनी मौतें हुई हैं आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते । सन् 1969-70 में आप ने अपने गोदाम से शराब की 25 लाख 30 हजार बोतलें निकालीं जबकि बिक्री की गई 34 लाख 16 हजार बोतलों की। यह कोई गोगिया पासा का जादू तो है नहीं कि वहां जाकर वह बढ़ गयीं, उनके अन्दर कुछ पानी और डिनेस्चर्ड स्प्रिट मिलाकर बोतलों की संख्या बढ़ाई जाती है और उसको विषैला बनाया जाता है। इस तरह की बिक्री का काम आज भी होता है। मेरा कहना है कि अगर मद्यनिषेध होगी तो इस तरह की नाजायज भट्ठियों और बिक्री के सेन्टर्स को पकड़ने में एक्साइज वालों और पुलिस वालों को आसानी होगी और वह आसानी से पकड़ सकेंगे। यह जो तर्क दिया जाता है कि अगर मद्यनिषेध होगा तो जगह-जगह शराब निकाली जाने लगेगी और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आज तो पुलिस और एक्साइज वाले मुहल्ले में जाकर भेद नहीं कर पाते कि कौन जायज है कौन नाजायज है लेकिन पूर्ण मद्यनिषेध के बाद वह आसानी से पकड़ में ला सकेंगे कि कहां-कहां गलत तरीके से शराब निकाली जा रही है। आपने दो-तीन जिलों में एक्सपेरीमेंट किया उसका मैं स्वागत करता हूं ।

आप क्रमिक रूप से नशाबन्दी कर रहे हैं, यह संतोष की बात है लेकिन रफ्तार बहुत धीमी है। इस रफ्तार से आप कहीं भी बन्द नहीं कर पायेंगे । जब प्रारम्भ में नशाबन्दी हुयी तो ११ जिलों में लागू की गयी थी लेकिन नीति धीरे-धीरे बदल गयी। आज पवित्र स्थानों की बात है कि जहां पर यह नहीं होना चाहिये। तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप ने हरिद्वार और ऋषीकेष में नशाबन्दी कर दी है तो देहरादून ने क्या कसूर किया है। वह भी एक टूरिस्ट सेंटर है, वहां पर अगर नशा बन्दी न की गयी तो जो आपने गली गली और कूचे-कूचे में शराब की दुकानों को खुलवा दिया है जिसके कारण भ्रष्टाचार फैला है, आप उधर से निकल नहीं सकते हैं । मुझे भी बहुत चिन्ता हो गयी है कि सरकार की कथनी और करनी में कितना अन्तर है ।

मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने आदेश दिया कि देहरादून की घनी आबादी में, जहां पर मंदिर हैं, मसजिद हैं और स्कूल हैं, वहां से दुकानें हटायी जायं लेकिन विभाग को अपनी रेवेन्यू की चिन्ता थी । विभाग यहां से आदेश देता है कि दुकानें नहीं हटायी जायेंगी। हजारों लोगों ने नीलामी के समय तम्बू को घेर लिया और मैं माननीय मंत्री जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर उनको वहां से न हटाया गया तो हर दुकान पर पिकेटिंग होगी और इन गन्दगी की दुकानों को वहां पर नहीं रहने दिया जायगा । यदि देहरादून के मामले में आपने वचन का पालन नहीं किया तो आपको इस आन्दोलन का मुकाबला करना पड़ेगा, जिसके कारण हजारों लोग जेल में जाने के लिये तैयार हैं । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो सीमित नशाबन्दी मंगलवार को आपने की है, इसके बारे में विधान सभा में एक प्रश्न भी किया और वह कार्ड भी प्रस्तुत किया था जिसमें मंगलवार को ही लखनऊ के एक व्यापारी ने शराब की दावत दी थी । यह कार्ड हमारे पीजन होल में रखा गया था । मैंने कहा कि हरिद्वार में एक एच० ई० एल०

का कारखाना है, वहां पर शराब पिलायी जाती है। वहां पर हर मंगलवार को हर दुकान के पिछले दरवाजे से शराब बिकती है और इक्साइज विभाग के हर अधिकारी तो नहीं उनमें से 1–2 आदमी ऐसे होते हैं कि वे इससे रुपया कमाते हैं।

एक बात स्प्रिरिट के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। स्प्रीरिट बेंचने की दुकानों की बहुत लोगों को इजाजत दे दी गयी है और दुकानों की मांग दिन प्रति दिन बढ़ती है लेकिन वह इन लोगों की हत्या करने में इस्तेमाल होती है । देहरादून के जिलाधीश श्री वी० एन० प्रसाद, जी ने रिपोर्ट दी कि इसके लिये परमिट प्रणाली होनी चाहिये लेकिन इस सरकार ने यह स्वीकार नहीं किया अपने विभाग से दब कर। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कब तक वे अपने विभाग से दबते रहेंगे । अगर आप अपने विभाग से न दबते तो यह परमिट प्रणाली को बन्द न करते। अगर जगह-जगह पर परमिट प्रणाली से स्प्रिट दी जायगी तो जो लोग पीने के लिये स्प्रिट लेते हैं, वे नहीं ले पायेंगे और जो सही काम है, उसके लिये ही मिलेगी। इससे प्रदेश में जनता को भी लाभ होगा और आपको भी ।

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में अंग्रेजी शराब की दुकानों की नीलामी के बारे में कहा गया है कि इनकी नीलामी की जायगी। बड़े जोरों से कहा गया कि यह सरकार बड़ा अच्छा काम करने जा रही है लेकिन मुझे मालूम हुआ है और मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि दबाव से जगह-जगह कुछ इकट्ठा हुआ और उसके बाद वह नीलामी की बात समाप्त हो गयी है वरना आज सदन में घोषणा कीजिये कि विदेशी शराबों की दुकानों की नीलामी होगी । वरना आप कह दीजिये कि आपने विभाग के लोगों के दबाव में आकर या किसी और कारण से या विदेशी शराब के दूकानदारों के दबाव में आकर इस घोषणा को समाप्त नहीं कर दिया है।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं और मैं उनकी सज्जनता का कायल हूं और मैं इस बात के दोहराना नहीं चाहता कि अगर देहरादून में हम लोगों को राहत नहीं मिली और आपने इन दूकानों को नहीं हटाया तो आप अपने बचन को भंग करेंगे और जनता की भावनाओं को कुचलेंगे । मैं निवेदन करूंगा कि इसकी घोषणा आप सदन में कर दें जिससे हम लोगों को राहत मिले कि क्या सरकार इस विषय में कर रही है। इन शब्दों के साथ में 'कट मोशन' का समर्थन करता हूं ।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे माननीय सदस्यों ने पक्ष-विपक्ष से एक ही बात की वकालत की कि इस प्रदेश में जनहित में शराब बन्दी होनी चाहिये। इस सिलसिले में हमारे माननीय सदस्य श्री चन्द्रभान शर्मा जी ने अपना कटौती का प्रस्ताव रखते समय महात्मा गांधी के शब्दों का उल्लेख किया था । श्रीमन्, मैं तो चाहूंगा कि उचित होगा यदि इस आदरणीय सदन से महात्मा गांधी का चित्र ही अलग कर दिया जाय। क्योंकि इस चित्र के रहते यहां माननीय सदस्य दो मुहीं बात कहें तो मैं समझता हूं कि गांधी जी के प्रति न्याय नहीं है । श्रीमन्, अभी हमारे माननीय सदस्य श्री नित्यानन्द स्वामी जी ने कहा कि यदि देहरादून की गलियों से शराब की दूकानें नहीं हटाई जायेंगी तो वह आन्दोलन करेंगे । मैं पूछना चाहता हूं माननीय नित्यानन्द स्वामी जी से जब आपके दल की सरकार रही....

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यही शब्द उनसे भी कहे थे और तभी से आन्दोलन जारी है।

श्री मैनेजर सिंह—

उस समय यह शराब की दूकानों को देहरादून से हटाने के लिये क्यों नहीं कहा गया और क्यों नहीं हटवाया गया । आज इस सदन में कोई ऐसा दल नहीं है जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश में न रही हो, चाहे वह दो महीने, 4 महीने या साल भर रही हो। मान्यवर,

[श्री मैनेजर सिंह]

बिगड़े कांग्रेस दल के सदस्य श्री चन्द्र भान शर्मा जी से कम एक व्यक्ति हैं और जिसके लिये उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने गांधी जी का नाम लिया । हमारे नई कांग्रेस के साथी तो महात्मा गांधी का नाम तक नहीं लेते । काफी दिनों तक उनके नाम को भुलाते रहे । अब दुहाई दी जाती है प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी की, महात्मा गांधी का नाम मुंह में आता ही नहीं है, लेकिन बिगड़ा कांग्रेस दल के साथी महात्मा गांधी का नाम लेते हैं । इनके मुख्य मंत्री रहे हैं, हुकूमत रही है और बड़े मजबूत मुख्य मंत्री रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में इसको क्यों नहीं समाप्त करवाया....

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, यह बिगड़ा दाल कौन सा है ।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं यह कह रहा था कि उस दल के जो मुख्य मंत्री श्री चरण सिंह जी थे उन्होंने नशबन्दी क्यों नहीं की । आप उस समय का बजट भाषण पढ़ कर देख लीजिये उन्होंने पूर्ण नशा बन्दी की बात क्यों नहीं की थी । उसमें नहीं है । इससे साफ जाहिर होता है कि आज उस पक्ष के लोग जब इस तरफ बैठे थे तो इसी भाषा में बोलते थे और आज उधर विपक्ष जाकर उनकी जवान बदल गई है । कथनी और करनी में बड़ा अन्तर होता है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके गुरु डा० लोहिया साहब कहा करते थे कि कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिये और वे इस तरफ देश का ध्यान आकर्षित किया करते थे । उन्होंने कहा था आज राजनीति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहां की राजनीति में कथनी और करनीमें बहुत बड़ा अन्तर है । जब विपक्षी दलों की हुकूमत थी तब आपन नशा बन्दी नहीं की और जो आज का शासक दल है वह विपक्ष में बैठकर कहा करता था कि नशा बन्दी होनी चाहिये। । आज आप कह रहे हैं कि अगर दुकानें नहीं हटाई जायेंगी तो हम आन्दोलन करेंगे । कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जिसकी सरकार यहां न रही हो फिर कथनी और करनी में इतना अन्तर किस प्रकार से आ जाता है, इसको आप स्वयं देख सकते हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

हम यही उस समय भी कहा करते थे कि नशा बन्दी होनी चाहिये और आज भी कह रहे हैं ।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं निर्दली या किसी भी पक्ष में रहूं मैं हमेशा नशाबन्दी के बारे में कहता रहूंगा और उसी की वकालत करता रहूंगा और नशा चलाने वालों का विरोध करूंगा । हमारे साथी चन्द्रभान शर्मा जी ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये कहा कि शराब बनाने वाले जो शासक पक्ष ने राज्य सभा का टिकट दे दिया । शराब बनाने वाले का विरोधी एवं महात्मा गांधी का नाम लेने वाली पार्टी ने शराब पिलाने वाले ओबेराय को अपना उम्मीदवार बना दिया । शासन पक्ष ने तो एक कुटिल राजनीति चलकर और श्री राज नारायण सिंह को हराने के लिये एक गलत हथियार उठाया । आप दूध के धोये नहीं है । किसानों का नाम लेकर उसका वोट लेकर आये हैं और इसलिये आये हैं कि आप यह वोट श्री ओबेराय के हांथों में बेच देंगे । विदेशियों को दिल्ली में बुलायेंगे जिससे वह लोगों को शराब पिलाये । यह सदन तो एक नाटक घर बन गया है । कलाकार पात्र मंच पर जाते हैं और विभिन्न प्रकार के स्वांग करते हैं । कभी इधर हैं इधर की तरह से और उधर है तो उधर की तरह से स्वाग किया करते हैं । आपकी आत्मा आपको निश्चित रूप से कोसती होगी । मैं यह कहना चाहता हूं कि देश और प्रदेश के हित में पूर्ण नशाबन्दी आवश्यक है । यदि नशाबन्दी आप नहीं करते हैं तो आपको पूज्य महात्मा गांधी का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है । सारी पार्टियों की हुकूमत रह चुकी हैं लेकिन लेकिन उन्होंने

नशा बन्दी नहीं कि बल्कि नशे को बढ़ाया है । मैं भी सन् 1962 से विधान सभा का सदस्य हूं और इस प्रदेश की राजनीति की जानकारी पहले से भी रखता हूं । मैं इतना तो कही सकता हूं कि जो हमारे मौजूदा आबकारी मंत्री हैं उनकी कोई भी शिकायत किसी भी पक्ष से नहीं आई है । आज तक जितने भी आबकारी मंत्री रहे हैं उनकी किसी न किसी रूप में शिकायत होती रही है परन्तु मौजूदा आबकारी मंत्री ही केवल एक ऐसे आबकारी मंत्री हैं जिनकी किसी ने कोई शिकायत नहीं की है ।

इनकी ईमानदारी के बारे में उनकी सख्ती के बारे में सभी दाद देते हैं और मैं भी मानता हूं । हमारे साथी शर्मा जी और स्वामी जी भी इसे स्वीकार करेंगे । हमने आबकारी समिति में इनके कार्य करने का जो ढंग देखा है उससे मैं इनका प्रशंसक हो गया हूं । मैं आज इस सदन में कहना चाहता हूं कि आजतक जितने भी आबकारी मंत्री आये हैं उनमें यह सबसे अच्छे और ईमानदार हैं ।

मैं श्रीमन् कहना चाहता हूं कि विदेशी शराब के बारे में शासन की तरफ से घोषणा की गई कि उनका नीलाम होगा । श्रीमन् मैं भी इस राय का हूं कि विदेशी शराब का नीलाम होना चाहिये । जो मौजूदा प्रथा है वह उचित नहीं है । यदि शराब चलानी है तो उससे खजाने में पैसा आना चाहिये कुछ चन्द लोगों की जेब में नहीं जाना चाहिये । इस प्रश्न के सिल-सिले में मुख्य मंत्री जी का ध्यान मैंने आकर्षित किया था कि विदेशी शराब के व्यापारी काफी रुपया इकट्ठा कर रहे हैं और चाहते हैं कि किसी तरह से शासन का निश्चय बदलवाया जाय । श्रीमन् शासन का जो निश्चय होता है वह बदलता भी है लेकिन ऐसा निश्चय जिसकी सभी पक्षों ने सराहना की थी और शासन को वाहवाही मिली थी, नहीं बदलना चाहिये । मेरा कहना है जब यह घोषणा की गई है तो उसपर अमल होना चाहिये और शासन को पीछे कदम नहीं हटाना चाहिये । जो कदम उठाया गया है वह मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिये । इन शब्दों के साथ में इस बजट के समर्थन में राय देता हूं ।

*श्री चन्द्र भान शर्मा—

श्रीमन्, इन्होंने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है या बजट का किया है?

इस कटौती के पक्ष में और विपक्ष में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने ख्यालात इजहार किये हैं । मैनेजर सिंह जी ने जो कहा है उसको मुझे सर नीचा करके तसलीम कर लेना चाहिये, क्योंकि बात ठीक है और मैं भी उसका विरोधी रहा हूं । देहरादून में जो शराब बन्दी के बारे में कहा गया है, तो वहां शराब ही अभिशाप नहीं है, जौनसार बावर का इलाका है, जहां अफीम गांजा, चर्स का बड़ा प्रचार है । इसके द्वारा लोग गरीबों का इक्सप्लायट करते हैं और फायदा उठाते हैं ।

मेरे से ज्यादा मालूमात इस बारे में गुलाब सिंह जी को है । वह इक्साइज मंत्री को प्राइवेट तौर पर सुझाव दे सकते हैं । दूसरी बात यह कहना है कि बंगला देश के शासन से हम लोगों को भी नसीहत लेना चाहिये । हम वेस्ट की नकल करते हैं जहां शराब से हौसला अफजाही की जाती है । उनकी ओर हम चल रहे हैं । श्री रियासत हुसैन ने कहा कि बांगला देश की मिसाल एडाप्ट कर लें तो अच्छा होगा लेकिन मुझे तब ताज्जुब हुआ जब उन्होंने इस अनुदान का समर्थन किया । इस पर मुझे एक शेर याद आ गई जो खिदमत में पेश करता चाहता हूं:—

गुफ्तगूए तूल मैंने खींचा इस कदर,
कि शेख उनके साथ मयखाने में दाखिल हो गया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चन्द्र भान शर्मा]

तो मान्यवर, जो कुछ बातें थीं वह मैं आपके सम्मुख रख चुका । आखिरी बात सिर्फ यह कहनी है कि शराब हमारी एक सामाजिक बुराई ही नहीं है बल्कि इससे एक और मुसीबत होती जा रही है और वह यह है कि क्रानिक अल्कोहलिज्म की एक बीमारी पैदा होती जा रही है जो वेस्ट में काफी बढ़ रही है और उनको इसका इन्तजाम करना पड़ रहा है, शफाखाने खोलने पड़े हैं, रिसर्च कर रहे हैं । तो वह तो इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं लेकिन यहां पर इसकी तरफ तवज्जह नहीं दी जाती । लिहाजा मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि अगर वाकई शराब बन्दी नहीं हो सकती और इस आमदनी के बगैर इस देश और प्रदेश का भला हो ही नहीं सकता और यह हमारे लिये एक मजबूरी हो गयी है तो कम से कम कोई ऐसी व्यवस्था जरूर करें कि जो इसके आफटर एफेक्ट्स हैं उसके लिये कुछ अस्पताल खुलवायें ताकि इस नापाक मर्ज से लोगों को छुटकारा मिले ।

इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपका धन्यवाद अदा करता हूं ।

*श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, मैंने माननीय सदस्यों के जो विचार हैं और शर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में जो माननीय स्वामी जी ने विचार प्रकट किये उनको भी सुना । राज्य सरकार की पालिसी सिद्धांततः यह है कि मद्यनिषेध करना है । मैं समझता हूं कि हमारे स्वामी जी को जब वह पदासीन थे राज्य सरकार में और जो उनके बहुत दोस्त कहलाते थे हिम्मत सिंह जी वह जब इसके मंत्री थे तो उनको मालूम हुआ होगा कि क्यों नहीं टोटल प्राहिबिशन किया । और जैसा कि हमारे मैनेजर सिंह जी ने भी कहा कि महात्मा जी के उसूलों पर चलने वाला हर व्यक्ति जबतक शासन में रहता है तब तक तो कुछ नहीं लेकिन जब वह विरोध पक्ष में बैठता है तो वह महात्मा जी की दुहाई देने के अलावा और कुछ नहीं कहता । यह कोई नहीं कहता कि महात्मा जी के सिद्धान्तों पर नहीं चलना है, लेकिन उसकी परिस्थितियां होती हैं । जो परिस्थितियां दूसरी सरकारों के सामने थीं वह परिस्थितियां इस वक्त भी हो सकती हैं जिनकी वजह से पूर्ण मद्यनिषेध नहीं किया जाता है । उन परिस्थितियों के अलावा इस सरकार की एक और परिस्थिति है । यह नहीं है कि सिर्फ आर्थिक व्यवस्था ही इसका कारण है कि इसके राजस्व में 29 करोड़ की हानि होगी इस वजह से हम मद्य निषेध नहीं करना चाहते बल्कि इसके साथ एक और फैक्टर है । हम मद्यनिषेध को धीरे-धीरे इसलिये लागू करना चाहते हैं कि जहां मद्यनिषेध लागू किया गया है वह साल दो साल के अनुभव में कुछ कार्य रूप में परिणत हुआ या नहीं । मंगल को दुकानें बन्द की गयीं । लेकिन मंगल को भी शराब बिकती है । तो कानूनन गिरफ्तारियां भी की जाती हैं उनको दंड दिया जाता है । लेकिन मंगल का जो दिन था वह पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ । इसी तरह से शनैः-शनैः जहां जहां प्राहिबिशन है, हरिद्वार में देखिये, तीर्थस्थान में देखिये क्या टिंचर जिंजर और नाजायज शराब नहीं बिकती है। गढ़वाल में जो अभी मद्यनिषेध लागू किया गया है, शायद एक दिन में 50-50 टेलीग्राम इस बात के आ रहे हैं कि मद्यनिषेध खतम किया जाना चाहिये। तो मैं सिर्फ इतना ही कह देना चाहता हूं इस माननीय सदन की कोई चीज सिर्फ भाषण से खतम नहीं हो सकती है उसमें चरित्र को बदलने की आवश्यकता होती है । ताजीरात हिन्द बहुत साल हुये बने । इसमें आबकारी में कुछ लाइसेंस दिये हैं लेकिन ताजीरात हिन्द में कोई लाइसेंस नहीं है । लेकिन आज ताजीरात हिन्द बना है । फायदा क्या है । हालांकि इसमें फायदे की बात नहीं है । एक एक जगह चार-चार जुडीशियल अधिकारी हो गये। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम केवल कानून के बल से अपनी जनता को नहीं सिखा सकते कि शराब मत पियो ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजितराम पांडेय—

आप जिस कानून की बात करते हैं जिन लोगों का एक-एक ट्रक गंजा बरामद होता है, और शराब की भट्ठियां बरामद होती हैं, उन पर क्या कानून लागू करेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन् हमारे पांडेय जी ने जो कहा उसमें कहा है कि गांजा इसलिये डिस्ट्रवाय कर दिया जाता है कि वह गांजा लाइसेंस पर न दिया जाय क्योंकि उसका पूर्ण निषेध है। जो इक्साइज रूल हैं उसके लिये भी बजट में प्रयास किया गया है और दो ला आफिसर उसके लिये देने के लिये वित्त विभाग तैयार हो गया है और ये इस कानून को रिड्राफ्ट करेंगे और जो खामियां हैं, उनको पूरी करेंगे। माननीय नित्यानन्द स्वामी जी ने कुछ सुझाव दिये थे। आपने एक जिक्र दूकान के बन्द करने का किया। नित्यानन्द स्वामी जी एक प्रार्थना-पत्र लाये। मैंने उसमें डी० एम० को आदेश लिखे कि यथोचित मदद करें। लेकिन जो बहुत पुरानी दुकान है, वह तभी वहां से हट सकती है, जब किसी तरह उससे प्रामिज किया जाय कि उसे दूसरी नयी दूकान मिल जायेगी। सरकार ने ऐसे कानून बनाये हैं कि नयी जो दूकान बनेगी, वह फलां-फलां जगह पर नहीं होगी, जैसे मस्जिद, मंदिर, सिनेमा, शहर या बाजार आदि। यहां नयी दूकान नहीं खोली जायेगी। मैं समझता हूं कि हमारे माननीय सदस्य इस बात से सहमत नहीं हुये होंगे कि वहां कोई दूकान उसको बता सकें कि इस नयी दूकान पर कोई झगड़ा नहीं होगा। आपने सुझाव दिया कि वह दूकान म्युनिसिपैल्टी के बाहर होनी चाहिये। वह कानून के विरुद्ध है क्योंकि उसमें फिर लाइसेंस का फर्ज हो जाता है। शहर और देहात के लाइसेंस अलग-अलग होते हैं। अब वह दूकान बन्द कर ही दी जाय, यह एक पालिसी का विषय है जो कि कैबिनेट ही पास कर सकती है तभी वह सम्भव हो सकता था कि मैं उस दूकान को हटाने का आदेश देता। सिर्फ यही मैंने कहा था कि इसका यथोचित इंतजाम करें और नित्यानन्द स्वामी से पूछकर इसको हटा सकें तो आसानी से हटा दिया जाय। मैं अभी भी इस राय का हूं और सरकार की भी यही राय है कि उन आबादी वाली जगह पर उन पुरानी दूकानों को नहीं होना चाहिये।

भ्रष्टाचार की बात भी कही गयी। मान्यवर, भ्रष्टाचार अगर है तो वह कुछ कानूनी गलतियों के कारण हैं। यह विभाग कई विभागों से संबंधित है। पुराने कानून में डी० एम० जो आई० ए० एस० आफिसर होता है वही लाइसेंसिंग अथारिटी है, वही लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है, सरकार का उसमें कोई अधिकार नहीं है। मिनिस्टर या कोई माननीय सदस्य मुआयना भी करता है तो यह जिलाधीश को अपनी रिपोर्ट भेज देता है, पर दुर्भाग्य यह रहा है कि जिलाधिकारी मंत्रियों की भी रिपोर्ट पर अधिक ध्यान न देकर केवल 50 रुपया या 10 रुपये में कम्पाउन्ड कर देते हैं। यह हमारे रूल्स में कुछ कमी के कारण है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

जो मिनिस्टर इंचार्ज होता है अपने विभाग का यह सारे आफिसर्स उसके अधीन समझे जाते हैं। यह दूसरी बात है कि आप आर्डर ही पास न करें।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

आप रूल्स कृपया पढ़ लें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं उसी की जानकारी पर कह रहा हूं।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

आपने सिविल की प्रक्टिस की होगी (व्यवधान-हंसी)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

माननीय नेता सदन इस समय मौजूद हैं, यह बड़ा महत्व का प्रश्न है कि क्या सचमुच हमारे मंत्री इतने कमजोर हैं....

श्री मनेजर सिंह—

यदि नियम ऐसे हैं तो उनको बदला जाय । क्या यह आवश्यक नहीं है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जो ला है उसमें अभी तक लाइसेंसिंग अथारिटी ही को कैंसिल करने का अधिकार है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जहां तक नियम और कानून का सवाल है वह ठीक है, मगर यह आई० ए० एस० आफिसस भी तो आपके मातहत ही हैं। उसका यह कर्त्तव्य हैं कि वह आपके आदेशों का पालन करें । जहां तक उनके आर्डर का सवाल है, गवर्नमेंट उनके अपील में भी आदेश निरस्त कर सकती है और बिलकुल अलग आदेश दे सकती है ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

आपकी भी ताकत देख ली है । आप अस्पताल में रहे हैं और जब आप अस्पताल में पड़े रहे हैं तब हमने आपकी ताकत देखी है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, यह तो कोई जवाब नहीं हुआ । जब हम अस्पताल में रहे तब भी हमने बहुत कुछ कर दिया, वह भी आप नहीं कर पायेंगे ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

ठीक है, बिलकुल ठीक है, जो आपने अस्पताल म रहकर काम किया है वह हम नहीं कर पायेंगे आप ठीक कहते हैं जब रूल्स के अगेंस्ट होता है, तो हाईकोर्ट में भी उसकी याचिका दायर होती है ।

(व्यवधान)

आप सुने, इस बार में हम माननीय सदस्य से आउट आफ दी हाउस डिस्कशन कर लेंगे ।

अब जो माननीय सदस्य मैनेजर सिंह ने मसला रखा है कि विदेशी शराब की दुकानों की जो नीलामी है, उसके बारे में इस हाउस में कमिटमेंट हो गया था तो फिर उस नीति को पहली अप्रैल से लागू क्यों नहीं किया गया । उस संबंध में हमारे सदस्य के दिमाग में जो इधर-उधर के ख्याल हैं, वह बिलकुल निरर्थक हैं । उसका एक मात्र कारण यही है कि जब पहली अप्रैल को उसे लागू करने का समय आया, तो उन्हीं दिनों पंजाब और मध्य प्रदेश इन दो सूबों के बारे में प्रकाश में आया कि जो उन्होंने 70–71 में फारेन लिकर का आक्शन किया था, उसे उन्होंने फिर कैंसिल कर दिया । उस स्कीम को ही कैंसिल कर दिया और कहा कि जो उसका आक्शन कर दिया था वह गलत है और पुरानी नीति पर फिर चलेंगे । तो जब वह चीज अखबार में आई तो उसको देखने लिये कमेटी बनी कि जो सूबे इसको एक्जामिन कर चुके ह.....

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह सब तो पहले हो चुका था । यह सब वित्त मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी के भाषण में आ चुका है । यह भी कहा गया कि विदेशी शराब की दुकानों की नीलामी से 50 लाख रुपये आयेंगे ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मैं यह कब कहता हूं कि हम नहीं करेंगे। तीन महीने का जो समय है फारेन लिकर के बारे में उसमें यह है कि आक्शन करके जिन्होंन देख लिया है उन्होंने फिर फारेन लिकर आक्शन की पालिसी को लौटाया है। उसको देखने के लिए 3 महिने का समय दिया है। तीन महिने के सिर्फ लाइसेंस दिये गये हैं, पूरे साल के नहीं।

श्री मैनेजर सिंह—

जो कमेटी बनी है, उसमें कौन-कौन लोग हैं ? अफसर हैं या जन प्रतिनिधि ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

कमेटी का फैसला कैबिनेट में आएगा, उसमें आपके प्रतिनिधि ही होंगे।

श्री मैनेजर सिंह—

आप यों तो साफ बता दें कि कौन-कौन मैम्बर्स होंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सचिव हैं और शायद मिनिस्टर्स हैं, सही नाम मुझको याद नही है। आक्शन की जो पालिसी है वह बिलकुल बन्द हो गई है, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ 3 महिने के लिए उसको एडजर्न किया गया है, ताकि फिर उसको देख लिया जाए जहां यह पालिसी फेल हुई है। फिर उस पर निर्णय लिया जाएगा।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

पहली अप्रैल से हम नीलाम करेंगे, इस निर्णय पर पहुंचने से पहले क्या इन सब पहलुओं पर विचार नहीं किया गया था ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इन दो सूबों का फैसला जब लौट आया कि आक्शन को लौटाया जाता है, तो यह चीज पैदा हुई। सोचा यह गया कि सारी चीजें इस सम्बन्ध में उन सूबों की एक्जामिन कर ली जाए।

तो इस तरह से माननीय सदस्यों का जो ख्याल है यह बिलकुल बे बुनियाद है। इसमें जो गवर्नमेंट की पालिसी है, नीलाम करना है, उसको एग्जामिन करेंगे, फिर कैबिनेट में आयेगा।

कई माननीय सदस्यों ने टोटल प्राहिबिशन के लिए कहा। कुछ सूबों में टोटल प्राहिबिशन भी हुआ। तामिल नाडु और मद्रास में कम्प्लीट प्राहिबिशन किया गया लेकिन तामिल नाडु में एक साल के बाद टोटल प्राहिबिशन फिर हटा दिया और महाराष्ट्र ने टोटल प्राहिबिशन की पालिसी को रिलैक्स कर दिया। कुछ लाइसेंस देने लगे। जिन प्राविंसेज ने टोटल प्राहिबिशन किया उन्होंने उस पालिसी को फिर रिवेट कर दिया, चेंज कर दिया। तो फिर राज्य सरकार की पालिसी है कि धीरे- धीरे प्राहिबिशन किया जाय, प्रैक्टिकेबिलिटी को देखते हुए कि प्राहिबिशन कार्य रूप में आता है या नहीं, या प्राहिबिशन होने के बजाय नाजायज बेचने वाले प्राहिबिशन की पालिसी को कह रहे हैं और जो टिंचर जिंजर बेचने वाले हैं वह प्राहिबिशन की पालिसी कराना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि पूर्ण नशा बन्दी से पूर्ण नसबन्दी हो जायगी। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य के कोई बच्चे नहीं होंगे। अगर बच्चे होंगे तो नशाखोरी जरूर की होगी। मुझे मालूम है कि माननीय सदस्य के बच्चे हैं। पूर्ण नशबन्दी कर दें तो बच्चे नहीं होंगे, अगर यह उसूल ठीक है तो उन्होंने भी पी होगी। पूर्ण नशाबन्दी नसबन्दी है, यह समझ में नहीं आता है। माननीय सदस्यों को जो सुझाव दिये हैं जो गौर करने लायक हैं उन पर गौर किया जायगा

श्री नित्यानन्द स्वामी—

स्प्रिट की परमिट प्रणाली के बारे में बता दें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, उस तरफ जरूर ध्यान गया होगा कानपुर में नशीली या जहरीली शराब पीने से करीब 50 मौतें हो गयीं, उस वाकये को आपने अनालाइज किया या नहीं ? अगर आपने किया तो क्या नीति का दोष मान रहे हैं या खाली कहीं पर काम में गड़बड़ी है उसी को मान रहे हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

एक्साइज की पालिसी के सम्बन्ध में मननीय सदस्य बहुत ज्यादा जानते होंगे, परसनल अनुभव होगा कि क्या खाबियां हैं क्या नहीं हैं ?

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जायसवाल जी से। चूंकि शराब के मामले से जितनी उनकी जानकारी है और सूबे में मेरा अपना खयाल है, अगर इस काम को चाहें तो आप रोक सकते हैं चूंकि शराब का जो काम शुरू होता है उसमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं यह समझ रहा हूं कि जो मौतें हुई हैं, वह खाली इसलिए नहीं हुई हैं, कहीं आपके काम करने में दोष है बल्कि इसलिए हुई हैं कि सीधे-सीधे वह नीति का मामला है। अभी तक तो आपने कभी पूरी बन्दी, कभी आंशिक बन्दी, कभी क्रमिक बंदी करते हैं। इसका साफ मतलब होता है, जिन लोगों के हाथ में बागडोर है उनमें संकल्प की कमी है गांधी जी की तरह जो कहते थे कि चाहे अपनी शिक्षा बन्द करनी पड़े लेकिन इसकी तरफ नही जायेंगे, करते। दूसरी तरफ जनमत नहीं तैयार हुआ। इसमें भी कोई दो राएं नहीं हैं। लेकिन यह नीति इनकी साफ रही है कि चाहे जैसे भी हो, जिस चीज को गांधी जी ने मना किया, उसे अपना लिया, ज्यादा से ज्यादा इससे आमदनी हो। आपकी मिनिस्ट्री से जो भी आर्डर गया होगा उसमें खाली इतना होगा कि अब की इतना-इतना दाम बढ़ जाय। उसके अलावा और कोई नीति देखने को नहीं मिली। यह नीति का दोष है।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी को लिखकर यह सुझाव दे दीजियेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इस चीज को वह पहचान नहीं पाये ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिखकर सुझाव दे देंगे तो वह देख लेंगे।

श्री इन्द्रमणि—

टेहरी, पौड़ी तथा गढ़वाल में मद्य-निषेधकर दिया लेकिन अंग्रेजी शराब की दूकाने खुली हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इन दूकानों से उन्हीं को शराब दी जाती है। जिनके पास मेडिकल सार्टिफिकेट होता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

स्प्रिट की दूकानों के लिये परमिट प्राणाली डी० एम० ने शुरू की थी जिससे गलत हाथों में स्प्रिट नहीं जाती थी। इस प्रणाली को सारे प्रदेश में लागू करने में क्या दिक्कत है ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्यों ने गांधी जी के बारे में यहां जिक्र किया, मैं भी उस सम्बन्ध में निवेदन कर दूं कि दुनिया का इतिहास बदलने के लिये तीन बल रहे हैं। एक हथियार, दूसरा कानून तथा तीसरा गांधी जी का सत्याग्रह का बल है। शराब के मामले में भी गांधी जी के सत्याग्रह, प्रचार तथा उदाहरण इन तीनों से काम चलेगा जैसे कि मांस के सम्बन्ध में उदाहरण से काम चलेगा। शराब के बारे में उदाहरण, प्रचार और कानून से काम चलेगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

अच्छा हो कि आप एक भाषण ही दे देते।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्यों ने कहा कि गांधी जी के नीचे हम बैठे हैं, इसलिये उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धन्तों को बता देना मैंने उचित समझा।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 3—राज्य आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 54,84,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन 7 बजकर 17 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
20 अप्रैल, 1972।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 949 पर)

दिनांक 24-9-71 के सर्वश्री बालादत्त सुयाल, विपिन चन्द्र सुयाल व उमेद सिंह महरा के आवेदन पत्र के तथ्यों का सारांश----

50 वर्ष पूर्व बाबा हेड़खान आश्रम से प्रस्थान कर गये थे और उस समय उनकी आयु 75 वर्ष बताई जाती थी। श्री गोवर धन सुयाल आश्रम की भूमि को हड़पना चाहते थे। अतः उन्होंने 30-7-1971 को परगना मजिस्ट्रेट भावर के न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र इस भूमि के संबंध में प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि के लिए दिनांक 25-8-1971 को एक नकली बाबा को बाबा हेड़खान के नाम से लाकर जिसकी आयु 25-26 वर्ष है बैठा दिया और जनता में प्रचार किया तथा जनता को गुमराह किया।

2---इस गिरोह के प्रभाव में परगना मजिस्ट्रेट भावर द्वारा नियम विरुद्ध किये गये कार्य।

3---सर्वश्री गोवरधन सुयाल, हीरा बल्लभ सुयाल व शिवशंकर सुयाल, श्री राम कुमार शर्मा, श्री पदमादत्त सम्पादक संदेश सागर हल्द्वानी को बाबा का मुख्य प्रचारक बताया गया है जिससे शान्ति व्यवस्था का खतरा हो सकता है।

उत्तराखण्ड विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 950 पर)

तालिका

अपराध		थाना निचलौल, जिला गोरखपुर में वर्ष 1969, 1970 व 1971 में हुए डकैती तथा कत्ल के वास्तविक अपराधों की संख्या	उन थानों के नाम जिनमें इन्हीं वर्षों में थाना निचलौल के बराबर अथवा उससे अधिक घटनायें हुईं
वर्ष			
1		2	3
डकैती	1969	2	बड़हलगंज (4), सिकरीगंज (4), खजनी (5), पिपराइच (4), महाराजगंज (4), चिलवा ताल (3), नौतनवा (3), झंगहा (2) श्याम देउरवा (2)।
	1970	2	बांसगांव (3), गोला (6), गगहा (6,), सिकरीगंज (5), सहजनवा (6), गुलरिहा (4), पिपराइच (4), चौरा (4), झगहा (3), श्यामदेउरवा (6), महाराजगंज (5), कोठी भार (3), धुधली (3), पीपीगंज (5), कैम्पियरगंज (6), बेलीपार (2),। खोराबार (2), पुरन्दरपुर (2), नौतनवा (2)
	1971	3	सिकरीगंज (4), गगहा (3), गुलरिहा (3), पिपराइच (3), पुरन्दरपुर (3,) नौतनवा (3)।
कत्ल ..	1969	2	बांसगांव (3), गगहा (4), बड़हलगंज (4), खजनी (4), सहजवना (3), गुलरिहा (3), महाराजगंज (4), धुधली (3), चिलुवाताल (3), कैन्ट (2), गोला (2), सिकरीगंज (2), बेलघाट (2), पिपराइच (2), झगहा (2), श्यामदेउरवा (2), कैम्पियरगंज (2), फरेन्दा (2), नौतनवा (2)।
	1970	2	कैन्ट (3), बांसगांव (7), गोला (5), गगहा (4), बड़हलगंज (3), खजनी (4), सहजनवा (5), बेली पार (3), पिपराइच (4), खोराबार (3), श्यामदेउरवा (3), महाराजगंज (3), बेलघाट (2), चौरा (2), पीपीगंज (2), नौतनवा (2)।
	1971	शून्य	शून्य चार अन्य थानों में कोई कत्ल नहीं हुआ। इस प्रकार स्थिति जिले के शेष 23 थानों से अच्छी रही।

प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1969 व 1971 में गोरखपुर जिले के निचलौल थाने के अन्तर्गत इस जिले के अन्य थानों की अपेक्षा अवैध गांजा व कपड़ा आदि अधिक पकड़ा गया। वर्ष 1970 में अवध वस्तुओं की बरामदगी जिले में गुलरिहा थाने के अन्तर्गत सबसे अधिक हुई थी।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 36 का उत्तर पीछे पृष्ठ 955 पर)

वर्ष 1970–71 में अनुदान सूची पर लाये गये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की तालिका

क्र0-सं0	संस्था का नाम		विद्यालय का स्तर	वर्ष 1970–71 के प्रबन्धक का नाम	वर्ष 1971–72 के प्रबन्धक का नाम
1	2		3	4	5
1	कैप्टन बद्री प्रसाद इन्टर कालेज, मिलाथू, बांदा	..	इन्टर कालेज	श्री मोती लाल विद्यार्थी	श्री राम सजीवन सिंह
2	श्री आदित्य इन्टर कालेज, दाउदपुर, गाजीपुर	..	,,	श्री पुरुषोत्तम सिंह	श्री पुरुषोत्तम सिंह
3	ओबरा इन्टर कालेज, ओबरा, मिर्जापुर ..	..	,,	श्री अम्बा प्रसाद	श्री ईश्वर नारायण माथुर
4	जनता हा० से० स्कूल, एतमातदपुर, आगरा	..	,,	श्री श्रीराम गुप्त	श्री श्रीराम गुप्त
5	नेहरू इन्टर कालेज, तरैया सुजान, देवरिया	..	,,	श्री राजदेव शुक्ल	श्री मैनाराय
6	जनता इन्टर कालेज, वलीपुर, सुल्तानपुर मुजफ्फरनगर—	..	,,	श्री परमेश्वरी प्रसाद तिवारी	श्री परमेश्वरी प्रसाद तिवारी
7	जिला परिषद् उ० मा० वि० पुरा, मेरठ	..	हाई स्कूल	श्री एम० पी० जैन	श्री एम० पी० जैन
8	कृषि हायर सेकेंडरी स्कूल, जयसिंहपुर	..	,,	श्री राज सिंह	श्री राज सिंह
9	आदर्श जनता वि० हायर से० स्कूल, फरीदनगर	..	,,	श्री मोहम्मद उस्मान खां	श्री मोहम्मद उस्मान खां

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
	देहरादून			
10	जौनसार बाबर उ० मा० वि० सहीया बरेली	हाई स्कूल	सरदार सिंह राय	श्री श्याम दत्त जोशी
11	श्री सतीश चन्द्र हा०से० स्कूल, पढ़ेरा पो० कादरगंज इटावा	,,	श्री सोहन लाल	श्री सोहन लाल
12	सर्वोदय हा० से० स्कूल, साफर	,,	श्री ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी	श्री ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी
13	नगरपालिका उ० मा० वि०, औरैया	,,	श्री कृष्ण चन्द्र भार्गव	श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया
14	जिला परिषद, उ० मा० वि० उमरैन इलाहाबाद	,,	श्री मोहन चन्द्र जोशी	अध्यक्ष, जिला परिषद्
15	श्री रणजीत पंडित उ० मा० वि०, लोहगरा बांदा	,,	श्री लाल सुधाकर सिंह	श्री लाल सुधाकर सिंह
16	जनता उ० मा० वि०, खुरहण्ड जालौन	,,	श्री हनुमान सिंह	श्री छोटे सिंह
17	गांधी उ० मा० वि० गढ़गवां गाजीपुर	,,	श्री जाहर सिंह सेंगर	श्री जाहर सिंह सेंगर
18	शहीद संस्मरण उ० मा० वि०, शेरपुर गोन्डा	,,	श्री अयोध्या राय	श्री अयोध्या राय
19	भैया हरिभान दत्त उ० मा० वि० थानेपुर देवरिया	,,	श्री प्रताप आदित्य पाण्डेय	श्री प्रताप आदित्य पाण्डेय
20	गौतम उ० मा० वि०, पिपरा रामघाट द्वारा सुलेमसहाय	,,	श्री विश्वनाथ मिश्र	श्री विश्वनाथ मिश्र
1	नेहरू उ० मा० वि०, मंसाछापार, खोसिया	,,	श्री मधुसूदन मिश्र	श्री मधुसूदन मिश्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
	आजमगढ़—			
22	—श्री शंकर जी हायर से० स्कूल कटवा, गहजी पौढ़ी गढ़वाल—	.. हाई स्कूल	श्री भगवती सिंह	श्री भगवती सिंह
23	—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इन्द्रापुरीपौढ़ी पौड़ी गढ़वाल—	.. ,,	श्री उर्विदन	श्री उर्विदन
24	—उ० मा० वि०, वाकोसेण अलमोड़ा	.. .. ,,	श्री उदय सिंह गुसाई	श्री उदय सिंह गोसाई
25	—आदर्श उ० मा० वि०, सुरइखेत बिठौली देहरादून—	.. .. ,,	श्री गंगादत्त फुलार	श्री गंगादत्त फुलार
26	—श्री गुरुनानक पब्लिक गर्ल्स उ० मा० वि०, प्रेमनगर जौनपुर—	.. ,,	श्री अमर सिंह	श्री त्रिलोचन सिंह
27	—नगरपालिका बा० उ० मा० वि० ओलंदगंज देवरिया—	.. ,,	श्री सन्त सेवक लाल	श्री सन्त सेवक लाल
28	—श्री सरोजनी बा० वि० बरहज	.. .. ,,	श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल	श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल
29	—राष्ट्रीय हा० से० स्कूल, इस्माइलपुर बुलन्दशहर—	.. .. ,,	श्री रिछपाल सिंह यादव	श्री रिछपाल सिंह यादव
30	—किसान, उ० मा० वि० करौली, बांसदेवपुर	.. ,,	श्री छत्तर सिंह	श्री छत्तर सिंह
31	—श्री राजेन्द्र उ० मा० वि०, बिलासपुर	.. .. ,,	श्री रामलाल वैश्य	श्री रामलाल वैश्य

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3	4	5
	बस्ती—				
32—	जवाहर लाल उ० मा० वि०, नौगढ़ बस्ती	..	हाई स्कूल	श्री शम्भू चरण रावत	श्री शम्भू चरण रावत
33—	जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दुबौली गोरखपुर—	..	,,	श्री सीताराम दुबे	श्री सीताराम दुबे
34—	परमहंस रणछोड़दास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खपटिहा कलां बांदा—		,,	श्री बाबू राम गुप्त	श्री बाबू राम गुप्त
35—	शिव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कटहरा इलाहाबाद—	..	,,	श्री शिव प्रताप सिंह	श्री शिव प्रताप सिंह
36—	बैजनाथ सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भदोही प्रतापगढ़—	..	,,	श्री अनन्त प्रसाद सिंह	श्री अनन्त प्रसाद सिंह
37—	श्री शिव विजय राघव तुलसीदास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झरनाकुटी, पोस्ट घाटी, देवरिया। देवरिया—		,,	श्री महन्त शिव मंगल दास जी	श्री महंत शिव मंगल दास जी
38—	जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जीवपुर, गाजीपुर गाजीपुर—	..	,,	श्री जगदीश चन्द्र राय	श्री जगदीश चन्द्र राय
39—	चन्द्रमौलि हायर सेकेंडरी स्कूल, कुरंगा, आजमगढ़ आजमगढ़—	..	,,	श्री रामेश्वर प्रसाद नारायण सिंह	श्री रामेश्वर प्रसाद नारायण सिंह

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 52 का उत्तर पीछे पृष्ठ 959 पर)

अर्द्ध शा० पत्र सं० 723 भा०उ०(अट्ठारह) 111

श्री० ना० आचार्या,
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार,
उद्योग अनुभाग (11)
विधान भवन,
लखनऊ, दिनांक 21 मार्च, 1972।

प्रिय महोदय,

मेसर्स सिन्थेटिक्स ऐंड कैमीकल्स लि०, बरेली की स्थापना तथा तत्सम्बन्धी अन्य कार्यों के लिए अर्जित भूमि के प्रतिकर की धनराशि में वृद्धि के विषय में आपके मुख्य मन्त्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 9 दिसम्बर, 1971 के सन्दर्भ में मुझे आपको यह सूचित करना अभीष्ट है कि प्रतिकर का अवार्ड एक न्यायिक आदेश है अतः उसमें प्रदान की गई धनराशि को किसी सक्षम न्यायालय के आदेश पर ही बढ़ाया जा सकता है। दूसरे उक्त भूमि अर्जन के अवार्ड के सम्बन्ध में सम्बन्धित भू-स्वामियों ने 75 रेफ्रेंसेज दायर किये थे जिनमें से कुछ में सिविल कोर्ट ने प्रतिकर की धनराशि में वृद्धि स्वीकृत की है और कुछ को खारिज कर दिया है। अतः प्रतिकर की धनराशि में वृद्धि का सिद्धान्त प्रत्येक मामले में स्वतः लागू करने में शासन असमर्थ है।

भवदीय,
(ह०) श्री ना० आचार्या,

श्री भानु प्रताप सिंह,
सदस्य, विधान सभा, भोजीपुर,
जिला बरेली।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 55 का उत्तर पीछे पृष्ठ 960 पर)

तालिका 'अ'

मेरठ जिले की चीनी मिलों पर 31-3-72 तक बकाया गन्ना मूल्य की स्थिति
(लाख रु० में)

क्रम-सं०	नाम चीनी मिल	गन्ना मूल्य का बकाया		योग
		पुराना	सीजन 1971-72 का बकाया	
1	2	3	4	5
1	मोहिउद्दीनपुर	19.60	..	19.60
2	सकौती टांडा	2.15	0.46	2.61
3	दौराला	..	2.19	2.19
4	मलियाना	4.37	8.57	12.94
5	मोदीनगर	..	3.77	3.77
6	सिम्भौली	..	7.95	7.95
7	मवाना	..	2.14	2.14
8	बागपत	..	..	..
		26.12	25.08	51.20

संसद पुस्तकालय विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 86 का उत्तर पीछे पृष्ठ 965 पर)

गोंडा जिले की कोतवाली एवं बलरामपुर थाने में दिनांक 1-1-72 से 20-3-72 तक की अवधि में दर्ज की गई चोरी की रिपोर्टों के बारे में सूचना

मामलों की संख्या

थाना	जिनकी रिपोर्ट की गई	जिनमें जांच की गई	जिनमें जांच नहीं की गई	जो चालान किए गये	जो सजायाब हुए	जो रिहा हुए	जो न्यायालय में विचाराधीन हैं	जो लापता रहे (अन्तिम रिपोर्ट लगी)	जिनमें जांच अभी जारी है	कितने व्यक्तियों की सजा हुई।	मामले की संख्या जो झूठे पाये जाने के कारण खारिज कराये गए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1—कोतवाली	244*	187	57	5	..	..	5	43	133	..	6
2—बलरामपुर	114*	81	33	1	..	..	1	4	78	..	..

*प्रर्याप्त प्रयासों के बावजूद इन मामलों में अभियुक्तों का पता नहीं लग सका अतः अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 966 पर)

1-1-72 से 15-3-72 तक की अवधि में थाना महमूदाबाद, सदरपुर तथा थाना गांव के अन्तर्गत डकैती, हत्या एवं चोरी की घटना का विवरण

थाना	डकैती			हत्या			चोरी (नकबजनी के मामले सम्मिलित)		
	रिपोर्टों की संख्या	फाइनल रिपोर्ट	चालान किए गये अभियुक्तों की संख्या	रिपोर्टों की संख्या	फाइनल रिपोर्ट	चालान किये गए अभियुक्तों की संख्या	रिपोर्टों की संख्या	फाइनल रिपोर्ट	चालान किए गये अभियुक्तों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
महमूदाबाद	5	..	..	1	1	..	5	7	4 (4 मामलों में)
सदरपुर	2	..	..	..	..	..	38	9	..
थानगांव	3	..	..	2	..	6 (1 मामले में)	27	6	3) (1 मामले में

अनेक विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 969 पर)

विधान सभा के वर्तमान सत्र के तीसरे गुरुवार के लिए निर्धारित श्री रामगोपाल सण्ड द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 9 के उत्तर का संलग्नक—

क्रमांक	संस्थाओं का नाम व पता जिन्हें वित्तीय सहायता दी गई	वर्ष जब वित्तीय सहायता दी गई	कार्य जिसके लिए वित्तीय सहायता दी गई	धनराशि जो वित्तीय सहायता के रूप में दी गई (रु० में)
1	2	3	4	5
	1—खादी ग्रामोद्योग एवं समाज कल्याण संस्थान स्टेनली रोड, नयापुरवा, इलाहाबाद	61–62	ग्रामीण तेल उ०	2,140
	2—खादी ग्रामोद्योग संघ, इलाहाबाद	64–65	,,	3,600
	3—ग्राम विकास सेवा मण्डल, रामनगर, इलाहाबाद	67–68	,,	3,600
		68–69	,,	4,000
		67–68	अनाज दाल प्र०	5,000
		68–69	,,	10,000
		67–68	कुम्हारी उ०	1,400
		67–68	खादी उ०	32,500
		68–69	,,	38,500
		69–70	,,	47,525
		68–69	,,	7,500
	योग ..		..	1,50,025
	4—श्री गांधी कृषि ग्रामोद्योग विकास संघ कथवल	70–71	खादी उ०	15,000
		70–71	ग्रामीण तेल उ०	3,720
	योग ..		..	18,720

अध्यक्ष सभा उत्तर प्रदेश

1	2	3	4	5
5—श्री लाल बहादुर शास्त्री स्मारक प्रतिष्ठान, लोकमनपुर ..		67–68	खादी उ०	11,245
		68–69	,,	19,200
		68–69	,,	7,750
		69–70	,,	34,525
		70–71	,,	23,000
		68–79	,,	18,000
		68–69	ग्रामीण तेल उ०	5,600
		67–68	अनाज दाल प्र०	5,000
		70–71	कुम्हारी उ०	12,000
		71–72	,,	5,000
		71–72	काष्ठ कला उ०	17,500
	योग ..		..	1,58,820
6—ग्रामोद्योग विकास मंडल, मवबापुर, इलाहाबाद		66–67	अनाज दाल प्र०	8,000
		69–70	,,	9,000
		66–67	कुम्हारी उ०	30,000
		68–69	,,	17,000
		66–67	बढ़ईगीरी उ०	13,500
		67–68	खादी उ०	17,000
		69–70	,,	5,000
	योग ..		..	99,500
7—श्री लाल बहादुर सेवा निकेतन, मांडा, इलाहाबाद		69–70	दिया स०उ०	19,300
		69–70	,,	9,300
		70–71	,,	11,900
	योग ..		..	40,500
8—नर्मदा सेवा आश्रम, सरायअकिल, इलाहाबाद		58–59	ग्रामीण तेल उ०	6,200
		60–61	अनाज दाल प्र०	2,000
		60–61	प्रदर्शनी	5,000
		61-62	अखाद्य तेल साबुन उ०	16,400
	योग ..		..	29,600

1	2	3	4	5
9	ग्राम सेवा मंडल, जगतपुर, हनुमानगंज, इलाहाबाद ..	64–65	कुम्हारी उ०	30,500
10	खादी ग्रामोद्योग जन सेवा संस्थान माधोपुर बरौत, इलाहाबाद ..	69–70	ग्रामीण तेल उ०	5,750
		69–70	कुम्हारी उ०	11,820
		70–71	,,	19,080
		70–71	,,	35,000
	योग ..		..	71,620
11	साधना ग्रामोद्योग सेवा निकेतन, सदियापुर, इलाहाबाद ..	69–70	अखाद्य तेल साबुन उ०	11,200
		70–71	,,	8,000
	योग ..		..	19,200
12	समग्र ग्राम सर्वोदय संस्थान, मीरा सहसों, इलाहाबाद ..	68–69	चूना उ०	6,000
13	लोक सेवा मंडल, मोतीलाल नेहरू विद्यालय, कौथियारा, इलाहाबाद	62–63	अखाद्य तेल साबुन उद्योग	1,200 लगातार...
14	लोक सेवा मंडल, कौथियारा, इलाहाबाद	64–65	अखाद्य तेल साबुन उ०	300
15	सघन क्षेत्र विकास समिति, चरवई, इलाहाबाद ..	64–65	ग्राम इकाई	3,258.81
		65–66	चर्म उ०	250
	योग ..		..	3,508.81
16	साधना ग्रामोद्योग सेवा निकेतन, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद ..	71–72	तेल उ०	11,440
17	सहकारी संघ मल्हाव, इलाहाबाद	58–59	अनाज दाल प्र०	2,500

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
18	हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग इलाहाबाद	58–59	अखाद्य तेल साबुन उ०	16,400
19	दुर्गा देवी रूरल एजूकेशन सोसाइटी बोसा, इलाहाबाद ..	58–59	,,	29,700
20	सर्वोदय मंडल, बरसनपुर, इलाहाबाद	59–60	ग्रामीण तेल उ०	2,100
21	ग्रामीण तेल उद्योग समाज कल्याण संस्था नयापुरा, इलाहाबाद ..	59–60	,,	3,900
	कुल योग ..		..	7,01,273.81

विधान सभा पुस्तकालय

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 52 एल०ए०—1973—845 (मैग)।